Drishti IAS

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

सितंबर भाग-2

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 4

- पूर्वी आर्थिक मंच 4
- आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक 6
- राष्ट्रमंडल का भविष्य 7
- भारत-सऊदी अरब संबंध 8
- किर्गिज़स्तान-ताज़िकिस्तान संघर्ष 10
- क्वाड समूह 12
- G-4 देश 13

एथिक्स 15

- संज्ञानात्मक विसंगति 15
- दवाओं का नैतिक विपणन 16
- असिस्टेड सुसाइड और यूथनेशिया 18
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नैतिकता 22
- मौसम में संशोधन के कारण नैतिक मुद्दे 23
- नीतिशास्त्र और मानवीय सहसंबंध 24
- न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत 28

जैवविविधता और पर्यावरण 30

- शैलो वाटर माइनिंग 30
- 28वाँ विश्व ओज़ोन दिवस 30
- ब्रेकथ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 32
- पर्यावरण के लिये जीवनशैली (LiFE) आंदोलन 34
- वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्य मंच पर भारत 35
- जलदूत एप 37
- दिबांग जल विद्युत परियोजना 38

भारतीय अर्थव्यवस्था 39

- भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग 39
- भारत में सामाजिक उद्यमिता 40
- ग्रीन फिन्स हब 42
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) 43
- पीएम प्रणाम (PM PRANAM) योजना 45
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 47
- ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता 48
- इथेरियम विलय 49
- IBBI विनियमों में संशोधन 50
- त्वरित सुधारात्मक कारवाई फ्रेमवर्क 51
- सोलर मॉड्यूल हेतु PLI योजना 52
- अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 54
- भारतीय दूरसंचार विधेयक प्रस्ताव 2022 55
- बैंकिंग प्रणाली तरलता 57
- स्टार्टअप की मदद के लिये स्थापित कोष 58
- मेक इन इंडिया के आठ वर्ष 59
- नवीकरणीय ऊर्जा एवं रोज़गार 63
- तिमाही रोज़गार सर्वेक्षण (QES) 64

नोट :

भारतीय इतिहास 66

- अंबेडकर सर्किट 66
- भगत सिंह की जयंती 67

भारतीय राजनीति 69

- सामाजिक लोकतंत्र का नॉर्डिक मॉडल 69
- सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग 71
- मृत्युदंड पर SC का संदर्भ 73
- राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र 74

भारतीय विरासत और संस्कृति 76

- भारत में आयुर्वेद 76
- ECI ने नकद चंदे पर सीमा की मांग की 77

भूगोल 79

- भारतीय मानसून पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव 79

शासन व्यवस्था 81

- इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 81
- रामकृष्ण मिशन के 'जागृति' कार्यक्रम 82
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 83
- विद्युत का बाज़ार आधारित आर्थिक प्रेषण 85
- AIBD की 47वीं वार्षिक सभा 89
- गन वायलेंस 90
- गैर-संक्रामक रोग 92
- आदिवासी वन अधिकार 93
- पोषण अभियान 94
- ऑपरेशन मेघ चक्र 96

सामाजिक न्याय 99

- अलीवा: बाल विवाह के उन्मूलन हेतु डेटा संचालित दृष्टिकोण 99

प्रिलिम्स फैक्ट्स 101

- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद 101
- स्वच्छता पखवाड़ा 102
- अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2022 105
- ब्रह्मोस मिसाइल 106
- निज़ाम की तलवार की वापसी 107
- शनि के रहस्यमय वलय और चरम झुकाव 107
- एशियाई पाम ऑयल गठबंधन 108
- REC को महारत्न का दर्जा 108
- भारतीय पोषण रेटिंग 111
- रोहिणी साउंडिंग रॉकेट 112
- नेपाल के नागरिकता कानून को लेकर विवाद 112
- विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 113
- सफेद मक्खी 114
- संयुक्त समुद्री बल (CMF): 115
- विश्व पर्यटन दिवस 116
- विश्व रेबीज़ दिवस 117
- बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली 118
- ICAO अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल 118
- बांधवगढ़ के जंगलों में मिली बौद्ध गुफाएँ 119
- विश्व हृदय दिवस 120
- मंगल ग्रह पर बाढ़ के प्रमाण 121
- दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 122
- उत्तर प्रदेश में नया टाइगर रिज़र्व 123
- लघु बचत योजनाओं पर ब्याज़ दरें 123

रैपिड फायर 125

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

पूर्वी आर्थिक मंच

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रूस ने व्लादिवोस्तोक में 7वें पूर्वी आर्थिक मंच (Eastern Economic Forum-EEF) की मेज़बानी की।

- यह उद्यमियों के लिये रूस के सुदूर पूर्व (Russia's Far East-RFE) में अपने कारोबार का विस्तार करने हेतु मंच/फोरम है।

पूर्वी आर्थिक मंच (Eastern Economic Forum):

- परिचय:
  - EEF की स्थापना वर्ष 2015 में RFE में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये की गई थी।
  - EEF क्षेत्र में आर्थिक क्षमता, उपयुक्त व्यावसायिक परिस्थितियों और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करता है।
  - EEF में हस्ताक्षरित समझौते वर्ष 2017 के 217 से बढ़कर 2021 में 380 हो गए, जिनकी कीमत 3.6 ट्रिलियन रूबल है।
  - समझौते बुनियादी ढाँचे, परिवहन परियोजनाओं, खनिज उत्खनन, निर्माण, उद्योग और कृषि पर केंद्रित हैं।
- प्रमुख अभिकर्त्ता:
  - चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत इस क्षेत्र के प्रमुख अभिकर्त्ता हैं, जहाँ चीन सबसे बड़ा निवेशक है।
    - चीन RFE में चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और पोलर सी रूट को बढ़ावा देने की क्षमता देखता है।
    - इस क्षेत्र में चीन द्वारा किया गया निवेश कुल निवेश का 90% है।
- उद्देश्य:
  - रूस ने एशियाई व्यापारिक मार्गों से रूस को जोड़ने के उद्देश्य से इस क्षेत्र को रणनीतिक रूप से विकसित किया है।
  - व्लादिवोस्तोक, खाबरोवस्क, उलान-उडे, चिता और अन्य शहरों के तेज़ी से आधुनिकीकरण के साथ रूस का लक्ष्य इस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करना है।
  - चीन और अन्य एशियाई शक्तियों की मदद से आर्थिक संकट और प्रतिबंधों से बचना।

RFE का महत्त्व:

- इस क्षेत्र में रूस का एक-तिहाई क्षेत्र शामिल है और यह मछली, तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, हीरे तथा अन्य खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है।
- इस क्षेत्र में रहने वाली छोटी आबादी को सुदूर पूर्व में प्रवास करने और काम करने के लिये प्रोत्साहित करने का एक अन्य कारक है।
- इस क्षेत्र की संपत्ति और संसाधन रूस के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 5% योगदान करते हैं।
  - लेकिन सामग्री की प्रचुरता और उपलब्धता के बावजूद कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण उनकी खरीद और आपूर्ति एक समस्या है।
- RFE भौगोलिक रूप से एक रणनीतिक अवस्थिति के रूप में है, जो एशिया में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

फोरम का भारत के लिये महत्त्व:

- भारत RFE में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। फोरम में भारत ने रूस में व्यापार, संपर्क और निवेश के विस्तार के लिये अपनी तत्परता व्यक्त की।
- भारत ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, समुद्री संपर्क, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, हीरा उद्योग और आर्कटिक में अपने सहयोग को मज़बूत करने का इच्छुक है।
  - वर्ष 2019 में भारत ने इस क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे को विकसित करने के लिये 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की पेशकश की।
- EEF के माध्यम से भारत का लक्ष्य रूस के साथ मज़बूत अंतर-राज्यीय संपर्क स्थापित करना है।
  - गुजरात और सखा गणराज्य (रूस) के व्यापार प्रतिनिधियों ने हीरा एवं फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में समझौते किये हैं।

भारत EEF और IPEF के बीच संतुलन:

- चूँकि EEF के लिये म्याँमार, आर्मेनिया, रूस और चीन जैसे देशों का एक साथ आना अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रतिबंध-विरोधी समूह के

नोट :

गठन की तरह लगता है, इसलिये दोनों मंचों, EEF और अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) में भारत के निहित स्वार्थ हैं।

- भारत वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद रूस द्वारा शुरू किये गए EEF में निवेश करने से पीछे नहीं हट रहा है, जबकि पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया है।
- वहीं भारत ने IPEF के चार में से तीन स्तंभों की पुष्टि कर अपनी स्वीकृति दे दी है।
- भारत RFE के विकास में शामिल होने के लाभों को समझता है लेकिन यह IPEF को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मज़बूत करने के लिये महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में भी मानता है।
- IPEF चीन के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी या ट्रांस-पैसिफिक साझेदारी के लिये व्यापक और प्रगतिशील समझौते जैसे अन्य क्षेत्रीय समूहों का हिस्सा बने बिना भारत के लिये इस क्षेत्र में कार्य करने का एक आदर्श अवसर प्रदान करता है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2022 उज़्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया।

- समरकंद घोषणा पर सदस्य राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे।
- भारत ने वर्ष 2023 के लिये SCO की अध्यक्षता सँभाली।

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:

- समरकंद घोषणा ने "बातचीत और परामर्श के माध्यम से देशों के बीच मतभेदों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिये प्रतिबद्धता" की वकालत की।
- संप्रभुता, स्वतंत्रता, राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता, समानता, पारस्परिक लाभ, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की बात की गई और इस बात पर ज़ोर दिया गया कि बल के उपयोग की धमकी के लिये पारस्परिक सम्मान के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सतत विकास के आधार हैं।
- सदस्य देश आतंकवादियों, अलगाववादी और चरमपंथी संगठनों की एक एकीकृत सूची बनाने के लिये सामान्य सिद्धांतों तथा दृष्टिकोणों को विकसित करने की योजना बना रहे हैं जिनकी गतिविधियाँ SCO सदस्य राज्यों के क्षेत्रों में प्रतिबंधित हैं।
- रूस भी अपनी गैस के निर्यात के लिये अधिक ग्राहकों की तलाश कर रहा है क्योंकि पश्चिमी देश इस पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं।
- रूस ने सुझाव दिया कि संगठन को अपनी बड़ी एथलेटिक प्रतियोगिता आयोजित करने के बारे में सोचना चाहिये।
- भारतीय परिप्रेक्ष्य:
  - संपर्क: भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से एक-दूसरे को पारगमन का पूरा अधिकार देने का आग्रह किया, क्योंकि इससे संपर्क बढ़ेगा और क्षेत्र में विश्वसनीय एवं लचीली आपूर्ति शृंखला स्थापित करने में मदद मिलेगी।
  - खाद्य सुरक्षा: पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रही है, भारत ने बाजरा को बढ़ावा देने तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को हल करने की पहल पर ज़ोर दिया।
    - इस संदर्भ में भारत बाजरा को लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि SCO 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चिह्नित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
  - पारंपरिक चिकित्सा पर कार्य समूह: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अप्रैल 2022 में गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा के लिये अपना वैश्विक केंद्र खोला।
    - WHO द्वारा स्थापित पारंपरिक चिकित्सा के लिये यह पहला और एकमात्र विश्वव्यापी केंद्र था।
  - पर्यटन: लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत तथा SCO सदस्य राज्यों की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिये वाराणसी को 2022-2023 के लिये SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था।
    - इसके अलावा यह भारत और SCO सदस्य देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक व मानवीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा।
  - यह SCO के सदस्य देशों, विशेष रूप से मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को भी रेखांकित करता है।
    - इस प्रमुख सांस्कृतिक आउटरीच कार्यक्रम के ढाँचे के तहत, 2022-23 के दौरान वाराणसी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO):

- परिचय:
  - यह एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे वर्ष 2001 में बनाया गया था।
  - SCO चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था और वर्ष 2003 में लागू हुआ।
  - यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखना है।

नोट :

- इसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है, यह नौ सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है तथा सबसे बड़े अंतर-क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है।

- आधिकारिक भाषाएँ:
  - रूसी और चीनी।
- स्थायी निकाय:
  - बीजिंग में SCO सचिवालय।
  - ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति।
- अध्यक्षता:
  - अध्यक्षता एक वर्ष पश्चात् सदस्य देशों द्वारा रोटेशन के माध्यम से की जाती है।
- उत्पत्ति:
  - वर्ष 2001 में SCO के गठन से पहले, कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई फाइव के सदस्य थे।
  - शंघाई फाइव (1996) सीमाओं के सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्त्ता की एक शृंखला से उभरा, जिसे चार पूर्व सोवियत गणराज्यों ने चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये आयोजित किया था।
  - वर्ष 2001 में संगठन में उज़्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई फाइव का नाम बदलकर SCO कर दिया गया।
  - भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने।
  - वर्तमान सदस्य: कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान।
  - ईरान 2023 में SCO का स्थायी सदस्य बनने के लिये तैयार है।
    - भारत को वर्ष 2005 में SCO में एक पर्यवेक्षक बनाया गया था और इसने आमतौर पर समूह की मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लिया है जो मुख्य रूप से यूरेशियन क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित हैं।

आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और कंबोडिया ने कंबोडिया में 19वीं आसियान/ASEAN -भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता की।

- इस बैठक में सभी 10 आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) देशों के आर्थिक मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय आर्थिक संबंध:
- मंत्रियों के अनुसार, आसियान और भारत के बीच व्यापार एवं आर्थिक संबंध कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उबरने लगे हैं तथा आसियान व भारत के बीच दोतरफा व्यापार वर्ष 2021 में 91.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है, जो वार्षिक आधार पर 39.2% बढ़ा है।
- आसियान-भारत व्यापार परिषद (ASEAN-India Business Council):
  - मंत्रियों ने आसियान-भारत व्यापार परिषद (AIBC) द्वारा आसियान-भारत आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने और वर्ष 2022 में AIBC द्वारा की गई गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित किया।
    - आसियान-भारत व्यापार परिषद (AIBC) की स्थापना मार्च 2003 में भारत और आसियान देशों के प्रमुख निजी क्षेत्र के अभिकर्त्ताओं को व्यापार नेटवर्किंग एवं विचारों को साझा करने के लिये एक मंच पर लाने हेतु की गई थी।
- कोविड-19 के बाद सुधार:
  - मंत्रियों ने महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने और कोविड-19 के बाद स्थायी सुधार की दिशा में काम करने के लिये सामूहिक कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की।
- आपूर्ति शृंखला कॉनेक्टिविटी :
  - मंत्रियों ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (ASEAN-India Trade in Goods Agreement-AITIGA) उन्नयन वार्ता, कोविड-19 टीकाकरण की पारस्परिक मान्यता, टीकों के उत्पादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को बनाए रखने के लिये एक मज़बूत आपूर्ति शृंखला कॉनेक्टिविटी हासिल करने हेतु सामूहिक कार्रवाई करने के लिये आसियान तथा भारत का स्वागत किया।
- आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता:
  - मंत्रियों ने AITIGA की समीक्षा के दायरे का समर्थन किया ताकि इसे व्यवसायों के लिये अधिक उपयोगकर्त्ता-अनुकूल, सरल और व्यापार सुविधा के साथ-साथ आपूर्ति शृंखला व्यवधानों सहित वर्तमान वैश्विक एवं क्षेत्रीय चुनौतियों के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके।
  - मंत्रियों ने AITIGA की समीक्षा में तेज़ी लाने के लिये AITIGA संयुक्त समिति को भी सक्रिय किया।

नोट :

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ:

- परिचय:
  - यह एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है।
  - इसकी स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान के संस्थापकों अर्थात् इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ की गई।
  - इसके सदस्य राज्यों को अंग्रेज़ी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता वार्षिक रूप से प्रदान की जाती है।
  - आसियान देशों की कुल आबादी 650 मिलियन है और संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP)8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह लगभग 86.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
  - अप्रैल 2021- फरवरी 2022 की अवधि में भारत और आसियान क्षेत्र के बीच कमोडिटी व्यापार 98.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है। भारत के व्यापारिक संबंध मुख्य तौर पर इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के साथ हैं।
- सदस्य:
  - आसियान दस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम को एक मंच पर लाता है।

राष्ट्रमंडल का भविष्य

चर्चा में क्यों ?

यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय की मृत्यु, न केवल ब्रिटिश राजतंत्र के एक युग के अंत का प्रतीक है, बल्कि 14 राष्ट्रमंडल क्षेत्रों, जिनकी वे प्रमुख थीं, के लिये भी एक निर्णायक बिंदु है।

पृष्ठभूमि:

- महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद से 14 देशों के सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।
- इन 14 में से कई देशों ने गणतंत्र स्थापित करने और ब्रिटिश राजशाही से ऐतिहासिक संबंधों से मुक्त होने का आह्वान किया।
  - गणतंत्र, सरकार का वह रूप है जिसमें "सर्वोच्च शक्ति लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है"।
  - इस प्रकार यह संभावना है कि रानी के उत्तराधिकारी, राजा चार्ल्स III के शासनकाल के दौरान अधिक राष्ट्र बारबाडोस के नक्शेकदम पर चलेंगे।
  - 2021 में बारबाडोस ब्रिटिश सम्राट को राज्य के प्रमुख की भूमिका से हटाने और उन्हें एक राष्ट्रीय सरकारी अधिकारी के साथ प्रतिस्थापित करने वाला 18वाँ देश बन गया।

राष्ट्रमंडल:

- विषय:
  - राष्ट्रमंडल 56 देशों का एक संगठन है जिसमें मुख्य रूप से पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके राष्ट्र हैं।
  - इसकी स्थापना 1949 में लंदन घोषणापत्र द्वारा की गई थी।
  - जबकि राष्ट्रमंडल के सदस्य मुख्य रूप से अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और प्रशांत में स्थित हैं, उनमें से कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इस समूह के तीन यूरोपीय सदस्य साइप्रस, माल्टा और यूके हैं।
  - राष्ट्रमंडल के विकसित राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूज़ीलैंड हैं।
- गणराज्य और क्षेत्र:
  - राष्ट्रमंडल में गणराज्य और राज्य दोनों शामिल हैं।
  - ब्रिटिश सम्राट राज्य का प्रमुख है, जबकि गणराज्यों पर निर्वाचित सरकारों द्वारा शासन किया जाता है, सिवाय पाँच देशों के ब्रुनेई दारुस्सलाम, इस्वातिनी, लेसोथो, मलेशिया और टोंगा, ये प्रत्येक देश स्व-शासित राजतंत्र है।
    - ये क्षेत्र एंटीगुआ और बारबुडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बेलीज, कनाडा, ग्रेनाडा, जमैका, न्यूज़ीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, सोलोमन द्वीप और तुवालु हैं।

राष्ट्रमंडल की वर्तमान दुनिया में प्रासंगिकता:

- यद्यपि महारानी की मृत्यु के बाद राष्ट्रमंडल एक पुराने मंच की तरह लग सकता है, फिर भी यह एक उपयुक्त प्रासंगिकता बरकरार रखता है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन के बाद भी समय के साथ इसे कायम रखा है।

नोट :

- बहुपक्षीय कूटनीति के युग में जहाँ राज्य अपने विचार व्यक्त करने, अपने हितों को आगे बढ़ाने और वैश्विक मानदंडों को आकार देने के लिये एक मंच चाहते हैं, राष्ट्रमंडल ठीक ऐसा ही मंच प्रदान करता है।
- सम्राट केवल प्रतीकात्मक मुखिया होता है, स्वतंत्र विश्व के नेता राष्ट्रमंडल का काम करते हैं।
- अपने पूरे शासनकाल में महारानी एलिजाबेथ ने संगठन को समर्थ बनाने और समूह की प्रासंगिकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साथ ही नियमित रूप से दुनिया भर के राष्ट्रमंडल देशों के नेताओं से मिलने के लिये यात्रा की।

राष्ट्रमंडल का भविष्य:

- ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और बहामास के भविष्य में गणतंत्र बनने की संभावना है।
- पाँच अन्य कैरिबियाई देशों- एंटीगुआ और बारबुडा, बेलीज़, ग्रेनाडा, जमैका तथा सेंट किट्स एवं नेविस में सरकारों ने इसी तरह से कार्य करने के अपने इरादे का संकेत दिया है।
- इस प्रकार यह कल्पना से परे नहीं है कि महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद राष्ट्रमंडल का महत्त्व कम हो सकता हैं और उपनिवेशवाद के इतिहास का सामना करने वाले राष्ट्र सहायक एवं संसाधन निष्कर्षण के साथ खुद को गणराज्यों के रूप में स्थापित करने के लिये आगे बढ़ेंगे।

भारत-सऊदी अरब संबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री ने भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिये सऊदी अरब का दौरा किया।

बैठक के प्रमुख निष्कर्ष:

- फरवरी 2019 में सऊदी अरब द्वारा किये गए भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा को साकार करने के प्रयासों को सुव्यवस्थित करना।
- तकनीकी टीमों द्वारा 4 व्यापक क्षेत्रों के तहत पहचाने गए सहयोग के 41 क्षेत्रों का समर्थन:
  - कृषि और खाद्य सुरक्षा
  - ऊर्जा
  - प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी
  - उद्योग और बुनियादी ढाँचा
- प्राथमिकता वाली परियोजनाओं का समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करने का संकल्प। इसमें शामिल सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं:
  - सऊदी अरब में यूपीआई और रुपे कार्ड के संचालन के माध्यम से डिजिटल फिनटेक क्षेत्र में सहयोग।
  - पश्चिमी तट पर एक रिफाइनरी का निर्माण, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) बुनियादी ढाँचे में निवेश और भारत में सामरिक पेट्रोलियम भंडारण सुविधाओं के विकास सहित संयुक्त परियोजनाओं में निरंतर सहयोग की दोबारा पुष्टि।
- चर्चा में कुछ और प्रमुख बिंदु शामिल थे:
  - दोनों देशों के एक्ज़िम बैंकों का संस्थागत गठजोड़
  - मानकों की पारस्परिक मान्यता
  - स्टार्टअप और इनोवेशन ब्रिज की स्थापना
  - बुनियादी ढाँचे के विकास में सहयोग को मज़बूत करना, विशेष रूप से निर्माण के क्षेत्र में
  - रेलवे आदि।

भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद

- सामरिक भागीदारी परिषद की स्थापना अक्तूबर, 2019 में भारत के प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान की गई थी।
- इसके दो मुख्य स्तंभ हैं:
  - राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति
  - अर्थव्यवस्था और निवेश पर समिति
- ब्रिटेन, फ्राँस और चीन के बाद भारत चौथा देश है जिसके साथ सऊदी अरब ने इस तरह की रणनीतिक साझेदारी की है।

सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध:

- तेल और गैस:
  - सऊदी अरब वर्तमान में भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता है (इराक शीर्ष आपूर्तिकर्त्ता है)।

नोट :

- भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% और अपनी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (Liquified Petroleum Gas-LPG) आवश्यकता का लगभग 22% सऊदी अरब से आयात करता है।
- सऊदी अरामको, संयुक्त अरब अमीरात के एडनोक और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा महाराष्ट्र के रायगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी की स्थापना के लिये अध्ययन किया जा रहा है।

- द्विपक्षीय व्यापार:
  - सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार (अमेरिका, चीन और जापान के बाद) है।
  - वित्त वर्ष 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार8 अरब अमेरिकी डॉलर का था।
    - सऊदी अरब से भारत का आयात 34.01 अरब डॉलर और सऊदी अरब को 8.76 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। वर्ष 2021 की तुलना में 49.5% की वृद्धि हुई।
    - वित्त वर्ष 2021-22 में सऊदी अरब के साथ व्यापार भारत के कुल व्यापार का 4.14% है।
- भारतीय प्रवासी:
  - सऊदी अरब में 6 मिलियन भारतीय प्रवासी समुदाय सऊदी का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और उनकी विशेषज्ञता, अनुशासन की भावना, कानून का पालन करने और शांतिप्रिय प्रकृति के कारण 'सबसे पसंदीदा समुदाय' है।
- सांस्कृतिक संबंध:
  - हज यात्रा भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक अन्य महत्त्वपूर्ण घटक है।
- नौसेना अभ्यास:
  - वर्ष 2021 में भारत और सऊदी अरब ने अल-मोहद अल-हिंदी अभ्यास नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया।

आगे की राह

- भारत, सऊदी अरब के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों का उपयोग इसे अफगानिस्तान में तालिबान को नियंत्रित करने के लिये पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिये राजी करने में कर सकता है।
  - दोनों अर्थव्यवस्थाओं का एक संयुक्त सहयोगात्मक प्रयास दक्षिण-पश्चिम एशिया के उप-क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का कार्य करेगा।
- वर्तमान में सऊदी अरब के साथ भारत का व्यापार घाटा 25.25 बिलियन डॉलर का है। भारत को विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान देना चाहिये। यह हमें स्वस्थ व्यापार संबंधों का निर्माण करते हुए राज्य के साथ व्यापार संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाएगा।

संवाद और सहयोग के माध्यम से सामान्य सुरक्षा को बढ़ावा देना: UNSC

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने 'संवाद और सहयोग के माध्यम से सामान्य सुरक्षा को बढ़ावा देना' विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक को संबोधित किया।

- अगस्त 2022 के लिये सुरक्षा परिषद का वर्तमान अध्यक्ष होने और 15 सदस्यीय परिषद में से एक वीटो-धारक होने के नाते UNSC बैठक चीन द्वारा आयोजित की गई थी।

बैठक की प्रमुख विशेषताएँ:

- सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करना चाहिये।
- सामान्य सुरक्षा तभी संभव है जब सभी देश आतंकवाद के मुद्दे पर एक साथ खड़े हों और इसके लिये दोहरे मापदंड का अभ्यास न करें साथ ही जब विभिन्न देश समझौतों से पीछे हटने के लिये एकतरफा उपाय नहीं करें।
- भारत ने विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में बहुपक्षीय सुधार का आह्वान किया, यह कहते हुए कि राष्ट्रों के बीच सामान्य सुरक्षा की आकांक्षा नहीं की जा सकती यदि दक्षिण धुरी राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं दिया जाएगा।
  - सबसे ज़रूरी बात यह है कि सुरक्षा परिषद को विकासशील देशों का अधिक प्रतिनिधि बनाया जाए ताकि वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित किया जा सके, इसके अतिरिक्त अफ्रीकी महाद्वीप का भी परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व होना चाहिये।
- विश्व के किसी एक हिस्से में सशस्त्र संघर्ष का दूसरे हिस्से के लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
  - हमने अन्य विकासशील देशों पर यूक्रेन युद्ध का प्रभाव विशेषकर खाद्यान्न, उर्वरक और ईंधन की आपूर्ति के क्षेत्र में देखा है।
- अफगानिस्तान के संकट का प्रभाव अभी भी अनेकों क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है।
- चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने के भारत और अमेरिका के प्रयासों को बार-बार अवरुद्ध किया है।

नोट :

- भारत ने साझा सुरक्षा पर ज़ोर देते हुए चीन पर निशाना साधा जिसने वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख में सीमा समझौते का उल्लंघन किया था।
  - पैंगोंग झील क्षेत्रों में हिंसक झड़प के बाद 5 मई, 2020 को भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध शुरू हो गया।
  - दोनों पक्षों ने धीरे-धीरे हज़ारों सैनिकों के साथ-साथ भारी हथियारों को लेकर अपनी तैनाती बढ़ा दी।
- चीन लगभग संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, हालाँकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम सभी इसके कुछ हिस्सों का दावा करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC):

- परिचय:
  - सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
    - संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में शामिल हैं- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA), ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय।
  - UNSC मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है।
  - यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चयन करता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव में संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ सह-टर्मिनस भूमिका निभाता है।
    - संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत अपनाए गए इसके संकल्प सभी देशों के लिये बाध्यकारी हैं।
- संरचना:
  - सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं: पाँच स्थायी सदस्य और दो वर्षीय कार्यकाल हेतु चुने गए दस अस्थायी सदस्य।
  - पाँच स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्राँस, चीन और यूनाइटेड किंगडम हैं।
  - दस अस्थायी सदस्य: महासभा द्वारा दो वर्ष के लिये चुने जाते है।
    - अफ्रीकी और एशियाई देशों से पाँच;
    - पूर्वी यूरोपीय देशों से एक;
    - लैटिन अमेरिकी देशों से दो;
    - दो पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों से।
- भारत की सदस्यता:
  - भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में सात बार सेवाएँ प्रदान की है और जनवरी, 2021 में भारत ने आठवीं बार UNSC में प्रवेश किया।
  - भारत UNSC में स्थायी सीट की वकालत करता रहा है।
- मतदान की शक्तियाँ:
  - सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय स्थायी सदस्यों सहित नौ सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिये जाते हैं, जिसमें सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। पाँच स्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है।
  - पाँच स्थायी सदस्यों में से एक का भी नेगेटिव वोट प्रस्ताव के पारित होने को रोकता है।

किर्गिज़स्तान-ताज़िकिस्तान संघर्ष

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के बीच हिंसक सीमा संघर्ष में लगभग 100 लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं।

दोनों देशों के बीच संघर्ष का कारण:

- ऐतिहासिक विरासत:
  - वर्तमान संघर्ष सोवियत काल से पहले और बाद की पुरानी विरासतों को दोहरा रहे हैं।
  - जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में दो गणराज्यों की सीमाओं का सीमांकन किया गया था।
  - प्राकृतिक संसाधनों पर सामान्य अधिकार: ऐतिहासिक रूप से किर्गिज़ और ताजिक आबादी को प्राकृतिक संसाधनों पर समान अधिकार प्राप्त थे।
  - सोवियत संघ के निर्माण ने सामूहिक और राज्य के खेतों में पशुधन के बड़े पैमाने पर पुनर्वितरण को देखा, जिसने मौजूदा यथास्थिति को अस्थिर किया।

नोट :

- वर्तमान विवाद:
  - हाल की घटनाओं में दोनों पक्षों के समूहों ने विवादित क्षेत्रों में पेड़ लगाए और कृषि उपकरणों के हथियार के रूप में इस्तेमाल के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई।
  - वर्तमान में फरगना घाटी संघर्ष और लगातार हिंसक विस्फोटों का स्थल बनी हुई है, जिसमें मुख्य रूप से ताजिक, किर्गिज़ और उज्बेक शामिल हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सामान्य सामाजिक विशिष्टताओं, आर्थिक गतिविधियों एवं धार्मिक प्रथाओं को साझा किया है।
  - दोनों देश लहरदार प्रक्षेपवक्र और प्रवाह के साथ कई जल चैनल साझा करते हैं, जो दोनों तरफ पानी तक समान पहुँच को बाधित करते हैं। नतीजतन, महत्त्वपूर्ण सिंचाई अवधि के दौरान व्यावहारिक रूप से प्रत्येक वर्ष छोटे पैमाने पर संघर्ष होते रहते हैं।
  - किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान 971 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं, जिनमें से लगभग 471 किलोमीटर विवादित है।
  - दोनों देशों के नेताओं ने एक विशेष प्रकार की विकास परियोजना की कल्पना के माध्यम से संघर्ष को जारी रखने में योगदान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप घुमंतू समुदायों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है, जो अपने संबंधित देशों की आंतरिक गतिशीलता को स्थिर करने और उनकी शक्ति को वैध बनाने की उम्मीद कर रहे हैं।

ताजिकिस्तान-भारत संबंध:

- अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सहयोग:
  - 2020 में ताजिकिस्तान ने 2021-22 की अवधि के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिये भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।
  - ताजिकिस्तान ने भारत के लिये शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य के दर्जे का पुरज़ोर समर्थन किया।
  - भारत ने जल संबंधी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में ताजिकिस्तान के प्रस्तावों का लगातार समर्थन किया है।
  - भारत ने मार्च 2013 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) में ताजिकिस्तान की उम्मीदवारी एवं विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का भी समर्थन किया।
- विकास और सहायता साझेदारी:
  - विकास सहायता:
    - 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के साथ 2006 में एक सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र (बेदिल केंद्र) शुरू किया गया था।
    - यह परियोजना 6 वर्षों के पूर्ण हार्डवेयर चक्र (Full Hardware Cycle) के लिये संचालित की गई जिसके तहत ताजिकिस्तान में सरकारी क्षेत्र में पहली पीढ़ी के लगभग सभी आईटी विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया गया।
    - ताजिकिस्तान में 37 स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने की एक परियोजना पूरी हुई जिसे अगस्त 2016 में शुरू किया गया था।
  - मानवीय सहायता:
    - जून 2009 में ताजिकिस्तान में बाढ़ से हुए नुकसान में मदद करने के लिये भारत द्वारा 200,000 अमेरिकी डॉलर की नकद सहायता दी गई थी।
    - दक्षिण-पश्चिम ताजिकिस्तान में पोलियो के फैलने के बाद भारत ने नवंबर 2010 में यूनिसेफ के माध्यम से ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 मिलियन खुराक प्रदान की।
- मानव क्षमता निर्माण:
  - वर्ष 1994 में दुशांबे में भारतीय दूतावास की स्थापना के बाद से ताजिकिस्तान भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (Indian Technical & Economic Cooperation Programme- ITEC) का लाभार्थी रहा है।
  - वर्ष 2019 में भारत-मध्य एशिया संवाद प्रक्रिया के तहत कुछ ताजिकिस्तानी राजनयिकों को विदेश सेवा संस्थान, दिल्ली में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।
- व्यापार और आर्थिक संबंध:
  - भारत द्वारा ताजिकिस्तान को निर्यात में शामिल मुख्य वस्तुओं में फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा सामग्री, गन्ना या चुकंदर की चीनी, चाय, हस्तशिल्प और मशीनरी शामिल हैं।
    - ताजिकिस्तान के बाज़ार में भारतीय फार्मास्यूटिकल् उत्पाद की लगभग 25% की हिस्सेदारी है।
  - ताजिकिस्तान द्वारा विभिन्न प्रकार के अयस्क, स्लैग और राख, एल्युमीनियम, कार्बनिक रसायन, हर्बल तेल, सूखे मेवे और कपास भारत को निर्यात किये जाते हैं।
  - वर्ष 2018 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा व कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्रों में आठ समझौता ज्ञापनों पर दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षर किये गए।
- सांस्कृतिक लगाव और लोगों के मध्य संबंध:
  - गहरे मज़बूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों ने दोनों देशों के मध्य संबंधों को नए स्तर पर विस्तारित करने में मदद की है।

नोट :

- दोनों देशों के बीच सहयोग में सैन्य और रक्षा संबंधों पर विशेष ध्यान देने के साथ मानव प्रयास के सभी पहलू शामिल हैं।

- दुशांबे में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा नियुक्त शिक्षकों के माध्यम से कथक और तबला पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करता है। केंद्र संस्कृत और हिंदी भाषा की कक्षाएँ भी आयोजित करता है।
- वर्ष 2020 में 'माई लाइफ माई योगा' वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में ताजिकिस्तान के लोगों द्वारा उत्साह के साथ योग में भागीदारी की गई।

- सामरिक:
  - दुशांबे (Dushanbe) से करीब तीस किलोमीटर दूर अयनी (Ayni) नामक जगह पर भारत का एयरबेस है। इन वर्षों में यह एक भारतीय वायु सेना (IAF) बेस के रूप में विकसित हुआ, जिसे गिस्सार मिलिट्री एरोड्रोम (Gissar Military Aerodrome- GMA) के रूप में जाना जाता है।

आगे की राह

- संघर्ष के समाधान के लिये युद्धरत समूहों को एक सामान्य समझौते पर सहमत होने की आवश्यकता होगी।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को बड़े देशों को शामिल करके विवाद को सुलझाने के प्रयास करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से संघर्षों को हल करने के लिये बड़े देशों का उपयोग किया गया है।

क्वाड समूह

चर्चा में क्यों ?

क्वाड (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के आभासी मंच पर मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) साझेदारी पर हस्ताक्षर करने के लिये मुलाकात की।

- HADR के तहत सदस्य देश अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, निजी गैर-सरकारी संगठनों के साथ हिंद-प्रशाँत क्षेत्र में अपने आपदा प्रतिक्रिया कार्यों का समन्वय करेंगे।

क्वाड समूह

- क्वाड- भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है।
- सभी चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक सामान आधारभूमि हैं और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित का भी समर्थन करते हैं।
- इसका उद्देश्य "मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध" इंडो-पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना है।
- क्वाड का विचार पहली बार वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। हालाँकि यह विचार आगे विकसित नहीं हो सका, क्योंकि चीन के ऑस्ट्रेलिया पर दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं को इससे दूर कर लिया।
- अंतत: वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर इस "चतुर्भुज" गठबंधन का गठन किया।

क्वाड व्यवस्था में भारत के लिये संभावनाएँ:

- चीन से मुक़ाबला:
  - हिमालय में उपलब्ध अवसरवादी भूमि हड़पने के प्रयासों में संलग्न होने की तुलना में समुद्री क्षेत्र चीन के लिये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं।
    - चीनी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा भारतीय समुद्री मार्गों से होता है जो समुद्री चौकियों से होकर गुज़रता है।
    - सीमाओं पर किसी भी चीनी आक्रमण की स्थिति में, भारत क्वाड देशों के सहयोग से चीनी व्यापार को संभावित रूप से बाधित कर सकता है।
    - इसलिये महाद्वीपीय क्षेत्र के विपरीत भारत जहाँ चीन-पाकिस्तान की मिलीभगत के कारण 'नटक्रैकर जैसी स्थिति' का सामना कर रहा है, समुद्री क्षेत्र भारत के लिये गठबंधन, निर्माण, नियम स्थापित करने और रणनीतिक अन्वेषण के अन्य रूपों के लिये खुला है।
- उभरते सुरक्षा प्रदाता की तरह:
  - समुद्री क्षेत्र में विशेष रूप से 'हिंद-प्रशांत' की अवधारणा के आगमन के साथ महान शक्तियों के बीच रुचि बढ़ रही है। उदाहरण के लिये, कई यूरोपीय देशों ने हाल ही में अपनी हिंद-प्रशांत रणनीतियों को जारी किया है।
  - भारत-प्रशांत भू-राजनीतिक कल्पना के केंद्र में स्थित है, 'व्यापक एशिया' की दृष्टि को साकार कर सकता है व भौगोलिक सीमाओं से दूर अपने प्रभाव को बढ़ा सकता है।

नोट :

- इसके अलावा भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज एवं बचाव या समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिये नौवहन की निगरानी, जलवायु की दृष्टि से कमज़ोर देशों को बुनियादी ढाँचा सहायता, कनेक्टिविटी पहल तथा इसी तरह की गतिविधियों में सामूहिक कार्रवाई कर सकता है।
- इसके अलावा क्वाड हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की साम्राज्यवादी नीतियों की जाँच कर सकता है तथा इस क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास सुनिश्चित कर सकता है।

क्वाड से संबंधित मुद्दे:

- अपरिभाषित दृष्टि: क्वाड परिभाषित रणनीतिक मिशन के बिना एक तंत्र बना हुआ है, इसके बावजूद सहयोग की संभावना है।
- समुद्री प्रभुत्व: इंडो-पैसिफिक पर पूरा ध्यान क्वाड को एक भूमि-आधारित समूह के बजाय एक समुद्र का हिस्सा बनाता है, यह सवाल उठता है कि क्या यह सहयोग एशिया-प्रशांत और यूरेशियन क्षेत्रों तक फैला हुआ है।
- भारत की गठबंधन प्रणाली का विरोध: तथ्य यह है कि भारत एकमात्र सदस्य है जो संधि गठबंधन प्रणाली के खिलाफ है, इसने एक मज़बूत चतुष्पक्षीय जुड़ाव को लेकर प्रगति को धीमा कर दिया है।

आगे की राह

- क्वाड राष्ट्रों को सभी के आर्थिक एवं सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक ढाँचे में इंडो-पैसिफिक विज़न को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की ज़रूरत है।
- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत के कई अन्य साझेदार हैं, भारत ऐसे में इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देशों को इस समूह में शामिल होने के लिये आमंत्रित कर सकता है।
- भारत को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करनी चाहिये, जिसमें वर्तमान एवं भविष्य की समुद्री चुनौतियों पर विचार करने, अपने सैन्य एवं गैर-सैन्य उपकरणों को मज़बूत करने तथा रणनीतिक भागीदारों को शामिल करने पर ध्यान दिया जाए।

G-4 देश

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल के 76वें सत्र के दौरान G-4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार की 'तत्काल आवश्यकता' पर बल दिया।

G-4 देश:

- G4 ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान का एक समूह है जो UNSC के स्थायी सदस्य बनने के इच्छुक हैं
- G4 देश UNSC की स्थायी सदस्यता के लिये एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।
- G4 राष्ट्र पारंपरिक रूप से उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के दौरान मिलते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- उन्होंने महसूस किया कि संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने वाले निकायों में तत्काल सुधार की आवश्यकता है क्योंकि वैश्विक मुद्दे तेज़ी से जटिल और परस्पर जुड़े हुए हैं।
- इसके अलावा उन्होंने वार्ताओं की दिशा में काम करने के लिये अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराई जो बहुपक्षवादी सुधार की ओर ले जाती है।
- उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि महासभा ने अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) में "सार्थक प्रगति" नहीं की और न ही पारदर्शिता को बनाए रखा।
- उन्होंने अफ्रीकी देशों का स्थायी और अस्थायी रूप से प्रतिनिधित्व किये जाने के लिये अपना समर्थन दोहराया।
- मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सवालों पर जटिल एवं उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने हेतु परिषद की क्षमता बढ़ाने के लिये विकासशील देशों तथा संयुक्त राष्ट्र में प्रमुख योगदानकर्त्ताओं की बढ़ी हुई भूमिका एवं उपस्थिति की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।

UNSC में सुधारों की आवश्यकता:

- संयुक्त राष्ट्र दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है और विडंबना यह है कि इसके महत्त्वपूर्ण निकाय में केवल 5 स्थायी सदस्य हैं।
- सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार दुनिया में शक्ति के बदलते संतुलन के अनुरूप नहीं है।
- UNSC के गठन के समय बड़ी शक्तियों को उन्हें परिषद का हिस्सा बनाने के लिये विशेषाधिकार दिये गए थे। यह इसके उचित कामकाज़ के साथ-साथ संगठन 'लीग ऑफ नेशंस' की तरह विफलता से बचने के लिये आवश्यक था।
- सुदूर पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों का परिषद की स्थायी सदस्यता में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

भारत द्वारा UNSC की स्थायी सदस्यता की मांग:

- अवलोकन:
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गठन के पहले 40 वर्षों तक भारत ने कभी भी स्थायी सदस्यता के लिये नहीं कहा।

नोट :

- वर्ष 1993 में भी जब भारत ने सुधारों से संबंधित महासभा के प्रस्ताव के जवाब में संयुक्त राष्ट्र को अपना लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो उसने विशेष रूप से यह नहीं कहा कि वह अपने लिये स्थायी सदस्यता चाहता है।
- पिछले कुछ वर्षों से ही भारत ने परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग शुरू की है।
- भारत अपनी अर्थव्यवस्था के आकार, जनसंख्या और इस तथ्य को देखते हुए कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, परिषद में स्थायी स्थान पाने का हकदार है।
  - भारत न केवल एशिया में बल्कि दुनिया में भी एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है।
  - यदि भारत इसमें स्थायी सदस्य के रूप में होता तो सुरक्षा परिषद एक अधिक प्रतिनिधि निकाय होगी।

- आवश्यकता:
  - वीटो पावर होने से कोई असाधारण पावर का लाभ ले सकता है।
    - भारत 2009 से मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की कोशिश कर रहा था। चीन की एक वीटो शक्ति इसमें बाधा उत्पन्न करती रही।
  - भारत अपने हितों के लिये बेहतर काम कर पाएगा।
    - एक समय था जब USSR ने वास्तव में UNSC का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था और यही वह समय था जब अमेरिका कोरियाई युद्ध के लिये प्रस्ताव पारित करने में कामयाब रहा था। उस समय से USSR ने महसूस किया कि संयुक्त राष्ट्र का बहिष्कार करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई प्रस्ताव उनके खिलाफ है तो उसे वीटो रखने की आवश्यकता है।
  - एक स्थायी सदस्य के रूप में भारत की उपस्थिति एक वैश्विक शक्ति के तौर पर इसके उदय की स्वीकृति होगी, जो परिषद के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के उद्देश्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये तैयार है।
  - भारत, परिषद की स्थायी सदस्यता से जुड़ी 'प्रतिष्ठा' का लाभ उठा सकेगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC):

- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित सुरक्षा परिषद की है।
- इस सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं:
  - इसके पाँच स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्राँस, चीन और यूनाइटेड किंगडम हैं।
  - सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को दो साल के कार्यकाल के लिये चुना जाता है।
- सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय स्थायी सदस्यों सहित नौ सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिये जाते हैं, जिसमें सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। पाँच स्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है।
- संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, बिना वोट के सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है, यदि सुरक्षा परिषद को लगता है कि उस विशिष्ट मामले के कारण उस सदस्य के हित विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।

अंतर-सरकारी वार्ता:

- IGN संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में और सुधार के लिये संयुक्त राष्ट्र के भीतर काम करने वाले राष्ट्र-राज्यों का एक समूह है।
- IGN विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बना है, यथा:
  - अफ्रीकी संघ
  - G4 राष्ट्र
  - आम सहमति समूह (UfC) के लिये एकजुट होना
  - L.69 विकासशील देशों का समूह
  - अरब संघ
  - कैरेबियन समुदाय (CARICOM)

आगे की राह

- वैश्विक शक्तियों के पदानुक्रम बदल रहा है और P5 को यह महसूस करने की आवश्यकता है कि UNSC सुधारों को शुरू करने का यह उत्तम समय है। कमज़ोर शक्तियों को या तो अपनी सदस्यता छोड़ देनी चाहिये या UNSC के आकार का विस्तार करना चाहिये, जिससे नई उभरती शक्तियों के लिये दरवाज़े खुल सकें।
- P5 के विस्तार से पहले अन्य सुधार कार्य सफल हो सकते हैं। तथाकथित शक्तिशाली राष्ट्रों में से कोई भी तालिका का विस्तार नहीं करना चाहता और न ही अपना हिस्सा दूसरे राष्ट्र के साथ साझा करना चाहता है।
- प्रमुख बातचीत और समूहों में भाग लेने के लिये भारत को आर्थिक, सैन्य एवं कूटनीतिक रूप से खुद को मज़बूत करने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। समय के साथ UNSC स्वयं भारत को UNSC का हिस्सा बनने के लिये उपयुक्त मानेगा।

नोट :

एथिक्स

संज्ञानात्मक विसंगति

संज्ञानात्मक विसंगति:

- परिचय:
  - संज्ञानात्मक विसंगति की परिभाषा है बेचैनी की वह भावना जो किसी के **विश्वास, दृष्टिकोण, मूल्यों और उसके कार्यों** के बीच आपसी तनाव के कारण पैदा होती है।
  - संज्ञानात्मक विसंगति की धारणा 1950 के दशक में **अमेरिकी संज्ञानात्मक लियोन फेस्टिंगर द्वारा** विकसित की गई थी।
  - फेस्टिंगर को विश्वास था कि **लोगों को उनके विश्वासों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों के सामंजस्य एवं संबद्धता** को बढ़ावा देने के लिये प्रेरित किया गया था। ऐसे में जब लोगों में यह भावना विकसित हो जाती है कि उनके मानसिक सामंजस्य में खराबी आ गई है, तो वे अपनी संज्ञानात्मक विसंगति को समाप्त करने का प्रयास करने लगेंगे।
- परीक्षण:
  - फेस्टिंगर ने **एक प्रयोग किया जिसमें लोगों को एक नीरस, दोहराव वाला** (पेंचों को मोड़ने) काम करना था।
  - उन्हें किसी से झूठ बोलने के लिये पैसा दिया गया और फिर उस व्यक्ति को यह समझाने का प्रयास करना था कि कार्य दिलचस्प था।
  - फेस्टिंगर ने दो समूह बनाए, एक समूह के सदस्यों को छोटी राशि का भुगतान किया गया और दूसरे समूह को एक बड़ी राशि का भुगतान किया गया। फेस्टिंगर ने पाया कि जिन लोगों को अधिक पैसा दिया गया था उन्होंने कम संज्ञानात्मक विसंगति का अनुभव किया।
- संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत:
  - यह न केवल किसी के विश्वासों और कार्यों के बीच तनाव से उत्पन्न होने वाली असुविधा की भावनाओं को समझाने का प्रयास करता है बल्कि यह भी विश्लेषण करता है कि लोग इस तनाव को कैसे हल करते हैं।

संज्ञानात्मक विसंगति का कारण:

- बाध्यकारी अनुपालन व्यवहार:
  - बाध्यकारी अनुपालन एक ऐसी स्थिति है **जिसमें एक व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिये मजबूर किया जाता है जो उसके विश्वासों के विपरीत** है।
  - चूँकि कार्य पहले ही हो चुका है और व्यवहार को बदला नहीं जा सकता है, विसंगति को कम करने का तरीका यही है कि व्यक्ति अपने द्वारा किये गए कार्यों का पुनर्मूल्यांकन करे।
- निर्णयन:
  - निर्णय **अक्सर विसंगति पैदा कर सकते हैं क्योंकि निर्णयों में एक विकल्प को दूसरे पर चुनना** शामिल होता है, जिसका अर्थ है एक विकल्प के नुकसान को स्वीकार करना।
    - उदाहरण:
    - किसी व्यक्ति को एक बड़े शहर में नौकरी का ऑफर मिलता है, लेकिन नौकरी के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का मतलब है दोस्तों व परिवार के पास रहना।
    - दोनों विकल्पों के अपने-अपने लाभ और हानि हैं: अगर वह व्यक्ति नौकरी को स्वीकार कर लेता है तो अपने प्रियजनों से दूर हो जाएगा और यदि नौकरी ठुकरा देता है तो शहर में उपलब्ध अवसरों से चूक जाएगा।
- प्रयास:
  - अधिकांश लोग बड़े लक्ष्यों को ज़्यादा महत्त्व देते हैं जिसे प्राप्त करने के लिये अत्यधिक प्रयासों की आवश्यकता होती है।
  - लेकिन संज्ञानात्मक विसंगति तब भी हो सकती है **जब कोई व्यक्ति कुछ हासिल करने के लिये बहुत प्रयास करता** है और बाद में वही नकारात्मक या अवांछनीय हो जाता है।

संज्ञानात्मक विसंगति को कैसे हल किया जा सकता है ?

- परिचय:
  - ऐसे **कई तरीके थे जिनसे व्यक्तियों या समूहों ने अपनी परिस्थितियों के अनुकूल संज्ञानात्मक विसंगति** का समाधान किया।
  - व्यक्ति अपने विचारों को बदल सकता है, अपने विचार और व्यवहार को सुमेलित कर सकता है, अपने व्यवहार को सही ठहराने के लिये एक विचार जोड़ सकता है अथवा विचारों एवं व्यवहार के बीच विसंगति को कम सकता है।
- उदाहरण:
  - X एक 25 वर्षीय स्नातक (बेरोज़गार) है जिसने हाल ही में एक राजनीतिक दल का समर्थन करना शुरू किया है।
  - वह उस राजनीतिक दल का अनुकरण करता है क्योंकि वह सत्ता में आने पर देश में युवाओं के लिये बेहतर रोज़गार के अवसर और विकास प्रदान करने के उनके वादों में विश्वास करता है।
  - उसकी पार्टी चुनाव जीत जाती है। सत्ता में उस पार्टी के पाँच साल पूरे होने के बावजूद रोज़गार के क्षेत्र में कुछ ख़ास बदलाव नहीं आया है और X अभी भी बेरोज़गार है। चूँकि अगला चुनाव आने वाला है, उस राजनीतिक पार्टी के सदस्य फिर उसकी मदद मांगते हैं। ऐसी स्थिति में X क्या करेगा ?

नोट :

- X उस स्थिति के विषय में अपनी राय बदल सकता है:
- वह अपने पड़ोसियों A और B, जो कि ग्रेजुएट हैं, की ओर देखता है। उन्होंने अपनी गली में ही चाय और समोसे की दुकान खोली है।
- **व्यावहारिक अर्थों में न सही,** लेकिन X ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद **नौकरियों का सृजन हुआ है।** ऐसे में इस स्थिति के विषय में उसकी राय बदलती है और **उसके विश्वास की विसंगति में कमी आती है।** इस प्रकार बदले हुए नज़रिये के साथ वह फिर से उसी राजनीतिक पार्टी को वोट देगा।
- उस स्थिति के प्रति X अपना व्यवहार बदल सकता है:
- वह समझता है और स्वीकार करता है कि जिस राजनीतिक दल का उसने समर्थन किया था, उसके वादे झूठे थे और अब उन पर भरोसा नहीं करने का फैसला लेता है।
- X एक और तरह से सोच सकता है:
- वह अपनी सरकार की गतिविधियों का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि **भले ही सरकार नौकरियाँ प्रदान करने में विफल रही** लेकिन पिछले पाँच वर्षों में उसकी पार्टी के नेतृत्व में, सर्वोच्च न्यायालय, पुलों, सड़कों आदि के निर्माण के रूप में विभिन्न **अवसंरचनात्मक विकास** हुए हैं।
- **अपने राजनीतिक दल के समर्थन को तर्कसंगत बनाने** के लिये वह एक अन्य तरीके से सोचता है और ऐसा करते हुए अपने विचारों एवं व्यवहार के बीच संज्ञानात्मक विसंगति को हल करता है। वह अभी भी उसी पार्टी को इस उम्मीद के साथ वोट देगा कि पार्टी अपने वादे को पूरा करेगी तथा अगले कार्यकाल में अपने नागरिकों को रोज़गार प्रदान करेगी।
- X विसंगति को कम कर सकता है:
- वह **अपनी पार्टी के सत्ता में आने के बाद अपने देश की स्थिति की तुलना** आर्थिक रूप से गरीब पड़ोसी देशों के साथ करता है।
- वह पाता है कि **उसके देश में शिक्षित युवाओं में से केवल 40% ही कार्यरत** हैं, जबकि पड़ोसी देशों में यह हिस्सा 30% से भी कम है।
- इस प्रकार अपने राजनीतिक दल के शासन में दोषों को कम करने(दोष निकालने की प्रवृत्ति से बचने) से उसके विचारों और व्यवहार के बीच विसंगति के कारण उत्पन्न तनाव कम होता है।
- इस प्रकार वह उसी राजनीतिक दल को वोट देना जारी रखेगा क्योंकि अब उसने उस पार्टी का समर्थन करने को उचित ठहराया है।

सिविल सेवक को संज्ञानात्मक विसंगति का अनुभव:

- एक IPS अधिकारी जो अहिंसा में विश्वास करता है या किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, उसे जब लाठीचार्ज का फैसला लेना पड़ता है या भीड़ को नियंत्रित करने के लिये पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ता है तो वह संज्ञानात्मक विसंगति का अनुभव करता है।
  - **नैतिक आचरण का सख्त अनुपालन** सार्वजनिक और निजी जीवन दोनों में कुछ उद्देश्यों को पूरा करने में समस्याएँ उत्पन्न करता है, जिसके कारण व्यक्ति के भीतर निराशा उत्पन्न होती है। कई बार ईमानदार होना भी लोकसेवकों को शक्तिशाली निहित स्वार्थों के खिलाफ खड़ा कर देता है, जिससे उसके एवं उसके परिवार का जीवन खतरे में पड़ जाता है तथा उसके दिमाग में विसंगति उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है।
  - **विकास बनाम पर्यावरण:** किसी लोकसेवक को उस समय विसंगति का सामना करना पड़ सकता है, जब उसे किसी भी विकास परियोजना के लिये जनजातीय आबादी के विस्थापन पर निर्णय लेना होता है।

निष्कर्ष:

- एक लोकसेवक को **सदैव संवैधानिक नैतिक मूल्यों तथा सेवाओं की आचार-संहिता** का पालन करना चाहिये और संज्ञानात्मक विसंगति के किसी भी मामले में सार्वजनिक सेवा के नैतिक ढाँचे के तहत कार्य करना चाहिये।
- जब भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो **भावनात्मक बुद्धिमत्ता लोकसेवकों के लिये एक उपचारात्मक उपाय** हो सकती है।

दवाओं का नैतिक विपणन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (The Central Board for Direct Taxes-CBDT) ने डोलो-650 टैबलेट के निर्माताओं पर दवा लिखने हेतु डॉक्टरों को **फ्रीबीज (मुफ्त उपहार) देने के लिये 1,000 करोड़ रुपए** खर्च करने का आरोप लगाया है।

- इससे यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज़ (UCPMP) को कानूनी रूप से बाध्यकारी आचार संहिता बनाने पर ज़ोर दिये जाने की संभावना है।

दवा विपणन में फ्रीबीज:

- परिचय:
  - **दवा निर्माण कंपनियों को 'उपहार देने' का प्रयास करते हुए देखा गया है:** अपने उत्पाद विपणन के लिये डॉक्टरों को मुफ्त रात्रिभोज और दवा के नमूनों से लेकर प्रचारक माल तक मुफ्त उपहार प्रदान करना।

नोट :

- अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये फार्मा कंपनियाँ डॉक्टरों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में कथित तौर पर **उनके लिये पाँच सितारा होटलों, स्थानीय दर्शनीय स्थलों आदि में आवास की व्यवस्था करती हैं।**

- यह गंभीर रैकेट है जो दवा (फार्मा) कंपनियों को विपणन की आड़ में अपनी-अपनी दवाओं को आगे बढ़ाने के लिये डॉक्टरों को 'उपहार' प्रदान करतें है।

- फार्मा कंपनी का पक्ष:
  - दवा कंपनियाँ डॉक्टरों को **ब्रांडेड स्मृति चिह्न** जैसे- पेन स्टैंड, कैलेंडर, डायरी या सैनिटाइज़र प्रदान करेंगी।
    - इसके पीछे यह सुनिश्चित करने का विचार है कि उनके ब्रांड्स को सबसे पहले याद किया जाए।
    - भारतीय बाज़ार कीमत नियंत्रित है। इसलिये यहाँ ब्रांड महत्त्व कम है।
  - हालाँकि ये प्रथाएँ यह सुनिश्चित नहीं करती हैं कि डॉक्टर उनकी दवाएँ लिखेंगे। **यह सिर्फ एक विपणन/मार्केटिंग रणनीति है।**
  - उपहार में दी जा रही लगभग **95% वस्तुओं की कीमत 500 रुपए से कम है।**
    - यह रिश्वत को बढ़ावा नहीं देता है बल्कि यह एक समान मूल्य के सैकड़ों अन्य ब्रांड के बीच डॉक्टर को याद दिलाने के लिये किया जाता है।
- ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क का पक्ष:
  - **नैतिक विपणन और प्रचार-प्रसार के लिये तैयार किये जा रहे नए औषधि, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधनों को अधिनियम के दायरे में लाया जाना चाहिये।**
  - यह देखा गया है कि अक्सर डॉक्टरों को नैदानिक परीक्षणों में प्रमुख जाँचकर्त्ता बना दिया जाता है, या उन समितियों का हिस्सा बना दिया जाता है जिनके लिये वे मोटी फीस कमाते हैं।

यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज़ (UCPMP)

परिचय:

- यह दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के संवर्द्धन तथा विपणन के लिये दवा **उद्योग हेतु दिसंबर 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित दिशा-निर्देशों का एक समूह है।**
- हालाँकि ये दिशा-निर्देश स्वैच्छिक सहिंता हैं और कंपनियों पर **कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।**

- महत्त्व:
  - यह सहिंता फार्मास्यूटिकल कंपनियों को उनके विपणन व्यवहारों में आचरण को नियंत्रित करती है, जिसमें चिकित्सा प्रतिनिधि, पाठ्य और श्रव्य-दृश्य प्रचार सामग्री, नमूने, उपहार आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को विधिवत शामिल किया गया है।
  - कोड स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ संबंध स्थापित करता है, जिसमें चिकित्सकों या उनके परिवारों को यात्रा सुविधाओं, आतिथ्य और नकद या मौद्रिक अनुदान से संबंधित विस्तृत प्रावधान किये गए हैं।
- मुख्य प्रावधान:
  - यूसीपीएमपी के क्लॉज 7.2 के अनुसार, "कंपनियां या उनके संघ/प्रतिनिधि किसी भी बहाने से स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सकों और उनके परिवार के सदस्यों को होटल आवास जैसी कोई आतिथ्य प्रदान नहीं करेंगे"।
  - सक्षम प्राधिकारी द्वारा विपणन अनुमोदन प्राप्त करने से पहले किसी दवा को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये।
    - दवा का प्रचार विपणन अनुमोदन की शर्तों के अनुरूप होना चाहिये।
  - किसी दवा कंपनी द्वारा दवाओं को निर्धारित करने या आपूर्ति करने के लिये योग्य व्यक्तियों को कोई उपहार, आर्थिक लाभ या अन्य लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।
  - स्वास्थ्य पेशेवरों और परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत लाभ के लिये भी उपहार प्रदान नहीं किये जाने चाहिये।

आगे की राह

- यदि डॉक्टरों को अनैतिक रूप से दवा ब्रांडों को बढ़ावा देने का दोषी पाया जाता है, तो कंपनियों को उसी प्रकार दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा जैसा कि रिश्वत और इसी तरह की अन्य अनैतिक प्रथाओं के लिये भारतीय दंड संहिता में वर्णित है।
- सरकार को यह अनिवार्य करना चाहिये कि कंपनियों द्वारा डॉक्टरों और पेशेवर निकायों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य पार्टियों के माध्यम से किये गए भुगतानों का समय-समय पर खुलासा जनता के समक्ष सुलभ हो। प्रकटीकरण में राशि, व्यय का उद्देश्य और भुगतान पाने वाली पार्टी की जानकारी शामिल होनी चाहिये।
- यूसीपीएमपी को कंपनियों के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी होना चाहिये। वर्तमान संहिताओं के पास कंपनियों को दंडित करने की न तो शक्ति है और न ही प्रोत्साहन।
  - स्वैच्छिक कोड को लागू करने की ज़िम्मेदारी फार्मा संघों की है।

नोट :

असिस्टेड सुसाइड और यूथनेशिया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में फ्राँसीसी न्यू वेव सिनेमा के दिग्गजों में से एक जीन-ल्यूक गोडार्ड की 91 वर्ष की आयु में असिस्टेड सुसाइड के कारण मृत्यु हो गई।

असिस्टेड सुसाइड:

- परिचय:
  - असिस्टेड सुसाइड और यूथनेशिया/इच्छा मृत्यु दोनों ऐसी प्रथाएँ हैं जिनके तहत एक व्यक्ति जान-बूझकर दूसरों की सक्रिय सहायता से अपना जीवन समाप्त करता है।
  - कई यूरोपीय राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्य और दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया कुछ परिस्थितियों में असिस्टेड सुसाइड एवं यूथनेशिया की अनुमति देते हैं।
- प्रकार:
  - सक्रिय/एक्टिव:
    - सक्रिय यूथनेशिया, जो केवल कुछ देशों में वैध है, रोगी के जीवन को समाप्त करने के लिये पदार्थों के उपयोग पर ज़ोर देती है।
  - निष्क्रिय/पैसिव:
    - इसमें रोगी या परिवार के किसी सदस्य या रोगी का प्रतिनिधित्व करने वाले करीबी दोस्त की सहमति से जीवन रक्षक उपचार या चिकित्सा हस्तक्षेप को रोकना शामिल है।

असिस्टेड सुसाइड के पक्ष और विपक्ष में तर्क:

- पक्ष:
  - चयन का अधिकार:
    - लोगों का तर्क है कि व्यक्ति को अपनी पसंद/चयन बनाने में सक्षम होना चाहिये।
  - जीवन स्तर:
    - केवल व्यक्ति ही वास्तव में जानता है कि वह कैसा महसूस करता है और बीमारी व लंबी मृत्यु का शारीरिक तथा भावनात्मक दर्द उसके जीवन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है।
  - गरिमा:
    - प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ मरने में सक्षम होना चाहिये।
  - साधन:
    - यह अत्यधिक कुशल कर्मचारियों, उपकरणों, अस्पताल के बिस्तरों, और दवाओं जैसे संसाधन जीवन रक्षक उपचारों की दिशा में उन लोगों के लिये अधिक उपयुक्त है जो जीवित रहना चाहते हैं, न कि उन लोगों के लिये जो जीना नहीं चाहते हैं।
  - **मानवीय:**
    - यह अधिक मानवीय है कि किसी व्यक्ति को उस पीड़ा को समाप्त करने के लिये चुनने की अनुमति दी जाए या उसे असाध्य पीड़ा हो।
  - प्रियजन:
    - यह प्रियजनों के दुख और पीड़ा को कम करने में मदद कर सकता है।
- विपक्ष:
  - नैतिक और धार्मिक तर्क:
    - कई धर्म यूथनेशिया को हत्या और नैतिक रूप से अस्वीकार्य के रूप में देखते हैं। कुछ धर्मों में आत्महत्या भी "अवैध" है। नैतिक रूप से, एक तर्क है कि यूथनेशिया जीवन की पवित्रता के लिये समाज के सम्मान को कमज़ोर कर देगी।
  - रोगी क्षमता:
    - यूथनेशिया केवल स्वैच्छिक है यदि रोगी उपलब्ध विकल्पों और परिणामों की स्पष्ट समझ के साथ मानसिक रूप से सक्षम है तथा उस समझ को व्यक्त करने की क्षमता एवं अपने स्वयं के जीवन को समाप्त करने की उसकी इच्छा है। क्षमता का निर्धारण या इसे परिभाषित करना सरल नहीं है।
  - अपराध बोध:
    - मरीज़ो को लग सकता है कि वे संसाधनों पर बोझ हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से सहमति के लिये दबाव डाला जाता है। उन्हें लग सकता है कि उनके परिवार पर आर्थिक, भावनात्मक और मानसिक बोझ बहुत अधिक है।
  - जोखिम:
    - यहाँ एक जोखिम है कि चिकित्सक असिस्टेड सुसाइड उन लोगों के लिये उपयोग करते हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं और असहनीय पीड़ा के कारण, यूथनेशिया चाहते हैं, लेकिन बाद में इसका दुर्पयोग भी किया जा सकता है।
  - **विनियमन:** यूथनेशिया को ठीक से विनियमित नहीं किया जा सकता है।

भारत असिस्टेड सुसाइड या यूथनेशिया की अनुमति:

- एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में निष्क्रिय/पैसिव यूथनेशिया को यह कहते हुए वैध कर दिया कि यह 'जीवित इच्छा' का मामला था।
- निर्णय के अनुसार, अपने चेतन मन में एक वयस्क को चिकित्सा उपचार से इनकार करने या कुछ शर्तों के तहत प्राकृतिक तरीके से मृत्यु को प्राप्त करने के लिये स्वेच्छा से चिकित्सा उपचार नहीं लेने का निर्णय करने की अनुमति है।

नोट :

- न्यायालय ने 'लिविंग विल' के लिये दिशा-निर्देशों का एक सेट निर्धारित किया और निष्क्रिय यूथनेशिया तथा यूथनेशिया को भी परिभाषित किया।
- इसने मानसिक रूप से बीमार रोगियों द्वारा बनाए गए 'लिविंग विल' के लिये दिशा-निर्देश भी निर्धारित किये, जो पहले से ही स्थायी वेजेटेटिव स्टेट (vegetative state) में जाने की संभावना के बारे में जानते हैं।
- न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि ऐसे मामलों में रोगी के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) के दायरे से बाहर नहीं होंगे।
- सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मार्च 2011 में एक अलग याचिका पर अपने फैसले के अनुसार था।
- अरुणा शानबाग की ओर से दाखिल एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने उस नर्स के लिये निष्क्रिय यूथनेशिया की अनुमति दी थी, जिसने दशकों तक एक वनस्पति अवस्था में बिताया था। शानबाग केस भारत में मरने के अधिकार और यूथनेशिया की वैधता पर बहस का केंद्र बन गया था।
  - एक वेजेटेटिव स्टेट तब होती है जब कोई व्यक्ति जाग रहा होता है लेकिन जागरूकता के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं।
- हालाँकि वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने निष्क्रिय यूथनेशिया पर पहले के फैसलों में विसंगतियों का हवाला दिया, जिसमें शानबाग मामले में दिये गए कुछ निर्णय भी शामिल था और इन मामले को एक संविधान पीठ के पास भेज दिया।

आर्थिक विकास को गति देने में परोपकार की भूमिका

चर्चा में क्यों ?

भारत वर्ष 2047 तक अर्थात् भारत @100 तक 15,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय तक पहुँच सकता है, जिससे समावेशी और सतत् आर्थिक विकास में तेज़ी आएगी।

परोपकार क्या है ?

- परोपकार से तात्पर्य धर्मार्थ कार्यों या अन्य अच्छे कार्यों से है जो दूसरों या समाज को समग्र रूप से मदद करते हैं।
- परोपकार में एक उचित कारण के लिये धन दान करना या समय, प्रयास या परोपकार के अन्य रूपों में स्वयंसेवा करना शामिल हो सकता है।

भारत में परोपकार:

- पूर्व-औद्योगिक भारत:
  - परोपकार लंबे समय से भारतीय समाज के ताने-बाने में अंतर्निहित है और आधुनिक भारत के निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है।
  - पूर्व-औद्योगिक भारत में देखा गया कि व्यापारिक घराने अपनी आय का एक हिस्सा स्थानीय स्तर पर दान में देते हैं।
  - औद्योगीकरण ने तेज़ी से धन सृजन को सक्षम बनाया; सर जमशेदजी टाटा जैसे व्यापारिक नेताओं ने सामाजिक भलाई के लिये धन का उपयोग करने, अनुकरणीय संस्थानों को बनाने के लिये बड़ी मात्रा में दान करने पर अपनी राय व्यक्त की।
- स्वतंत्रता संग्राम के दौरान:
  - महात्मा गांधी ने व्यापारियों को समाज में अपनी संपत्ति का योगदान करने के लिये प्रोत्साहित किया क्योंकि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था।
  - जमनालाल बजाज और जीडी बिड़ला जैसे उद्योगपतियों ने अपने स्वयं के परोपकारी हितों के अतिरिक्त स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की पहल का समर्थन किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका में परोपकारी मॉडल क्या है ?

- भारतीय व्यापारिक राजघरानों के साथ परोपकार में प्रगति देखी जा रही थी, इसी समय अमेरिका में परोपकार का कार्नेगी-रॉकफेलर युग सक्रिय था।
- एंड्रयू कार्नेगी ने प्रभावशाली संस्थानों (जैसे कार्नेगी लाइब्रेरी और कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी) का निर्माण किया और अन्य अमीरों को भी प्रेरित किया।
  - उनकी पुस्तक की अंतिम पंक्ति में लिखा है: "जो आदमी अमीर मरता है, वह बदनाम होकर मरता है।"
- जॉन डी. रॉकफेलर, एक कठोर एकाधिकारवादी, ने अंततः प्रणालीगत सुधारों के लिये बड़ी मात्रा में धन दान किया, विशेष रूप से शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिये।
- रॉकफेलर फाउंडेशन ने भी येलो फीवर के लिये टीका विकसित करने हेतु वित्तीय सहायता की।

भारतीय परोपकार में प्रमुख चुनौतियाँ:

- विश्वास में कमी:
  - नवोदित परोपकारी लोग अभी तक प्रभाव क्षेत्र में किये जा रहे अच्छे कार्यों की पूरी तरह से सराहना नहीं कर पाए हैं।
- **दान की संकीर्ण प्रकृति:**
  - देश के कुछ सबसे गरीब हिस्सों को जोखिम में डालने की संकीर्ण प्रकृति की अनदेखी की जा रही है।
- **दान की प्रोग्रामेटिक प्रकृति:**
  - दान की प्रोग्रामेटिक प्रकृति के परिणाम असंतोषजनक हैं।
  - **उदाहरण:** कई फाउंडेशन और गैर-सरकारी संगठन स्कूली शिक्षा पर काम करते हैं, फिर भी सीखने के परिणामों में सुधार नहीं हुआ है।

नोट :

आगे का राह

- संस्थानों का निर्माण करना:
  - भारत में नए विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिये सामूहिक परोपकार की ज़रूरत है।
  - अपनी रैंकिंग में सुधार के लिये IIT और IIM के पूर्व छात्र अनुसंधान केंद्रों को निधि दे सकते हैं।
  - दानकर्ता थिंक-टैंक को फंड प्रदान कर सकते हैं और क्षेत्र-विशिष्ट (जैसे- ऊर्जा संक्रमण पर) या भूगोल-विशिष्ट (जैसे- पूर्वी उत्तर प्रदेश) संस्थानों का निर्माण कर सकते हैं।
  - **उदाहरण:**
    - टाटा परिवार ने जमशेदजी टाटा की परोपकार की परंपरा को जारी रखा और यह बंगलूरू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट (टीईआरआई), टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, आदि जैसे संस्थानों के निर्माण में अग्रणी रहा है।
- सरकार के लिये जोखिम युक्त अनुसंधान एवं विकास निधि:
  - सरकारें सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख कर्ता हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर करोड़ों खर्च करती हैं।
  - हालाँकि सरकार की संरचना बहुत जटिल है और इसलिये निरंतर आधार पर प्रयोग या नवाचार नहीं कर सकती है; इसके अतिरिक्त राज्य/सरकार की क्षमता भी सीमित है।
  - परोपकारी लोग नवोन्मेषी मॉडलों को वित्तपोषित कर सकते हैं और गैर-लाभ के माध्यम से नए विचारों का परीक्षण कर सकते हैं, सबूत बनाकर, नीति परिवर्तन की वकालत कर सकते हैं और सरकारी कार्यान्वयन का समर्थन कर सकते हैं।
  - **उदाहरण:**
    - नंदन नीलेकणी ने एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जो भारत के लिये एक सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास डिजिटल आर्किटेक्चर विकसित करने में सरकार का समर्थन करता है (आधार, एकीकृत भुगतान इंटरफेस और ईकेवाईसी के बारे में सोचें)।
- वितरण में सुधार के लिये सरकारों का समर्थन करें:
  - एक परोपकारी संस्था के रूप में सरकार के साथ साझेदारी एक स्केलेबल और टिकाऊ प्रभाव बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है।
  - इसके लिये परोपकारी लोगों को एनजीओ (जैसे स्कूलों में मिड-डे मील के लिये फंडिंग) के माध्यम से फंडिंग प्रोग्राम डिलीवरी से लेकर सरकार की डिलीवरी की व्यवस्था में सुधार करने वाली पहलों के लिये अपने अभिविन्यास को बदलने की ज़रूरत है।
  - **उदाहरण:**
    - पीरामल फाउंडेशन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कलेक्टिव का समर्थन कर रहा है; वेदिस फाउंडेशन सरकारों के साक्ष्य आधार और परिणाम उन्मुखीकरण में सुधार के लिये पहल कर रहा है।
- आर्थिक विकास को सक्षम करें:
  - परोपकारी लोग अपने धन और अनुभव का उपयोग नीतियों की वकालत करने, निवेश, निर्यात तथा रोज़गार सृजन के लिये अनुकूल परिस्थितियों में सुधार का समर्थन करने एवं भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने में मदद करने के लिये कर सकते हैं।

सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का सामाजिक लेखापरीक्षा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने योजनाओं का सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिये एक **विशेष सामाजिक और प्रदर्शन लेखापरीक्षा प्राधिकरण** स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो देश में अपनी तरह का पहला प्राधिकरण होगा।

इस निर्णय का महत्त्व:

- सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना:
  - **प्राधिकरण सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही, पारदर्शिता एवं नागरिकों की भागीदारी** सुनिश्चित करेगा तथा कार्यान्वयन एजेंसियों का प्रदर्शन मूल्यांकन भी करेगा।
- गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण का आकलन करना:
  - यह प्राधिकरण सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा **गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण** का भी आकलन करेगा।
  - यह विभिन्न योजनाओं के परिणाम का पता लगाने के लिये **लोगों की संतुष्टि का सर्वेक्षण** भी करेगा।
- सामाजिक लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा की योजना बनाना:
  - यह प्राधिकरण राजस्थान राज्य में सरकारी विभागों, उपक्रमों, योजनाओं (केंद्रीय और राज्य), कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा गतिविधियों की **सामाजिक लेखापरीक्षा एवं प्रदर्शन लेखापरीक्षा के लिये योजना निर्माण, उसके संचालन व अंतिम रूप देने का काम करेगा।**
    - **यह सेवाओं के वितरण की कुशलता और प्रभावशीलता** के साथ-साथ जनता के पैसे के सही ढंग से खर्च की जाँच करेगा।

नोट :

- सिविल सेवा संगठनों की पहचान तथा क्षमता निर्माण:
  - यह विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करेगा; वार्षिक योजनाओं और परिणामों (outcome) के साथ ही बजट के सुदृढ़ीकरण के लिये वित्त और योजना विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में **विकास और बुनियादी ढाँचे के कार्यों के गुणवत्ता मानकों का आकलन करना।**

सामाजिक लेखापरीक्षा:

- परिचय:
  - यह सरकार और लोगों (विशेष रूप से वे लोग जो योजना से प्रभावित हैं) द्वारा संयुक्त रूप से किसी योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन है।
  - सोशल ऑडिट वित्तीय ऑडिट से अलग है जिसमें किसी संगठन के लाभ, हानि और वित्तीय स्थिरता की सही तस्वीर प्रदान करने के लिये वित्तीय लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है।
- सामाजिक लेखापरीक्षा और मनरेगा:
  - मनरेगा की धारा 17 के तहत कार्यक्रम के अंतर्गत निष्पादित सभी कार्यों को एक सामाजिक लेखापरीक्षा से गुज़रना होगा।
    - प्रत्येक सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई पिछले वर्ष में राज्य द्वारा किये गए मनरेगा व्यय के 0.5% के बराबर धन की हकदार है।
  - ऑडिट में मनरेगा के तहत बनाए गए बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता जाँच, मज़दूरी में वित्तीय हेराफेरी और किसी भी प्रक्रियात्मक विचलन की जाँच शामिल है।
  - केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा हाल ही में 'सामाजिक लेखापरीक्षा कैलेंडर बनाम पूर्ण लेखापरीक्षा' शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2021-2022 में नियोजित लेखापरीक्षा का केवल 14.29% ही पूरा हुआ है।
  - मंत्रालय ने यह भी माना कि राज्यों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) का सामाजिक लेखापरीक्षा करने में विफलता के लिये धन की रोकथाम सहित कार्रवाई की जाएगी।
  - हालाँकि केंद्र (जो इन सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों की प्रशासनिक लागत वहन करता है) द्वारा धन जारी करने में अत्यधिक देरी ने इनमें से कई नकदी-संकट वाली इकाइयों को लगभग पंगु बना दिया है।
- चुनौतियाँ:
  - प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव:
    - भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सामाजिक लेखापरीक्षा को संस्थागत बनाने में पर्याप्त प्रशासनिक और **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का मतलब है कि देश के कई हिस्सों में सामाजिक लेखापरीक्षा कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रभावित है।**
    - केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों को वह प्रशासनिक धन प्राप्त नहीं हुआ था जो केंद्र ने उन्हें दिया था। **इसलिये लेखा परीक्षकों के वेतन में तीन महीने से एक वर्ष तक की देरी हुई है।**
  - प्रतिरोध और धमकी:
    - ग्राम सामाजिक अंकेक्षण सुविधादाताओं सहित सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों को प्रतिरोध और धमकी का सामना करना पड़ रहा है तथा सत्यापन हेतु प्राथमिक अभिलेखों तक पहुँचने में भी मुश्किल हो रही है।
  - जनभागीदारी का अभाव:
    - आम जनता के बीच शिक्षा, जागरूकता और क्षमता निर्माण की कमी के कारण लोगों की भागीदारी नगण्य रही है।
  - स्वतंत्र एजेंसी की अनुपस्थिति:
    - सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की **जाँच और कार्रवाई करने हेतु एक स्वतंत्र एजेंसी का अभाव है।**

आगे की राह

- **नागरिक समूहों को सामाजिक लेखापरीक्षा को मज़बूत करने हेतु अभियान चलाने और राजनीतिक कार्यकारी** तथा इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है।
- **प्रत्येक ज़िले में सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञों की टीम गठित की जानी चाहिये** जो सामाजिक लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों (हितधारकों) के प्रशिक्षण हेतु ज़िम्मेदार हो।
- **सामाजिक अंकेक्षण के तरीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहिये** जैसे कि सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करना और अंकेक्षण करना एवं उसे ग्राम सभा में प्रस्तुत करना।
- सामाजिक अंकेक्षण की प्रणाली को एक संस्थागत ढाँचे की स्थापना करने के लिये **सहक्रियात्मक समर्थन और अधिकारियों द्वारा किसी भी निहित स्वार्थ के बिना प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता होती है।**

नोट :

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नैतिकता

चर्चा में क्यों ?

AI की नैतिकता पर यूनेस्को का वैश्विक समझौता सरकारों और कंपनियों का समान रूप से मार्गदर्शन कर सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI):

- यह उन कार्यों को पूरा करने वाली मशीनों की कार्रवाई का वर्णन करता है जिनके लिये ऐतिहासिक रूप से मानव बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है।
- इसमें मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकग्निशन, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क्स, सेल्फ-एल्गोरिदम आदि जैसी प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।
- इस अवधारणा का वर्णन ग्रीक पौराणिक कथाओं में वापस देखी जा सकती है, हालाँकि इसका वर्तमान स्वरुप आधुनिक इतिहास में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किये जाने के बाद देखे गए थे।
  - उदाहरण: मनुष्यों के आदेशों को समझने और मानव जैसे कार्यों को करने के लिये लाखों एल्गोरिदम और कोड हैं। अपने उपयोगकर्त्ताओं के लिये फेसबुक के सुझाए गए दोस्तों की सूची, एक पॉप-अप पेज, जो इंटरनेट ब्राउज़ करते समय स्क्रीन पर आने वाले जूते और कपड़ों के पसंदीदा ब्रॉण्ड की आगामी बिक्री के बारे में सुझाव देता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कार्य है।
- AI में जटिल चीजें शामिल होती हैं जैसे मशीन में किसी विशेष डेटा को फीड करना और इसे विभिन्न स्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देना। यह मूल रूप से सेल्फ-लर्निंग पैटर्न बनाने से संबंधित है जहां मशीन मुश्किल प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगी।
- भारत ने ज़िम्मेदार और नैतिक AI शासन के विकास में काफी प्रगति की है, नीति आयोग के #AIForAll अभियान से शुरू होकर कई कॉर्पोरेट रणनीतियों को अपनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि AI को इसके मूल में सामान्य, मानवीय मूल्यों के साथ विकसित किया गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न चुनौतियाँ:

- **बेरोज़गारी का खतरा:** श्रमिकों का पदानुक्रम मुख्य रूप से स्वत: संचालित (Automation) होता है। रोबोटिक्स और AI कंपनियों द्वारा उन बुद्धिमान मशीनों का निर्माण किया जा रहा है जो सामान्यत: कम आय वाले श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों को करने में सक्षम हैं जैसे- बैंक कैशियर (Bank Cashiers) के कार्यों को करने हेतु **स्वयं सेवा कियोस्क (Self-Service Kiosks)** का उपयोग, फलों को चुनने वाले रोबोट द्वारा फील्ड में कार्य करने वाले लोगों को प्रतिस्थापित करना।
  - इसके अलावा वह दिन दूर नहीं जब AI के उपयोग के कारण कई डेस्क जॉब्स समाप्त हो जायेंगे जैसे- एकाउंटेंट (Accountants), वित्तीय व्यापारी (Financial Traders) और मध्य-स्तरीय प्रबंधक (Middle Managers)।
- **बढ़ती असमानताएँ:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक कंपनी मानव कार्यबल में भारी कटौती कर सकती है।
  - परिणामस्वरूप जिन व्यक्तियों के पास AI संचालित कंपनियों का स्वामित्व है, वे सभी अधि धनार्जित कर सकेंगे। इसके अलावा AI का उपयोग डिजिटल बहिष्करण (Digital Exclusion) को भी बढ़ा सकता है।
  - इसके अलावा उन देशों में अधिक निवेश स्थानांतरित होने की संभावना है जहाँ पहले से ही AI से संबंधित कार्य किये जा रहे हैं जो देशों के भीतर और विभिन्न देशों के मध्य अधिक अंतराल की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।
- **प्रौद्योगिकी की लत:** तकनीकी लत मानव की एक सीमा निर्धारित करती है। AI का उपयोग पहले से ही मानव ध्यान को निर्देशित करने और कुछ कार्यों को अपने अनुसार नियंत्रित करने हेतु किया जा रहा है।
  - तकनीकी का सही इस्तेमाल समाज को अधिक लाभकारी बनाने का अवसर प्रदान करता है, वहीं इसके गलत हाथों में जाने से यह समाज के लिये दुष्प्रभावी भी साबित हो सकता है।
- **भेदभावपूर्ण रोबोट:** हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि AI प्रणाली मनुष्य द्वारा निर्मित है, जिसकी कार्य प्रणाली पक्षपातपूर्ण हो सकती है।
  - यह लोगों की पहचान उनके चेहरे के **रंग और अल्पसंख्यकों** के आधार पर करता है।
- **डेटा गोपनीयता से जुड़ी चिंताएँ:** AI के उपयोग से डेटा गोपनीयता से संबंधित गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं। जटिल एल्गोरिदम में विशाल मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण प्राय: आम लोगों के डिजिटल फुटप्रिंट को बिना उनकी जानकारी अथवा सूचित सहमति के बेचा जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है।
  - **कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला**, जिसमें इस प्रकार के एल्गोरिदम और बड़े डेटा का प्रयोग वोटिंग में हेर-फेर करने हेतु किया गया था। वर्तमान में AI बिज़नेस मॉडल से उत्पन्न व्यक्तिगत और सामाजिक चिंताओं को चेतावनी के रूप में लेने की आवश्यकता है।
- **AI का मानवता के विरुद्ध:** क्या होगा यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वयं ही इंसानों के खिलाफ हो जाए?

नोट :

- एक ऐसी AI प्रणाली की कल्पना कीजिये जिसे विश्व से कैंसर को समाप्त करने के लिये कहा जाता है। काफी गणना करने के बाद वह कैंसर को समाप्त करने का एक फार्मूला बताता है कि इसके लिये पृथ्वी के सभी इंसानों को मार दिया जाए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता के वैश्विक मानक:

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता पर सुझाव** को यूनेस्को ने वर्ष 2021 में अपने सामान्य सम्मेलन के 41वें सत्र में अपनाया था।
  - इसका उद्देश्य लोगों और AI विकसित करने वाले व्यवसायों एवं सरकारों के बीच शक्ति संतुलन को मौलिक रूप से बदलना है।
- UNESCO देशों ने AI डिज़ाइन टीमों में महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों का उचित प्रतिनिधित्व की सुनिश्चितता के लिये उचित कदम उठाने की आपसी सहमती व्यक्त की है।
- यूनेस्को के सदस्यों सकारात्मक कार्रवाई का उपयोग करने के लिये सहमत हुए हैं कि AI डिज़ाइन टीमों में महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों का उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।
- सिफारिश डेटा, गोपनीयता और सूचना तक पहुँच के उचित प्रबंधन के महत्त्व को भी रेखांकित करती है।
- यह सदस्य देशों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान करता है कि संवेदनशील डेटा के प्रसंस्करण और प्रभावी जवाबदेही के लिये उपयुक्त सुरक्षा उपाय योजनाएँ तैयार करे और क्षति की स्थिति में निवारण तंत्र प्रदान करे।
- सिफारिश एक मज़बूत रुख अपनाती है कि:
  - AI प्रणाली का उपयोग सामाजिक स्कोरिंग या बड़े पैमाने पर निगरानी उद्देश्यों के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
  - इन प्रणालियों के बच्चों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक प्रभाव पर ध्यान देना चाहिये।
  - सदस्य देशों को न केवल डिजिटल, मीडिया और सूचना साक्षरता कौशल, बल्कि सामाजिक-भावनात्मक एवं AI नैतिकता कौशल में भी निवेश तथा बढ़ावा देना चाहिये।
- यूनेस्को सिफारिशों के कार्यान्वयन में तत्परता का आकलन करने में मदद करने के लिये उपकरण विकसित करने की प्रक्रिया में भी है।

आगे की राह

- AI की वैश्विक पहुँच को देखते हुए इसे "पूरे समाज" के दृष्टिकोण से "संपूर्ण विश्व" के दृष्टिकोण पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।
- डिजिटल सहयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा प्रस्तुत रोडमैप एक अच्छी पहल है। यह वैश्विक सहयोग पर बहु-हितधारक प्रयासों की आवश्यकता को पूरा करता है, इसलिये AI का उपयोग "भरोसेमंद, मानवाधिकार-आधारित, सुरक्षित और टिकाऊ एवं शांति को बढ़ावा देने" के तरीके से किया जाता है।

मौसम में संशोधन के कारण नैतिक मुद्दे

चर्चा में क्यों ?

चीन ने वर्ष 2002 और 2012 के बीच 50 लाख से अधिक मौसम-संशोधन कार्यों का संचालन किया है।

- वर्ष 2020 में चीन ने 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में कृत्रिम बारिश या बर्फबारी करने के लिये अपने **मौसम-संशोधन कार्यक्रम का विस्तार** करने की योजना की घोषणा की, जो भारत के कुल आकार का 1.5 गुना से अधिक है।
- कई देशों ने जल की कमी, **पारिस्थितिक संकट और खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिये क्लाउड सीडिंग पर शोध और प्रयोग किया है।**

मौसम संशोधन:

- मौसम संशोधन (मौसम नियंत्रण के रूप में भी जाना जाता है) **जो कि जियो इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है, जान-बूझकर मौसम में बदलाव या परिवर्तन करने का कार्य है।**
  - मौसम संशोधन का सबसे सामान्य रूप **क्लाउड सीडिंग (आमतौर पर स्थानीय जल आपूर्ति को बढ़ाने के लिये) है, जो बारिश या हिमपात को बढ़ाता है।**
- मौसम संशोधन में हानिकारक मौसम, जैसे कि ओला या तूफान की उत्पत्ति को रोकने का लक्ष्य या दुश्मन के खिलाफ हानिकारक मौसम को उकसाने के लिये सैन्य या आर्थिक युद्ध की रणनीति के रूप में भी हो सकता है जैसे ऑपरेशन पोपेय, जहाँ वियतनाम में मानसून को दीर्घकालिक करने के लिये शुरू किया गया था।

मौसम में संशोधन के कारण नैतिक मुद्दे:

- आम लोगों की त्रासदी:
  - 'आम लोगों की त्रासदी' उस स्थिति को संदर्भित करती है जब व्यक्ति अपने स्वयं के हित में तर्कहीन रूप से कार्य करते हुए सामूहिक तर्कसंगत संसाधन को अपूरणीय रूप से समाप्त कर देते हैं जो सार्वजनिक स्वामित्व में होता है।
  - चीन की कार्रवाई वैश्विक स्तर पर **'त्रासदी'** का एक संभावित उदाहरण है।
- विषम कमज़ोरियाँ:
  - कई सबसे कमज़ोर देशों एवं लोगों के लिये मौसम संशोधन के संबंध में चीन की कार्रवाइयाँ गंभीर रूप से अनुचित प्रतीत होती हैं, जो पर्यावरणविदों पर दबाव डालती है।
- अंतर्जनपदीय नैतिकता:
  - नैतिकता की एक शाखा जिसे अंतर-पीढ़ीगत नैतिकता कहा जाता है, इस बात की जाँच करती है कि क्या वर्तमान मानवता का नैतिक दायित्व है कि वह भावी पीढ़ियों के लाभ के लिये पर्यावरणीय स्थिरता के प्रयास करे।

नोट :

मौसम में संशोधन के प्रभाव:

- मानसून को बाधित कर सकता है:
  - उदाहरणत: ज्वालामुखी के बादलों की नकल करने हेतु आर्कटिक के ऊपर समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल को इंजेक्ट करना, एशिया में मानसून को बाधित कर सकता है और सूखे को बढ़ा सकता है, विशेष रूप से अफ्रीका में दो अरब लोगों के लिये भोजन और जल स्रोतों को खतरे में डाल सकता है।
  - इसके अलावा क्लाउड सीडिंग से उत्पन्न अतिरिक्त बर्फ के परिणामस्वरूप मानव-प्रेरित आपदा को ट्रिगर कर सकती हैं।
- रुचियों में भेद:
  - तकनीकी आधुनिकीकरण को पर्यावरणीय समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान माना जाता है, लेकिन **डेटा के अभाव में प्रौद्योगिकी मानव निर्मित आपदाओं के अग्रदूत के रूप में कार्य करती है।**
  - चीन का सत्तावादी शासन सभी वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकता है।
    - कुछ लोग भू-अभियांत्रिकी को जलवायु परिवर्तन का त्वरित समाधान मानते हैं। भू-अभियांत्रिकी के विस्तार के रूप में मौसम संशोधन को देखने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमें इसे अधिक सटीक बनाने के लिये और अधिक शोध की आवश्यकता है।

भू-अभियांत्रिकी:

- विषय:
  - ऑक्सफोर्ड भू-अभियांत्रिकी प्रोग्राम के अनुसार, भू-अभियांत्रिकी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बदलने के लिये पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणालियों में जान-बूझकर किया गया एक बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप है।
  - इसमें ग्रह को ठंडा करने के लिये वैश्विक जलवायु में भौतिक रूप से हेरफेर करने की तकनीक शामिल है।
- श्रेणियाँ:
  - इस तकनीक की मुख्यत: **तीन श्रेणियाँ हैं:**
    - **सौर विकिरण प्रबंधन (सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट-SRM):** सौर भू-अभियांत्रिकी या 'धूप को कम करना' हवा में सल्फेट्स का छिड़काव करके अंतरिक्ष में वापस सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करना, बादलों का चमकना या बादलों को अधिक परावर्तक बनाने के लिये खारे पानी का छिड़काव करना।
    - **कार्बन डाइऑक्साइड हटाने (कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल (Carbon Dioxide Removal-CDR):** अधिक कार्बन को अवशोषित करने के लिये पादप प्लवक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये समुद्री निषेचन या लोहे या उर्वरक की डंपिंग।
    - कार्बन कैप्चर, यूटिलाइज़ेशन और स्टोरेज (CCUS), डायरेक्ट एयर कैप्चर (DAC) और **बायोएनर्जी के साथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (BECCS)** जैसी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल तकनीकों को 'पूर्ण शून्य' उत्सर्जन प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।
    - मौसम में बदलाव।

आगे की राह

- एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता:
  - मौसम-संशोधन कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है।
    - मौसम परिवर्तन वायुमंडल में होता है, जहाँ कोई सीमा नहीं होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है और हमें भू-राजनीति से निपटने के लिये और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
- अधिक शोध की आवश्यकता:
  - मौसम प्रयोगशाला में प्रयोग करने जैसा नहीं है। इसलिये हमें इसे अधिक सटीक बनाने के लिये और अधिक शोध की आवश्यकता है।
  - सामाजिक परिणामों के अलावा नैतिक और नीतिशास्त्रीय मुद्दों पर और अधिक चर्चा करने की आवश्यकता है।
- अधिक सूझ-बूझ की आवश्यकता:
  - मौसम परिवर्तन वायुमंडल में होता है, जहाँ कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन यह परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है और भू-राजनीति से निपटने के लिये अधिक कल्पना की आवश्यकता होती है।
  - इसकी एक स्पष्ट सीमा नहीं है बल्कि एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति है जिसे सामान्यत: मानव द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
  - भूभौतिकीय राजनीतिज्ञों को यह पहचानने की ज़रूरत है कि पृथ्वी प्रणाली बल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभा सकता है।

नीतिशास्त्र और मानवीय सहसंबंध

नीतिशास्त्र का तात्पर्य:

- नीतिशास्त्र सिद्धांतों का एक समूह है जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है और हमारे जीवन की दिशा और लक्ष्य निर्धारित करता है।

नोट :

- एक समाज के अपने नैतिक मानदंडों कमानवीय कार्यों में नीतिशास्त्र की अवधारणा और सिद्धांत , निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र का मानक सेट अपने लोगों के व्यवहार, निर्णयों और कार्यों के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
  - सिद्धांतों और आदर्शों का संरक्षण भी इसका एक हिस्सा है।
  - इसकी परिसीमा सिर्फ एक परंपरा या प्रथा का पालन करने से अधिक है अर्थात् सार्वभौमिक सत्य के संदर्भ में इन नियमों के अनुसंधान और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

नीतिशास्त्र के आयाम:

- वर्णनात्मक नीतिशास्त्र:
  - यह इस बात से संबंधित है कि लोग वास्तव में क्या सही या गलत समझते हैं।
  - यह हमें एक व्यापक तस्वीर देता है कि लोग कैसे अपना जीवन जीते हैं, या उनका जीवन पैटर्न।
  - यह कुछ कलंक, परंपराओं या प्रथाओं का इतिहास प्रदान करता है।
- मानकीय/आदर्शात्मक नीतिशास्त्र:
  - नियामक नैतिकता को परिप्रेक्ष्य नैतिकता भी कहा जाता है।
  - यह मूल रूप से नैतिक मानदंड स्थापित करने का इरादा रखता है जो उचित और अनुचित व्यवहार को परिभाषित करता है।
  - यह नेक आचरण के लिये सबसे अच्छा पैमाना खोजने का एक प्रयास है।
  - व्यक्तियों को कैसे व्यवहार करना चाहिये यह नैतिक सिद्धांत के अध्ययन से निर्धारित होता है।
- अधि नीतिशास्त्र:
  - मुद्दे जो यह तय करते हैं कि कोई निश्चित मुद्दा या वस्तु नैतिक रूप से सही है या गलत, अधि नैतिकता की प्राथमिक चिंता है।
  - यह नैतिकता की निष्पक्षता से अधिक संबंधित है, न कि इस बात से कि कोई विशेष आचरण नैतिक है या अनैतिक।
  - आधुनिक दार्शनिकों द्वारा अधि नैतिकता को दो भागों में विभाजित किया गया है।
    - **गैर-संज्ञानात्मकता:** इस वैचारिक दृष्टिकोण के अनुसार, हम किसी भी चीज़ को सही या गलत के रूप में वर्गीकृत करते हैं, यह हमारे नैतिक ज्ञान का प्रतिबिंब है।
    - **संज्ञानात्मकवाद:** इस तरह की सोच इस बात पर जोर देती है कि कैसे तथ्य और आंकड़े नैतिक रूप से सही और गलत का निर्धारण करते हैं।
- व्यावहारिक नीतिशास्त्र:
  - यह नैतिकता का अनुशासन है जो गर्भपात, पशु अधिकार और इच्छामृत्यु जैसे विशिष्ट, विवादास्पद नैतिक चिंताओं की जाँच करता है। समकालीन मुद्दों पर नैतिक अवधारणाओं की समझ को लागू करना फायदेमंद है।

नीतिशास्त्र का सार:

- नीतिशास्त्र के केंद्र में स्वयं के अलावा किसी चीज या किसी अन्य के अर्थात् हमारी अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के बारे में चिंता है। नैतिकता का संबंध अन्य लोगों के हितों से, समाज के हितों से, 'परम शुभ' से है। इस प्रकार, जब लोग नैतिक रूप से सोचते हैं तो वे अपने से परे किसी चीज़ को कुछ विचार दे रहे होते हैं। नैतिकता के सार को इस प्रकार समझा जा सकता है:
  - नैतिकता के दायरे में केवल स्वैच्छिक मानवीय क्रियाएँ शामिल हैं। इसका अर्थ है मनुष्य द्वारा होशपूर्वक, जानबूझकर और परिणाम की दृष्टि से किये गए कार्य। यह मानव आचरण के उस हिस्से पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जिसके लिये मनुष्य की कुछ व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी है।
  - यह मानकों का एक समूह है जिसे एक समाज सर्वोपरि रखता है और जो अपने सदस्यों के व्यवहार, पसंद और कार्यों का मार्गदर्शन करने में मदद करता है।
  - यह इस बारे में चिंतित है कि क्या सही, उचित, न्यायसंगत या अच्छा है, हमें क्या करना चाहिये, न कि केवल सबसे स्वीकार्य या समीचीन क्या है।
  - यह आचरण और सामाजिक व्यवस्था के लिये विभिन्न विकल्पों में सन्निहित सिद्धांतों का विश्लेषण और मूल्यांकन करने का प्रयास करता है।
  - इसमें सार्वभौमिक मूल्यों जैसे सभी पुरुषों और महिलाओं की आवश्यक समानताएँ, मानव या प्राकृतिक अधिकार, कानून का पालन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिये चिंता और, प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन शामिल है।

मानव क्रिया में नैतिकता के निर्धारक और परिणाम:

- 'मानव क्रिया' नैतिकता का प्रारंभिक बिंदु है। किसी व्यक्ति के किसी भी कार्य की नैतिकता या अनैतिकता का निर्धारण करने में सबसे पहले विचार करने वाले बिंदुओं में से एक यह है कि यह एक सचेत मानवीय कार्य होना चाहिये, इससे पहले कि इसमें कोई नैतिक गुण हो।
- चूँकि पाचन, वृद्धि, शिराओं में रक्त की गति आदि हमारी इच्छा के वश में नहीं हैं, इसलिये उन्हें नैतिक कृत्यों के रूप में बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। वे एक मानव व्यक्ति के कार्य हैं, लेकिन उन्हें 'मानवीय कार्य' नहीं कहा जाता है।
- एक मानवीय कार्य वह है जो ज्ञान और स्वतंत्र इच्छा से आगे बढ़ता है। यदि किसी व्यक्ति के कार्य में पर्याप्त ज्ञान या स्वतंत्रता की कमी है, तो वह कार्य पूरी तरह से मानवीय नहीं है और इसलिये पूरी तरह से नैतिक नहीं है।

नोट :

- इस प्रकार, सही और गलत का निर्णय केवल उन्हीं कार्यों पर पारित किया जा सकता है जो स्वैच्छिक हैं। उन्हें पर्याप्त ज्ञान के आधार पर कर्त्ता द्वारा अभिप्रेत होना चाहिये, अर्थात कार्य स्वैच्छिक होना चाहिये।
- हालाँकि, कुछ ऐसे कारक हैं जो मानवीय कार्यों की स्वैच्छिकता को कम या कम करते हैं। इन्हें सचेत मानव क्रिया के लिये बाधा कहा जाता है।
- **मानव क्रिया में नैतिकता के निर्धारक:**
  - मानव द्वारा किये गए कार्यों को वास्तव में मानवीय कार्य नहीं कहा जा सकता है, यदि उपरोक्त में से कोई भी स्थिति, अर्थात अज्ञानता, जुनून या हिंसा मौजूद है। यह कार्रवाई मानवीय नहीं है और इसलिये नैतिकता में जाँच के अधीन नहीं किया जा सकता है।
    - हालाँकि, जब कारण या ज्ञान शामिल होता है, जब कार्य स्वैच्छिक होते हैं, तो यह निर्धारित किया जा सकता है कि दिया गया मानव कार्य अच्छा है या बुरा। नैतिक धर्मशास्त्रियों के अनुसार हमारे कार्यों की नैतिक गुणवत्ता के कुछ निर्धारक हैं। ये हैं:
- कार्रवाई की प्रकृति/उद्देश्य:
  - **मानव कृत्यों की नैतिकता/अच्छाई को आँकने का एक मानदंड उसकी वस्तु/स्वभाव है** । प्रत्येक क्रिया का एक विशेष स्वभाव/सार होता है जो उसे अन्य क्रियाओं से अलग बनाता है। इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया कोई कार्य, जब अपने आप में माना जाता है, अच्छा, बुरा या उदासीन हो सकता है। इस प्रकार, सड़क पर एक अंधे व्यक्ति की मदद करना अपने आप में एक अच्छा कार्य है, निन्दा करना अपने आप में बुरा है, और गोली चलाना सीखना अपने आप में एक उदासीन कार्य है।
  - हालाँकि, कुछ प्रकार के कार्य होते हैं जिन्हें इसके स्वभाव से ही आंतरिक रूप से बुरा/अनैतिक कहा जाता है, अर्थात इसके अंतर्निहित नैतिक अर्थ से। एक आंतरिक रूप से बुरा कार्य एक ऐसा कार्य है जो हमेशा बुरा होता है, हमेशा असंगत होता है। यह कभी भी अच्छा नहीं होता है, कभी उपयुक्त नहीं होता है, और कभी भी उपयोगी नहीं होता है, भले ही एक इसको करने वाले के गलत इरादे और परिस्थितियों के बावजूद।
    - कारण यह भी प्रमाणित करता है कि कुछ मानवीय कृत्य अपने स्वभाव से ही अच्छे होने में असमर्थ हैं क्योंकि वे अच्छे की धारणा का मौलिक रूप से खंडन करते हैं, उदाहरण के लिये, बलात्कार, निर्दोष बच्चों की हत्या, या ईशनिंदा।
  - इस बीच, गर्भपात, भ्रूण स्टेम सेल अनुसंधान, समान लिंग विवाह, इच्छामृत्यु आदि जैसे कुछ विशिष्ट कार्य हैं जिन्हें कुछ समाजों/धर्मों के नैतिक संहिताओं के अनुसार आंतरिक रूप से अनैतिक माना जाता है। भले ही इरादे कभी-कभी अच्छे हों, और परिस्थितियाँ अक्सर कठिन हों, इन कृत्यों को गैर-परक्राम्य माना जाता है और इसलिये ऐसे समाजों द्वारा दंडनीय हैं।
    - हालाँकि, परिस्थितियों और इरादों पर विचार करने से पहले किसी कार्य को नैतिक रूप से बुरा मानने के ऐसे उदाहरण कुछ अन्य समाजों में संदिग्ध, बहस योग्य या अमान्य भी हो सकते हैं।
- कार्रवाई का इरादा/उद्देश्य:
  - कार्य या तो अच्छे या बुरे हो सकते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि हम उन्हें क्यों करते हैं। अरस्तू और टेलीलॉजिकल सिद्धांतकारों के अनुसार प्रत्येक मानवीय क्रिया, चाहे कितनी भी तुच्छ क्यों न हो, इसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य/उद्देश्य/इरादा होता है। ऐसे सभी कार्यों के लिये एक व्यक्ति की नैतिक ज़िम्मेदारी होती है (जानबूझकर या चूक, किसी कार्रवाई को करना या रोकना, एक निश्चित परिणाम लाने की कोशिश करना या प्रयास करना) जिसमें एजेंट की दूरदर्शिता, कारण, इच्छा या प्रेरणा शामिल होती है। इसलिये, कार्रवाई करने वाले व्यक्ति का इरादा किसी कार्रवाई के नैतिक मूल्यांकन के लिये आवश्यक तत्व है। जिस तरह से उद्देश्य/इरादा किसी कार्रवाई की नैतिकता को प्रभावित करता है, वह नीचे दिया गया है:
    - एक मानवीय कार्य के लिये नैतिक रूप से अच्छा होने के लिये एजेंट या कर्त्ता के इरादे अच्छे होने चाहिये।
    - एक एजेंट का मकसद स्वभाव से नैतिक रूप से अच्छे कार्य को नैतिक रूप से बुरे कार्य में बदल सकता है।
    - एक अच्छा इरादा, चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, नैतिक रूप से कुछ अच्छा करने के लिये अनिवार्य रूप से अनैतिक कुछ नहीं बनाता है।
    - जिस कार्य में एक अच्छी सोच होती है वह अपने उद्देश्य के कारण कमोबेश अच्छी हो सकती है।
    - एक कार्य जो स्वाभाविक रूप से गलत है, नैतिक एजेंट के उद्देश्य के आधार पर अधिक या कम गलत हो सकता है।
- कार्रवाई की परिस्थितियाँ:
  - प्रत्येक मानव कार्य एक ठोस क्रम में विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। इसलिये परिस्थितियाँ किसी कार्रवाई की नैतिकता को प्रभावित कर सकती हैं और नैतिक गुणवत्ता में कुछ जोड़ सकती हैं। मानव क्रिया की परिस्थितियों में ऐसी चीजें शामिल होती हैं जैसे किसी विशेष समय पर, किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष एजेंट द्वारा, विशेष तरीके से किया जाने वाला कार्य। अलग-अलग परिस्थितियाँ कैसे क्रियाओं की सही या गलत होने को बदल देती हैं, इसे नीचे उल्लिखित के रूप में समझा जा सकता है:

नोट :

- कभी-कभी परिस्थितियाँ कार्रवाई की नैतिकता को केवल डिग्री में प्रभावित करती हैं, अर्थात वे मानवीय कृत्यों की नैतिक अच्छाई या बुराई को बढ़ाने या घटाने में योगदान करती हैं। उदाहरण के लिये, चोरी करना वस्तु से बुरा है, किसी दुर्लभ वस्तु की चोरी करना/या किसी बेसहारा/गरीब से चोरी करना कार्रवाई के द्वेष को बढ़ाता है। दूसरी ओर, यदि कोई लुटेरा गरीबों की मदद के लिये अमीरों से चोरी करके रॉबिन हुड की तरह काम करता है, तो उसकी डकैती कम अनैतिक हो जाती है।
- कुछ परिस्थितियाँ किसी क्रिया को कब और कहाँ घटित होने के प्रभाव से एक नए प्रकार की अच्छाई या बुराई प्रदान करती हैं।
- **कब** : चाहे वह युद्ध के दौरान किया जाए या शांति के दौरान। उदाहरण के लिये, एक खुफिया अधिकारी के अपराध में वृद्धि होती है, जो युद्ध के समय दुश्मन देश द्वारा पकड़े जाने पर, हिंसा के आगे झुक जाता है और अत्यधिक गोपनीय जानकारी का खुलासा करता है जो राष्ट्रीय रहस्यों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
- **कहाँ पर:** इसी तरह, जहाँ कार्रवाई होती है, उसकी नैतिकता प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिये, एक चर्च/कैथेड्रल में एक हत्या खुद को हत्या के लिये एक अतिरिक्त नैतिक बुराई जोड़ती है क्योंकि इसमें पूजा के एक पवित्र स्थान की अपवित्रता और इसलिये अपवित्रता की अतिरिक्त बुराई शामिल है।
- परिस्थितियाँ एजेंट की ज़िम्मेदारी को कम या कम भी कर सकती हैं। उदाहरण के लिये, जो महिला अपनी शुद्धता पर हमला करने वाले व्यक्ति को मारती है, वह किसी की हत्या के अपराध से मुक्त हो जाती है।

- इस प्रकार, चूँकि सभी मानवीय क्रियाएँ एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर होती हैं, इसलिये किसी भी मानवीय कृत्य की नैतिक गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में परिस्थितियों पर हमेशा विचार किया जाना चाहिये। इस बीच, यह समझा जाना चाहिये कि 'नैतिक रूप से अच्छे कार्य के लिये वस्तु की अच्छाई, अंत की और परिस्थितियों की एक साथ आवश्यकता होती है'। यदि तीनों में से कोई एक दुष्ट है, तो विचाराधीन मानवीय कृत्य बुरा है और इससे बचना चाहिये।
  - मानव क्रिया की नैतिकता को प्रभावित/निर्धारित करने वाले एजेंट:
    - व्यक्तिगत व्यक्तित्व लक्षण
    - व्यक्ति की संस्कृति या देश
    - संगठन/उद्योग

मानव क्रिया में नैतिकता के परिणाम:

- परिणाम एक क्रिया के कारण होने वाले प्रभाव हैं। हमारे कई कार्य, निर्णय और दैनिक जीवन के चयन परिणामों को ध्यान में रखकर किये जाते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही परिणामोन्मुखी होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास इच्छित परिणाम प्राप्त करने की प्रवृत्ति है और इन परिणामों/परिणामों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उनमें कितनी अच्छाई है।
- किसी कार्य को उसके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा माना जाता है। अगर दूसरे लोग पीड़ित हैं, तो यह गलत है। लोगों को फायदा हो तो सही। परिणाम, नैतिक आचरण के हमारे विश्लेषण में एक महत्त्वपूर्ण विचार हैं। जिन मामलों में किसी कार्रवाई के परिणाम कर्त्ता के लिये ज़िम्मेदार होते हैं, जिन्हें प्रभाव के लिये ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, उनमें निम्नलिखित शर्तें शामिल होती हैं:
  - यदि कर्त्ता नोटिस रखता है (भले ही अस्पष्ट रूप से) या आगे जानता है कि किसी विशेष विकल्प या कार्रवाई के परिणाम क्या होंगे, तो यह माना जाता है कि उसने प्रभाव डाला है। उदाहरण के लिये, एक बुरे प्रभाव के मामले में, यदि एक शिकारी किसी वस्तु को देखता है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं है कि यह एक आदमी है या हिरण है। शिकारी अस्पष्ट रूप से अनुमान लगाता है कि गोली चलाने के परिणाम हिरण की हत्या या पुरुषों की हत्या के क्या परिणाम हो सकते हैं। यदि शिकारी किसी भी तरह से गोली चलाने का विकल्प चुनता है, तो उसने प्रभाव की इच्छा की है, चाहे हिरण की हत्या या पुरुषों की हत्या।
  - यदि अभिनेता कार्य नहीं करता है, लेकिन किसी अन्य को ऐसा करने के लिये प्रेरित करता है (मदद, प्रोत्साहन या अनुनय के रूप में), तो पहला व्यक्ति अभी भी नैतिक रूप से अधिनियम के परिणामों के लिये इस हद तक ज़िम्मेदार है कि उसने उन परिणामों को देखा या नहीं . उदाहरण के लिये, यदि कोई राजनेता एक संवेदनशील क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाला अभद्र भाषा देता है, तो उसे गलत कार्य करने का दोषी माना जाएगा।
  - यदि कोई व्यक्ति चुप रहता है या कोई कार्रवाई नहीं करता है - यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना का गवाह बनता है और पीड़ित को गंभीर स्थिति में मदद करने से रोकता है, तो वह एक अच्छे व्यक्ति के कर्तव्य को निभाने में विफल रहता है, इसलिये चूक की त्रुटियों और बुरे परिणामों का दोषी है (पीड़ित की मृत्यु) जो अनुसरण करती है।

- इस प्रकार, जो कुछ भी एक नैतिक कार्य के लिये आवश्यक स्वतंत्रता और ज्ञान को बढ़ाता, घटाता या नष्ट करता है, वह भी अभिकर्त्ता की ज़िम्मेदारी को बढ़ाता, घटाता या नष्ट करता है।

नोट :

निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता की क्रियाशीलता:

- सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता:
  - नैतिकता का संबंध सही और गलत जैसी धारणाओं के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक तथा संगठनात्मक स्थितियों में अच्छे और बुरे मानव व्यवहार से है।
  - निजी संबंध:
    - आम जनता के साथ एक राजनेता या नौकरशाह की बातचीत या अपने मरीजों के साथ डॉक्टर के रिश्ते के विपरीत, एक व्यक्ति के निजी रिश्ते, जैसे शादी, परिवार, रिश्तेदारी और दोस्ती, निजी होते हैं। निजी संबंध अधिक व्यक्तिगत होते हैं।
  - निजी संबंधों की विशेषताएँ:
    - जीवनसाथी से विश्वासयोग्य, प्रेममय और स्नेही होने की अपेक्षा करना।
    - अपूर्णताओं के लिये अधिक सहिष्णुता।
    - वे तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक चलने वाले हैं।
    - निजी संबंध अक्सर विरासत में मिले या दिये जाते हैं।
- सामान्यतया, व्यक्तिगत गुण, सार्वभौमिक मानवीय मूल्य, धर्म, सामाजिक परंपराएँ और राष्ट्र के कानून निजी बातचीत में नैतिकता का मार्गदर्शन करते हैं। नैतिकता द्वारा निर्देशित कार्यों को सार्वजनिक रूप से उचित ठहराना आसान होता है। नैतिक मानकों और धार्मिक और संवैधानिक विचारों वाली संस्थाओं का भी भारत में व्यक्तिगत संबंधों में नैतिक मुद्दों पर प्रभाव पड़ता है।
- **सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता** :
  - जनसंपर्क अब एक महत्त्वपूर्ण कार्य बनता जा रहा है जो प्रबंधन के निर्णयों को प्रभावित करता है और हर गैर-लाभकारी या लाभ कमाने वाले संगठन में जनमत को प्रभावित करता है। जनमत की निगरानी और मूल्यांकन के साथ-साथ एक कंपनी तथा उसके ग्राहकों के बीच सद्भावना एवं समझ को बनाए रखना जनसंपर्क के प्रबंधन कार्य का हिस्सा है।
  - सार्वजनिक संबंधों की विशेषताएँ:
    - सार्वजनिक रूप से, ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के साथ व्यवहार करने से अलग होते हैं।
    - सार्वजनिक संबंधों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है।
    - काम या लाभ के कारण जुड़ाव।
    - सम्मान की अपेक्षा।
    - सार्वजनिक संबंधों में एक विशेष प्रकार की भूमिका निभाई जाती है इसलिये एक व्यक्ति जो कहता है उसके लिये ज़िम्मेदार होता है।
    - जवाबदेही वह है जो एक व्यक्ति कहता है और करता है।

न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत

न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत:

- उत्पत्ति:
  - न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत (Just War Theory) की **उत्पत्ति शास्त्रीय ग्रीक और रोमन दार्शनिकों** जैसे प्लेटो और सिसरो के साथ हुई थी तथा बाद में ऑगस्टीन एवं थॉमस एक्विनास जैसे ईसाई धर्मशास्त्रियों द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया था।
- विषय:
  - न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत मुख्यत: एक ईसाई दर्शन है जो तीन चीजों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है:
    - मानव हत्या वास्तव में बहुत गलत है।
    - राज्यों का कर्त्तव्य है कि वे अपने नागरिकों और न्याय की रक्षा करें।
    - निर्दोष मानव जीवन और महत्त्वपूर्ण नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिये कभी-कभी बल एवं हिंसा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।
  - यह सिद्धांत युद्ध पर जाने और साथ ही युद्ध लड़ने के तरीकों से संबंधित शर्तों की व्याख्या करता है ।
  - हालाँकि इसे ईसाई धर्मशास्त्रियों द्वारा बड़े पैमाने पर विकसित किया गया था, लेकिन इसका उपयोग हर धर्म के लोग कर सकते हैं या कोई भी नहीं।
  - न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत के अनुसार, **युद्ध शायद कई बार नैतिक रूप से सही होता है।** हालाँकि, कोई भी युद्ध रणनीतिक, विवेकपूर्ण या साहसिक होने के लिये प्रशंसनीय नहीं है। कभी-कभी, युद्ध सामूहिक राजनीतिक हिंसा के नैतिक उपयोग का प्रतिनिधित्व करता है।
    - मित्र राष्ट्रों की ओर से द्वितीय विश्वयुद्ध को अक्सर एक न्यायपूर्ण और अच्छे युद्ध के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है।

न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत (Just War Theory) के तत्त्व:

- जस्ट वॉर थ्योरी को तीन भागों में बाँटा गया है जिनके लैटिन नाम हैं। ये भाग हैं:
  - **जूस एड बेलम:** पहले चरण में युद्ध का सहारा लेने के न्याय के बारे में।
  - **जूस इन बेल्लो:** यह युद्ध के दौरान आचरण के न्याय के बारे में है।
  - **जूस पोस्ट बेलम:** यह शांति समझौतों के न्याय और युद्ध की समाप्ति के चरण के बारे में है।

नोट :

न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत का उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य **संभावित संघर्ष स्थितियों में राज्यों को कार्य करने के लिये सही तरीके से मार्गदर्शन प्रदान करना है।**
  - यह **सिद्धांत केवल राज्यों पर लागू होता है, न कि व्यक्तियों पर** (हालाँकि एक व्यक्ति इस सिद्धांत का उपयोग यह तय करने के लिये कर सकता है कि क्या किसी विशेष युद्ध में भाग लेना नैतिक रूप से सही है)।
- यह सिद्धांत **व्यक्तियों और राजनीतिक समूहों को संभावित युद्धों पर चर्चा के लिये उपयोगी ढाँचा** प्रदान करता है।
- इस **सिद्धांत का उद्देश्य युद्धों को न्यायोचित ठहराना नहीं है, बल्कि उन्हें रोकना है।** जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि कुछ सीमित परिस्थितियों को छोड़कर युद्ध करना गलत है और इसके माध्यम से राज्यों को संघर्षों को हल करने के अन्य तरीके खोजने के लिये प्रेरित किया जाता है।

न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत के विपक्ष में तर्क:

- नैतिक सिद्धांत में कोई स्थान नहीं:
  - सभी युद्ध अन्यायपूर्ण हैं और किसी भी नैतिक सिद्धांत में इनका कोई स्थान नहीं है:
    - नैतिकता को हमेशा हिंसा का विरोध करना चाहिये।
    - हिंसा को सीमित करने के बजाय केवल युद्ध के विचार इसे प्रोत्साहित करते हैं।
- समाज के सामान्य नियमों को बाधित करना:
  - युद्ध के परिणामस्वरूप समाज के सामान्य नियम भंग हो जाते हैं और नैतिकता के क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं।
- अवास्तविक सिद्धांत:
  - न्यायसंगत युद्ध सिद्धांत अवास्तविक और व्यर्थ है।
    - संघर्ष में "मज़बूत वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं और कमज़ोर वही करते हैं जो उन्हें करना पड़ता है"।
    - युद्ध छेड़ने का निर्णय यथार्थवाद और सापेक्ष शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है, नैतिकता से नहीं।
    - इस प्रकार नैतिकता का युद्ध में कोई उपयोग नहीं है।

आगे की राह

- युद्ध का सर्वोपरि लक्ष्य यह होना चाहिये कि यथाशीघ्र और सरलता से जीत हासिल की जाए।
- यदि कारण न्यायसंगत है, तो उसे प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिये।
- युद्ध के संचालन के नियम केवल छलावरण हैं क्योंकि वे हमेशा 'सैन्य आवश्यकता' से अधिक शासित होते हैं।
- आतंकवादी स्वाभाविक रूप से नैतिकता में रुचि नहीं रखते हैं, इसलिये युद्ध के किसी भी नैतिक सिद्धांत का पालन करना उन लोगों के लियेअनावश्यक समझते है जिन पर आतंकवादी हमला करते हैं, इस प्रकार एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

The Vision

नोट :

जैवविविधता और पर्यावरण

शैलो वाटर माइनिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शोधकर्त्ताओं के एक समूह ने सुझाव दिया है कि **शैलो वाटर माइनिंग** जैवविविधता संरक्षण और संधारणीयता लक्ष्यों के विपरीत है, क्योंकि यह गतिविधि गंभीर पर्यावरणीय जोखिम उत्पन्न करती है।

शैलो वाटर माइनिंग क्या है ?

- शैलो वाटर माइनिंग 200 मीटर से कम गहराई पर होटी है और इसे स्थलीय खनन की तुलना में कम विनाशकारी और डीप-वाटर **इकोसिस्टम** के खनन से कम जोखिमभरा बताया गया है।
- धातुओं और खनिजों की मांग को पूरा करने के लिये इसे अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला तथा कम लागत वाला विकल्प माना जाता है। इसके अलावा, शैलो वाटर माइनिंग के लिये तकनीक पहले से मौजूद है।
- **नामीबिया और इंडोनेशिया** में उथले-जल खनन परियोजनाएँ पहले से ही चल रही हैं तथा **मेक्सिको, न्यूज़ीलैंड एवं स्वीडन** में ये परियोजनाएँ प्रस्तावित की गई हैं।

निष्कर्ष क्या हैं ?

- **बारे में:**
  - शैलो वाटर माइनिंग डीप-सी माइनिंग के लिये संधारणीय विकल्प नहीं है।
    - समुद्र का वह भाग **जो 200 मीटर की गहराई से नीचे स्थित है, डीप-सी** के रूप में परिभाषित किया गया है और इस क्षेत्र से खनिज निकालने की प्रक्रिया को **डीप-सी माइनिंग** के रूप में जाना जाता है।
  - शैलो वाटर के समुद्र तल से धातुओं की खनन प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में तलछट को हटाने की आवश्यकता होती है।
  - **इन तलछटों जिसे जमा होने में हजारों साल लगते हैं, को हटाने का मतलब उन जीवों जिनका यहाँ निवास, को खतरे में डालना है।**
- प्रभाव:
  - चूँकि उथले-जल के पारिस्थितिक तंत्र पहले से ही प्रदूषण के कारण संवेदनशील हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, यहाँ तक कि छोटे पैमाने पर खनन गतिविधियाँ भी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को विशेष रूप से स्थानीय पैमाने पर प्रभावित कर सकती हैं।
  - खनिज खनन आवासों को परिवर्तित कर देता है और साथ ही **स्थानीय जैवविविधता के नुकसान एवं प्रजातियों के समुदायों में परिवर्तन का कारण बनता है।**
  - खनन के अप्रत्यक्ष प्रभाव जैसे कि **समुद्री तल अवसाद का प्रसार और समुद्री तल से निकलने वाले हानिकारक पदार्थ समुद्री पर्यावरण की स्थिति को असंतुलित** करने में योगदान करते हैं।
  - उथले-जल खनन के समग्र पर्यावरणीय प्रभाव उन परिचालनों के समान हैं जहाँ समुद्री तल की खुदाई की जाती है, जैसे ड्रेजिंग। इसका मतलब है कि पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित होने में दशकों लग सकते हैं।

सुझाव:

- उथले-जल खनन गतिविधियों को **"धातुओं की बढ़ती वैश्विक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सिल्वर बुलेट"** नहीं माना जाना चाहिये, जब तक कि पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक प्रभावों की पूरी तरह से जाँच न हो जाए।
- इस जानकारी के बिना कोई भी गहरे समुद्र में जैवविविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव कल्याण के लिये खनन गतिविधि के संभावित जोखिमों को नहीं समझ सकता है।
- उथले समुद्री क्षेत्रों में खनन के लिये एहतियाती सिद्धांत लागू किया जाना चाहिये। उनका मानना है कि **संचालन की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिये जब तक कि उसके जोखिम का पूरी तरह से आकलन नहीं हो** जाता।

28वाँ विश्व ओज़ोन दिवस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने 28वाँ विश्व ओज़ोन दिवस मनाया।

- ओज़ोन परत के संरक्षण के लिये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष **16 सितंबर को विश्व ओज़ोन दिवस** के रूप में मनाया जाता है।
- विश्व ओज़ोन दिवस 2022 का **विषय "मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @ 35: पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने के लिये वैश्विक सहयोग" है।**

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर "द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल: इंडियाज़ सक्सेस स्टोरी" का 23वाँ संस्करण जारी किया गया।
- इस अवसर पर जारी किये गए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) के ओज़ोन सेल के अन्य प्रकाशनों में शामिल हैं:
  - भवनों में थीमेटिक एरिया स्पेस कूलिंग के लिये इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) की सिफारिशों को लागू करने हेतु **कार्ययोजना।**

नोट :

- गैर- ओज़ोन क्षयकारी पदार्थ (ODS) **आधारित रेफ्रिजरेंट का उपयोग करने वाले रेफ्रिज़रेशन और एयर कंडीशनिंग (RAC)** उपकरण के लिये सार्वजनिक खरीद नीतियों की अध्ययन रिपोर्ट।
- **गैर- ODS और निम्न- GWP रेफ्रिजरेंट को बढ़ावा देने के लिये भारत में कोल्डचेन क्षेत्र पर अध्ययन रिपोर्ट।**
- **रूम एयर कंडीशनर के ऊर्जा कुशल संचालन के लिये अच्छी सर्विसिंग प्रथाओं पर पुस्तिका।**

- स्कूली बच्चों के लिये आयोजित 'सेव अवर ओज़ोन लेयर' पर **राष्ट्रीय स्तर की पोस्टर मेकिंग और स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता के विजेता प्रविष्टियों की घोषणा की गई।**
- बैठक में पर्यावरण के लिये जीवन-शैली (LiFE) को अपनाने का आह्वान किया गया क्योंकि यह टिकाऊ जीवन-शैली की अवधारणा के अनुरूप है, जो हमें बिना सोचे-समझे नहीं बल्कि सावधानी से संसाधनों के उपभोग और उपयोग के लिये प्रोत्साहित करता है।
- **सम्मिश्रणों सहित कम ग्लोबल वार्मिंग की संभावना वाले रसायनों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिये आठ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों** (बॉम्बे, रुड़की, हैदराबाद, कानपुर, गुवाहाटी, बनारस, मद्रास और दिल्ली) के साथ सहयोग किया जाएगा। इन्हें **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित पदार्थों के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है।**
  - यह सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा।

इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP):

- परिचय:
  - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मार्च 2019 में इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) लॉन्च किया गया था।
  - अगले 20 वर्षों तक सभी क्षेत्रों में शीतलता से संबंधित आवश्यकताओं से जुड़ी मांग तथा ऊर्जा आवश्यकता का आकलन करना।
  - लक्ष्य:
    - वर्ष 2037-38 तक विभिन्न क्षेत्रों में शीतलक मांग (Cooling Demand) को 20% से 25% तक कम करना।
    - वर्ष 2037-38 तक रेफ्रीजरेंट डिमांड (Refrigerant Demand) को 25% से 30% तक कम करना।
    - वर्ष 2037-38 तक शीतलन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता को 25% से 40% तक कम करना।
    - शीतलता के लिये उपलब्ध तकनीकों की पहचान के साथ ही वैकल्पिक तकनीकों, अप्रत्यक्ष उपायों और अलग प्रकार की तकनीकों की पहचान करना।
    - वर्ष 2022-23 तक कौशल भारत मिशन के तालमेल से सर्विसिंग सेक्टर के 100,000 तकनीशियनों को प्रशिक्षण एवं प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना।
- महत्त्व:
  - ICAP, कार्यों के कार्यान्वयन से किगाली संशोधन के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) की चरणबद्ध तरीके से कमी के दौरान जलवायु के अनुकूल विकल्पों को अपनाने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के प्रयासों में मदद मिलेगी।
    - यह 2021 में पार्टियों के **26वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (CoP26)** में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिबद्ध 'पंचामृत' के माध्यम से वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने में भारत की जलवायु कार्रवाई में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को रोकने के लिये एक विश्वव्यापी समझौता है।
- 16 सितंबर, 1987 को अपनाया गया प्रोटोकॉल अब तक की एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है **जिसे पृथ्वी पर प्रत्येक देश एवं सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है।**
- इसने रेफ्रिजरेटर, एयर-कंडीशनर और कई अन्य उत्पादों में 99% ओज़ोन-क्षयकारी रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है।
- भारत जून 1992 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार है।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में भारत की उपलब्धियाँ:

- भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अनुसूची के अनुरूप 1 जनवरी, 2010 को नियंत्रित उपयोग के लिये क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC), कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलोन, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया।
- वर्तमान में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के त्वरित कार्यक्रम के अनुसार **हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन (HCFC)** को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है।
  - **हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन चरणबद्ध प्रतिबंध (फेज़ आउट) प्रबंधन योजना (HPMP) चरण- I को वर्ष 2012 से 2016 तक सफलतापूर्वक लागू किया गया है।**
  - **HPMP चरण - II वर्ष 2017 से लागू है और वर्ष 2023 तक पूरा हो जाएगा।**

नोट :

- **HPMP चरण-III,** शेष HCFCs को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये HPMPs का अंतिम चरण- 2023-2030 से कार्यान्वित किया जाएगा।
  - रेफ्रिजरेशन और एयर-कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सहित सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में HCFC का फेज़ आउट 1 जनवरी, 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा और सर्विसिंग सेक्टर से संबंधित गतिविधियाँ वर्ष 2030 तक जारी रहेंगी।

ओज़ोन परत

- रासायनिक सूत्र O_3 के साथ **ओज़ोन ऑक्सीजन का एक विशेष** रूप है। हम जिस ऑक्सीजन में साँस लेते हैं और जो पृथ्वी पर जीवन के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है, वह O_2 है।
- **ओज़ोन का लगभग 90% प्राकृतिक रूप** से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल (समताप मंडल) में **पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किमी** के बीच होता है, जहाँ यह एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जो हमें **सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती** है।
- **यह "अच्छा" ओज़ोन धीरे-धीरे मानव निर्मित रसायनों द्वारा नष्ट किया जा रहा** है, जिन्हें **ओज़ोन-घटाने वाला पदार्थ (ODS-Ozone Depleting Substance)** कहा जाता है, जिसमें सीएफ़सी, एचसीएफसी, हैलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म शामिल हैं।
  - जब समताप मंडल में **क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु ओज़ोन के संपर्क में आते** हैं, तो वे **ओज़ोन अणुओं को नष्ट** कर देते हैं।
  - समताप मंडल से हटाए जाने से पहले एक क्लोरीन परमाणु 100,000 से अधिक ओज़ोन अणुओं को नष्ट कर सकता है।
  - प्राकृतिक रूप से बनने की तुलना में ओज़ोन अधिक तेज़ी से नष्ट हो सकता है।
- **ओज़ोन परत के क्षरण** से **मनुष्यों में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद की घटनाओं में वृद्धि** होती है।

वनाग्नि ओज़ोन परत को कैसे प्रभावित कर रही है?

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) के अनुसार, **बढ़ते वैश्विक तापमान और शुष्क परिस्थितियों** के कारण दुनिया भर में **लगातार, बड़े पैमाने** पर जंगल में आग लग रही है।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अनुसार, 2050 तक भीषण वनाग्नि की तीव्रता में **30% की वृद्धि** होने की संभावना है।
  - इस तरह की घटनाएँ **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 35 वर्षों के प्रयासों को पूर्ववत स्थिति में ला सकती हैं।**
- वनाग्नि भी इस दुष्चक्र को बढ़ा सकती है। ओज़ोन परत में कमी/क्षरण दक्षिणी ध्रुवीय भँवर (Poller Vortex), दक्षिणी ध्रुव पर निम्न वायुदाब और शीतल वायु के प्रभाव को मज़बूत करती है।
  - **यह एक फीडबैक लूप बनाता है: ध्रुवीय भँवर जितना मज़बूत होता है, उतना ही यह आसपास के ओज़ोन को कम करता** है और उतने ही अधिक समय तक यह ओज़ोन छिद्र को खुला रखता है।
- ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग जून 2019 से मार्च 2020 तक जारी रही और इससे 1 मिलियन टन से अधिक धुआँ निकला जो समताप मंडल तक पहुँच गया जिसने ओन परत के छिद्रों **के आकर में वृद्धि** में मदद की।
  - इस वनाग्नि के कारण 33 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि जल गई, 3 अरब जानवर मर गए या विस्थापित हो गए और जितनी संपत्ति का नुकसान हुआ, उसकी वजह से **यह देश की सबसे खराब प्राकृतिक** आपदा बन गई।

ब्रेकथ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के उच्च-स्तरीय अभिकर्त्ताओं द्वारा द ब्रेकथ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 जारी की गई, जिसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेज़ी से कमी लाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह पाँच प्रमुख क्षेत्रों - विद्युत , हाइड्रोजन, सड़क परिवहन, इस्पात और कृषि में उत्सर्जन को कम करने की प्रगति का आकलन करता है।

नोट :

- यह अपनी तरह की पहली वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है, जिसका अनुरोध विश्व नेताओं द्वारा नवंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 में ब्रेकथ्रू एजेंडा के शुभारंभ के हिस्से के रूप में किया गया था।
- ब्रेकथ्रू एजेंडा वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था के दो-तिहाई से अधिक को कवर करता है, जिसे G7, चीन और भारत सहित 45 विश्व के देशों का समर्थन प्राप्त है।

- परिणाम:
  - हाल के वर्षों में व्यावहारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि के साथ ही आवश्यक प्रौद्योगिकियों को तैनात करने में प्रगति हुई है, जिसमें **वर्ष 2022 में वैश्विक नवीकरणीय क्षमता में 8% की वृद्धि का पूर्वानुमान शामिल है** जो पहली बार 300GW के साथ लगभग 225 मिलियन घरों को विद्युत उपलब्ध कराने के बराबर है।
  - रिपोर्ट में विश्लेषण किये गए पाँच क्षेत्रों में **वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन का लगभग 60% हिस्सा है,** और वर्ष 2030 तक आवश्यक उत्सर्जन में कमी कर सकता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को अधिकतम 1.5 डिग्री सेल्सियस, पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप तक सीमित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।
  - विश्व सही मायने में पहले से ही वैश्विक ऊर्जा संकट के दौर में है, विश्व अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से विकासशील देशों को इस संकट के अधिक घातक प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है।
    - तेल, गैस और बिजली से जुड़े बाज़ारों में ऊर्जा संकट उभर कर सामने आया है तथा **महामारी, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव व रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण** यह संकट और बढ़ गया है।
  - ऊर्जा और जलवायु संकट ने 20वीं शताब्दी की उस प्रणाली की **कमज़ोरियों एवं सुभेद्यताओं को उजागर किया** है जो ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है।

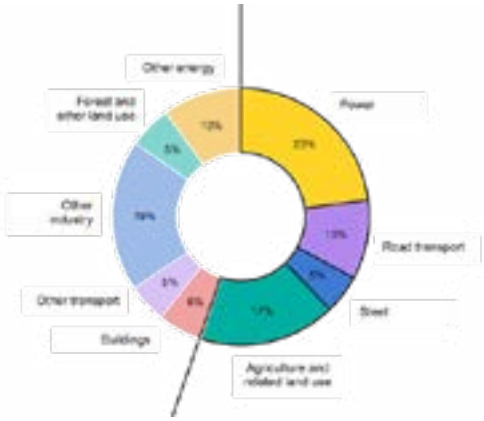

- सिफारिशें:
  - समाधानों की सीमा का विस्तार करने और परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये लचीली कम कार्बन वाली विद्युत प्रणालियों का प्रदर्शन और परीक्षण करना।
  - कम कार्बन युक्त ऊर्जा में व्यापार बढ़ाने, उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार और तंत्र में लचीलापन बढ़ाने के लिये इस दशक में नए क्रॉस-बॉर्डर सुपरग्रिड का निर्माण करना।
  - कोयला उत्पादक देशों के स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के रूपांतरण में मदद करने के लिये वित्त और तकनीकी सहायता के चैनल के लिये विशेषज्ञता के नए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करना।
  - एक सामान्य परिभाषा और लक्ष्य तिथियों पर सहमत होना जिसके द्वारा सभी नए वाहनों के शुद्ध शून्य उत्सर्जक होंने के लक्ष्य को वर्ष 2035 तथा भारी वाहनों के लिये वर्ष 2040 के दशक को लक्षित करना।
  - विकासशील देशों के लिये प्राथमिक सहायता सहित चार्जिंग बुनियादी ढाँचे के लिये निवेश जुटाना और निवेश को बढ़ावा देने तथा वैश्विक स्तर पर अपनाने में तेज़ी लाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय चार्जिंग मानकों में सामंजस्य स्थापित करना।
  - कोबाल्ट और लिथियम जैसी कीमती धातुओं पर निर्भरता को कम करने के लिये बैटरी निर्माण हेतु रसायन विज्ञान में वैकल्पिक बैटरी और सुपरचार्जिंग अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिये।
  - वैश्विक व्यापार को सक्षम बनाने के लिये मानकों के साथ-साथ कम कार्बन और नवीकरणीय हाइड्रोजन की मांग तथा तैनाती हेतु सरकारी नीतियाँ एवं निजी क्षेत्र की खरीद प्रतिबद्धताएँ तय हों।
  - कृषि प्रौद्योगिकियों और कृषि पद्धतियों में निवेश जो कि **पशुधन एवं उर्वरकों से उत्सर्जन में कटौती कर सकते हैं**, वैकल्पिक प्रोटीन की उपलब्धता का विस्तार कर सकते हैं और जलवायु अनुकूल फसलों के विकास में तेज़ीजी ला सकते हैं।

नोट :

पर्यावरण के लिये जीवनशैली (LiFE) आंदोलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने अग्नि तत्त्व की मूल अवधारणा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये **अग्नि तत्त्व- पर्यावरण के लिये जीवनशैली (LiFE) हेतु ऊर्जा अभियान** शुरू किया, **एक ऐसा तत्त्व जो ऊर्जा का पर्याय है तथा पंचमहाभूत** के पाँच तत्त्वों में से एक है।

- पंचमहाभूत में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष (आकाश) शामिल हैं।

अग्नि तत्त्व-पर्यावरण के लिये जीवनशैली (LiFE) ऊर्जा अभियान:

- यह विषय **विशेषज्ञों के सीखने और अनुभवों पर विचार-विमर्श करने व सभी के लिये एक स्थायी भविष्य हेतु समाधान तलाशने के लिये एक मंच** प्रदान करेगा।
- इसके अलावा इसमें **स्वास्थ्य, परिवहन, खपत और उत्पादन, सुरक्षा, पर्यावरण एवं आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई महत्त्वपूर्ण विषयों को** शामिल किया जाएगा।

पर्यावरण के लिये जीवनशैली (LiFE):

- विषय:
  - LiFE का विचार भारत द्वारा वर्ष 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) के दौरान पेश किया गया था।
    - यह **विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली को बढ़ावा देता है** जो 'विवेकहीन और व्यर्थ खपत' के बजाय 'सावधानी के साथ और सुविचारित उपयोग' पर केंद्रित है।
  - इस मिशन के शुभारंभ के साथ विवेकहीन और विनाशकारी खपत द्वारा शासित प्रचलित **"उपयोग और निपटान" अर्थव्यवस्था** को एक सर्कुलर इकॉनमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, **जिसे सचेत व सुविचारित खपत** द्वारा परिभाषित किया जाएगा।
- उद्देश्य:
  - यह जलवायु से संबंधित **सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने के लिये सामाजिक नेटवर्क की ताकत का लाभ उठाने का प्रयास करता है।**
  - मिशन की योजना व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने और उसका पोषण करने की है, जिसका नाम **'प्रो-प्लैनेट पीपल'** (P3) है।
    - P3 की **पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिये एक साझा प्रतिबद्धता होगी।**
    - P3 समुदाय के माध्यम से **यह मिशन एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास करता है जो पर्यावरण के अनुकूल व्यवहारों को आत्मकेंद्रित होने के लिये सुदृढ़ और सक्षम करेगा।**

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ :

- वनावरण में वृद्धि:
  - भारत का वन क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और इसलिये शेरों, बाघों, तेंदुओं, हाथियों एवं गैंडों की आबादी बढ़ रही है।
    - कुल वन क्षेत्र वर्ष 2021 में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, जबकि 2019 में 21.67% और 2017 में 21.54% था।
- स्थापित विद्युत क्षमता:
  - गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता के 40% तक पहुँचने की भारत की प्रतिबद्धता निर्धारित समय से 9 साल पहले हासिल कर ली गई है।
- इथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य:
  - पेट्रोल में **10% एथेनॉल सम्मिश्रण** का लक्ष्य नवंबर 2022 के लक्ष्य से 5 महीने पूर्व ही प्राप्त किया जा चुका है।
  - यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 2013-14 में सम्मिश्रण मुश्किल से 1.5% और 2019-20 में 5% था।
- अक्षय ऊर्जा लक्ष्य:
  - भारत सरकार भी अक्षय ऊर्जा पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है।
  - 30 नवंबर, 2021 को देश की स्थापित **अक्षय ऊर्जा (RE)** क्षमता 150.54 गीगावाट (सौर: 48.55 गीगावाट, पवन: 40.03 गीगावाट, लघु जलविद्युत: 4.83, जैव-शक्ति: 10.62, बड़ी हाइड्रो: 46.51 गीगावाट) है, जबकि इसकी परमाणु ऊर्जा आधारित स्थापित बिजली क्षमता 6.78 गीगावाट है।
    - भारत **विश्व की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता** से युक्त देश है।

अन्य संबंधित पहल:

- **राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम:** यह वनों के आसपास के अवक्रमित वनों के पुनर्स्थापना और वनरोपण पर केंद्रित है।
- **हरित भारत के लिये राष्ट्रीय मिशन:** यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan on Climate Change) के अंतर्गत है और इसका उद्देश्य जलवायु अनुकूलन एवं शमन रणनीति के रूप में वृक्षों के आवरण में सुधार तथा वृद्धि करना है।

नोट :

- राष्ट्रीय जैवविविधता कार्ययोजना: इसे प्राकृतिक आवासों के क्षरण, विखंडन और नुकसान की दरों में कमी के लिये नीतियों को लागू करने हेतु शुरू किया गया है।
- **ग्रामीण आजीविका योजनाएँ:** ग्रामीण आजीविका से आंतरिक रूप से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों की मान्यता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जैसी प्रमुख योजनाओं में भी परिलक्षित होती है।

वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्य मंच पर भारत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग, पेनसिल्वेनिया में **वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्य मंच-2022 में** भारत के प्रतिनिधि ने कहा है कि **"सतत् जैव ईंधन परिवहन क्षेत्र से ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"**

वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्य मंच:

- विषय:
  - अमेरिका ने पहली बार **वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्य मंच** की मेज़बानी की, जो 21 से 23 सितंबर, 2022 तक 13वें **स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (CEM 13)** और 7वें मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल (MI-7) का संयुक्त आयोजन है।
- मुख्य बिंदु:
  - CEM13/MI-7 का केंद्रीय बिंदु है: **तेज़ी से नवाचार और विस्तार।**
    - इसका अर्थ है स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों **के विस्तार के लिये सहयोग और साझा रणनीतियों के माध्यम से नवाचार की गति एवं पैमाने को तेज़ करना।**
- उद्देश्य:
  - वर्ष 2022 में **अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व और सहयोग** को एक संवादात्मक, प्रेरक एवं प्रभावशाली कार्यक्रम के माध्यम से परिभाषित करना जो वैश्विक नेताओं को उनके जलवायु प्रतिज्ञाओं को पूरा करने पर प्रकाश डालता है।
  - उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना जो कम लागत, **शून्य-उत्सर्जन ऊर्जा भविष्य** के साथ सभी के लिये अवसर प्रदान करते हैं, विशेष रूप से रोज़गार के बेहतर अवसर।
  - जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये और उद्देश्यपूर्ण नवाचार हेतु एक अभूतपूर्व गति और पैमाने पर **नवाचार एवं विस्तार** के क्षेत्र में निरंतर विकास का प्रदर्शन करना।
- इस मंच पर भारत की भूमिका:
  - स्वच्छ ऊर्जा में तेज़ी लाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में:
    - भारत ने आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करते हुए उन्नत सतत् जैव ईंधन पर काम कर रहे एक अंत:विषय टीम के साथ **5 जैव ऊर्जा केंद्र स्थापित** करने की सूचना दी है।
    - अप्रैल 2022 में, भारत ने नई दिल्ली में मिशन इनोवेशन एनुअल गैदरिंग की मेज़बानी की, **मिशन इंटीग्रेटेड बायोरिफाइनरी** को इंडिया और नीदरलैंड द्वारा लॉन्च किया गया था, इसका लक्ष्य कम कार्बन वाले भविष्य के लिये नवीकरणीय ईंधन, रसायनों तथा सामग्रियों के लिये नवाचार में तेज़ी लाने हेतु प्रमुख सदस्यों को एकजुट करना है।
  - स्वच्छ ऊर्जा प्रदर्शन पर भारत:
    - भारत, **स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (CEM)** के संस्थापक सदस्यों में से एक होने के नाते, वर्ष **2023 में G-20 की अध्यक्षता के साथ-साथ बंगलूरू में CEM-14** की मेज़बानी करेगा।
  - भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जिन्होंने दीर्घकालिक विज़न (2017-18 से 2037-38 तक 20 वर्ष की अवधि तक) के साथ कूलिंग एक्शन प्लान (CAPCAP) तैयार किया है, जो सभी क्षेत्रों में शीतलन आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
  - भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में 2030 में उत्सर्जन तीव्रता को 33-35% तक कम करने के महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
  - भारत दुनिया में सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा (RE) विस्तार कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें देश में समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्ष 2014 के 32 गीगावाट से 5 गुना बढ़कर वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट और वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट हो जाएगी।

मंत्रिस्तरीय स्वच्छ ऊर्जा और मिशन नवाचार:

- मंत्रिस्तरीय स्वच्छ ऊर्जा :
  - स्थापना:
    - इसे दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में पार्टियों के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन में स्थापित किया गया था।
  - उद्देश्य:
    - यह नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिये एक **उच्च स्तरीय वैश्विक मंच** है जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा

नोट :

प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में संक्रमण को प्रोत्साहित करना है।

- केंद्र बिंदु:
  - CEM तीन वैश्विक **जलवायु और ऊर्जा नीति लक्ष्यों पर केंद्रित है:**
  - वैश्विक स्तर पर ऊर्जा दक्षता में सुधार।
  - स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि।
  - स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच का विस्तार।
- सदस्य संख्या:
  - 29 देश CEM का हिस्सा हैं।
  - भारत भी इसका एक सदस्य देश है।

- मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल:
  - विषय:
    - मिशन इनोवेशन (MI) **एक वैश्विक पहल है जो स्वच्छ ऊर्जा को सभी के लिये सस्ती, आकर्षक और सुलभ बनाने हेतु अनुसंधान, विकास एवं प्रदर्शन में एक दशक की कार्रवाई तथा निवेश को उत्प्रेरित करती है।** यह पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में विकास को गति देगा और शून्य तक चने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
  - लक्ष्य:
    - शून्य-उत्सर्जन नौवहन
    - हरित ऊर्जा भविष्य
    - स्वच्छ हाइड्रोजन
    - कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना
    - शहरी संक्रमण
    - नेट ज़ीरो इंडस्ट्रीज
    - एकीकृत बायोरिफाइनरी

जैव ईंधन:

- परिचय:
  - कोई भी **हाइड्रोकार्बन ईंधन जो किसी कार्बनिक पदार्थ** (जैविक सामग्री) से कम समय (दिन, सप्ताह या महीनों) में उत्पन्न होता है, उसे जैव ईंधन माना जाता है।
  - जैव ईंधन प्रकृति में **ठोस, तरल या गैसीय** हो सकता है।
    - **ठोस:** लकड़ी, सूखे पौधे की सामग्री और खाद
    - **तरल:** बायोइथेनॉल और बायोडीज़ल
    - **गैसीय:** बायोगैस
  - इन्हें **परिवहन, स्थिर, पोर्टेबल और अन्य अनुप्रयोगों के लिये डीज़ल, पेट्रोल या अन्य जीवाश्म ईंधन** के स्थान पर अथवा उनके साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।
    - इसके अलावा, इनका उपयोग **ऊष्मा और विद्युत उत्पादन** के लिये किया जा सकता है।
  - जैव ईंधन उपयोग बढ़ने मुख्य कारण **कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, जीवाश्म ईंधन से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन और किसानों के लाभ के लिये कृषि फसलों से ईंधन प्राप्त** करने में रुचि हैं।

- जैव ईंधन को बढ़ावा देने हेतु सरकार की पहलें:
  - प्रधानमंत्री जी-वन योजना, 2019
  - इथेनॉल सम्मिश्रण
  - गोबर-धन (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan - GOBAR-DHAN) योजना
  - रिपर्पज़ यूज़्ड कुकिंग ऑयल (Repurpose Used Cooking Oil)
  - जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018

- 5 जैव ऊर्जा केंद्रों के तहत पहलें:
  - **"जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology-DBT), पैन आईआईटी सेंटर फॉर बायोएनर्जी (Pan IIT Center for Bioenergy)"** ने थर्मोस्टेबल और ग्लूकोज़ टॉलरेंट β-**ग्लूकोसिडेज़** विकसित किया है।
  - **DBT - आईसीजीईबी बायोएनर्जी सेंटर (ICGEB Bioenergy Centre)** ने 2जी इथेनॉल उत्पादन के लिये बड़े पैमाने पर **सेल्युलेस एंजाइम प्रौद्योगिकी विकसित** की है।
  - **DBT -इंडियन ऑयल कोऑपरेशन लिमिटेड बायोएनर्जी सेंटर (Indian Oil Cooperation Limited Bio-energy Centre) फरीदाबाद** ने निर्माणाधीन एक संयंत्र (प्रतिदिन 10 टन बायोमास) में विकसित **ग्लाइकेन हाइड्रॉलिस** का उपयोग करके बायोमास को इथेनॉल में बदलने की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया है।
  - **DBT-आईसीटी सेंटर फॉर एनर्जी बायोसाइंसेज़ (ICT Centre for Energy Biosciences)** का उद्देश्य कचरे के मूल्यवर्द्धन के लिये व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों के निर्माण हेतु जैविक और रासायनिक परिवर्तन करना है।
  - **DBT-टीईआरआई बायोएनर्जी रिसर्च सेंटर (TERI Bioenergy Research Center)** अगली पीढ़ी के फ़ीड के रूप में शैवाल बायोमास का उपयोग करके **उन्नत जैव ईंधन, बायोडीजल, बायोहाइड्रोजन, पाइरोलाइटिक बायोइल** के उत्पादन के लिये स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास को लेकर सक्रिय रूप से खोज कर रहा है।

नोट :

जलदूत एप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय **ने भूजल स्तर का बेहतर तरीके से आकलन करने के लिये "जलदूत एप और जलदूत एप ई-ब्रोशर" लॉन्च किया है।**

जलदूत एप:

- परिचय:
  - जलदूत एप को ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
  - इस एप का उपयोग पूरे देश मे प्रत्येक गाँव में **चयनित 2-3 कुओं के जल स्तर का आकलन करने के लिये किया जाएगा।**
  - यह एप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करेगा। **इसलिये इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भी जल स्तर का आकलन किया जा सकता है तथा आकलन किये गए डेटा को मोबाइल में संग्रहीत किया जाएगा** एवं क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध होने पर डेटा केंद्रीय सर्वर के साथ सिंक्रनाइज़ हो जाएगा।
  - जलदूत एप द्वारा प्राप्त नियमित डेटा को **राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (NWIC)** के डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिसका उपयोग हितधारकों के लाभ के लिये विभिन्न उपयोगी रिपोर्टों के विश्लेषण एवं प्रदर्शन हेतु किया जा सकता है।
- महत्त्व:
  - यह एप देश भर में जल स्तर की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा और परिणामी डेटा का उपयोग ग्राम पंचायत विकास योजना तथा महात्मा गांधी नरेगा योजनाओं के लिये किया जा सकता है।
  - एप को देश भर के गाँवों में चयनित कुओं के जल स्तर का आकलन करने के लिये लॉन्च किया गया है।
  - जलदूत एप **ग्राम रोज़गार सहायक** को वर्ष में दो बार प्री-मानसून और पोस्ट-मानसून के बाद कुएँ के जल स्तर को मापने की अनुमति देगा।
  - यह एप पंचायतों के लिये महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनां **आसान बनाएगा जिसे बाद में कार्यों की योजना के लिये बेहतर उपयोग किया जा सकता है।**

भारत में भूजल की कमी की स्थिति:

- भूजल की कमी:
  - केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के अनुसार, भारत में कृषि भूमि की सिंचाई के लिये प्रत्येक **वर्ष 230 बिलियन मीटर क्यूबिक भूजल निकाला जाता है, देश के कई हिस्सों में भूजल का तेज़ी से क्षरण हो रहा है।**
  - भारत में कुल अनुमानित भूजल की कमी **122-199 बिलियन-मीटर क्यूब है।**
  - निकाले गए भूजल का 89% सिंचाई क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, **जिससे यह क्षेत्र देश में उच्चतम श्रेणी का उपयोगकर्त्ता बन जाता है।**
    - इसके बाद घरेलू आवश्यकता हेतु भूजल का उपयोग किया जाता है जो निकाले गए भूजल का 9% है। भूजल का औद्योगिक उपयोग 2% है। शहरी जल आवश्यकताओं का 50% और ग्रामीण घरेलू जल आवश्यकताओं का 85% भी भूजल द्वारा पूरा किया जाता है।
- कारण:
  - हरित क्रांति:
  - हरित क्रांति ने **सूखाग्रस्त / पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल-गहन फसलों को उगाने में सक्षम बनाया,** जिससे भूजल की अधिक निकासी हुई।
  - इसकी पुन:पूर्ति की प्रतीक्षा किये बिना ज़मीन से पानी की बार-बार निकासी करने से इसमें त्वरित कमी होती है।
  - इसके अलावा बिजली पर सब्सिडी और पानी की अधिकता वाली फसलों के लिये उच्च MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) प्रदान करना।
  - उद्योगों की आवश्यकता:
    - लैंडफिल, सेप्टिक टैंक, रिसने वाले भूमिगत गैस टैंक और उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अति प्रयोग से जल प्रदूषण होता है तथा **भूजल संसाधनों की क्षति होने के साथ इसमे कमी होती है।**
  - अपर्याप्त विनियमन:
    - भूजल का अपर्याप्त विनियमन भूजल संसाधनों की समाप्ति को प्रोत्साहित करता है।
  - संघीय समस्या:
    - जल **राज्य का विषय** है, जल संरक्षण और जल संचयन सहित जल प्रबंधन पर पहल एवं देश में नागरिकों को पर्याप्त पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना मुख्य रूप से **राज्यों की ज़िम्मेदारी है।**

नोट :

संबंधित पहलें:

- अटल भू-जल योजना
- जल शक्ति अभियान
- जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन
- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT)
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- तेलंगाना का मिशन काकतीय

आगे की राह

- **भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण:** यह मिट्टी के माध्यम से रिसाव को बढ़ाने और जलभृत में प्रवेश करने या कुओं द्वारा सीधे जलभृत में पानी भरने की प्रक्रिया है।
- **भूजल प्रबंधन संयंत्र:** स्थानीय स्तर पर भूजल प्रबंधन संयंत्र स्थापित करने से लोगों को अपने क्षेत्र में भूजल की उपलब्धता जानने में मदद मिलेगी, जिससे वे इसका बुद्धिमानी से उपयोग कर सकेंगे।

दिबांग जल विद्युत परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की पूर्व शर्त को पूरा किये बिना 3000 मेगावाट की दिबांग जल-विद्युत परियोजना के लिये वन मंज़ूरी देने पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को खारिज कर दिया है।

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ऐसा निर्णय अरुणाचल प्रदेश की इस सूचना के आधार पर लिया जिसमें कहा गया था कि स्थानीय लोग राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा के लिये अपनी ज़मीन को बाँटने के इच्छुक नहीं हैं।

प्रमुख बिंदु

- यह बाढ़ नियंत्रण सह **जल-विद्युत परियोजना** है जिसे अरुणाचल प्रदेश में **ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक** नदी दिबांग नदी पर विकसित करने की योजना है।
- यह बाँध **आशु पानी और दिबांग नदियों** के संगम से लगभग 1.5 किमी ऊपर तथा रोइंग, जिला मुख्यालय से लगभग 43 किमी दूर स्थित है।
- इस परियोजना से मानसून अवधि के दौरान दिबांग बाँध के नीचे के क्षेत्रों में 3000 क्यूमेक्स की सीमा तक बाढ़ में कमी आएगी।
- इस परियोजना को लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से विकसित किया जाएगा।
- दिबांग जल-विद्युत परियोजना से प्रतिवर्ष 11,222 मिलियन यूनिट (MU) बिजली उत्पन्न होने की संभावना है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT):

- यह पर्यावरण संरक्षण और वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र निपटान हेतु **'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम' (2010)** के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है।
- 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' की स्थापना के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया और साथ ही वह ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश भी है।
- 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' को आवेदनों या अपीलों के दाखिल होने के **6 महीने के भीतर अंतिम रूप** से उनका निपटान करना अनिवार्य है।
- NGT का मुख्यालय **दिल्ली** में है, **जबकि अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं।**

नोट :

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री** ने 62वें **ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (Automotive Component Manufacturers Association-ACMA)** के वार्षिक सत्र को संबोधित किया।

- सत्र का विषय **'फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी- ट्रांस्फोर्मिंग टू बी अहेड ऑफ ऑपरच्युनिटी' (Future of Mobility - Transforming to be Ahead of Opportunity)** था।
- **ACMA, भारतीय ऑटो कंपोनेंट उद्योग** के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था है। 850 से अधिक निर्माताओं की इसकी सदस्यता संगठित क्षेत्र में **ऑटो कंपोनेंट उद्योग के कारोबार में 85% से अधिक का योगदान** करती है।

सत्र की मुख्य विशेषताएँ:

- **इस सत्र में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिये 5-सूत्री कार्य एजेंडा प्रस्तुत किया गया:**
  - विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिये **गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित** करना।
  - समग्र रूप से विचार करने और खुलेपन एवं प्रतिस्पर्द्धा की भावना से दूसरों के साथ जुड़ने के लिये एक **व्यापक दृष्टिकोण** रखना।
  - **मूल्यवर्द्धन** पर बल देना।
  - अप्रतिस्पर्द्धी बाज़ार से बाहर निकलना और उन क्षेत्रों में बाज़ार के नए अवसरों का पता लगाना जहाँ **स्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा** हो।
  - उद्योग के लिये **बड़े लक्ष्य और महत्त्वाकांक्षाएँ** निर्धारित करना।
- इसके अलावा सरकार इस बात पर बल देती है कि **ऑटोमोटिव कंपोनेंट उद्योग का भविष्य अधिक कनेक्टेड होने, सुविधा पर ध्यान केंद्रित करने, स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता** की ओर उन्मुख होने तथा अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने पर आधारित है।

भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग की स्थिति:

- परिचय:
  - ऑटोमोबाइल उद्योग में **यात्री वाहन, वाणिज्यिक वाहन, तिपहिया, दोपहिया और क्वाड्रिसाइकिल सहित सभी ऑटोमोबाइल** वाहन शामिल हैं।
  - भारत का मोटर वाहन बाज़ार **वर्ष 2021 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था जिसके पूर्वानुमान अवधि (2022-2027) पर1% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज** करते हुए वर्ष 2027 में 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
  - 4 मिलियन से अधिक मोटर वाहनों के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ भारत दुनिया में ऑटोमोबाइल का **चौथा सबसे बड़ा उत्पादक** है।
    - भारत **विश्व का सबसे बड़ा ट्रैक्टर निर्माता**, दूसरा सबसे बड़ा बस निर्माता और तीसरा सबसे बड़ा भारी ट्रक निर्माता है।
  - वर्ष 2025 तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाज़ार 50,000 करोड़ (7.09 अमेरिकी डॉलर) तक पहुँचने की उम्मीद है।
  - सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हिस्सेदारी: 7.1%
  - भारत के निर्यात में हिस्सेदारी: 4.7%
- पहल:
  - **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:**
    - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन **(PLI) योजना** की घोषणा की।
    - **ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिये** पीएलआई योजना (3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत) उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्यं श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने हेतु 18% तक के वित्तीय प्रोत्साहन प्रस्तावित करती है।
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई):
    - स्वचालित मार्ग के तहत पूर्ण लाइसेंसिंग के साथ 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है। इसलिये निवेशकों के लिये भारत में अपना विनिर्माण संयंत्र/दुकान स्थापित करना आसान हो गया है।
    - **ऑटोमोटिव मिशन योजना 2016-26 (एएमपी 2026):**
  - ऑटोमोटिव मिशन योजना 2016-26 (एएमपी 2026) भारत में ऑटोमोटिव इकोसिस्टम के विकास की दिशा को रेखांकित करती है, जिसमें अनुसंधान, डिज़ाइन, प्रौद्योगिकी, परीक्षण, निर्माण, आयात/निर्यात, बिक्री को नियंत्रित करने के साथ ही ऑटोमोटिव वाहनों, घटकों और सेवाओं का उपयोग, मरम्मत और पुनर्चक्रण शामिल है।

नोट :

- नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 (NEMMP):
  - एनईएमएमपी पहल **भरोसेमंद, किफायती और सक्षम एक्सईवी (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन) को प्रोत्साहित करने** के लिये की गई है जो सरकार-उद्योग दोनों के सहयोग से उपभोक्ताओं के प्रदर्शन और कीमत संबंधी अपेक्षाओं को पूरा कर सके।

ऑटोमोबाइल उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ:

- **शेयर्ड कार:** गत 3-4 वर्षों में भारत में **ओला, उबर जैसे शेयर एप में काफी तेज़ी से वृद्धि हुई है**।
  - ये एप भारी ट्रैफ़िक में ड्राइविंग जैसी परेशानी के बिना यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाते हैं तथा वाहन के रखरखाव की लागत से बचाते हैं, वह भी सभी सस्ती दरों पर। इसने निश्चित रूप से स्वामित्व की अवधारणा को चुनौती दी है और इस प्रकार वाहनों की बिक्री को प्रभावित किया है।
- **टाइट क्रेडिट अवेलेबिलिटी:** देश में 80-85% वाहनों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों या NBFC द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
  - कार खरीदने वाले लोगों को ऋण देने में बैंक अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं।
- **इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर संक्रमण:** सरकार क्रमश: 2023 और 2025 तक आंतरिक दहन संचालित दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है।
  - यह परिवर्तन अचानक तब आया है, **जब ऑटोमोबाइल क्षेत्र की स्थिति पहले से ही विकट** है क्योंकि वाहनों की बिक्री दो दशक के निचले स्तर पर आ गई है और **रोज़गार में कमी के साथ बाज़ार की स्थिति** भी खराब हो गई है।
- **कमर्शियल वाहनों की मांग में कमी:** नए मॉडल के ट्रकों की माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि हुई है। इससे नए ट्रकों की मांग में गिरावट आई है क्योंकि उपभोक्ता अपने ट्रकों में माल ढुलाई कर सकते हैं।

भारत में सामाजिक उद्यमिता

चर्चा में क्यों ?

व्यवसायों और सरकारों के लिये वैश्विक सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में निर्णय लेने हेतु सामाजिक उद्यमिता तेज़ी से महत्त्वपूर्ण होती जा रही है।

सामाजिक उद्यमी:

- परिचय:
  - यह **वाणिज्यिक उद्यम** के विचार को **धर्मार्थ** (Charitable) **गैर-लाभकारी संगठन के सिद्धांतों** के साथ मिश्रित करने वाली अवधारणा है।
  - इसमें **सामाजिक असमानताओं को दूर करने हेतु** कम लागत वाले उत्पादों एवं सेवाओं से जुड़े **व्यावसायिक मॉडल के विकास** पर ज़ोर दिया जाता है।
  - यह अवधारणा आर्थिक पहल को सफल बनाने में मदद करती है और इसके तहत किये जाने वाले सभी निवेश सामाजिक एवं पर्यावरणीय मिशन पर केंद्रित होते हैं।
  - सामाजिक उद्यमियों को **सामाजिक नवप्रवर्तनकर्त्ता** (Social Innovators) भी कहा जाता है। वे परिवर्तनकारी एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और अपने अभिनव विचारों का उपयोग करके महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं।
  - वे समस्याओं की पहचान करते हैं और अपनी योजना के माध्यम से उनका समाधान करते हैं।
  - सामाजिक उत्तरदायित्व (Social Responsibility) और ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) निवेश के साथ-साथ सामाजिक उद्यमिता की अवधारणा भी तेज़ी से विकसित हो रही है।
  - सामाजिक उद्यमिता के उदाहरणों में- गरीब बच्चों के लिये शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करना, पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना और महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की मदद करना शामिल है।

सामाजिक उद्यमियों का महत्त्व:

- **सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देना:** सामाजिक उद्यमी मुख्य रूप से सामाजिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिये सामाजिक व्यवस्था के निर्माण हेतु उपलब्ध संसाधनों को जुटाकर नवाचार की पहल करते हैं।
- **सामाजिक क्षेत्र में बदलाव के एजेंट:** सामाजिक उद्यमी समाज में परिवर्तनकर्त्ताओं के रूप में कार्य करते हैं और इस रूप में मानव जाति के विकास में योगदान के लिये दूसरों को भी प्रेरित करते हैं।
  - वे न केवल समाज में एक मज़बूत उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में बदलाव के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं।
- **परिवर्तन लाना:** वे सामाजिक मूल्यों के सृजन और उसे बनाए रखने के लिये एक मिशन को अंगीकार करते हैं। वे नए अवसरों की पहचान करते हैं और उनका सख्ती से पालन करते हैं। वे लगातार नवाचार, अनुकूलन और लर्निंग की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं।

नोट :

- **जवाबदेही में बढ़ोतरी:** वे उपलब्ध संसाधनों तक सीमित रहे बिना साहसपूर्वक कार्य करते हैं और लक्षित समूहों के प्रति उच्च जवाबदेही का प्रदर्शन करते हैं।
- **लोगों के जीवन में सुधार:** लोग नोबेल शांति पुरस्कार विजेता **मुहम्मद यूनुस** जैसे सामाजिक उद्यमियों की ओर आकर्षित होते हैं, वहीं कई कारणों से वे स्टीव जॉब्स जैसे व्यावसायिक उद्यमियों का अनुसरण करते है, ये असाधारण लोग शानदार विचारों के साथ आते हैं और सभी बाधाओं के खिलाफ नए उत्पादों को बनाने तथा सेवाओं को प्रदान करने में सफल होते हैं जिससे लोगों के जीवन में नाटकीय रूप से सुधार होता है।
- **समावेशी समाज को प्राप्त करने में सहायता:** वे ज़मीनी स्तर पर समावेशी सुधार और समुदायों के पुनर्निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

सामाजिक उद्यमियों का भारत के विकास में योगदान:

- **कोई अन्य गैर-लाभ नहीं:**
  - भारत के विकास क्षेत्र में तेज़ी से परिवर्तन आया है, जिसमें लाभकारी सामाजिक उद्यमों की स्थापना शामिल है जो अब "गैर-लाभकारी" या "कम-लाभ" वाले उद्यमों तक सीमित नहीं हैं।
    - ये लाभकारी सामाजिक उद्यम दान या अनुदान के बिना अपने संचालन के लिये पर्याप्त धन अर्जित कर सकते हैं।
- **सामाजिक प्रभाव निवेश:**
  - भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण विकासात्मक मांगों को पूरा करने में सक्षम होने के लिये देश के **सामाजिक उद्यमियों को पोषित, प्रोत्साहित और सम्मानित किया जा रहा है।**
  - **प्रभाव निवेशक परिषद (Impact Investors Council-IIC)** के अनुसार, भारत में लगभग 600 उद्यम अब 500 मिलियन लोगों को लाभान्वित करते हैं, जो 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की पूंजी को आकर्षित करते हैं।
    - **प्रभाव निवेशक परिषद (IIC) भारत में प्रभावी निवेशकों का प्रमुख राष्ट्रीय उद्योग संघ है।**
    - इसका मिशन प्रभावशाली निवेश परिसंपत्ति वर्ग विकसित करते हुए देश में सामाजिक निवेश अंतर को समाप्त करने के लिये निजी पूंजी को प्रोत्साहित करना है।
- **सामाजिक नवाचार आंदोलन को मज़बूत करना:**
  - आज के सामाजिक उद्यमी भारत के विकास में योगदान देने वाले मौलिक नवप्रवर्तक और गतिशील समस्या-समाधानकर्त्ता बन गए हैं।
  - ये उद्यम अद्वितीय समस्याओं को नवोन्मेषी रूप से हल करने के लिये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के रणनीतिक सहयोग की तलाश में हैं।
  - **प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग तथा सरकार द्वारा तेज़ी से डिजिटलीकरण की पहल ने उनके नवाचार को और आसान बना दिया है।**
- **सरकार का समर्थन:**
  - सोशल स्टॉक एक्सचेंज की घोषणा और आसन्न लॉन्च के साथ-साथ स्टार्टअप्स के लिये सरकारी समर्थन ने भारत में सामाजिक उद्यमिता हेतु अधिक सकारात्मक माहौल का मार्ग प्रशस्त किया है।
  - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिये रूपरेखा जारी की है, जिससे सामाजिक उद्यमियों हेतु अधिक धन जुटाना और अपने प्रभाव का विस्तार करना एवं तेज़ी से पहुँचना संभव हो गया है।
- **स्थिरता और बहुआयामी दृष्टिकोण:**
  - व्यवसाय और सरकार दोनों ही स्थिरता के महत्त्व के बारे में तेज़ी से जागरूक हो रहे हैं।
  - सामाजिक उद्यमी और उनके व्यवसाय मॉडल हमेशा स्थिरता ढाँचे पर कार्य करते रहे हैं।
  - **सरकार और कॉरपोरेट फर्म** न केवल अपने व्यवसाय मॉडल से प्रेरणा लेने और उनसे सीखने वाले कार्यों को शामिल करने के लिये तैयार हैं, बल्कि इन उद्यमों को आगे बढ़ने में सहायता करने हेतु भी तैयार हैं।
  - इसके अतिरिक्त समाज में प्रचलित सामाजिक-आर्थिक अंतराल को कम करने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
    - उदाहरण के लिये वित्तीय संसाधनों की कमी के अलावा गरीबी के सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक आयाम भी हैं, जो भेदभाव, बहिष्कार, असुरक्षा, भेद्यता, शक्तिहीनता एवं अस्वीकृति के रूप में प्रकट होते हैं।
    - सामाजिक उद्यमी मॉडल प्रत्येक समस्या के लिये अनुकूलन प्रदान करते हैं, इसलिये किसी मुद्दे के सभी आयामों को संबोधित कर सकते हैं।

आगे की राह

- **अमृत काल (25 वर्ष की अवधि वर्ष 2047 तक)** में उद्देश्य, दृष्टि, मूल्य और लोकाचार से प्रेरित सामाजिक कार्यों के इन उत्साही लोगों पर एक बड़ा सामाजिक आर्थिक प्रभाव पैदा करने के लिये अधिक ज़िम्मेदारी लेने तथा अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिये भरोसा किया जा सकता है।
  - एक दशक से अधिक समय से **श्वाब (Schwab) फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप,** विश्व आर्थिक मंच

नोट :

(World Economic Forum-WEF) की एक सहयोगी संस्था और जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन ने अपने वार्षिक **सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर (Social Entrepreneur of the Year-SEOY) इंडिया अवार्ड** के माध्यम से भारत में सामाजिक उद्यमिता का पोषण किया है। SEOY अवार्ड इंडिया-2022 इस पुरस्कार का 13वाँ संस्करण है।

- इस वर्ष के पुरस्कार के उच्च प्रभाव वाले विजेता उपरोक्त संकेतों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करते हैं और हमें आश्वस्त करते हैं कि **अगले 25 वर्षों में जब भारत अपनी स्वतंत्रताा की 100वीं वर्षगाँठ** मनाएगा तब सामाजिक उद्यम देश में बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होंगे।

- सामाजिक उद्यमियों के लिये कार्यक्रमों को शुरू करना, महामारी से प्रेरित अंतरालों को कम करना, मौज़ूदा पहलों को बढ़ाना और मुख्यधारा की प्रतिक्रिया प्रणाली का हिस्सा बनना वर्तमान समय की आवश्यकता है।

ग्रीन फिन्स हब

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने यूके स्थित चैरिटी रीफ-वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया।

- ग्रीन फिन्स हब दुनिया भर में **डाइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेटरों के लिये वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।**

ग्रीन फिन्स

- परिचय:
  - **ग्रीन फिन्स द रीफ-वर्ल्ड फाउंडेशन और UNEP द्वारा** अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित संरक्षण प्रबंधन दृष्टिकोण है जो समुद्री पर्यटन से जुड़े **नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों में औसत दर्जे की कमी को प्रदर्शित करता है।**
  - मूल रूप से वर्ष 2004 में थाईलैंड में स्थापित **ग्रीन फिन्स दृष्टिकोण डाइविंग और स्नॉर्कलिंग पर्यटन उद्योग में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने तथा कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिये एक उपकरण है।**
- लक्ष्य:
  - इसका उद्देश्य स्थायी डाइविंग और स्नॉर्कलिंग को बढ़ावा देने वाले पर्यावरण के अनुकूल दिशा-निर्देशों के माध्यम से प्रवाल भित्तियों की रक्षा करना है।
  - यह समुद्री पर्यटन के लिये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पर्यावरण मानक प्रदान करता है और इसकी मज़बूत मूल्यांकन प्रणाली अनुपालन को मापती है।

ग्रीन फिन्स हब

- परिचय:
  - ग्रीन फिन्स हब अब तक का पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच है।
  - **यह स्थायी समुद्री पर्यटन को 'बढ़ावा' देगा।**
  - इसके 14 देशों के लगभग 700 ऑपरेटरों से दुनिया भर में संभावित 30,000 ऑपरेटरों तक पहुँचने की उम्मीद है।
- महत्त्व:
  - इसका उद्देश्य ग्रीन फिन्स सदस्यता के माध्यम से समुद्री पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता की दिशा में भूकंपीय बदलाव को उत्प्रेरित करना है।
  - प्रवाल भित्तियाँ कम-से-कम 25% समुद्री जीवन का घर हैं, समुद्री-संबंधित पर्यटन के लिये मक्का है, कुछ द्वीप राष्ट्रों में सकल घरेलू उत्पाद में 40% या उससे अधिक का योगदान करते हैं। हालाँकि वे सबसे कमज़ोर पारिस्थितिकी तंत्र हैं, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के लिये 1.5 या 20oC के वैश्विक तापमान वृद्धि के बीच प्रवाल भित्ति अस्तित्व में है।
  - ग्रीन फिन्स हब के माध्यम से सर्वोत्तम अभ्यास, ज्ञान और नागरिक विज्ञान की बढ़ती पहुँच प्रवाल भित्तियों तथा अन्य नाजुक समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के भविष्य को सुनिश्चित करने में एक गेम चेंजर हो सकती है।
  - प्लेटफॉर्म दुनिया भर में डाइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेटरों द्वारा परीक्षण किये गए समाधानों का उपयोग करके अपनी दैनिक प्रथाओं में सरल, लागत प्रभावी परिवर्तन करने में मदद करेगा।
  - यह उन्हें अपने वार्षिक सुधारों पर नज़र रखने और अपने समुदायों तथा ग्राहकों के साथ संवाद करने में भी मदद करेगा।

सतत् तटीय और समुद्री पर्यटन:

- सतत् पर्यटन का तात्पर्य पर्यटन उद्योग की सतत् कार्यप्रणाली से है। यह **मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर हरित पर्यटन क्षेत्र के मुद्दों** को संबोधित करता है।
  - संयुक्त राज्य के अनुसार,**सतत् पर्यटन में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिये:**
    - **पर्यावरणीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग** करें जो पर्यटन विकास में एक प्रमुख तत्त्व का गठन करते हैं, आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हैं और प्राकृतिक विरासत एवं जैवविविधता के संरक्षण में मदद करते हैं।

नोट :

- **मेज़बान समुदायों की सामाजिक-सांस्कृतिक प्रामाणिकता** का सम्मान करें, उनकी निर्मित और जीवित सांस्कृतिक विरासत तथा पारंपरिक मूल्यों का संरक्षण करें एवं अंतर-सांस्कृतिक समझ व सहिष्णुता में योगदान करें।
- **व्यवहार्य, दीर्घकालिक आर्थिक संचालन सुनिश्चित करना, सभी हितधारकों को सामाजिक-आर्थिक लाभ** प्रदान करना जो उचित रूप से वितरित हो, जिसमें स्थिर रोज़गार और आय-अर्जन के अवसर तथा समुदायों की मेज़बानी के लिये सामाजिक सेवाएँ व गरीबी उन्मूलन में योगदान करना शामिल है।

- **तटीय और समुद्री पर्यटन (सीएमटी)** कुल वैश्विक पर्यटन का कम-से-कम **50% हिस्से का** प्रतिनिधित्व करता है। यह **अधिकांश छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) और कई तटीय राज्यों के लिये सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र** है।
  - **5 फ़ीसदी** की अनुमानित वैश्विक विकास दर से **तटीय और समुद्री पर्यटन के वर्ष 2036 तक 26 फीसदी के साथ समुद्री अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मूल्यवर्द्धित खंड बनने की उम्मीद है।**

तटीय और समुद्री पर्यटन से जुड़ी चुनौतियाँ:

- **प्राकृतिक संपत्तियों का निरंतर ह्रास और अपकर्षण** इस पर भरोसा करने वाले स्थानीय समुदायों के साथ-साथ उद्योग की स्थिरता एवं व्यवहार्यता को जोखिम में डाल रहा है।
- **कोविड -19 महामारी ने पर्यटन उद्योग को बुरी तरह प्रभावित** किया। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल ने लगभग 75 मिलियन नौकरियों के नुकसान तथा वैश्विक स्तर पर $ 2 ट्रिलियन से अधिक की पर्यटन-प्रेरित जीडीपी में कमी का अनुमान लगाया है।
- तापमान में वृद्धि, अधिक लगातार पर्यावरणीय घटनाओं, जल की कमी और समुद्र के स्तर में वृद्धि (SLR) के माध्यम से जलवायु परिवर्तन उच्च मानवजनित भेद्यता वाले तटीय क्षेत्रों को दृढ़ता से प्रभावित करेगा।

तटीय और समुद्री पर्यटन की दिशा में अन्य पहल

- वैश्विक पहल:
  - **ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म काउंसिल (GSTC)** और वर्ल्ड वाइल्ड फंड (WWF) प्रकृति-सकारात्मक पर्यटन बनाने के लिये होटल, क्रूज़ जहाज़ो, टूर ऑपरेटरों और उद्योग के साथ साझेदारी कर रहे है जहाँ सभी आपूर्ति श्रृंखला अभिकर्त्ताओं, प्रकृति और व्यवसायों के लिये मूल्य बनाने के लिये एकजुट होते हैं।
  - सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी फाइनेंस इनिशिएटिव संयुक्त राष्ट्र द्वारा विनियमित वैश्विक समुदाय है, जो कि सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी फाइनेंस प्रिंसिपल्स के कार्यान्वयन का समर्थन करते हुए, निजी वित्त और महासागर स्वास्थ्य के बीच प्रतिच्छेदन पर केंद्रित सहयोग करता है।
    - सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी फाइनेंस प्रिंसिपल्स महासागर अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिये मूलभूत आधारशिला हैं। इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया जो बैंकों, बीमाकर्त्ताओं और निवेशकों से मिलकर सतत् ब्लू इकोनॉमी को वित्तपोषित करने हेतु दुनिया का पहला वैश्विक मार्गदर्शक ढाँचा है। वे **SDG 14 (जल के नीचे जीवन) के कार्यान्वयन** को बढ़ावा देते हैं, और महासागर-विशिष्ट मानकों को निर्धारित करते हैं।
  - ओशन रिकवरी एलायंस एलेन मैकआर्थर फाउंडेशन के सहयोग से UNEP और विश्व पर्यटन संगठन के नेतृत्व में **ग्लोबल टूरिज़्म प्लास्टिक इनिशिएटिव का हस्ताक्षरकर्त्ता बन गया है।**
    - ग्लोबल टूरिज़्म प्लास्टिक इनिशिएटिव का उद्देश्य पर्यटन कार्यों में प्लास्टिक की चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर एक बदलाव को बढ़ावा देकर प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है, जहाँ प्लास्टिक कभी भी बेकार नहीं जाता है, बल्कि सभी पर्यटन गतिविधियों से प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म करना है।
- भारतीय पहलें:
  - डीप ओशन मिशन
  - ब्लू इकोनॉमी पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स
  - ओ-स्मार्ट
  - एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM)

चर्चा में क्यों ?

वस्त्र मंत्रालय ने हाल ही में फ्लैगशिप कार्यक्रम 'नेशनल टेक्निकल

नोट :

टेक्सटाइल्स मिशन' (NTTM) के अंतर्गत स्पेशियलिटी फाइबर्स, कम्पोज़िट्स, सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स, मोबिलटेक, स्पोर्टेक और जियोटेक क्षेत्रों में 60 करोड़ रुपए की 23 रणनीतिक परियोजनाओं को मंज़ूरी दी।

तकनीकी वस्त्र:

- तकनीकी वस्त्रो के निर्माण का मुख्य उद्देश्य कार्यात्मक (Functionality) होता है। तकनीकी वस्त्रों का उपयोग कृषि, वैज्ञानिक शोध, चिकित्सा, सैन्य क्षेत्र, व्यक्तिगत सुरक्षा, उद्योग तथा खेलकूद के क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर होता है।
  - तकनीकी वस्त्र उत्पाद किसी देश में विकास और औद्योगीकरण से अपनी मांग प्राप्त करते हैं।
- उपयोग के आधार पर 12 तकनीकी वस्त्र क्षेत्र हैं: एग्रोटेक, मेडिटेक, बिल्डटेक, मोबिलटेक, क्लॉथटेक, ओकोटेक, जियोटेक, पैकटेक, होमटेक, प्रोटेक, इंडुटेक और स्पोर्टेक।
  - **उदाहरण के लिये** 'मोबिलटेक' वाहनों के उत्पादों को संदर्भित करता है जैसे सीट बेल्ट और एयरबैग, हवाई जहाज़ की सीट; जियोटेक जो संयोग से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला उप-क्षेत्र है, इसका उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता वापस लाने/बनाए रखने के लिये किया जाता है।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM):

- परिचय:
  - इसे वर्ष 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा 1480 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।
  - कार्यान्वयन की अवधि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 तक चार वर्ष है।
- उद्देश्य:
  - मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक घरेलू बाज़ार का आकार 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुँचा कर तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक लीडर के रूप में भारत को स्थापित करना है।
  - यह संबंधित मशीनरी और उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने वाली **'मेक इन इंडिया'** पहल का भी समर्थन करता है।
- घटक:
  - **पहला घटक:** 1,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाले मिशन का पहला घटक अनुसंधान, नवाचार और विकास पर केंद्रित होगा।
    - इस घटक के तहत (1) कार्बन, फाइबर, अरामिड फाइबर, नायलॉन फाइबर और कम्पोज़िट में अग्रणी तकनीकी उत्पादों के उद्देश्य से फाइबर स्तर पर मौलिक अनुसंधान (2) भू-टेक्सटाइल, कृषि-टेक्सटाइल, चिकित्सा-टेक्सटाइल, मोबाइल-टेक्सटाइल और खेल-टेक्सटाइल के विकास पर आधारित अनुसंधान अनुप्रयोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
  - **दूसरा घटक:** यह तकनीकी वस्त्रों हेतु बाज़ार के प्रचार और विकास के लिये होगा।
    - विकसित देशों में 30-70% के स्तर के मुकाबले भारत में तकनीकी वस्त्रों का प्रवेश स्तर 5-10% के बीच काफी कम है।
    - मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक औसतन 15-20% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर है।
  - **तीसरा घटक:** इस घटक के तहत तकनीकी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाकर वर्ष 2021-22 तक 20,000 करोड़ रुपए किये जाने का लक्ष्य है जो कि वर्तमान में लगभग 14,000 करोड़ रुपए है। साथ ही वर्ष 2023-24 तक प्रतिवर्ष निर्यात में 10 प्रतिशत औसत वृद्धि भी सुनिश्चित की जाएगी।
    - तकनीकी वस्त्रों के लिये एक निर्यात प्रोत्साहन परिषद की स्थापना की जाएगी।
  - **चौथा घटक:** यह **शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास पर केंद्रित होगा।**
    - यह मिशन तकनीकी वस्त्रों और इसके अनुप्रयोग क्षेत्रों से संबंधित उच्च इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा।
- कपड़ा क्षेत्र का परिदृश्य:
  - भारत में तकनीकी वस्त्रों के विकास ने **पिछले पाँच वर्षों में गति पकड़ी है**, जो वर्तमान में 8% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है।
    - इसका लक्ष्य **अगले पांच वर्षों के दौरान इस वृद्धि को 15-20% की श्रेणी** में ले जाना है।
  - भारतीय तकनीकी वस्त्र क्षेत्र 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है जो कि 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक तकनीकी वस्त्र बाज़ार का लगभग 6% है।
    - **इस क्षेत्र में सबसे बड़े अभिकर्त्ता संयुक्त राज्य अमेरिका**,पश्चिमी यूरोप,चीन और जापान (20-40% हिस्सेदारी) हैं।
- कार्यान्वयन और शासन:
  - मिशन को **तीन स्तरीय संस्थागत तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - **मिशन संचालन समूह:** समूह को मिशन की योजनाओं, घटकों और कार्यक्रम के संबंध में सभी वित्तीय मानदंडों को मंजूरी देने के लिये अधिकृत किया जाएगा।

नोट :

- मिशन के तहत **सभी वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान परियोजनाओं को मंज़ूरी देने की ज़िम्मेदारी** भी इस समूह को सौंपी जाएगी।
- **अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति:** इस समिति का कार्य मिशन संचालन समूह द्वारा अनुमोदित विभिन्न कार्यक्रमों की वित्तीय सीमाओं के भीतर सभी परियोजनाओं (अनुसंधान परियोजनाओं को छोड़कर) को अनुमोदित करना होगा।
- समिति को मिशन के विभिन्न घटकों के **कार्यान्वयन की निगरानी की भी ज़िम्मेदारी** सौंपी जाएगी।
- **अनुसंधान, विकास और नवाचार संबंधी तकनीकी वस्त्र समिति:** यह समिति अनुमोदन के लिये मिशन संचालन समूह को अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान और सिफारिश करने हेतु जिम्मेदार होगी।
- ये परियोजनाएँ अंतरिक्ष, सुरक्षा, रक्षा, अर्द्धसैनिक और परमाणु ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों से संबंधित होंगी।

वस्त्र उद्योग से संबंधित पहल:

- कपड़ा क्षेत्र के लिये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता के मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
- एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (Scheme for Integrated Textile Parks- SITP): यह योजना कपड़ा इकाइयों की स्थापना के लिये विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करती है।
- **स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI:** भारत सरकार स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देती है। अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा निर्माताओं जैसे अहलस्ट्रॉम, जॉनसन एंड जॉनसन आदि ने पहले ही भारत में परिचालन शुरू कर दिया है।
- **समर्थ (कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु योजना):** कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिये वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु समर्थ योजना (SAMARTH Scheme) की शुरुआत की गई।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्द्धन योजना (North East Region Textile Promotion Scheme- NERTPS):** यह कपड़ा उद्योग के सभी क्षेत्रों को बुनियादी ढाँचा, क्षमता निर्माण और विपणन सहायता प्रदान करके NER में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित योजना है।
- **पावर-टेक्स इंडिया:** इसमें पावरलूम टेक्सटाइल में नए अनुसंधान और विकास, नए बाज़ार, ब्रांडिंग, सब्सिडी एवं श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ शामिल हैं।
- रेशम समग्र योजना: यह योजना घरेलू रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि आयातित रेशम पर देश की निर्भरता कम हो सके।
- **जूट आईकेयर:** वर्ष 2015 में शुरू की गई इस पायलट परियोजना का उद्देश्य जूट की खेती करने वालों को रियायती दरों पर प्रमाणित बीज प्रदान करना और सीमित जल वाली परिस्थितियों में कई नई विकसित रेटिंग प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है।

पीएम प्रणाम (PM PRANAM) योजना

चर्चा में क्यों ?

रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिये सरकार **पीएम प्रणाम यानी कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्त्वों का संवर्द्धन (Promotion of Alternate Nutrients for Agriculture Management Yojana- PM PRANAM)** योजना शुरू करने की योजना बना रही है।

योजना के बारे में:

- उद्देश्य:
  - जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- लक्ष्य:
  - रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करना, जो 2022-23 में 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचने का अनुमान है – 2021 के 1.62 लाख करोड़ रुपए के आँकड़े से 39% अधिक है।
- प्रस्तावित योजना की विशेषताएँ:
  - इस योजना का कोई अलग बजट नहीं होगा और उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत "मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत" के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
  - सब्सिडी बचत का 50% उस राज्य को अनुदान के रूप में दिया जाएगा जो पैसा बचाता है।
    - योजना के तहत प्रदान किये गए अनुदान का 70% गाँव, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरकों और वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों के तकनीकी अपनाने से संबंधित परिसंपत्ति सृजन के लिये उपयोग किया जा सकता है।

नोट :

- शेष 30% अनुदान राशि का उपयोग किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को पुरस्कृत करने तथा प्रोत्साहित करने के लिये किया जा सकता है जो उर्वरक उपयोग को कम करने व जागरूकता पैदा करने में शामिल हैं।

- एक वर्ष में यूरिया के रासायनिक **उर्वरक उपयोग को कम करने की गणना की तुलना पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरिया की औसत खपत से की जाएगी।**
  - इस उद्देश्य के लिये, उर्वरक मंत्रालय के डैशबोर्ड, एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (Integrated Fertilizer Management System-IFMS) पर उपलब्ध डेटा का उपयोग किया जाएगा।

योजना की आवश्यकता:

- सरकार पर सब्सिडी का बोझ:
  - किसान अपनी सामान्य आपूर्ति-और-मांग-आधारित बाज़ार दरों या उनके उत्पादन/आयात की लागत से कम अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर उर्वरक खरीदते हैं।
    - उदाहरण के लिये, नीम लेपित यूरिया की MRP सरकार द्वारा 5,922.22 रुपए प्रति टन तय की गई है, जबकि घरेलू निर्माताओं और आयातकों को देय इसकी औसत लागत-प्लस कीमत क्रमश: लगभग 17,000 रुपए और 23,000 रुपए प्रति टन है।
  - शेष भाग, जो संयंत्र-वार उत्पादन लागत और आयात मूल्य के अनुसार भिन्न होता है, केंद्र द्वारा सब्सिडी के रूप में रखा जाता है, यह अंतत: कंपनियों को जाता है।
  - **गैर-यूरिया उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) कंपनियों द्वारा नियंत्रित या तय किया जाता है।** हालांकि उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिये **केंद्र इन पोषक तत्त्वों पर एक समान प्रति टन सब्सिडी का भुगतान** करता है।
    - विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के लिये प्रति टन सब्सिडी 10,231 से 24,000 रूपए है। ।
  - केंद्र सरकार प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन लागत के आधार पर उर्वरक निर्माताओं को यूरिया पर सब्सिडी का भुगतान करती है और इकाइयों को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर उर्वरक बेचना आवश्यक है।

भारत में उर्वरक उपयोग की वर्तमान स्थिति:

- वर्ष 2020-21 में उर्वरक सब्सिडी पर व्यय 1.62 लाख करोड़ रुपए था और वर्ष 2022 के दौरान यह 2.25 लाख करोड़ रुपए के आँकड़े को पार कर सकता है।
- वर्ष 2020-21 के दौरान देश में चार उर्वरकों- **यूरिया, DAP (डाई-अमोनियम फॉस्फेट), MOP (म्यूरिएट ऑफ पोटाश), NPKS (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम) की कुल आवश्यकता 21% बढ़कर 640.27 लाख मीट्रिक टन (LMT)** हो गई जो वर्ष 2017-18 में 528.86 लाख मीट्रिक टन थी।
  - **अधिकतम 25.44% की वृद्धि DAP की आवश्यकता में** दर्ज की गई है। यह वर्ष 2017-18 के 98.77 LMT से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 123.9 LMT के स्तर पर पहुँच गई।
  - **देश में सबसे अधिक इस्तेमाल किये जाने वाले रासायनिक उर्वरक** यूरिया ने पिछले पाँच वर्षों में 19.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इसकी आवश्यकता 2017-18 के 298 LMT से बढ़कर 2021-22 में 356.53 LMT हो गई।

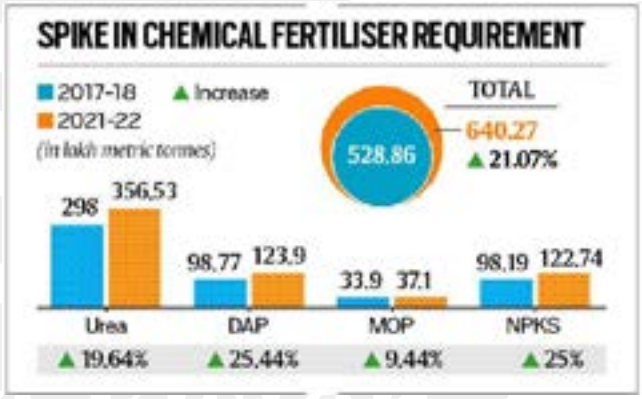

सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य संबंधित पहलें क्या हैं ?

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:** केंद्र ने अक्तूबर 2016 से उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत **विभिन्न उर्वरक ग्रेड पर उर्वरक कंपनियों को खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर 100% सब्सिडी** जारी की जाती है।
- **नए पोषक तत्त्वों का समावेश:** सरकार ने उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 (FCO) में **नैनो यूरिया** और **"जैव-उत्तेजक"** जैसे नए पोषक तत्त्वों को शामिल किया था।
- **यूरिया की नीम कोटिंग:** उर्वरक विभाग (DOF) ने सभी घरेलू उत्पादकों के लिये नीम लेपित यूरिया (NCU) के रूप में 100% यूरिया का उत्पादन करना अनिवार्य कर दिया है।
  - NCU के उपयोग के लाभ निम्नानुसार हैं:-
    - मृदा स्वास्थ्य में सुधार।
    - पादप संरक्षण रसायनों के उपयोग में कमी।
    - कीट हमले और रोग में कमी।

नोट :

- धान, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, अरहर/लाल चना की उपज में वृद्धि।

- नई यूरिया नीति (NUP) 2015 के उद्देश्य हैं:
  - स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करना।
  - यूरिया इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना।
  - भारत सरकार पर सब्सिडी के बोझ को तर्कसंगत बनाना।
- **उर्वरक क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग:** DoF ने भूवैज्ञानिक के सहयोग से इसरो के तहत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा "रॉक फॉस्फेट का रिफ्लेक्सेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और पृथ्वी अवलोकन डेटा का उपयोग करके" तीन साल का पायलट अध्ययन शुरू किया।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy-NLP) 2022 शुरू की है, जिसका उद्देश्य **'अंतिम छोर तक त्वरित वितरण' करना है, साथ ही परिवहन से संबंधित चुनौतियों को समाप्त करना है।**

लॉजिस्टिक्स:

- लॉजिस्टिक्स में **संसाधनों, लोगों,** कच्चे माल, सूची, उपकरण आदि को **एक स्थान से दूसरे स्थान** पर अर्थात् उत्पादन बिंदुओं से उपभोग, वितरण या अन्य उत्पादन बिंदुओं तक ले जाने के साथ नियोजन, समन्वय, भंडारण प्रक्रिया शामिल है।
- लॉजिस्टिक्स शब्द संसाधनों के अधिग्रहण, भंडारण और वितरण को उनके **इच्छित स्थान पर नियंत्रित करने की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन करता है।**
- इसमें संभावित वितरकों और आपूर्तिकर्त्ताओं का पता लगाना तथा ऐसी पार्टियों की व्यवहार्यता एवं पहुँच का मूल्यांकन करना शामिल है।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) 2022

- परिचय:
  - नीति प्रमुख क्षेत्रों जैसे **प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, डिजिटाइज़ेशन और मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट** पर केंद्रित है।
  - यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है क्योंकि **उच्च लॉजिस्टिक्स लागत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में घरेलू सामानों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित करती है।**
  - एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता महसूस की गई है क्योंकि **भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत अधिक है।**
- लक्ष्य:
  - इस नीति की मदद से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने का प्रयास किया जायेगा। इस नीति का उद्देश्य लागतों में कटौती करना है, जो वर्तमान में **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 14-15 प्रतिशत** है। जिसमें **वर्ष 2030 तक लगभग 8 प्रतिशत तक की कमी लाना है.**
    - अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कुछ यूरोपीय देशों में लॉजिस्टिक्स लागत GDP अनुपात से कम है।
    - वर्तमान लागत सकल घरेलू उत्पाद का 16% है।
  - दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में शीर्ष 10 में शामिल होना है। उसे दक्षिण कोरिया की विकास गति की बराबरी करनी होगी।
    - भारत वर्ष 2018 में LPI में 44वें स्थान पर था।
  - कुशल लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिये डेटा-संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली (Decision Support Systems-DSS) बनाना।
  - नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लॉजिस्टिक मुद्दों को कम-से-कम किया जाए, **निर्यात कई गुना बढ़े और छोटे उद्योगों एवं उनमें काम करने वाले लोगों को अधिक लाभ मिले।**

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की विशेताएँ:

- **डिजिटल एकीकरण प्रणाली:** यह निर्बाध और तेज़ी से कार्य की गति को बढ़ाएग ताकि लॉजिस्टिक्स सेवाओं को कुशलता के साथ सुनिश्चित किया जा सके।
- **यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म:** इसका उद्देश्य सभी लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र की डिजिटल सेवाओं को एक ही पोर्टल पर लाया जाएगा, जिससे निर्माताओं एवं निर्यातकों को लंबी और बोझिल प्रक्रियाओं जैसी वर्तमान समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।
- **लॉजिस्टिक्स सेवाओं में आसानी:** ई-लॉग्स, नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, उद्योग को त्वरित समाधान के लिये **सरकारी एजेंसियों के साथ परिचालन संबंधी मुद्दों को उठाने की अनुमति देगा।**
- **व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्ययोजना:** व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्ययोजना जिसमें **इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम,** भौतिक परिसंपत्तियों का मानकीकरण, बेंचमार्किंग सेवा मानक, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास आदि शामिल है।

नोट :

इस नीति का महत्त्व क्या है ?

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के शुभारंभ के साथ **पीएम गति शक्ति** को और बढ़ावा एवं पूरकता मिलेगी।
- यह नीति इस क्षेत्र को देश में एक एकीकृत, लागत-कुशल, लचीला तथा सतत् **लॉजिस्टिक परितंत्र** बनाने में मदद करेगी क्योंकि यह नियमों को सुव्यवस्थित करने व **आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं** को दूर करने के साथ-साथ क्षेत्र के सभी बुनियादों को कवर करती है।
- यह नीति भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार, आर्थिक विकास और रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने का एक प्रयास है।

लॉजिस्टिक से संबंधित पहलें:

- माल का बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993
- पीएम गति शक्ति योजना
- मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
- लीड्स (LEADS) रिपोर्ट
- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
- सागरमाला प्रोजेक्ट्स
- भारतमाला परियोजना

आगे की राह

- रेल क्षेत्र में कई संरचनात्मक कमियाँ है, अगर लॉजिस्टिक लागत को वैश्विक बेंचमार्क पर आधा करना है, तो इन कमियों को तेज़ी से समाप्त करना होगा। एक मालगाड़ी की औसत गति दशकों से 25 किमी प्रति घंटे पर स्थिर रही है- इसे तत्काल दोगुना करके कम-से-कम 50 किमी प्रति घंटे करना होगा।
  - रेलवे को **टाइम-टेबल आधारित माल संचालन** की आवश्यकता है। इसे उच्च-मूल्य के कम लोड वाले व्यवसाय पर नियंत्रण पाने के लिये **माल ढुलाई के स्त्रोत पर एग्रीगेटर** और गंतव्य पर **डिसएग्रीगेटर** बनना होगा।
- दशकों से देश ने पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी अंतर्देशीय जलमार्ग माल ढुलाई की बात की है, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ भी प्रगति नहीं हुई है।
  - **चीन के नदी बंदरगाहों से हम बहुत कुछ सीख सकते** हैं जो खासकर पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज़ोर देता है।
- रोड लॉजिस्टिक्स पूरी तरह से खंडित क्षेत्र है, जहाँ ट्रक मालिकों के एक बड़े हिस्से के पास बहुत छोटा बेड़ा (फ्लीट) है।
  - सरकार द्वारा समर्थित एग्रीगेशन एप्स के साथ छोटे ऑपरेटरों को एक मंच में लाने हेतु सहायक है। साथ ही इस क्षेत्र में बड़ी कंपनियों एवं अभिकर्त्ताओं को लागत कम करने की ज़रूरत है।
- प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में सुधार के अतिरिक्त **हमे बंदरगाहों का आकार कई गुना और बढ़ाना होगा,** यह अकारण ही नहीं है कि **दुनिया के शीर्ष 20 बंदरगाहों में से 10 चीन में हैं**।
- यह **हवाई लॉजिस्टिक्स को नई ऊँचाई पर ले जाने** और उच्च मूल्य एवं खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन में भारी सुधार करने का समय है।

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिये अधिक **अन्वेषण और उत्पादन (Exploration & Production) के लिये निवेश आकर्षित करने हेतु विभिन्न पहल** कर रही है।

पृष्ठभूमि:

- भारत का ऊर्जा क्षेत्र दुनिया में सबसे विविध क्षेत्रों में से एक है। भारत में कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा जैसे विद्युत उत्पादन के **पारंपरिक स्त्रोतों से लेकर पवन, सौर, कृषि घरेलू अपशिष्ट जैसे व्यवहार्य गैर-पारंपरिक स्त्रोत उपलब्ध हैं।**
- वर्ष 2020 तक भारत का स्थान **पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथा, सौर ऊर्जा में पाँचवाँ और नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथा था।**
- वर्ष 2019 में विद्युत के क्षेत्र में सार्वभौमिक घरेलू पहुँच हासिल की गई, जिसका अर्थ है कि दो दशकों से भी कम समय में 900 मिलियन से अधिक नागरिकों ने विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया है।
- भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत **वैश्विक औसत का केवल एक-तिहाई है, भले ही ऊर्जा की मांग दोगुनी हो गई है।**
- इसलिये ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये **ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की सुरक्षित और टिकाऊ व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है।**

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता:

- भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है। यह ऊर्जा आयात पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करता है।
- सरकार आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने से पहले यानी वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने की योजना बना रही है।
- जैसे-जैसे वैश्विक योजना में हरित ऊर्जा अधिक महत्त्वपूर्ण हो रही है, भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन पर कार्य करना शुरू कर दिया है।
- ऐसे देश जो अपनी तेल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये आयात पर 85% तक निर्भर है और अपनी गैस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये इसके 50% का आयात करते हैं, अत: उसे प्रमुख वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे- नवीकरणीय ऊर्जा से हाइड्रोजन और वर्तमान पेट्रोल एवं डीज़ल संचालित ऑटोमोबाइल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर कार्य करना होगा।

नोट :

- सौर ऊर्जा से मिशन हाइड्रोजन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने तक हमें ऊर्जा स्वतंत्रता के लिये इन पहलों को अगले स्तर तक ले जाने की ज़रूरत है।
- अमेरिका, ब्राज़ील, यूरोपीय संघ और चीन के बाद भारत इथेनॉल का विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया भर में इथेनॉल का उपयोग बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वस्तुओं के लिये किया जाता है लेकिन ब्राज़ील और भारत जैसे देश इसे पेट्रोल के साथ उपयोग करते हैं।
- हरित ऊर्जा पहल के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना हरित और टिकाऊ अर्थव्यवस्था की नींव है। हरित ऊर्जा पहल स्वच्छ ऊर्जा और सभी व्यक्तियों एवं व्यवसायों के लिये इसकी उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करती है।

ऊर्जा क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियाँ:

- नवंबर 2022 के मूल कार्यक्रम से **पहले जून 2022 में 10% इथेनॉल** (10% इथेनॉल, 90% पेट्रोल) के साथ मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति का लक्ष्य हासिल किया गया था।
  - इस सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने 20% इथेनॉल से पेट्रोल बनाने का **लक्ष्य पाँच वर्ष आगे बढ़ाकर वर्ष 2025 कर दिया है।**
- मार्च 2021 तक प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना, "सौभाग्य" के तहत 2.82 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।
- जून 2022 तक देश भर में 36.86 करोड़ से अधिक LED बल्ब, 72.18 लाख LED ट्यूबलाइट और 23.59 लाख ऊर्जा कुशल पंखे वितरित किये गए हैं, **जिससे प्रतिवर्ष लगभग 48,411 मिलियन किलोवाट प्रति घंटे के साथ ही लागत के मामले में 19,332 करोड़ रुपए की बचत हुई है।**
- जून 2022 तक नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) के तहत **44 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं तथा 67 लाख मीटर और लगाए जाने हैं।**
- भारत में सोलर टैरिफ वित्त वर्ष 2015 के 7.36 रुपए/kWh (US 10 सेंट/kWh) से जुलाई 2021 में कम होकर 2.45/kWh (US 3.2 सेंट/kWh) हो गया है।
- **विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस - "गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी"** रैंकिंग में **2014 के 137 से 2019 में भारत की रैंक 22** हो गई।

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये विविध पहल:

- गैस आधारित अर्थव्यवस्था:
- पेट्रोल में इथेनॉल का सम्मिश्रण
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- नवीकरणीय ऊर्जा पहल
- राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन

आगे की राह

- भारत को लगातार बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिये अपनी विद्युत व्यवस्था में **सौर और पवन ऊर्जा तथा** विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिये।
- विकास प्रक्रिया में समावेशिता की आवश्यकता को पूरा करने के लिये निवेश, अवसंरचनात्मक विकास, निजी-सार्वजनिक भागीदारी, हरित वित्तपोषण, नीतिगत ढाँचे जैसे पहलुओं को **राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर मज़बूत** करने की आवश्यकता है।
- हरित ऊर्जा में आय, रोज़गार और उद्यमिता में योगदान देने की काफी अधिक क्षमता है तथा यह **निस्संदेह सतत् विकास को प्रोत्साहित करती** है।
- नौकरी और आय सृजन के अतिरिक्त यह नए उत्पादों एवं सेवाओं के लिये निवेश तथा बाज़ार के अवसर/ रास्ते खोलता है। इसलिये भारत को **ऊर्जा क्षेत्र में हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना** चाहिये।

इथेरियम विलय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एथेरियम ब्लॉकचैन प्लेटफॉर्म पूरी तरह से ' 'प्रूफ-ऑफ वर्क' से 'प्रूफ-ऑफ-स्टेक' सर्वसम्मति तंत्र में परिवर्तित हो गया है और इस सुधार को विलय के रूप में जाना जाता है।

वास्तविक परिवर्तन

- पुरानी पद्धति:
  - **प्रूफ-ऑफ वर्क:** एक विकेंद्रीकृत मंच के रूप में एथेरियम के पास बैंक जैसे संस्थान नहीं हैं जो अपने नेटवर्क पर होने वाले लेन-देन को मंज़ूरी देते हैं, अनुमोदन पहले प्रूफ-ऑफ वर्क (PoW) सर्वसम्मति तंत्र के तहत हो रहे थे जो अनिवार्य रूप से खनिकों (Miners) द्वारा किया जाता था।
    - इसके तहत खनिक अत्याधुनिक कंप्यूटर हार्डवेयर के विशाल बुनियादी ढाँचे का उपयोग करके जटिल गणितीय पहेली को हल करने के लिये प्रतिस्पर्द्धा करेंगे और पहेली को हल करने वाले पहले व्यक्ति को सत्यापनकर्त्ता के रूप में चुना जाएगा।

नोट :

- यह विधि लगभग पूरी तरह से क्रिप्टो फार्मों पर निर्भर थी, जो कंप्यूटर के बड़े पैमाने पर उपयोग कर समस्याओं को हल करेंगे।

◆ मुद्दे:

- **उच्च ऊर्जा खपत:** ये माइनिंग फार्म, ऊर्जा की खपत करते थे और वे कभी-कभी देशों की तुलना में अधिक ऊर्जा की खपत करते थे और इसलिये पर्यावरणीय स्थिरता के मामले में एक बड़ी चिंता थी।
- क्रिप्टो की कुल वार्षिक ऊर्जा खपत फिनलैंड के बराबर है, जबकि इसका कार्बन फुट प्रिंट स्विट्ज़रलैंड के बराबर है।
- कुछ समय के लिये यूरोपीय देशों ने क्रिप्टो माइनिंग पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार किया, जबकि चीन ने वास्तव में क्रिप्टो खनिकों पर एक राष्ट्रव्यापी कार्रवाई की जिससे उन्हें विदेशों से भागना पड़ा।

- नई विधि:
  - **हिस्सेदारी का प्रमाण:** यह उन क्रिप्टो खनिकों और विशाल माइनिंग फार्म की आवश्यकता को अलग कर देगा, जिन्होंने पहले ब्लॉकचेन को **'प्रूफ-ऑफ-वर्क' (PoW)** नामक एक तंत्र के तहत संचालित किया था।
    - इसके बजाय यह अब 'प्रूफ-ऑफ-स्टेक' (PoS) तंत्र में स्थानांतरित हो गया है जो लेन-देन की मंज़ूरी देने के लिये यादृच्छिक रूप से 'सत्यापनकर्त्ता' प्रदान करता है।
    - सत्यापनकर्त्ता वे लोग होते हैं जो पहले ब्लॉक से आखिरी तक लिंकेज की लगातार गणना करके ब्लॉकचैन की अखंडता को बनाए रखने के लिये कंप्यूटर को स्वेच्छा से रखते हैं।
  - लाभ:
    - यह इथेरियम नेटवर्क पर खनिकों की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देगा।
    - यह इथेरियम की ऊर्जा खपत को लगभग 99.95% कम कर देगा।
    - यह इथेरियम नेटवर्क पर लेन-देन को बेहद सुरक्षित बना देगा।

इथेरियम:

- इथेरियम डेवलपर्स द्वारा विकेंद्रीकृत एप (DAP), स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ तक कि क्रिप्टो टोकन बनाने के लिये सबसे अधिक उपयोग किये जाने वाले प्लेटफार्मों में से एक है। प्लेटफॉर्म की मुद्रा, ईथर बाज़ार पूंजीकरण के मामले में बिटकॉइन के बाद दूसरे स्थान पर है।
- क्रिप्टोकरेंसी के कुछ सबसे लोकप्रिय एप्लीकेशन जैसे कि अपूरणीय टोकन/नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) और विकेंद्रीकृत वित्त (DFI) इथेरियम नेटवर्क पर आधारित हैं।

क्रिप्टोकरेंसी:

- क्रिप्टोकरेंसी, जिसे कभी-कभी क्रिप्टो-मुद्रा या क्रिप्टो कहा जाता है, मुद्रा का एक रूप है जो डिजिटल या वस्तुत: मौजूद होती है और यह लेन-देन को सुरक्षित करने के लिये क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है।
- क्रिप्टोकरेंसी में मुद्रा जारी करने या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। यह लेन-देन को रिकॉर्ड करने और नई इकाइयों को जारी करने के लिये विकेंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग करती है।
  - यह एक विकेंद्रीकृत पीयर-टू-पीयर नेटवर्क द्वारा संचालित होता है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है।

ब्लॉकचेन तकनीक:

- ब्लॉकचेन तकनीक सुनिश्चित करती है कि क्रिप्टोकरेंसी में सभी लेन-देन एक सार्वजनिक वित्तीय लेन-देन डेटाबेस में दर्ज किये जाते हैं।
  - बिटकॉइन, इथेरियम और रिपल क्रिप्टोकरेंसी के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं।
- ब्लॉकचेन का नाम डिजिटल डेटाबेस या लेजर से लिया गया है जहाँ जानकारी "ब्लॉक" के रूप में संग्रहीत की जाती है जो "चेन" बनाने के लिये एक साथ मिलती हैं।
  - यह स्पष्ट रिकॉर्ड-कीपिंग, रियल-टाइम लेन-देन पारदर्शिता और ऑडिटेबिलिटी का एक विलक्षण संयोजन प्रदान करता है।
  - ब्लॉकचेन की एक सटीक प्रति कई कंप्यूटरों या उपयोगकर्त्ता ओं में से प्रत्येक के लिये उपलब्ध है जो एक नेटवर्क में एक साथ जुड़े हुए हैं।
    - नए ब्लॉक के माध्यम से जोड़ी या बदली गई किसी भी नई जानकारी का कुल उपयोगकर्त्ता ओं के आधे से अधिक द्वारा जाँच और अनुमोदन किया जाना है।

IBBI विनियमों में संशोधन

हाल ही में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) **ने तनावग्रस्त कंपनियों के मूल्य को बढ़ावा देने के लिये अपने नियमों में संशोधन किया है।**

- IBBI (कॉरपोरेट्स के लिये दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में संशोधन संकल्प में मूल्य को अधिकतम करने के लिये किया गया है।

नोट :

- यह अन्य परिवर्तनों के अलावा **दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुज़र रही इकाई की एक या अधिक संपत्तियों की बिक्री** की अनुमति देगा।

संशोधित नियम:

- **लेनदारों की समिति (Committee of Creditors-CoC)** अब जाँच कर सकती है कि परिसमापन अवधि के दौरान **कॉरपोरेट देनदार (CD)** के लिये समझौता या व्यवस्था की जा सकती है या नहीं।
  - जून 2022 तक 1,703 कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएँ (CIRPs) समाप्त हो गईं।
- नियामक ने **समाधान पेशेवर और CoC को संबंधित कॉरपोरेट देनदार** की एक या अधिक संपत्तियों की बिक्री की तलाश करने की अनुमति दी है, जहाँ पूरे व्यवसाय के लिये कोई समाधान योजना नहीं है।
- **समाधान योजना जिसमें एक या एक से अधिक CD परिसंपत्तियों की बिक्री शामिल है,** एक या एक से अधिक सफल समाधान आवेदकों को शेष संपत्तियों के उचित उपचार के साथ उपलब्ध कराई जाएगी।
- **समाधान पेशेवर (Resolution Professional-RP)** को संबंधित कंपनी के ज्ञात (खातों की पुस्तिका के आधार पर) लेनदारों से सक्रिय रूप से दावों की जानकारी प्राप्त करनी होगी जो ऋण उपलब्ध कराने में मदद करेंगे।
  - RPs को CIRP के शुरू होने के **75 दिनों के भीतर इस बारे में राय देनी होगी** कि क्या कंपनी ऋण भुगतान लेनदेन के अधीन है।
  - RP को अब यह आकलन और रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी कि क्या **कंपनी ने दिवाला कार्यवाही से पहले धन की निकासी के लिये कोई लेन-देन किया है।**
  - विनियमों में कहा गया है कि RP द्वारा की गई किसी भी **नियुक्ति हेतु पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये।**
- अंतरण से बचने के लिये दायर किसी भी आवेदन का विवरण समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले आवेदकों को उपलब्ध कराया जाएगा और आवेदक उन्हें अपनी योजनाओं में संबोधित कर सकते हैं।
- **सूचना के ज्ञापन में भौतिक जानकारी का शामिल होना आवश्यक** है जो चुनौती के रूप में उन्हें स्थिति का आकलन करने में मदद करेगा, न कि केवल संपत्ति की जानकारी के बारे में, जिससे बाज़ार की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को संबोधित किया जा सकेगा।

संशोधित विनियमों का महत्त्व:

- प्रावधान **हितधारकों को खोए हुए मूल्य को वापस पाने की अनुमति देंगे** और हितधारकों को इस तरह के लेन-देन करने से हतोत्साहित करेंगे।
- ये संशोधन बाज़ार में **परिसंपत्ति को दीर्घ अवधि तक उपलब्ध रहने की अनुमति देते हैं।**
- इन संशोधनों से दिवाला समाधान के लिये उचित **बाज़ार आधारित समाधानों को प्रोत्साहन मिलेगा।**
- यह सुनिश्चित करेगा कि दिवालिया कंपनी और उसकी संपत्ति के बारे में बेहतर गुणवत्ता की जानकारी संभावित समाधान **आवेदकों सहित बाज़ार के लिये समय पर उपलब्ध हो।**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड:

- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना वर्ष 2016 में दिवाला और शोधन अक्षमता नियम, 2016 द्वारा की गई थी।
- यह इस **नियम के कार्यान्वयन** के लिये उत्तरदायी परितंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है। यह उद्यमिता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिये कॉरपोरेट्स, साझेदारी फर्मों तथा लोगों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समयबद्ध तरीके से समेकित एवं संशोधित करता है ताकि ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम किया जा सके।
- यह एक **अद्वितीय नियामक** है क्योंकि यह पेशे के साथ-साथ प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है।
- यह दिवाला पेशेवरों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं और सूचना उपयोगिताओं का **नियामक पर्यवेक्षण** करता है।
- इसे देश में मूल्यांकनकर्त्ताओं के पेशे के विनियमन और विकास के लिये कंपनियाँ **(पंजीकृत मूल्यकार और मूल्यांकन नियम), 2017 के तहत 'प्राधिकरण'** के रूप में भी नामित किया गया है।

त्वरित सुधारात्मक कारवाई फ्रेमवर्क

चर्चा में क्यों:

हाल ही में, CBI द्वारा न्यूनतम नियामक पूंजी और कुल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NNPAs) सहित विभिन्न वित्तीय अनुपातों में सुधार दिखाने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) को अपने त्वरित सुधारात्मक कारवाई फ्रेमवर्क (PCAF) से हटा दिया है।

- RBI ने अपने **उच्च कुल NPA और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA)** के कारण जून 2017 में सेंट्रल बैंक पर त्वरित सुधारात्मक कारवाई (PCA) मानदंड लागू किया था।

नोट :

त्वरित सुधारात्मक कारवाई फ्रेमवर्क (PCAF):

- पृष्ठभूमि:
  - PCA एक फ्रेमवर्क रूपरेखा है जिसके तहत **कमज़ोर वित्तीय मैट्रिक्स वाले बैंकों की निगरानी** RBI द्वारा की जाती है।
  - RBI ने **वर्ष 2002 में PCA फ्रेमवर्क** को बैंकों के लिये एक संरचित **प्रारंभिक-हस्तक्षेप तंत्र** के रूप में पेश किया, जो बुरी आस्तियों की गुणवत्ता के कारण **अल्प पूंजीकृत** हो जाते हैं अथवा **लाभप्रदता के नुकसान** के कारण कमज़ोर हो जाते हैं।
  - भारत में वित्तीय संस्थानों और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग के लिये संकल्प व्यवस्था पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर इस रूपरेखा की समीक्षा वर्ष 2017 में की गई थी।
- मानदंड:
  - RBI ने PCA फ्रेमवर्क के भाग के रूप में, तीन मापदंडों के संदर्भ में कुछ नियामक ट्रिगर बिंदु निर्दिष्ट किये हैं, यथा **पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (CRAR), कुल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA)** और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA)।
- उद्देश्य:
  - PCA फ्रेमवर्क का उद्देश्य **उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को लागू करना** है और पर्यवेक्षित इकाई से यह अपेक्षित होता है कि वे समय-समय पर आवश्यक कदम उठायें ताकि इसके **वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल** किया जा सके।
  - इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या की जाँच** करना है।
  - इसका उद्देश्य **नियामक के साथ-साथ निवेशकों और जमाकर्त्ताओं को सतर्क करने में सहायता करना है** यदि कोई बैंक NPA की ओर बढ़ रहा है।
  - इसका उद्देश्य किसी संकट के अनुपात में वृद्धि होने से पहले ही समस्याओं का समाधान करना है।
- लेखा परीक्षा वार्षिक वित्तीय परिणाम:
  - एक बैंक को आम तौर पर लेखा परीक्षा वार्षिक वित्तीय परिणामों और RBI द्वारा किये गए पर्यवेक्षी मूल्यांकन के आधार पर PCA फ्रेमवर्क के अंतर्गत रखा जाएगा।
- हाल में हुए विकास कार्य:
  - वर्ष 2021 में, RBI ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिये PCA फ्रेमवर्क को संशोधित कर राउंड कैपिटल, एसेट क्वालिटी और लीवरेज को प्रमुख क्षेत्र माना गया जबकि परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता इस ढाँचे के तहत निगरानी के प्रमुख क्षेत्र थे।

गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ:

- यह एक ऋण अथवा अग्रिम भुगतान है जिसके लिये मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिये अतिदेय रहता है।
- बैंकों को NPA को घटिया, संदेहास्पद और हानि वाली संपत्तियों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात:

- पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) **बैंक की उपलब्ध पूंजी बैंक के जोखिम-भारित क्रेडिट एक्सपोज़र को प्रतिशत के** रूप में व्यक्त करने का एक उपाय है।
  - CAR वह माप अनुपात है जो बैंकों की घाटे को अवशोषित करने की क्षमता का आकलन करता है।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जिसे **पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (CRAR)** के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग जमाकर्त्ताओं की सुरक्षा और विश्व भर में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता एवं दक्षता को बढ़ावा देने के लिये किया जाता है।

परिसंपत्तियों पर रिटर्न/लाभ (Return on Assets-RoA):

- परिसंपत्तियों पर रिटर्न एक लाभप्रदता अनुपात है जो यह बताता है कि **कंपनी अपनी संपत्ति से कितना लाभ उत्पन्न कर सकती है।**
- RoA को **प्रतिशत** के रूप में दिखाया गया है और **संख्या जितनी अधिक होगी, कंपनी का प्रबंधन** मुनाफा उत्पन्न करने के लिये अपनी बैलेंस शीट का प्रबंधन करने में उतना ही कुशल होगा।
- कम RoA वाली कंपनियों के पास आमतौर पर अधिक संपत्ति होती है जो लाभ पैदा करने में शामिल होती है, जबकि उच्च RoA वाली कंपनियों के पास कम संपत्ति होती है।
- समान कंपनियों की तुलना करते समय ROA सर्वोत्तम होता है, परिसंपत्ति-गहन कंपनी का निम्न RoA कम संपत्ति और समान लाभ के साथ **एक असंबंधित कंपनी के उच्च RoA की तुलना में खतरनाक दिखाई दे सकता है।**

सोलर मॉड्यूल हेतु PLI योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू सौर सेल मॉड्यूल के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये 19,500 करोड़ रुपए के **उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (Production Linked incentive-PLI) को मंज़ूरी दी है।**

- यह 500 करोड़ रुपए की किश्त का अनुवर्ती है, जिसे नवंबर 2020 में मंज़ूरी दे दी गई थी, जिसका उद्देश्य **चीन-निर्मित पैनलों पर उद्योग की निर्भरता को कम करना है।**

नोट :

- PLI योजना की दूसरी किश्त के साथ सरकार उम्मीद कर रही है कि देश में पूरी तरह से और आंशिक रूप से एकीकृत, सौर PV मॉड्यूल की लगभग 65 गीगा वाट प्रति वर्ष विनिर्माण क्षमता स्थापित की जाएगी।

महत्त्व:

- **इससे लगभग 94,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश होगा**, प्रत्यक्ष रूप से लगभग 1,95,000 और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 7,80,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। इससे भारत को आयात में करीब 1.37 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी।
- इन योजनाओं के साथ 70-80 गीगावॉट क्षमता की उम्मीद है जो भारत घरेलू आवश्यकताओं के साथ-साथ निर्यात का भी ध्यान रखेगी।
- राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों के तहत राज्य प्रोत्साहन के साथ PLI लाभ, सीमा शुल्क में रियायती/आस्थगित शुल्क योजनाओं से परियोजना के रिटर्न की आंतरिक दर (IRR) में सुधार करने और भारतीय निर्मित सौर PV मॉड्यूल को बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धी बनाने में मदद मिलेगी।

'उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन' योजना (PLI Scheme):

- परिचय:
  - उच्च आयात प्रतिस्थापन और रोज़गार सृजन के साथ घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिये **PLI योजना** की कल्पना की गई थी।
  - सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों हेतु PLI योजनाओं के तहत 1.97 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया तथा वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में **सौर PV मॉड्यूल** के लिये PLI हेतु 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
  - मार्च 2020 में शुरू की गई इस योजना ने शुरू में तीन उद्योगों को लक्षित किया था:
    - मोबाइल और संबद्ध घटक निर्माण
    - विद्युत घटक निर्माण
    - चिकित्सा उपकरण
- योजना के तहत प्रोत्साहन:
  - संवर्द्धित बिक्री के आधार पर गणना की गई प्रोत्साहन राशि, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिये **न्यूनतम 1% से लेकर औषधियों के संबंध में अधिकतम 20% तक** है।
  - उन्नत रसायन सेल बैटरी, कपड़ा उत्पाद और ड्रोन उद्योग जैसे कुछ क्षेत्रों में प्रोत्साहन की गणना पाँच वर्षों की अवधि में की गई बिक्री, प्रदर्शन एवं स्थानीय मूल्यवर्द्धन के आधार पर की जाएगी।
- वे क्षेत्र जिनके लिये PLI योजना की घोषणा की गई है:
  - अब तक सरकार ने ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटकों, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी हार्डवेयर, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स, सौर मॉड्यूल, धातु एवं खनन, कपड़ा एवं परिधान, ड्रोन व उन्नत रसायन सेल बैटरी सहित 14 क्षेत्रों के लिये PLI योजनाओं की घोषणा की है।
- उद्देश्य:
  - सरकार ने चीन एवं अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिये इस योजना की शुरुआत की है।
  - यह श्रम प्रधान क्षेत्रों का समर्थन करती है और भारत में रोज़गार अनुपात को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।
  - यह योजना आयात बिलों को कम करने एवं घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये भी काम करती है।
    - PLI योजना विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी इकाइयाँ स्थापित करने के लिये आमंत्रित करती है और घरेलू उद्यमों को अपनी उत्पादन इकाइयों का विस्तार करने हेतु प्रोत्साहित करती है।

PLI योजना के सामने चुनौतियाँ:

- मानकों का कोई सामान्य सेट नहीं:
  - PLI योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने या ऐसी संभावना वाली कंपनियों द्वारा मूल्यवर्द्धन को समझने के लिये कोई सामान्य मानदंड नहीं थे।
  - वर्तमान में विभिन्न मंत्रालय अपनी संबंधित PLI योजनाओं के मूल्यवर्द्धन की निगरानी करते हैं और दो अलग-अलग योजनाओं की तुलना करने का कोई स्थापित तरीका नहीं है।
  - इसके अलावा विभिन्न वितरण योग्य जैसे कि नौकरियों की संख्या ने निर्यात में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार किया है तथा इन सभी को मापने के लिये **कोई केंद्रीकृत डेटाबेस उपलब्ध** नहीं है।
- कंपनियों के लिये प्रोत्साहन लक्ष्य में भी वृद्धि:
  - अपने क्षेत्र में कार्य कर रही **कंपनियों के साथ बातचीत करने वाले विभागों और मंत्रालयों को भी कुछ विशिष्ट मुद्दों का सामना** करना पड़ता है।
    - उदाहरण- कई बार कंपनियों के लिये प्रोत्साहन हेतु अर्हता प्राप्त करने का लक्ष्य बहुत अधिक होता है।
- एक या दो आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भर घरेलू कंपनियाँ:
  - पिछले वित्त वर्ष तक केवल 3-4 कंपनियाँ ही स्वीकृत चौदह कंपनियों से PLI योजना के लिये अर्हता प्राप्त करने हेतु **संवर्द्धित बिक्री लक्ष्य (Incremental Sales Targets)** हासिल करने में कामयाब रही थीं।

नोट :

- वैश्विक कंपनियों के विपरीत **अधिकांश घरेलू कंपनियाँ एक या दो आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भर** थीं, जो कि गंभीर रूप से बाधित हो गई हैं और बिना किसी गलती ये कंपनियाँ प्रोत्साहन हेतु योग्य नहीं होंगी।

आगे की राह

- यदि मांग स्थिर है, तो कम निवेश होता है क्योंकि इसमें पूँजी की लागत के साथ-साथ इन्वेंट्री रखने की लागत भी शामिल होती है, इसलिये मांग के संदर्भ में चुनौतियों का समाधान करने के लिये निवेश को विनिर्माण से संबंधित PLI से अधिक रखने की आवश्यकता होती है।
- केवल विनिर्माण ही नहीं, बल्कि प्रोत्साहन प्रदान करते समय सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023

चर्चा में क्यों ?

देश में प्राचीन और पौष्टिक अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं भागीदारी की भावना पैदा करने के लिये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा **अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023** की समयावधि तक पूर्व में शुरू किये गए कार्यक्रमों तथा पहलों की एक शृंखला का आयोजन किया गया।

- इसके तहत कई कार्यक्रम शुरू किये गए जैसे- **'इंडिया वेल्थ, मिलेट्स फॉर हेल्थ', मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज, माइटी मिलेट्स क्विज, लोगो और स्लोगन प्रतियोगिता आदि।**

अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष (IYM):

- परिचय:
  - वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाजा वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव को वर्ष 2018 में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा अनुमोदित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है।
  - इसे **संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव द्वारा** अपनाया गया और इसका नेतृत्व भारत ने किया तथा 70 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया।
- उद्देश्य:
  - खाद्य सुरक्षा और पोषण में पोषक अनाज/बाजरा/मोटे अनाज के योगदान के बारे में जागरूकता का प्रसार करना।
  - पोषक अनाज के टिकाऊ उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के लिये हितधारकों को प्रेरित करना।
  - उपर्युक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये अनुसंधान और विकास एवं विस्तार सेवाओं में निवेश बढ़ाने पर ध्यान देना।

पोषक अनाज/बाजरा/मोटे अनाज:

- परिचय:
  - पोषक अनाज सामूहिक शब्द है जो कई **छोटे-बीज वाले फसलों कों संदर्भित करता** है, जिसकी खाद्य फसल के रूप में मुख्य रूप से समशीतोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों व शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि पर खेती की जाती है।
  - भारत में उपलब्ध कुछ सामान्य फसलों में बाजरा रागी (फिंगर मिलेट), ज्वार (सोरघम), समा (छोटा बाजरा), बाजरा (मोती बाजरा) और वरिगा (प्रोसो मिलेट) शामिल हैं।
  - इन अनाजों के प्रमाण सबसे पहले सिंधु सभ्यता **में पाए गए और ये भोजन के लिये उगाए गए पहले पौधों में से थे।**
  - यह लगभग 131 देशों में उगाया जाता है और एशिया एवं अफ्रीका में लगभग 60 करोड़ लोगों का पारंपरिक भोजन है।
  - विश्व में भारत बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है।
  - यह वैश्विक उत्पादन का **20% और एशिया में उत्पादन का 80% हिस्सा है।**
- वैश्विक वितरण:
  - **दुनिया में** भारत, नाइजीरिया और **चीन, बाजरा के सबसे बड़े उत्पादक हैं,** जो वैश्विक उत्पादन के 55% से अधिक हैं।
  - कई वर्षों तक भारत बाजरा का प्रमुख उत्पादक था। हालाँकि हाल के वर्षों में **अफ्रीका में बाजरा उत्पादन में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है।**
- महत्त्व:
  - पौष्टिक रूप से संपन्न:
    - उच्च प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, लौह तत्त्व जैसे खनिजों के कारण बाजरा कम खर्चीला और पौष्टिक रूप से गेहूँ एवं चावल से बेहतर होता है।
    - बाजरा कैल्शियम और मैग्नीशियम से भी भरपूर होता है। उदाहरण के लिये **रागी को सभी खाद्यान्नों में सबसे अधिक कैल्शियम सामग्री के लिये जाना जाता है।**
    - बाजरा पोषण सुरक्षा प्रदान कर सकता है और विशेष रूप से बच्चों एवं महिलाओं में **पोषण की कमी के खिलाफ** एक ढाल के रूप में कार्य कर सकता है। इसकी उच्च लौह सामग्री भारत में प्रजनन आयु की महिलाओं तथा शिशुओं में **एनीमिया** के उच्च प्रसार से लड़ सकती है।

नोट :

- ग्लूटेन फ्री लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स:
  - बाजरा जीवनशैली की समस्याओं और मोटापे एवं मधुमेह जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है क्योंकि यह **ग्लूटेन फ्री** (एक प्रकार का प्रोटीन जो कभी-कभी सेहत के लिये हानिकारक भी हो सकता है) होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है (खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की एक सापेक्ष रैंकिंग यह है कि वे रक्त शर्करा के स्तर को कैसे प्रभावित करते हैं)।
- उपज में काफी बेहतर :
  - बाजरा **प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है** (फलने के एक विशिष्ट समय में इसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है) और इस पर **जलवायु परिवर्तन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है**। बाजरा खराब मिट्टी में भी बहुत कम या बिना किसी सहायता के उग सकता है।
  - बाजरा **कम पानी की खपत वाला अन्नाज है और बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों, सूखे की स्थिति,** गैर-सिंचित परिस्थितियों में उत्पादन में सक्षम है।
  - बाजरे में **कार्बन और वाटर फुटप्रिंट कम** होता है (बाजरे की तुलना में चावल के पौधों को बढ़ने के लिये कम-से-कम 3 गुना अधिक पानी की आवश्यकता होती है)।

- सरकार द्वारा की गई पहल:
  - **'गहन बाजरा संवर्द्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल (Initiative for Nutritional Security through Intensive Millet Promotion-INSIMP):**
  - **MSP में बढ़ोतरी:** भारत सरकार द्वारा बाजरे के MSP में बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसान बाजरा उत्पादन के लिये प्रोत्साहित होंगे।
    - इसके अलावा बाजरे की उपज के लिये एक स्थिर बाज़ार प्रदान करने के लिये भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बाजरे को भी शामिल किया गया है।
  - **इनपुट सहायता (Input Support):** बाजरे के उत्पादन के लिये भारत सरकार द्वारा किसानों को **बीज किट** (Seed Kits) और इनपुट सहायता के रूप में **किसान उत्पादक संगठनों** (Farmer Producer Organisations) के माध्यम से मूल्य शृंखला का निर्माण तथा बाजरे के लिये बाज़ार क्षमता को विकसित करने में मदद की जा रही है।

भारतीय दूरसंचार विधेयक प्रस्ताव 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **दूरसंचार विभाग (DoT)** ने इंटरनेट आधारित ओवर-द-टॉप (OTT) दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिये **भारतीय दूरसंचार विधेयक प्रस्ताव 2022** जारी किया।

भारतीय दूरसंचार विधेयक प्रस्ताव 2022:

- परिचय:
  - मसौदा विधेयक तीन अलग-अलग अधिनियमों को समेकित करता है जो वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं जिसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, **भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933** और **द टेलीग्राफ वायर्स (गैरकानूनी संरक्षण) अधिनियम, 1950** शामिल हैं।
- ट्राई की शक्ति में कमी:
  - दूरसंचार विभाग ने सेवा प्रदाताओं को नए लाइसेंस जारी करने पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India-TRAI/ट्राई) की कुछ महत्त्वपूर्ण शक्तियों और ज़िम्मेदारियों को कम करने का भी प्रस्ताव दिया है।
- OTT विनियमन:
  - सरकार ने इंटरनेट आधारित और OTT संचार सेवाओं जैसे- **व्हाट्सएप कॉल, फेसटाइम, गूगल मीट आदि को दूरसंचार सेवाओं के तहत शामिल किया है।**
    - यह मांग एक समान अवसर प्रदान करने के लिये दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। फिलहाल जहाँ टेलीकॉम कंपनियों को सेवाएँ देने के लिये **लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जबकि OTT प्लेटफॉर्म को नहीं।**
    - इसके अलावा OTT को दूरसंचार सेवाओं के दायरे में लाने का मतलब है कि OTT और इंटरनेट आधारित संचार सेवाएँ प्रदान करने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता होगी।
- वापसी का प्रावधान:
  - दूरसंचार मंत्रालय ने किसी दूरसंचार या इंटरनेट प्रदाता द्वारा अपना लाइसेंस सरेंडर करने की स्थिति में शुल्क वापसी का प्रावधान प्रस्तावित किया है।
- लाइसेंसधारियों द्वारा भुगतान में चूक:
  - भुगतान में चूक की स्थिति और असाधारण परिस्थितियों में वित्तीय, उपभोक्ता ब्याज़, क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा बनाए रखने या विश्वसनीयता एवं दूरसंचार सेवाओं की निरंतर पूर्ति सहित

नोट :

सरकार ऐसी राशियों के भुगतान को स्थगित कर सकती है अथवा एक हिस्से या सभी देय राशियों को शेयरों में परिवर्तित कर सकती है, देय राशियों को बट्टे खाते में डाल सकती है या भुगतान से राहत प्रदान कर सकती है।

- दिवाला मामले में:
  - दिवालिया होने की स्थिति में इकाई को सौंपा गया स्पेक्ट्रम सरकारी नियंत्रण में वापस आ जाता है तथा केंद्र सरकार इस तरह के लाइसेंसधारी को स्पेक्ट्रम का उपयोग जारी रखने की अनुमति देने सहित कोई और निर्धारित कार्रवाई कर सकती है।
- दूरसंचार विकास कोष:
  - यह **यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF)** का नाम बदलकर **दूरसंचार विकास कोष (TDF)** करने का प्रस्ताव करता है।
    - USOF की प्राप्ति **दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के वार्षिक राजस्व** से होती है। TDF के लिये प्राप्त राशि को सबसे पहले भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।
  - इस कोष का उपयोग ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिये किया जाएगा। यह **नई दूरसंचार सेवाओं के अनुसंधान और विकास, कौशल विकास एवं नई दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत का समर्थन करने में भी सहायता करेगा।**

भारत में दूरसंचार उद्योग की वर्तमान स्थिति:

- वर्तमान स्थिति:
- भारत में दूरसंचार उद्योग वर्ष 2022 तक 1.17 बिलियन ग्राहकों के साथ **दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। भारत की कुल टेलीडेंसिटी (एक क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक सौ व्यक्तियों के लिये टेलीफोन कनेक्शन की संख्या है) 85.11 प्रतिशत है।**
- पिछले कुछ वर्षों में उद्योग की घातीय वृद्धि मुख्य रूप से किफायती टैरिफ, व्यापक उपलब्धता, **मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP)** के रोल-आउट, 3G और 4G कवरेज का विस्तार एवं ग्राहकों के उपभोग प्रतिरूप को विकसित करने की वजह से प्रेरित है।
- FDI प्रवाह के मामले में दूरसंचार क्षेत्र तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो **कुल FDI प्रवाह का 6.44% योगदान देता है और प्रत्यक्ष रूप से 2.2 मिलियन रोज़गार एवं अप्रत्यक्ष रूप से 1.8 मिलियन रोज़गार** में योगदान देता है।
- वर्ष 2014 से 2021 के बीच दूरसंचार क्षेत्र में FDI प्रवाह 150% बढ़कर 20.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो वर्ष 2002-2014 के दौरान 8.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- टेलीकॉम सेक्टर में अब ऑटोमैटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दे दी गई है।
- भारत वर्ष 2025 तक लगभग 1 बिलियन स्थापित उपकरणों के साथ विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाज़ार बनने की राह पर है और **वर्ष 2025 तक 920 मिलियन मोबाइल ग्राहक होने की उम्मीद है जिसमें 88 मिलियन 5G कनेक्शन शामिल होंगे।**
- **पहल:**
  - आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत PLI योजनाएँ:
    - दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के निर्माण के लिये 12,195 करोड़ रुपए की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI)। मौजूदा PLI योजना की डिज़ाइन आधारित निर्माण योजना के लिये 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोत्साहन निर्धारित किये गए हैं।
  - दूरसंचार क्षेत्र में सुधार:
    - वर्ष 2021 में तरलता बढ़ाने और दूरसंचार क्षेत्र के भीतर वित्तीय तनाव को कम करने के लिये बड़े पैमाने पर संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक सुधार किये गए हैं।
  - भारत नेट परियोजना:
    - भारत नेट परियोजना के तहत 178,247 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई, जिनमें से 161,870 ग्राम पंचायतों में यह सेवा के लिये तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, 4,218-ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट मीडिया से जोड़ा गया है, जिससे सेवा के लिये तैयार ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 166,088 हो गई है।
    - प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI):
    - ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के विस्तार में तेज़ी लाने के लिये देश भर में फैले सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (PDO) के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई सेवा का प्रावधान करना।
- चुनौतियाँ:
  - **प्रति उपयोगकर्त्ता औसत राजस्व में गिरावट (ARPU):** ARPU में लगातार तीव्र गिरावट देखी जा रही है, जो घटते मुनाफे और कुछ मामलों में गंभीर नुकसान के साथ भारतीय दूरसंचार उद्योग को राजस्व बढ़ाने के एकमात्र तरीके के रूप में समेकन के लिये प्रेरित कर रही है।
    - वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने टेलीकॉम क्षेत्र से लगभग 92,000 करोड़ रुपए के समायोजित सकल राजस्व की वसूली के लिये सरकार की याचिका को अनुमति दे दी, जो उनकी परेशानियाँ और बढ़ा देती है।

नोट :

- **सीमित विस्तार-क्षेत्र की उपलब्धता:** उपलब्ध विस्तार-क्षेत्र यूरोपीय देशों की तुलना में 40% और चीन की तुलना में 50% से कम है।
- **कम ब्रॉडबैंड पहुँच :** देश में कम ब्रॉडबैंड पहुँच चिंता का विषय है। पिछले अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) में ब्रॉडबैंड पर प्रस्तुत श्वेतपत्र के अनुसार, भारत में ब्रॉडबैंड की पहुँच केवल 7% है।
- व्हाट्सएप, ओला आदि जैसे ओवर-द-टॉप (OTT) एप्लीकेशन को किसी दूरसंचार कंपनी से अनुमति या समझौते की आवश्यकता नहीं होती है। इससे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के राजस्व संग्रहण में बाधा उत्पन्न होती है।
- **दूरसंचार उपकरणों पर शुल्कों में भारी उतार-चढ़ाव** जो कि केंद्रीय सर्वर से उपभोक्ता को पूरी प्रणाली से जोड़ने में योगदान देता है।

ओवर-द-टॉप (OTT):

- **OTT** या ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म ऑडियो और वीडियो होस्टिंग तथा स्ट्रीमिंग सेवाएँ **जैसे- नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, हॉटस्टार** आदि हैं, जो कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुए लेकिन जल्द ही स्वयं भी लघु फिल्मों, फीचर फिल्मों के साथ वृत्तचित्र एवं वेब सीरीज़ बनाने व रिलीज़ करने में शामिल हो गए।
  - ये प्लेटफ़ॉर्म कई प्रकार की सामग्री प्रदान करते हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके उपयोगकर्त्ताओं को उस सामग्री का सुझाव देते हैं जिसे वे इस प्लेटफोर्म पर अपने रुचि के आधार पर देख सकते हैं।
  - अधिकांश OTT प्लेटफॉर्म आमतौर पर कुछ सामग्री मुफ्त में पेश करते तथा और प्रीमियम सामग्री के लिये मासिक सदस्यता शुल्क लेते हैं जो आमतौर पर कहीं और उपलब्ध नहीं होता है।

आगे की राह

- भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे- **पर्याप्त विस्तार-क्षेत्र बनाए रखना और नई तकनीकों को तेज़ी से अपनाना** ताकि ग्राहकों को बेहतर एवं सुविधा संपन्न सेवा के साथ नई सुविधाओं और तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके।
- मसौदा दूरसंचार विधेयक 2022 ने इन चुनौतियों की ओर ध्यान दिया और यह किसी भी प्रकार के सुझाव के लिये आमंत्रित करता है ताकि आगे चलकर भारत में दूरसंचार के भविष्य के बारे में एक व्यापक नीति का नेतृत्त्व कर सके।

बैंकिंग प्रणाली तरलता

चर्चा में क्यों ?

मई 2019 के बाद पहली बार लगभग 40 महीने तक अधिशेष में रहने के बाद बैंकिंग प्रणाली में तरलता घाटे में चली गई है।

बैंकिंग प्रणाली तरलता:

- बैंकिंग प्रणाली में अधिक तरलता आसानी से उपलब्ध नकदी को संदर्भित करती है जिससे बैंक अल्पकालिक व्यापार और वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करते हैं।
- किसी निश्चित दिन पर यदि बैंकिंग प्रणाली तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत RBI से एक शुद्ध उधारकर्त्ता है, तो इसे तरलता के घाटे की स्थिति कहा जाता है और यदि बैंकिंग प्रणाली RBI के लिये एक शुद्ध ऋणदाता है तो इसे तरलता अधिशेष कहा जाता है।
  - LAF, RBI के संचालन को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से वह बैंकिंग प्रणाली में या उससे तरलता को बढ़ाता या अवशोषित करता है।

घाटे को ट्रिगर करने वाले मुद्दे:

- नकदी की स्थिति में बदलाव अग्रिम कर निकासी के कारण आया है। इससे कॉल मनी रेट भी अस्थायी रूप से रेपो रेट से ऊपर बढ़ जाती है।
  - कॉल मनी दर वह दर है जिस पर **मुद्रा बाज़ार में अल्पावधि निधि उधार ली जाती है और उधार दी** जाती है।
  - बैंक इस प्रकार के ऋणों का सहारा परिसंपत्ति देयता असंतुलन को भरने, सांविधिक नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और **सांविधिक तरलता अनुपात (SLR)** आवश्यकताओं का अनुपालन करने तथा धन की अचानक मांग को पूरा करने के लिये लेते हैं। **RBI, बैंक, प्राथमिक डीलर आदि कॉल मनी मार्केट के भागीदार हैं।**
  - इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपए में गिरावट को रोकने के लिये RBI का लगातार हस्तक्षेप हो रहा है।
  - चलनिधि की स्थिति में कमी **बैंक ऋण में वृद्धि, विदेशी मुद्रा बाज़ार में भारतीय रिज़र्व बैंक** के हस्तक्षेप और ऋण मांग के असंतुलन के कारण वृद्धिशील ज़मा वृद्धि के कारण हुई है।

एक कठोर तरलता की स्थिति का उपभोक्ताओं पर प्रभाव:

- एक कठोर तरलता (Tight Liquidity) की स्थिति से सरकारी प्रतिभूतियों की प्रतिफल में वृद्धि हो सकती है और बाद में उपभोक्ताओं के लिये ब्याज़ दरों में भी वृद्धि हो सकती है।

नोट :

- RBI रेपो रेट बढ़ा सकता है, जिससे फंड की लागत अधिक हो सकती है।
- बैंक अपनी रेपो-लिंक्ड उधार दरों और फंड-आधारित उधार दर (MCLR) की सीमांत लागत में वृद्धि करेंगे, जिससे सभी ऋण जुड़े हुए हैं। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिये उच्च ब्याज़ दरें होंगी।
  - MCLR वह न्यूनतम ब्याज़ दर है जिस पर कोई बैंक उधार दे सकता है।

आगे की राह:

- RBI की कार्रवाई तरलता की स्थिति की प्रकृति पर निर्भर करेगी। यदि मौजूदा चलनिधि घाटे की स्थिति अस्थायी है और मुख्य रूप से अग्रिम कर प्रवाह के कारण है, तो RBI को कार्रवाई नहीं करनी पड़ सकती है, क्योंकि फंड अंतत: सिस्टम में वापस आ जाना चाहिये।
- हालाँकि अगर यह प्रकृति में दीर्घकालिक है तो RBI को सिस्टम में तरलता की स्थिति में सुधार के लिये उपाय करना पड़ सकता है।

स्टार्टअप की मदद के लिये स्थापित कोष

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने 88 वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) के लिये 2016 में शुरू किये गए स्टार्टअप इंडिया निवेश के लिये फंड ऑफ फंड के तहत 7,385 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

- बदले में AIF ने 720 **स्टार्टअप** में 11,206 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

स्टार्टअप की मदद के लिये स्थापित कोष:

- विषय:
  - **FSS** के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा **पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (AIF)** को सहायता दी जाती है, जो बदले में स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं।
  - FFS की घोषणा 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ की गई थी।.
    - **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT)** द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से 14वें और 15वें वित्त आयोग चक्र (वित्त वर्ष 2016-2020 तथा वित्त वर्ष 2021-2025) में इस राशि का संग्रह किया जाना है।
  - **FFS** ने **शुरुआती चरण, बीज चरण और विकास चरण** में स्टार्टअप के लिये पूंजी उपलब्ध कराई है।
    - इसने **घरेलू पूंजी जुटाने, विदेशी पूंजी पर निर्भरता को कम करने और घरेलू एवं नए उद्यम पूंजी कोष** को प्रोत्साहित करने में भी भूमिका निभाई है।.
- प्रदर्शन:
  - **FFS** के अंतर्गत तय राशि योजना के शुभारंभ के बाद से **21% से** अधिक की CAGR (यौगिक वार्षिक वृद्धि दर) दर से **प्रतिवर्ष बढ़ी** है।
  - इस योजना के संचालन के लिये उत्तरदायी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा हाल ही में सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है ताकि **FFS** के तहत सहायता प्राप्त **वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) को त्वरित गिरावट प्राप्त करके अभीष्ट स्थिति प्राप्त करने के सक्षम बनाया जा सके।**
    - इसके परिणामस्वरूप गिरावट की राशि में **साल-दर-साल 100% की वृद्धि हुई है।**
  - FFS ने AIFs समर्थित 88 में से 67 AIF को एंकर करने में मदद की है।
    - इनमें से 38 बिल्कुल नए निवेश प्रबंधक हैं **जो FFS के भारतीय स्टार्टअप्स के लिये उद्यम पूंजी निवेश के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप हैं।**
  - **FFS** के माध्यम से समर्थित प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप मूल्यांकन में 10 गुना से अधिक की वृद्धि दर्शा रहे हैं, उनमें से कई ने **यूनिकॉर्न स्थिति** (1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का मूल्यांकन) प्राप्त कर ली है।

वैकल्पिक निवेश कोष:

- विषय:
  - वैकल्पिक निवेश कोष **भारत में स्थापित या निगमित कोई भी कोष जो निजी रूप से एक जमा निवेश साधन** है तथा **अपने निवेशकों के लाभ के लिये एक परिभाषित निवेश नीति** के अनुसार निवेश करने हेतु परिष्कृत निवेशकों, चाहे भारतीय हो या विदेशी, से धन एकत्र करता है।
  - **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)** विनियम (AIFs), 2012 के विनियम 2(1)b में AIFs की परिभाषा दी गई है।
  - एक कंपनी, या सीमित देयता भागीदारी (LLP) के माध्यम से, एक **वैकल्पिक निवेश कोष स्थापित किया जा सकता है।**
- श्रेणी:
  - आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से एक में AIF के रूप में पंजीकरण की मांग कर सकते हैं:
  - **श्रेणी I:**
    - वेंचर कैपिटल फंड (एंजेल फंड सहित)

नोट :

- SME फंड
- सामाजिक उद्यम निधि
- इंफ्रास्ट्रक्चर फंड

- श्रेणी II:
  - इसमें वे **AIF** शामिल हैं जो श्रेणी I और III में नहीं आते हैं और जो SEBI (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियमों में अनुमति के अनुसार दिन-प्रतिदिन की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा अन्य उधार नहीं लेते हैं।
  - **उदाहरण:** रियल एस्टेट फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड (PE फंड), डिस्ट्रेस्ड एसेट्स के लिये फंड आदि।
- श्रेणी III:
  - ये AIF, विविध एवं जटिल व्यापारिक रणनीतियों का प्रयोग करते हैं तथा सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध डेरिवेटिव में निवेश कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  - उदाहरण: हेज फंड, पब्लिक इक्विटी में निजी निवेश (PIPE) फंड आदि।

भारत में स्टार्टअप्स की स्थिति:

- स्टार्टअप का परिचय:
  - स्टार्टअप शब्द एक कंपनी के संचालन के पहले चरण को संदर्भित करता है। स्टार्टअप एक या एक से अधिक उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाते हैं जो मांग वाले उत्पाद या सेवा संबंधी उद्यम विकसित करना चाहते हैं।
  - ये कंपनियाँ आमतौर पर उच्च लागत और सीमित राजस्व के साथ शुरू होती हैं, यही वजह है कि वे उद्यम पूंजीपतियों जैसे विभिन्न स्रोतों से पूंजी की तलाश करती हैं।
- भारत में स्थिति:
  - राष्ट्रीय परिदृश्य:
    - अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारितंत्र बन गया है।
    - भारत में 75,000 स्टार्टअप हैं।
    - 49% स्टार्टअप टियर-2 और टियर-3 शहरों में हैं।
    - वर्तमान में 105 यूनिकॉर्न हैं, जिनमें से 44 को वर्ष 2021 में और 19 को वर्ष 2022 में प्रारंभ किया गया था।
    - आईटी, कृषि, विमानन, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी स्टार्टअप उभर रहे हैं।
  - वैश्विक नवाचार सूचकांक:
    - विश्व की 130 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) की वैश्विक रैंकिंग में वर्ष 2015 के 81वें से 2021 में 46वें स्थान पर रखा गया है।
    - भारत 34 निम्न मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे स्थान पर है और GII के संदर्भ में 10 मध्य और दक्षिणी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम स्थान पर है।
  - अन्य रैंकिंग:
    - प्रकाशन:
    - राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन डेटाबेस के आधार पर वर्ष 2013 के छठे स्थान से विश्व स्तर पर तीसरे (2021) स्थान पर पहुँच गया।
    - पेटेंट:
    - रेजिडेंट पेटेंट फाइलिंग के मामले में विश्व स्तर पर 9वें (2021) स्थान पर है।
    - अनुसंधान प्रकाशनों की गुणवत्ता:
    - 2013 के 13वें स्थान से वैश्विक स्तर पर 9वें (2021) स्थान पर पहुँच गया।
- स्टार्टअप के लिये पहल:
  - नवाचारों के विकास और दोहन के लिये राष्ट्रीय पहल (निधि)
  - स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान (SIAP)
  - स्टार्टअप पारितंत्र को समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग (RSSSE)
  - स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS):
    - इसका उद्देश्य स्टार्टअप को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाज़ार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  - राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार:
    - उन उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और पारितंत्र एनेबलर्स की पहचान और उन्हें पुरस्कृत करना जो नवाचार एवं प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देकर आर्थिक गतिशीलता में योगदान दे रहे हैं।

मेक इन इंडिया के आठ वर्ष

चर्चा में क्यों ?

मेक इन इंडिया ने आठ वर्ष के पथ-प्रदर्शक सुधार कर लिये हैं और वर्ष 2022 में वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोगुना होकर 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

नोट :

मेक इन इंडिया कार्यक्रम:

- परिचय:
  - वर्ष 2014 में लॉन्च किये गए मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य में बदलना है।
  - यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को 'न्यू इंडिया' की विकास गाथा में भाग लेने हेतु एक खुला निमंत्रण है।
  - मेक इन इंडिया ने 27 क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इनमें विनिर्माण और सेवाओं के रणनीतिक क्षेत्र भी शामिल हैं।
- उद्देश्य:
  - नए औद्योगीकरण के लिये विदेशी निवेश को आकर्षित करना और चीन से आगे निकलने के लिये भारत में पहले से मौजूद उद्योग आधार का विकास करना।
  - मध्यावधि में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को 12-14% वार्षिक करने का लक्ष्य।
  - देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% करना।
  - वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोज़गार सृजित करना।
  - निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देना।
- परिणाम:
  - FDI अंतर्वाह: 2014-2015 में भारत में FDI अंतर्वाह 45.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और तब से लगातार आठ वर्षों में रिकॉर्ड FDI प्रवाह तक पहुँच गया है।
    - वर्ष 2021-22 में 83.6 अरब अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक FDI दर्ज किया गया।
    - हाल के वर्षों में आर्थिक सुधारों और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की वजह से भारत चालू वित्त वर्ष (2022-23) में FDI में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को आकर्षित करने की राह पर है।
  - वित्तीय वर्ष 2021-22 में खिलौनों का आयात 70% घटकर (877.8 करोड़ रुपए) हो गया है। भारत के खिलौनों के निर्यात में अप्रैल-अगस्त 2022 में 2013 की इसी अवधि की तुलना में 636% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है।
  - प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI): 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना 2020-21 में मेक इन इंडिया पहल को एक बड़े बढ़ावा के रूप में शुरू की गई थी।

मेक इन इंडिया योजना में सहायक पहल:

- **राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS):**
  - राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) **का सितंबर 2021 में शुभारंभ किया गया ताकि निवेशकों को अनुमोदन और मंज़ूरी के लिये** एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करके व्यापार करने में आसानी हो।
  - इस पोर्टल ने निवेशकों के अनुभव को बढ़ाने के लिये **भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की कई मौजूदा निकासी प्रणालियों को एकीकृत किया है।**
- गति शक्ति:
  - सरकार ने देश में विनिर्माण क्षेत्रों के लिये **मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी हेतु एक कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसे** प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्यक्रम कहा जाता है। **यह कनेक्टिविटी में सुधार करने वाले बुनियादी ढाँचे के निर्माण के माध्यम से व्यावसायिक संचालन में दुलाई-संबंधी दक्षता सुनिश्चित करेगा।**
- एक ज़िला एक उत्पाद योजना (ODOP):
  - इस पहल का **उद्देश्य देश के प्रत्येक ज़िले को स्वदेशी उत्पादों के प्रचार और उत्पादन की सुविधा प्रदान करना** तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों के हथकरघा, हस्तशिल्प, वस्त्र, कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पादों के कारीगरों और निर्माताओं को एक वैश्विक मंच प्रदान करना है, जिससे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिलता है।
- खिलौना निर्यात में सुधार और आयात को कम करना:
  - निम्न गुणवत्ता और खतरनाक खिलौनों के आयात को संबोधित करने तथा खिलौनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा बुनियादी सीमा शुल्क को 20% से बढ़ाकर 60% करने, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का कार्यान्वयन, आयातित खिलौनों का अनिवार्य नमूना परीक्षण, घरेलू खिलौना निर्माताओं को 850 से अधिक बीआईएस लाइसेंस देने, खिलौना क्लस्टरों के विकास आदि जैसे कई रणनीतिक हस्तक्षेप किये गए हैं।
- अर्द्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु योजना:
  - विश्व अर्थव्यवस्था में अर्द्धचालकों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने भारत में एक अर्द्धचालक, प्रदर्शन और डिज़ाइन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रोत्साहन योजना शुरू की है।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम से संबंधित मुद्दे:

- **शेल कंपनियों से निवेश:** भारतीय एफडीआई का बड़ा हिस्सा न तो विदेशी है और न ही प्रत्यक्ष बल्कि मॉरीशस स्थित शेल कंपनियों से आता है, जिनके बारे में संदेह है कि वे केवल भारत से काले धन का निवेश कर रहे हैं, जो मॉरीशस के माध्यम से भेजा जाता है।

नोट :

- **कम उत्पादकता:** भारतीय कारखानों की उत्पादकता कम है और श्रमिकों के पास अपर्याप्त कौशल है।
  - मैकिंजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिर्माण क्षेत्र में भारतीय श्रमिक थाईलैंड और चीन में अपने समकक्षों की तुलना में औसतन लगभग चार से पाँच गुना कम उत्पादक हैं।
- **लघु औद्योगिक इकाइयाँ:** पैमाने की वांछित अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने, आधुनिक उपकरणों में निवेश करने तथा आपूर्ति शृंखला विकसित करने के लिये औद्योगिक इकाइयों का आकार छोटा है।
- **बुनियादी ढाँचा:** भारत और चीन में विद्युत की लागत लगभग समान है, लेकिन भारत में विद्युत की कटौती बहुत अधिक है।
- **परिवहन:** चीन में औसत गति लगभग 100 किमी. प्रति घंटा है, जबकि भारत में यह लगभग 60 किमी. प्रति घंटा है। **भारतीय रेलवे संतृप्त हो गया है और बहुत से एशियाई देशों के लिये भारतीय बंदरगाहों का प्रदर्शन बेहतर किया गया है।**
  - **विश्व बैंक के वर्ष 2018 लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) ने 160 देशों में भारत को 44वाँ स्थान दिया।** सिंगापुर सातवें, चीन को 26वें और मलेशिया को 41वें स्थान पर रखा गया। सिंगापुर में जहाज़ का औसत टर्नअराउंड समय एक दिन से भी कम था और भारत में यह 2.04 दिन था।
- **लालफीताशाही:** नौकरशाही प्रक्रियाएँ और भ्रष्टाचार भारत को निवेशकों के लिये कम आकर्षक बनाते हैं।

आगे की राह

- मेक इन इंडिया पहल यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि **देश में व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र भारत में व्यापार करने वाले निवेशकों के लिये अनुकूल है और राष्ट्र के वृद्धि एवं विकास में योगदान दे।**
- यह कई सुधारों के माध्यम से संभव हुआ है जिससे निवेश प्रवाह में वृद्धि हुई है और साथ ही आर्थिक विकास भी हुआ है।
- इस पहल के अंतर्गत भारत में व्यवसायों का लक्ष्य है कि जो उत्पाद 'मेड इन इंडिया' हैं, वे 'मेड फॉर द वर्ल्ड' भी हैं, जो गुणवत्ता के वैश्विक मानकों का पालन करते हैं।

सेमीकंडक्टर चिप निर्माण हेतु संशोधित प्रोत्साहन योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु योजना में बदलाव को मंज़ूरी दी है ताकि भारत की 10 बिलियन डॉलर की **चिप निर्माण पहल** को निवेशकों के लिये अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

भारत की चिप निर्माण योजना में स्वीकृत परिवर्तन:

- पृष्ठभूमि:
  - वर्ष 2021 में भारत ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिये लगभग $ 10 बिलियन डॉलर की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना की घोषणा की।
  - साथ ही डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, आईपी अधिकारों आदि से संबंधित वैश्विक और घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिये एक डिज़ाइन-लिंक्ड इनिशिएटिव (DLI) योजना की घोषणा की गई।
- परिवर्तन:
  - **एक समान 50% वित्तीय सहायता:** योजना के पिछले संस्करण में केंद्र सरकार 45nm से 65nm चिप उत्पादन के लिये परियोजना लागत का 30%, 28nm से 45nm के लिये 40% और 28nm या उससे कम के लिये 50% या आधी लागत की सहायता करती थी। संशोधित योजना सभी नोड्स के लिये एक समान 50% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  - वेदांता और ताइवान की चिपमेकर फॉक्सकॉन ने गुजरात में 1,54,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिये समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।
  - दो अन्य परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है:
    - इंटरनेशनल कंसोर्टियम आईएसएमसी द्वारा कर्नाटक में 3 बिलियन डॉलर का प्लांट।
    - आईएसएमसी अबू धाबी स्थित नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स और इज़रायल के टॉवर सेमीकंडक्टर का संयुक्त उद्यम है।
    - सिंगापुर के आईजीएसएस वेंचर्स द्वारा तमिलनाडु में 3.5 बिलियन डॉलर का प्लांट।
    - **45nm चिप का उत्पादन:** संशोधित योजना ने 45nm चिप के उत्पादन पर भी ज़ोर दिया, जो उत्पादन के मामले में काफी कम समय लेने वाला और किफायती है।
    - इन चिप्स की उच्च मांग है, जो मुख्य रूप से ऑटोमोटिव, पावर और दूरसंचार अनुप्रयोगों द्वारा संचालित है।
- महत्त्व:
  - इन परिवर्तनों से अर्द्धचालकों के सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिये सरकारी प्रोत्साहनों में सामंजस्य स्थापित होगा।
  - यह भारत में **एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिये** चिप के सभी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगा।
  - PLI और DLI योजनाओं ने भारत में अर्द्धचालक निर्माण संयंत्र (fabs) स्थापित करने के लिये कई वैश्विक अर्द्धचालक अभिकर्त्ताओं को आकर्षित किया था एवं **संशोधित कार्यक्रम इन निवेशों को और तेज़ करने के साथ ही अधिक आवेदकों को आमंत्रित करेगा।**

नोट :

- चिंताएँ:
  - हालाँकि यह योजना एक उत्साहजनक कदम है, **चिप उत्पादन एक संसाधन-गहन और महँगी प्रक्रिया है।** नई योजना **प्रक्रिया के सभी चरणों के लिये समान वित्तपोषण प्रदान करती है।** तथापि, **इस योजना का परिव्यय 10 अरब डॉलर है।**
  - केवल एक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिये 3 से 7 बिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता होती है।

सेमीकंडक्टर चिप्स:

- विषय:
  - सेमीकंडक्टर ऐसी सामग्री है जिसमें **चालकता सुचालक और कुचालक के बीच होती है।**
  - ये **शुद्ध धातु, सिलिकॉन अथवा ज़र्मेनियम या कोइ यौगिक, गैलियम, आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड** हो सकते हैं।
  - **सेमीकंडक्टर चिप का मूल घटक सिलिकॉन का एक टुकड़ा होता है,** जिसे अरबों सूक्ष्म ट्रांजिस्टर के साथ उकेरा जाता है और विशिष्ट खनिजों एवं गैसों के साथ प्रक्षेपित किया जाता है, जो विभिन्न संगणकीय निर्देशों का पालन करते हुए **विद्युत् धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिये** प्रतिरूप बनाते हैं।
  - आज के समय में उपलब्ध सबसे उन्नत अर्द्धचालक प्रौद्योगिकी नोड 3 nm और 5 nm (Nanometer) वाले हैं।
  - **उच्च नैनोमीटर मान वाले अर्द्धचालक ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में लगाए** जाते हैं, जबकि **कम मान वाले अर्द्धचालकों का उपयोग स्मार्टफोन और लैपटॉप** जैसे उपकरणों में किया जाता है।
  - **चिप बनाने की प्रक्रिया** जटिल और बहुत सटीक है, जिसमें **आपूर्ति शृंखला में कई अन्य चरण** होते हैं जैसे कि कंपनियों द्वारा उपकरणों में उपयोग के लिये नई सर्किट विकसित करने हेतु **चिप-डिज़ाइनिंग, चिप्स के लिये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना** और केंद्रीय बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के माध्यम से उनका पेटेंट कराना।
    - इसके अंतर्गत **चिप-निर्माण मशीन बनाना शामिल है; फैब या कारखाने, ATMP स्थापित करना।**
- महत्त्व:
  - सेमीकंडक्टर्स स्मार्टफोन से लेकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) में जुड़े उपकरणों तक लगभग हर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के थंबनेल के आकार के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। वे उपकरणों को संगणकीय शक्ति देने में मदद करते हैं।
- वैश्विक परिदृश्य:
  - चिप बनाने वाला उद्योग **अत्यधिक केंद्रित** है, जिसमें बड़े अभिकर्त्ता ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका हैं। वास्तव में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (TSMC) द्वारा **ताइवान में 5nm चिप्स का 90% बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है।**
  - इसलिये वैश्विक चिप की कमी, ताइवान पर अमेरिका-चीन तनाव और रूस-यूक्रेन संघर्ष **के** कारण **आपूर्ति शृंखला अवरोधों** ने **प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को नए सिरे से चिप बनाने के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिये प्रेरित किया है।**
  - **वैश्विक अर्द्धचालक उद्योग का मूल्य** वर्तमान में 500-600 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और वर्तमान में लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कि पूर्ति करता है।
- भारतीय परिदृश्य:
  - भारत वर्तमान में सभी चिप्स का आयात करता है और वर्ष 2025 तक बाज़ार के 24 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। हालाँकि **सेमीकंडक्टर चिप के घरेलू निर्माण के लिये भारत ने हाल ही में कई पहल शुरू की हैं:**
    - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **'अर्द्धचालक और प्रदर्शन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र'** के विकास का समर्थन करने के लिये 76,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है।
    - भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और अर्द्धचालकों के निर्माण के लिये इलेक्ट्रॉनिक घटकों एवं अर्द्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (SPECS) भी शुरू की है।
    - वर्ष 2021 में MeitY ने सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में शामिल कम-से-कम 20 घरेलू कंपनियों का पोषण करने और उन्हें अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हासिल करने की सुविधा के लिये **डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI)** योजना भी शुरू की।
  - भारत में अर्द्धचालकों की अपनी **खपत वर्ष 2026 तक 80 अरब डॉलर और वर्ष 2030 तक 10 अरब डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।**

आगे की राह

- हालाँकि भारत ऑटोमोटिव और उपकरण क्षेत्र को आपूर्ति करने के लिये शुरुआत में "लैगिंग-एज" प्रौद्योगिकी नोड्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, **वैश्विक मांग पैदा करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ताइवान जैसी बड़ी कंपनियाँ दुनिया भर में व्यवहार्य अत्याधुनिक चिप-टेक प्रदान करती हैं। इस प्रकार वैश्विक अभिकर्त्ताओं को यहाँ स्थापित करने के लिये आकर्षित करना फायदेमंद होगा क्योंकि वे अपने ग्राहक आधार** के साथ आते हैं।

नोट :

- वर्तमान योजना परिव्यय का अधिकांश भाग डिस्प्ले फैब, पैकेजिंग और परीक्षण सुविधाओं तथा चिप डिज़ाइन केंद्रों सहित अन्य तत्त्वों का समर्थन करने के लिये आवंटित किया जा सकता है। हालाँकि शुरुआती फंडिंग डिज़ाइन और R&D जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होनी चाहिये, जिसके लिये भारत के पास पहले से ही एक स्थापित प्रतिभा क्षेत्र है।
- चिप बनाने के लिये भी एक दिन में गैलन अति शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, जो कि सरकार के लिये कारखानों को उपलब्ध कराने के काम आ सकता है, इसके अतिरिक्त देश के बड़े हिस्से में अक्सर सूखे की जटिल स्थिति भी देखी गई है।
  - इसके अलावा जलापूर्ति विद्युत की एक निर्बाध आपूर्ति प्रक्रिया के लिये आवश्यक है, केवल कुछ सेकंड के उतार-चढ़ाव या स्पाइक्स के कारण लाखों का नुकसान हो सकता है।
- सरकार के लिये एक और जटिल काम सेमीकंडक्टर उद्योग में उपभोक्ता मांग को बढ़ाना है ताकि ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जाए जहाँ उद्यम केवल तब तक सफल रहें जब तक करदाताओं को आवश्यक सब्सिडी प्रदान किया जाए।

नवीकरणीय ऊर्जा एवं रोज़गार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने "नवीकरणीय ऊर्जा एवं रोज़गार- वार्षिक समीक्षा 2022" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में केवल एक वर्ष में लगभग 700,000 नई नौकरियां सृजित हुई हैं।

- इस रिपोर्ट में **श्रम के साथ घरेलू बाज़ार के आकार** को नौकरी सृजन को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख कारक के रूप में पहचाना गया है।

प्राप्त निष्कर्ष:

- अवलोकन:
  - अक्षय ऊर्जा क्षेत्र ने **वर्ष 2021 में दुनिया भर में 12.7 मिलियन लोगों को रोज़गार दिया,** जो 2020 से 12 मिलियन अधिक है।
  - इस प्रकार की **सभी नौकरियों में लगभग दो-तिहाई हिस्सेदारी एशिया** की है। **अकेले चीन की वैश्विक स्तर पर 42% हिस्सेदारी** है। इसके बाद यूरोपीय संघ और ब्राज़ील का स्थान आता है (जिसमें से प्रत्येक की 10% हिस्सेदारी) तथा फिर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भारत (जिसमें से प्रत्येक की 7% हिस्सेदारी) का स्थान आता है।
  - विकसित अर्थव्यवस्थाओं की अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की बड़ी हिस्सेदारी है। ये **देश 2022 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 60% की वृद्धि** हासिल करने की राह पर हैं।
- क्षेत्रीय रुझान:
  - दक्षिण-पूर्व एशियाई देश प्रमुख सौर फोटोवोल्टिक (PV) विनिर्माण केंद्र और जैव ईंधन उत्पादक बन रहे हैं, जबकि चीन सौर पीवी पैनलों का पूर्व-प्रतिष्ठित निर्माता एवं इंस्टॉलर है तथा अपतटीय पवन क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियाँ सृजित कर रहा है।
- भारत ने 10 गीगावाट से अधिक सौर पीवी जोड़े, जिससे कई इंस्टॉलेशन में कई नौकरियाँ सृजित हुईं, लेकिन आयातित पैनलों पर बहुत अधिक निर्भर है।
  - यूरोप दुनिया के पवन निर्माण उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा है और पवन ऊर्जा उपकरणों का सबसे महत्त्वपूर्ण निर्यातक है; यह अपने सौर पीवी विनिर्माण उद्योग का पुनर्गठन करने की कोशिश कर रहा है।
  - अफ्रीका में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा में रोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं, जबकि अमेरिका में मेक्सिको पवन टरबाइन ब्लेड का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।
  - ब्राज़ील जैव ईंधन में अग्रणी नियोक्ता बना हुआ है, साथ ही पवन और सौर पीवी प्रतिष्ठानों में कई नौकरियाँ भी जोड़ रहा है।
  - अमेरिका उभरते अपतटीय पवन क्षेत्र के लिये एक घरेलू औद्योगिक आधार बनाना शुरू कर रहा है।
- सौर ऊर्जा:
  - सौर ऊर्जा सबसे तेज़ी से उभरता क्षेत्र बना हुआ है।
  - वर्ष 2021 में इसने कुल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यबल के एक-तिहाई से अधिक लगभग 4.3 मिलियन नौकरियाँ प्रदान कीं।
    - वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड 132.8 गीगावाट सौर पीवी क्षमता स्थापित की गई थी, जो वर्ष 2020 में 125.6 गीगावाट थी।
  - चीन ने इस वृद्धि में 53 गीगावाट (40%) का योगदान दिया। इसके बाद अमेरिका, भारत और ब्राज़ील का नंबर आता है, जिन्होंने नए वार्षिक रिकॉर्ड बनाए।
- विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा:
  - वर्ष 2021 में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा **(Decentralised Renewable Energy-DRE)** में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत लोगों की संख्या भारत में 80,000 (ज़्यादातर सौर PV में), केन्या और नाइजीरिया प्रत्येक में 50,000, युगांडा में लगभग 30,000 से अधिक थी।

नोट :

- DRE एक ऐसी प्रणाली है जो स्थानीय तरीके से **विद्युत के उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिये नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करती है।**

- शोधकर्त्ताओं ने पाया कि DRE कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी, खासकर कुशल नौकरियों के क्षेत्र में अभी भी कम है।
  - कुल मिलाकर DRE में महिलाओं की हिस्सेदारी केन्या में 41 फीसदी, इथियोपिया और नाइजीरिया में 37 फीसदी, युगांडा में 28 फीसदी तथा भारत में 21 फीसदी थी।

सिफारिशें:

- ऊर्जा संक्रमण जिसे न केवल अच्छे रोज़गार सृजित करने की आवश्यकता है, बल्कि संक्रमण के दौरान प्रभावित श्रमिकों, समुदायों और क्षेत्रों के लिये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की भी आवश्यकता है।
- सफल और न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण के लिये नीति कार्यान्वयन हेतु मज़बूत सार्वजनिक नीति हस्तक्षेप और सक्षम संस्थानों की आवश्यकता होती है।
- ऐसी औद्योगिक नीतियों का अनुसरण करना जो घर पर ही नवीकरणीय ऊर्जा की अच्छी नौकरियों के विस्तार को प्रोत्साहित करें।
- न केवल ऊर्जा संक्रमण का अंतिम परिणाम बल्कि सभी **अर्थव्यवस्थाओं के दशकों लंबे परिवर्तन की प्रक्रिया भी न्यायसंगत होनी चाहिये।**
- नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार को **समग्र नीति पैकेजों के साथ समर्थन देने की आवश्यकता है,** जिसमें श्रमिकों के लिये प्रशिक्षण भी शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोज़गार उचित, उच्च गुणवत्ता, भुगतान और उचित संक्रमण के क्षेत्र में विविधता हो।

अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA):

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, इसकी आधिकारिक तौर पर स्थापना जनवरी 2009 में बॉन, जर्मनी में की गई थी।
- इसमें कुल 168 सदस्य हैं और भारत IRENA का 77वाँ संस्थापक सदस्य है।
- इसका मुख्यालय आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन:

- यह एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र (UN) एजेंसी है। यह 187 सदस्य राज्यों (भारत एक सदस्य है) की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक मंच प्रदान करता है, श्रम मानकों को निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने तथा सभी महिलाओं एवं पुरुषों के लिये अच्छे काम को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करता है।
- 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया।
- 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्रसंघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।
- 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र की पहली संबद्ध विशिष्ट एजेंसी बनी।
- मुख्यालय: जिनेवा, स्विटज़रलैंड।

तिमाही रोज़गार सर्वेक्षण (QES)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोज़गार सर्वेक्षण (AQEES)** के तहत तिमाही रोज़गार सर्वेक्षण (QES) **के चौथे दौर (जनवरी-मार्च 2022)** की रिपोर्ट जारी की गई।

QES 2022 के प्रमुख निष्कर्ष:

- कुल रोज़गार:
  - चौथे राउंड के दौरान **31 लाख प्रतिष्ठानों** में अनुमानित तौर पर कुल **3.18 करोड़ कामगार** काम कर रहे हैं, **तीसरी तिमाही में यह आँकड़ा 3.14 करोड़** था।

- क्षेत्रवार आँकड़े:
  - **विनिर्माण क्षेत्र: 38.5%**
  - **शिक्षा:** 21.7%
  - **सूचना प्रौद्योगिकी / बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO):** 12%
  - **स्वास्थ्य क्षेत्र:** 6%
- संगठनों का आकार:
  - अगर प्रतिष्ठानों को श्रमिकों की **संख्या के हिसाब से** देखें तो अनुमानित रूप से 80 प्रतिशत प्रतिष्ठानों में 10 से 99 श्रमिक काम कर रहे हैं।
    - **अगर हम 10 या इससे अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों की बात करें** तो यह आँकड़ा बढ़कर 88 प्रतिशत हो जाएगा।

नोट :

- करीब 12 प्रतिशत प्रतिष्ठानों में 10 से कम श्रमिक काम कर रहे हैं।

◆ केवल **4 प्रतिशत प्रतिष्ठानों में कम-से-कम 500 श्रमिक काम कर रहे हैं।**

- ऐसे बड़े प्रतिष्ठान ज़्यादातर IT/BPO और स्वास्थ्य क्षेत्र में हैं।

- महिलाओं की भागीदारी:

◆ चौथी तिमाही की रिपोर्ट में महिला कामगारों की **हिस्सेदारी तीसरी तिमाही के 31.6 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 31.8 प्रतिशत हो गई है।**

◆ **क्षेत्रवार भागीदारी:**

- स्वास्थ्य: 52%
- शिक्षा: 44%
- वित्तीय सेवाएँ: 41%
- IT/BPO: 36%

◆ उल्लेखनीय है कि वित्तीय सेवाओं में स्वरोज़गार करने वाले व्यक्तियों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं अधिक है।

अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोज़गार सर्वेक्षण (AQEES):

- श्रम ब्यूरो द्वारा 'ऑल-इंडिया क्वार्टरली **एस्टैब्लिशमेंट-बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे' को नौ चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोज़गार एवं प्रतिष्ठानों के संबंध में तिमाही आधार पर अद्यतन करने के लिये आयोजित किया जाता है।**

- AQEES के तहत मुख्यत: दो घटक हैं:

◆ 'त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण' (QES):

- यह 9 क्षेत्रों में संगठित खंड में 10 या अधिक श्रमिकों को रोज़गार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिये रोज़गार अनुमान प्रदान करता है।
- ये 9 क्षेत्र हैं- विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां, IT/ BPO, वित्तीय सेवा गतिविधियाँ।

◆ **एरिया फ्रेम एस्टैब्लिशमेंट सर्वे (AFES):** यह एक सैंपल सर्वे द्वारा असंगठित क्षेत्र (10 से कम श्रमिकों के साथ) को कवर करता है।

QES और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में अंतर:

- जहाँ एक ओर **त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण** (QES) मांग पक्ष की तस्वीर प्रदान करता है, वहीं 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' या 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (PLFS) श्रम बाज़ार के आपूर्ति पक्ष की तस्वीर प्रस्तुत करता है।
- 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' का संचालन 'सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय' के तहत 'राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन' (NSO) द्वारा किया जाता है।

नोट :

भारतीय इतिहास

अंबेडकर सर्किट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने अंबेडकर सर्किट नामक एक विशेष पर्यटक सर्किट की घोषणा की जिसमें डॉ. भीम राव अंबेडकर से संबंधित पाँच प्रमुख स्थलों को शामिल किया गया है।

अंबेडकर सर्किट:

- परिचय:
  - सरकार ने पहली बार वर्ष 2016 में अंबेडकर सर्किट या पंचतीर्थ का प्रस्ताव रखा था, लेकिन हाल ही में इस योजना की अवधारणा प्रस्तुत की गई है।
  - सरकार द्वारा घोषित पर्यटन सर्किट के पाँच शहर हैं:
    - जन्मभूमि- मध्य प्रदेश के महू में अंबेडकर का जन्मस्थान।
    - शिक्षा भूमि- लंदन में वह स्थान जहाँ वह अपने अध्ययन काल में रहते थे।
    - दीक्षा भूमि- नागपुर में वह स्थान जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया।
    - महापरिनिर्वाण भूमि- दिल्ली में उनके निधन का स्थान।
    - चैत्य भूमि- मुंबई में उनके अंतिम संस्कार का स्थान।
- महत्त्व:
  - पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करना:
    - इसका उद्देश्य दलित समुदाय के अलावा पर्यटकों को आकर्षित करना है, जो ज़्यादातर इन स्थानों पर तीर्थ यात्रा के लिये आते हैं।
    - यात्रा में भोजन, परिवहन और स्थल पर प्रवेश शामिल होगा।
  - क्षेत्र का विकास:
    - विशेष सर्किट के निर्माण से सरकार को बुनियादी ढाँचे, सड़क और रेल संपर्क एवं आगंतुक सुविधाओं सहित विषय से संबंधित सभी स्थलों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है।

अंबेडकर सर्किट से संबंधित मुद्दे:

- सरकार के स्थानीय और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना:
  - विभिन्न दलित विद्वानों और अंबेडकरवादियों ने तर्क दिया कि इसमें शामिल पाँच स्थल अंबेडकर की वास्तविक विरासत के साथ न्याय नहीं करते हैं ये केवल सरकार के "स्थानीय और राष्ट्रवादी" छवि का तुष्टिकरण करते हैं।
- अन्य महत्त्वपूर्ण स्थलों को मान्यता:
  - आलोचकों का दावा है कि कई अन्य स्थल हैं जिन्हें अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई जैसे:
    - महाराष्ट्र का रायगढ़ ज़िला, जहाँ डॉ. अंबेडकर ने महाड सत्याग्रह का नेतृत्व किया था,
    - पुणे, जहाँ उन्होंने यरवदा जेल में महात्मा गांधी के साथ दलित वर्गों के लिये एक अलग निर्वाचक मंडल के विषय पर पहली बार बातचीत की थी।
    - इसी का परिणाम दलित वर्गों की ओर से डॉ अंबेडकर द्वारा और उच्च जाति के हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षरित पूना पैक्ट था।
    - श्रीलंका, जहाँ उन्होंने एक बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया, के बारे में कहा जाता है कि इसने उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने के लिये प्रभावित किया।
    - कोल्हापुर, जहाँ मार्च 1920 में एक और महान समाज सुधारक छत्रपति शाहूजी महाराज ने डॉ अंबेडकर को भारत में उत्पीड़ित वर्गों के सच्चे नेता के रूप में घोषित किया।

अन्य पर्यटन सर्किट:

- सरकार ने वर्ष 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत 15 पर्यटन सर्किटों की पहचान की थी।
- रामायण और बौद्ध सर्किट के अलावा अन्य में तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज, नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन, सूफी, कृष्णा, ग्रामीण, आदिवासी और तीर्थंकर सर्किट शामिल हैं।
- ट्रेन सहयोग के मामले में रामायण, बौद्ध और पूर्वोत्तर सर्किट पहले से ही सक्रिय हैं, जबकि चौथा अंबेडकर सर्किट होगा।

डॉ. भीमराव अंबेडकर:

- परिचय:
  - बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म वर्ष 1891 में महू, मध्य प्रांत (अब मध्य प्रदेश) में हुआ था।
  - उन्हें 'भारतीय संविधान का जनक' माना जाता है और वह भारत के पहले कानून मंत्री थे।
    - वह संविधान निर्माण की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।
  - डॉ. अंबेडकर एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद, मुखर वक्ता, विद्वान और धर्मों के विचारक थे।
  - उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों (Round Table Conferences) में भाग लिया।
  - वर्ष 1932 में डॉ. अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किये, जिससे उन्होंने दलित वर्गों (सांप्रदायिक पंचाट) हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के विचार को छोड़ दिया।

नोट :

- हालाँकि प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिये सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई तथा केंद्रीय विधानमंडल (Central Legislature) में दलित वर्गों की सुरक्षित सीटों की संख्या में 18 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

- हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission) के समक्ष प्रस्तुत उनके विचारों ने भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) की नींव रखने का कार्य किया।
  - उन्होंने वर्ष 1951 में हिंदू कोड बिल पर मतभेदों के कारण कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।
  - उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर, 1956 को उनका निधन हो गया। चैत्य भूमि मुंबई में स्थित भीमराव अंबेडकर का स्मारक है।
- वर्ष 1936 में वे विधायक (MLA) के रूप में बॉम्बे विधानसभा (Bombay Legislative Assembly) के लिये चुने गए।
- वर्ष 1942 में उन्हें एक कार्यकारी सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया था।
- वर्ष 1947 में डॉ. अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने हेतु प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण को स्वीकार किया।
- हिंदू कोड बिल (Hindu Code Bill) पर मतभेद को लेकर उन्होने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।
- उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तथा 6 दिसंबर, 1956 (महापरिनिर्वाण दिवस) को उनका निधन हो गया।

महत्त्वपूर्ण कार्य:

- पत्रिकाएँ:
  - मूकनायक (1920)
  - बहिष्कृत भारत' (1927)
  - समता (1929)
  - जनता (1930)
- पुस्तकें:
  - जाति प्रथा का विनाश
  - बुद्ध या कार्ल मार्क्स
  - अछूत: वे कौन थे और अछूत कैसे बन गए
  - बुद्ध और उनके धम्म
  - हिंदू महिलाओं का उदय और पतन
- संगठन:
  - बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1923)
  - स्वतंत्र लेबर पार्टी (1936)
  - अनुसूचित जाति फेडरेशन (1942)

भगत सिंह की जयंती

चर्चा में क्यों ?

28 सितंबर, 2022 को भगत सिंह की 115वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धांजलि देते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ हवाईअड्डे का नामकरण भगत सिंह के नाम पर करने की घोषणा की।

जीवन परिचय:

- आरंभिक जीवन:
  - भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर, 1907 में भागनवाला (Bhaganwala) के रूप में हुआ तथा इनका पालन-पोषण पंजाब के दोआब क्षेत्र में स्थित जालंधर ज़िले के संधू जाट किसान परिवार में हुआ।
    - वह एक ऐसी पीढ़ी से ताल्लुक रखते थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दो निर्णायक चरणों में हस्तक्षेप करती थी- पहला, लाल-बाल-पाल के 'चरमपंथ' का चरण और दूसरा, अहिंसक सामूहिक कार्रवाई का गांधीवादी चरण।
- स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:
  - वर्ष 1923 में भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज, लाहौर में प्रवेश लिया, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय एवं भाई परमानंद ने की थी तथा प्रबंधन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता था।
    - शिक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी का विचार लाने के उद्देश्य से इस कॉलेज को सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों के विकल्प के रूप में स्थापित किया गया था।
  - वर्ष 1924 में वह कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा एक साल पहले शुरू किये गए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के सदस्य बने। एसोसिएशन के मुख्य आयोजक चंद्रशेखर आज़ाद थे और भगत सिंह उनके बहुत करीबी बन गए थे।

नोट :

- हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य के रूप में भगत सिंह ने 'फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब' (Philosophy of the Bomb) को गंभीरता से लेना शुरू किया।
- फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा ने लिखा था। उन्होंने फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब सहित तीन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज़ लिखे; अन्य दो दस्तावेज़ नौजवान सभा का घोषणापत्र और HSRA का घोषणापत्र थे।
- उन्होंने सशस्त्र क्रांति को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एकमात्र हथियार माना।

- वर्ष 1925 में भगत सिंह लाहौर लौट आए और अगले एक वर्ष के भीतर उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 'नौजवान भारत सभा' नामक एक उग्रवादी युवा संगठन का गठन किया।
- अप्रैल 1926 में भगत सिंह ने सोहन सिंह जोश के साथ संपर्क स्थापित किया तथा उनके साथ मिलकर 'श्रमिक और किसान पार्टी' (Workers and Peasants Party) की स्थापना की, जिसने पंजाबी में एक मासिक पत्रिका कीर्ति का प्रकाशन किया।
  - साल भर तक भगत सिंह ने सोहन सिंह जोश के साथ मिलकर कार्य किया तथा कीर्ति के संपादक मंडल में शामिल हो गए।
- वर्ष 1927 में काकोरी कांड (Kakori Case) में संलिप्त होने के आरोप में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था तथा अपने छद्म नाम 'विद्रोही' से लिखे गए लेख हेतु आरोपी माना गया।
- वर्ष 1928 में भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन (HSRA) कर दिया।
  - वर्ष 1930 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के साथ ही HSRA भी समाप्त हो गया।
  - पंजाब में HSRA का स्थान नौजवान भारत सभा ने ले लिया।
- लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिये भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट की हत्या की साजिश रची। हालाँकि क्रांतिकारियों ने गलती से जे.पी. सॉन्डर्स को मार डाला। इस घटना को लाहौर षड्यंत्र मामला (1929) के नाम से जाना जाता है।
  - वर्ष 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के भारत आगमन के विरोध में निकाले गए एक जुलूस का नेतृत्व किया था। इस जुलूस में शामिल लोगों पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।
- भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दो दमनकारी विधेयकों- सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने के विरोध में 8 अप्रैल, 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका।
  - उनके पत्रकों में किये गए उल्लेख के अनुसार, उनके द्वारा बम फेंके जाने का उद्देश्य, किसी को मारना नहीं था बल्कि बधिर हो चुकी ब्रिटिश सरकार को उसके द्वारा निर्दयतापूर्वक किये जा रहे शोषण के बारे में सचेत करना था।
  - इस घटना के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा मुकदमे का सामना किया ताकि अपने उद्देश्यों को जन-जन तक पहुँचा सकें। इस घटना के लिये उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी।
- भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले में जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या करने एवं बम निर्माण का भी दोषी पाया गया तथा इस मामले में 23 मार्च, 1931 को सुखदेव एवं राजगुरु के साथ लाहौर में उन्हें फाँसी दे दी गई।
- हर साल 23 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने हेतु शहीद दिवस मनाया जाता है।

- प्रकाशन:
  - मैं नास्तिक क्यों हूँ: एक आत्मकथात्मक प्रवचन (Why I Am an Atheist: An Autobiographical Discourse)
  - द जेल नोटबुक एंड अदर राइटिंग्स

नोट :

भारतीय राजनीति

सामाजिक लोकतंत्र का नॉर्डिक मॉडल

चर्चा में क्यों ?

स्वीडन में नई दक्षिणपंथी सरकार बनने वाली है, जो सामाजिक लोकतंत्र के नॉर्डिक (स्कैंडिनेवियाई) मॉडल के लिये खतरा है।

- मॉडरेट पार्टी के नेतृत्व में स्वीडन के दक्षिणपंथी गठबंधन ने सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी के नेतृत्व वाले सेंटर लेफ्ट ब्लॉक गठबंधन को हराया, इसके बावजूद सोशल डेमोक्रेट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी रही।
- स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड को सामूहिक रूप से नॉर्डिक देशों के रूप में जाना जाता है।

लोकतंत्र का नॉर्डिक मॉडल

- नॉर्डिक मॉडल स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड में पालन किये जाने वाले मानकों को संदर्भित करता है। ये राष्ट्र उच्च जीवन स्तर और निम्न-आय असमानता के लिये जाने जाते हैं।
- मॉडल मुक्त-बाज़ार पूंजीवाद और समाज कल्याण का एक अनूठा संयोजन है।
  - आपूर्ति और मांग पर आधारित आर्थिक प्रणाली मुक्त बाज़ार के रूप में जानी जाती है।
  - सामाजिक लाभों को करदाताओं द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और सभी नागरिकों के लाभ के लिये सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- यह एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली है जो पूंजीवाद के लाभों को संरक्षित करते हुए पुनर्वितरण कराधान और एक मज़बूत सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से अमीर एवं गरीब के बीच की खाई को कम करती है।
- लैंगिक समानता संस्कृति की एक विशिष्ट विशेषता है जिसके परिणामस्वरूप न केवल महिलाओं द्वारा कार्यस्थल में उच्च स्तर की भागीदारी बल्कि पुरुषों द्वारा उच्च स्तर की पैतृक भागीदारी भी सुनिश्चित होती है।

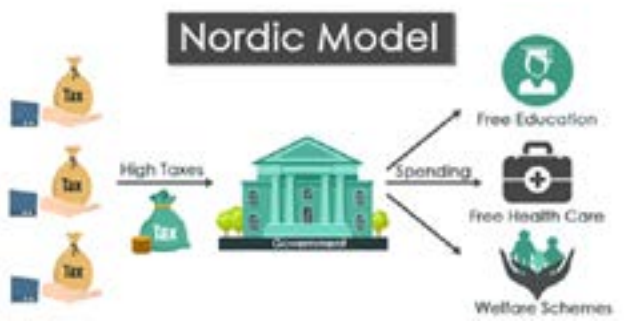

नॉर्डिक मॉडल के कार्य:

- साझा इतिहास और सामाजिक विकास के संयोजन को इसकी अधिकांश सफलता का श्रेय दिया जाता है।
- बड़े कॉरपोरेट-स्वामित्व वाले खेतों के गठन के आसपास विकसित क्षेत्रों के विपरीत, दुनिया के इस हिस्से का इतिहास काफी हद तक परिवार संचालित कृषि में से एक है।
- परिणामत: समान चुनौतियों का सामना कर रहे नागरिकों द्वारा निर्देशित छोटे उद्यमशील उद्यमों का देश है। समाज के एक सदस्य को लाभ पहुँचाने वाले समाधानों से सभी सदस्यों को लाभ होने की संभावना है।
- इस सामूहिक मानसिकता का परिणाम एक ऐसे नागरिक के रूप में होता है जो अपनी सरकार पर भरोसा करता है क्योंकि सरकार का नेतृत्व नागरिकों द्वारा किया जाता है जो ऐसे कार्यक्रम बनाने की कोशिश करते हैं जो सभी को लाभान्वित करें।
- नतीजा यह है कि सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित सेवाएँ, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, इतनी उच्च गुणवत्ता की हैं कि निजी उद्यमों के पास इन सेवाओं या उन्हें बेहतर बनाने के लिये पेशकश करने का कोई कारण नहीं है। पूंजीवादी उद्यमों के विकसित होने के साथ यह मानसिकता बरकरार रही।

फायदे और नुकसान:

- फायदे:
  - नॉर्डिक मॉडल समानता और सामाजिक गतिशीलता पैदा करता है।
  - दुनिया में कई जगह बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सहित अच्छी सार्वजनिक सेवाओं तक सभी की मुफ्त पहुँच है और यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह जारी रहे, लोग अपने करों का प्रसन्नतापूर्वक भुगतान करते हैं।
  - इन सामूहिक लाभों को उद्यमिता के साथ मिश्रित कर दिया जाता है, जिससे पूंजीवाद और समाजवाद का एक कुशल मिश्रण बनता है।

नोट :

- नुकसान:
  - उच्च करों, उच्च स्तर के सरकारी हस्तक्षेप और अपेक्षाकृत कम सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तथा उत्पादकता के कारण मॉडल की आलोचना की जाती है, जिससे आर्थिक विकास सीमित हो जाता है।
  - नॉर्डिक मॉडल संपत्ति का पुनर्वितरण करता है, व्यक्तिगत खर्च और उपभोग के लिये उपलब्ध धन की मात्रा को सीमित करता है तथा सरकार द्वारा सब्सिडी वाले कार्यक्रमों पर निर्भरता को प्रोत्साहित करता है।

इस मॉडल की चुनौतियाँ:

- वृद्धों की बढती आबादी:
  - वृद्ध आबादी के संदर्भ में आदर्श परिदृश्य युवा करदाताओं की बड़ी जनसंख्या और सेवा प्राप्त करने वाले वृद्ध निवासियों की छोटी आबादी है। लेकिन जब जनसंख्या संतुलन वृद्ध जनसंख्या की ओर स्थांतरित होता है तो लाभ और सुविधाओं में कटौती की संभावना बढ़ जाती है।
- अप्रवासन:
  - आप्रवास के संदर्भ में इन देशों में उदार सार्वजनिक लाभों का आनंद लेने के लिये नए लोगों की एक उल्लेखनीय आमद आकर्षित होती है। ये नए आगमन अक्सर उन देशों से होते हैं जिनके पास अच्छे निर्णय लेने का एक लंबा, साझा इतिहास नहीं है।
  - नए आगमन, प्रणाली के लिये एक गंभीर भार पेश कर सकते हैं और अंतत: इसके अंत का परिणाम हो सकते हैं।

आगे की राह

- ऐसी आशंकाएँ हैं कि बढ़ती आबादी, वैश्वीकरण और बढ़ते आप्रवासन नॉर्डिक मॉडल के कुशल कल्याणकारी राज्य को धीरे-धीरे अलग कर देंगे।
- कराधान एक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है और हमेशा जोखिम भरा होता है कि अधिक व्यक्तिवादी संस्कृति उभरेगी।
- नॉर्डिक मॉडल में कई आलोचकों की अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करता है। यह मानने के कारण हैं कि इसके पीछे के मूल मूल्य इन देशों में इतने अंतर्निहित हैं कि वे हमेशा किसी-न-किसी रूप में मौजूद रहेंगे।

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिये आरक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के महान्यायवादी ने स्पष्ट किया कि समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये 10% आरक्षणअनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों का हनन नहीं करता है।

सरकार का दृष्टिकोण:

- अन्य वर्गों के आरक्षण का हनन नहं: EWS आरक्षण पिछड़े वर्गों, यानी अनुसूचित समुदायों और ओबीसी के लिये पहले से मौजूद 50% आरक्षण के अलावा स्वतंत्र रूप से दिया गया था।
  - महान्यायवादी ने याचिकाकर्त्ताओं के तर्कों को खारिज कर दिया कि EWS आरक्षण से पिछड़े वर्गों का बहिष्कार भेदभाव के समान है, क्योंकि उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से आरक्षण प्राप्त हुआ है।उदाहरण के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों को संविधान के तहत कई लाभ दिये गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 16 (4) (A) (पदोन्नति के लिये विशेष प्रावधान), अनुच्छेद 243 D (पंचायत और नगरपालिका सीटों में आरक्षण), अनुच्छेद 330 (लोकसभा में आरक्षण) और अनुच्छेद 332 (राज्य विधानसभाओं में आरक्षण) शामिल हैं।
- कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिये आवश्यक: पिछड़े वर्गों (OBC) के लिये आरक्षण और अब EWS आरक्षण को न्यायालय द्वारा "समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिये राज्य के एकल दृष्टिकोण" के रूप में माना जाना चाहिये।
  - सामान्य श्रेणी में कुल जनसंख्या का 18.2% EWS से संबंधित था और नीति आयोग द्वारा उपयोग किये जाने वाले बहु-आयामी गरीबी सूचकांक को संदर्भित करता है, जो जनसंख्या का लगभग 350 मिलियन (3.5 करोड़) है।
- संविधान प्रदत्त: OBC, SC और ST के लिये आरक्षण EWS आरक्षण के अलावा अलग-अलग ढाँचे के अंतर्गत आता है और यह संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन नहीं करता है।
- उदाहरण: सरकार द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतियों के अनुसार, शीर्ष न्यायालय ने बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की वैधता प्रदान किया था।
  - न्यायालय ने माना था कि 2009 का अधिनियम वित्तीय और मनोवैज्ञानिक बाधाओं सहित सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है, जो कमज़ोर वर्ग एवं वंचित समूह के एक बच्चे को प्रवेश की मांग करते समय सामना करना पड़ता है तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इसे बरकरार रखा।

याचिकाकर्त्ताओं के तर्क:

- संशोधन संवैधानिक योजना के विपरीत हैं जहाँ उपलब्ध सीटों/पदों का कोई भी खंड केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षित नहीं किया जा सकता है।
- याचिका में कहा गया था कि यह संविधान संशोधन वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय के विपरीत है, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 'पिछड़े वर्ग का निर्धारण केवल आर्थिक कसौटी के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है।'

नोट :

- याचिकाकर्त्ताओं का एक मुख्य तर्क यह भी था कि सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिये लागू किये गए आरक्षण के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू की गई 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करते हैं।

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिये आरक्षण:

- परिचय:
  - 10% EWS कोटा 103वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था।
    - संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) सम्मिलित किया गया।
  - यह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) हेतु शिक्षा संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक आरक्षण के लिये है।
  - यह अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के लिये 50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किये गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित किया गया था।
  - यह केंद्र और राज्यों दोनों को समाज के EWS को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- महत्त्व:
  - असमानता को संबोधित करता है:
    - 10% कोटे का विचार प्रगतिशील है और भारत में शैक्षिक तथा आय असमानता के मुद्दों को संबोधित कर सकता है क्योंकि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को उनकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों एवं सार्वजनिक रोज़गार में भाग लेने से बाहर रखा गया है।
  - आर्थिक पिछड़ों को मान्यता:
    - पिछड़े वर्ग के अलावा बहुत से लोग या वर्ग हैं जो भूख और गरीबी की परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
    - संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित आरक्षण उच्च जातियों के गरीबों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करेगा।
  - जाति आधारित भेदभाव में कमी:
    - इसके अलावा यह धीरे-धीरे आरक्षण से जुड़े कलंक को हटा देगा क्योंकि आरक्षण का ऐतिहासिक रूप से जाति से संबंध रहा है और अक्सर उच्च जाति उन लोगों को देखती है जो आरक्षण के माध्यम से आते हैं।
- चिंताएँ:
  - डेटा की अनुपलब्धता:
    - EWS कोटे में उद्देश्य और कारण के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आर्थिक रूप से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये उनकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों व सार्वजनिक रोज़गार के अवसरों में भाग लेने से बाहर रखा गया है।
    - इस प्रकार के तथ्य संदिग्ध हैं क्योंकि सरकार ने इस बात का समर्थन करने के लिये कोई डेटा तैयार नहीं किया है।
  - मनमाना मानदंड:
    - इस आरक्षण हेतु पात्रता तय करने के लिये सरकार द्वारा उपयोग किये जाने वाले मानदंड अस्पष्ट हैं और यह किसी डेटा या अध्ययन पर आधारित नहीं है।
    - यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार से सवाल किया कि क्या राज्यों ने EWS आरक्षण देने के लिये मौद्रिक सीमा तय करते समय हर राज्य के लिये प्रति व्यक्ति जीडीपी की जाँच की है।
    - आँकड़े बताते हैं कि भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय व्यापक रूप से भिन्न है- जैसे गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक 4 लाख है तो वहीं बिहार की प्रति व्यक्ति आय 40,000 रुपए है।

सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने महत्त्वपूर्ण संविधान पीठ के मामलों में अपनी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करने का निर्णय लिया, जिसकी सुनवाई 27 सितंबर, 2022 से होगी।

- न्यायालयी कार्यवाही के प्रसारण के कारण सकारात्मक प्रणालीगत सुधार संभव हुए हैं।

पृष्ठभूमि:

- स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारतीय सर्वोच्च न्यायालय मामले (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिये इसे खोलने के पक्ष में फैसला सुनाया था।
- इसने माना कि लाइव स्ट्रीमिंग की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) के तहत न्याय तक पहुँचने के अधिकार का हिस्सा है।
- गुजरात उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय के बाद न्यायालयी कार्यवाही को लाइवस्ट्रीम करने वाला उच्च न्यायालय था।
- वर्तमान में, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पटना उच्च न्यायालय अपनी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करते हैं।
  - इलाहबाद उच्च न्यायालय भी इस विषय पर विचार कर रही है।

नोट :

भारत के महान्यायवादी का सुझाव:

- लाइव-स्ट्रीमिंग को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की पीठ और केवल संविधान पीठ के मामलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया जाना चाहिये।
  - इस परियोजना की सफलता यह निर्धारित करेगी कि सभी न्यायालयों यानी सर्वोच्च न्यायालय एवं अखिल भारतीय न्यायालय में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की जानी चाहिये या नहीं।
- महान्यायवादी (AG) ने अपनी सिफारिश के समर्थन में न्यायालयों की भीड़ को कम करने और वादियों के लिये न्यायालयों तक बेहतर भौतिक पहुँच का हवाला दिया, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय तक आने के लिये अन्यथा लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है।
- महान्यायवादी द्वारा सुझाए गए दिशा-निर्देशों के एक सेट को सर्वोच्च द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालाँकि, महान्यायवादी ने सुझाव दिया कि प्रसारण की अनुमति का अधिकार न्यायालय के पास होना चाहिये तथा निम्नलिखित मामलों में इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये:
  - वैवाहिक मामले,
  - किशोरों के हितों या युवा अपराधियों के निजी जीवन की रक्षा एवं सुरक्षा से जुड़े मामले,
  - राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले,
  - यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित, गवाह या प्रतिवादी ईमानदारी से और बिना किसी डर के गवाही दे सकें।
    - कमज़ोर या भयभीत गवाहों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिये।
    - यह गवाह के चेहरे के विरूपण का प्रावधान कर सकता है यदि वह गुमनाम/अज्ञात रूप से प्रसारण के लिये सहमति देता है।
  - यौन उत्पीड़न और बलात्कार से संबंधित सभी मामलों सहित गोपनीय या संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करना।
  - ऐसे मामले जहाँ प्रचार/पब्लिसिटी न्याय के प्रशासन के विरुद्ध हो, और
  - ऐसे मामले जो लोगों की भावनाओं को भड़का सकते हैं या उत्तेजित कर सकते हैं और समुदायों के बीच शत्रुता उत्पन्न करने का कार्य कर सकते हैं।

अन्य देशों में परिदृश्य

- संयुक्त राज्य अमेरिका: वर्ष 1955 से ऑडियो रिकॉर्डिंग और मौखिक तर्कों के प्रतिलेखों की अनुमति दी गई है।
- ऑस्ट्रेलिया: लाइव या विलंबित प्रसारण की अनुमति है लेकिन सभी न्यायालयों में प्रथाएँ और मानदंड अलग-अलग हैं।
- ब्राज़ील: वर्ष 2002 से न्यायालय में न्यायाधीशों द्वारा की गई चर्चा और मतदान प्रक्रिया सहित न्यायालयी कार्यवाही के लाइव वीडियो एवं ऑडियो प्रसारण की अनुमति है।
- कनाडा: कार्यवाही का सीधा प्रसारण केबल संसदीय मामलों के चैनल पर प्रत्येक मामले के स्पष्टीकरण और न्यायालय की समग्र प्रक्रियाओं और शक्तियों के साथ किया जाता है।
- दक्षिण अफ्रीका: वर्ष 2017 से दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के विस्तार के रूप में मीडिया को आपराधिक मामलों में न्यायालयी कार्यवाही को प्रसारित करने की अनुमति दी है।
- यूनाइटेड किंगडम: वर्ष 2005 के बाद न्यायालय की वेबसाइट पर एक मिनट की देरी से कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है, लेकिन संवेदनशील अपीलों में कवरेज वापस लिया जा सकता है।

संबद्ध चिंताएँ और आगे की राह:

- चिंताएँ:
  - भारतीय न्यायालयों की कार्यवाही के वीडियो क्लिप जो पहले से ही YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनात्मक शीर्षक और कम संदर्भ के साथ उपलब्ध हैं, जनता के बीच गलत सूचना का प्रसार कर रहे हैं, जैसा कि हाल के दिनों में देखा गया है।
  - साथ ही, प्रसारकों के साथ वाणिज्यिक समझौते भी संबंधित हैं।
  - लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो का अनधिकृत पुनरुत्पादन चिंता का एक और कारण है क्योंकि सरकार द्वारा बाद में इसका विनियमन बहुत मुश्किल होगा।
- आगे की राह:
  - न्यायालयी कार्यवाही का प्रसारण पारदर्शिता और न्याय प्रणाली तक अधिक पहुँच की दिशा में एक कदम है। संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों को सार्वजनिक दर्शकों के लिये उपलब्ध कराना नागरिकों के सूचना और प्रौद्योगिकी का अधिकार है।
  - यदि शीर्ष न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संभव नहीं है, तो वैकल्पिक रूप से कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति दी जानी चाहिये।
  - प्रसारकों के साथ करार गैर-व्यावसायिक आधार पर होना चाहिये। व्यवस्था से किसी को अनुचित लाभ नहीं होना चाहिये।
  - यह सुनिश्चित करने के लिये दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार किया जाना चाहिये कि वीडियो शीर्षक और विवरण भ्रामक नहीं हैं तथा केवल सही जानकारी देते हैं।
  - अनधिकृत रूप से वीडियो की लाइव-स्ट्रीमिंग के लिये कड़ी सजा/जुर्माना लगाया जाना चाहिये।

नोट :

मृत्युदंड पर SC का संदर्भ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने एक बड़ी बेंच को मृत्युदंड देने के मानदंडों से संबंधित मुद्दों को संदर्भित किया है।

न्यायालय का आदेश:

- सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ का वर्तमान संदर्भ में पाँच-न्यायाधीशों की पीठ में रूपांतरण इस तर्क पर आधारित है कि एक ही दिन में सज़ा की प्रक्रिया आरोपी के खिलाफ निराशाजनक रूप से झुकी हुई है।
- पीठ ने कहा कि राज्य को मुकदमे की पूरी अवधि के दौरान अभियुक्तों के खिलाफ आपत्तिजनक परिस्थितियों को पेश करने का अवसर दिया जाता है।
- दूसरी ओर, आरोपी अपनी दोषसिद्धि के बाद ही अपने पक्ष में परिस्थितियों को कम करने वाले साक्ष्य पेश करने में सक्षम होते हैं।

मुद्दा:

- सज़ा की सुनवाई कब और कैसे होनी चाहिये, इस पर परस्पर विरोधी निर्णय हैं कि क्या सज़ा के निर्धारण पर कार्यवाही निर्णय के दिन ही होनी चाहिये या कुछ दिन बाद।
- यह मुद्दा उन लोगों को अर्थपूर्ण अवसर देने से संबंधित है जो मृत्युदंड के दोषी पाए गए हैं और वे मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास के संबंध में बेहतर दलील जैसे कारकों और परिस्थितियों को पेश कर सकें।
- मुद्दा कानूनी आवश्यकता से उत्पन्न होता है कि जब भी कोई न्यायालय दोषसिद्धि दर्ज करता है, तो उसे सज़ा के स्तर को लेकर अलग से सुनवाई करनी होती है।

कानून और निर्णय क्या हैं ?

- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 235 के अनुसार, यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायाधीश सज़ा के सवाल पर आरोपी की सुनवाई करेगा और फिर सज़ा सुनाएगा।
  - यह प्रक्रिया तब महत्त्वपूर्ण हो जाती है, यदि दोषसिद्धि किसी ऐसे अपराध के लिये है जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास शामिल है।
- धारा 354(3) के अनुसार, मृत्युदंड या आजीवन कारावास के मामले में निर्णय में यह बताना होगा कि सज़ा क्यों दी गई।
- यदि सज़ा, मृत्युदंड है तो निर्णय में "विशेष कारण" प्रदान करना होगा।
- 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य' में मृत्युदंड की संवैधानिकता को इस शर्त पर बरकरार रखा कि यह सज़ा "दुर्लभ से दुर्लभतम" मामलों में दी जाएगी।
  - महत्त्वपूर्ण रूप से न्यायालय ने यह भी ज़ोर दिया कि सज़ा की सुनवाई अलग से होगी, जहाँ एक न्यायाधीश को इस बात पर राजी करने की कोशिश की जाएगी कि मृत्युदंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिये।
- न्यायालय के कई बाद के फैसलों में इस स्थिति को दोहराया गया था, जिसमें 'मिठू बनाम पंजाब राज्य', 1982 में पाँच न्यायाधीशों की बेंच ने अनिवार्य मृत्युदंड को खारिज कर दिया था, क्योंकि यह सज़ा देने से पहले किसी आरोपी के सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करता है।.

निर्णय के दिन ही सज़ा:

- भले ही सभी मुकदमों में सज़ा पर एक अलग सुनवाई का अभ्यास किया जाता है, लेकिन अधिकांश न्यायाधीश ऐसे मामले को दोबारा निर्णय के लिये भविष्य की तारीख के लिये स्थगित नहीं करते हैं।
- जैसे ही 'दोषी' पर फैसला सुनाया जाता है, न्यायालय दोनों पक्षों के वकील से सज़ा पर बहस करने के लिये कहता है।
- एक विचार है कि मृत्युदंड संबंधी निर्णय 'एक ही दिन में देने' से प्रतिवादी को अपर्याप्त समय मिलता है और यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है क्योंकि दोषियों की सज़ा को कम करने वाले कारकों को इकट्ठा करने के लिये पर्याप्त समय नहीं मिलता है।
- निर्णयों की एक शृंखला में सर्वोच्च न्यायालय ने वकालत की है कि सज़ा की सुनवाई अलग से की जाए, यानी दोषसिद्धि के बाद भविष्य की तारीख में।
- हालाँकि एक तरह के विरोधाभास के रूप में कई निर्णयों ने 'एक ही दिन' सज़ा देने की प्रथा को बरकरार रखा है।

संभावित परिणाम:

- सज़ा के निर्णय संबंधी परिस्थितियों और कारकों पर संविधान पीठ व्यापक दिशा-निर्देश निर्धारित कर सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट के लिये सज़ा सुनाने से पहले आरोपी को बेहतर तरीके से जानना ज़रूरी बना सकता है।
- न्यायालय मनोवैज्ञानिकों और मनोविश्लेषणात्मक विशेषज्ञों की मदद का मसौदा तैयार कर सकता है।
  - सज़ा प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आरोपी के बचपन के अनुभवों और पालन-पोषण, परिवार का मानसिक स्वास्थ्य इतिहास एवं दर्दनाक अतीत के अनुभव तथा अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की संभावना का अध्ययन करना अनिवार्य हो सकता है।
- इसका मतलब यह हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट को वर्तमान कार्य प्रणालियों के विपरीत बेहतर तरीके से सूचित किया जाएगा, जब केवल बुनियादी डेटा जैसे कि शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाने से पहले सज़ा सुनाई जाती है।

नोट :

मृत्युदंड:

- मृत्युदंड सज़ा का कठोरतम रूप है। यह दंड मानवता के विरुद्ध नृशंस और जघन्य अपराधों के लिये दिया जाता है।
  - भारतीय दंड संहिता के तहत वे कुछ अपराध, जिनके लिये अपराधियों को मौत की सज़ा दी जा सकती है:
    - हत्या (धारा 302)
    - डकैती (धारा 396)
    - आपराधिक षड्यंत्र (धारा 120B)
    - भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध या युद्ध का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना (धारा 121)
    - विद्रोह का उन्मूलन (धारा 132) और अन्य।
- मृत्युदंड के लिये 'डेथ पेनाल्टी' और 'कैपिटल पनिशमेंट' शब्द का इस्तेमाल एक-दूसरे के स्थान पर होता रहा है, हालाँकि हमेशा ही अनिवार्य रूप से इस दंड का क्रियान्वयन नहीं होता है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आजीवन कारावास या क्षमा में रूपांतरित किया जा सकता है।

आगे की राह

- सुनवाई इस बहस को प्रभावी ढंग से सुलझाएगी कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सज़ा देने वाली तीव्र सुनवाई- कुछ मामलों में कुछ दिनों में- कानूनी रूप से मान्य है।
- मौत की सज़ा का निर्धारण करने वाले मानकों के स्तर को बढ़ाने की दिशा में भी यह फैसला एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।
- सज़ा का उद्देश्य केवल अपराधी को खत्म करना नहीं बल्कि अपराध को समाप्त करने पर भी होना चाहिये। आपराधिक कानून में सज़ा का उद्देश्य, यदि व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक व्यवस्थित समाज के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अपराधी और पीड़ित के अधिकारों को संतुलित करके शांति बहाली सुनिश्चित करने और भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकने की आवश्यकता है।

राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र

चर्चा में क्यों ?

निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र के मुद्दे को उठाए जाने की संभावना है।

आंतरिक लोकतंत्र की क्या आवश्यकता है ?

- प्रतिनिधित्व: 'इंट्रा-पार्टी/अंतर-दलीय लोकतंत्र' के अभाव ने राजनीतिक दलों को संकीर्ण निरंकुश संरचनाओं में बदल दिया है। यह नागरिकों के राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ सकने के समान राजनीतिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- गुटबाज़ी में कमी: इससे मज़बूत ज़मीनी संपर्क या जनाधार रखने वाले नेता को दल में दरकिनार नहीं किया जा सकेगा। जिससे पार्टी के भीतर गुटबाज़ी और विभाजन का खतरा कम हो जाएगा। उदाहरण के लिये भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC) छोड़कर शरद पवार ने राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी (NCP) और ममता बनर्जी ने अखिल भारतीय तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) का गठन कर लिया था।
- पारदर्शिता: पारदर्शी प्रक्रियाओं के साथ एक पारदर्शी दलीय संरचना, उपयुक्त टिकट वितरण और उम्मीदवार चयन को बढ़ावा देगी। ऐसे चयन पार्टी के कुछ शक्तिशाली नेताओं की इच्छा पर आधारित नहीं होंगे, बल्कि वे समग्र रूप से पार्टी की पसंद का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- जवाबदेहिता: एक लोकतांत्रिक दल अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होगा, क्योंकि अपनी कमियों के कारण वे आगामी चुनावों में हार सकते हैं।
- सत्ता का विकेंद्रीकरण: प्रत्येक राजनीतिक दल की राज्य और स्थानीय निकाय स्तर की इकाइयाँ होती हैं। दल में प्रत्येक स्तर पर चुनाव का आयोजन विभिन्न स्तरों पर शक्ति केंद्रों के निर्माण का अवसर देगा। इससे सत्ता या शक्ति का विकेंद्रीकरण हो सकेगा तथा ज़मीनी स्तर पर निर्णय लिये जा सकेंगे।
- राजनीति का अपराधीकरण: चूँकि भारत में चुनाव से पूर्व उम्मीदवारों को टिकटों के वितरण हेतु कोई सुव्यवस्थित प्रक्रिया मौजूद नहीं है, इसलिये उम्मीदवारों को बस उनके 'जीत सकने की क्षमता' की एक अस्पष्ट अवधारणा के आधार पर टिकट दिये जाते हैं। इससे धनबल-बाहुबल अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चुनाव मैदान में उतरने की अतिरिक्त समस्या उत्पन्न हुई है।

अंतर-पार्टी लोकतंत्र की कमी के कारण:

- वंशवाद की राजनीति: अंतर-दलीय लोकतंत्र की कमी ने राजनीतिक दलों में भाई-भतीजावाद (Nepotism) की प्रवृति में योगदान दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारा जाता है।
- राजनीतिक दलों की केंद्रीकृत संरचना: राजनीतिक दलों के कार्यकरण का केंद्रीकृत स्वरूप और वर्ष 1985 में अधिनियमित दल-बदल विरोधी कानून, राजनीतिक दलों के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रीय तथा राज्य विधानमंडलों में अपने व्यक्तिगत पसंद या विवेक से मतदान करने को अवरुद्ध करता है।
- कानून की कमी: वर्तमान में भारत में राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतांत्रिक विनियमन के लिये कोई स्पष्ट प्रावधान मौजूद नहीं है और एकमात्र शासी कानून 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 29A द्वारा प्रदान किया गया है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। हालाँकि राजनीतिक दलों द्वारा अपने पदाधिकारियों के चयन हेतु नियमित रूप से आंतरिक चुनाव आयोजित किये जाते हैं, किंतु किसी दंडात्मक प्रावधान के अभाव में यह अत्यंत सीमित ही है।

नोट :

- व्यक्ति पूजा: प्राय: आम लोगों में नायक पूजा की प्रवृत्ति होती है और कई बार पूरी पार्टी पर कोई एक व्यक्ति हावी हो जाता है जो अपनी मंडली बना लेता है, जिससे सभी प्रकार के अंतर-दलीय लोकतंत्र का अंत हो जाता है। उदाहरण के लिये माओत्से तुंग का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर आधिपत्य या अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी पर डोनाल्ड ट्रंप का प्रभाव।
- आंतरिक चुनावों को अप्रभावी करना: पार्टी में शक्ति समूहों द्वारा अपनी सत्ता को मज़बूत करने और यथास्थिति बनाए रखने के लिये आंतरिक संस्थागत प्रक्रियाओं को नष्ट करना बेहद सरल है।

आंतरिक लोकतंत्र पर चुनाव आयोग के निर्देश:

- जनप्रतिनिधित्त्व अधिनियम, 1951:
  - चुनाव आयोग ने समय-समय पर जनप्रतिनिधित्त्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 A के तहत पार्टियों के पंजीकरण के लिये जारी दिशा-निर्देशों का उपयोग किया है ताकि पार्टियों को चुनाव कराने के लिये याद दिलाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर पाँच वर्ष में उनका नेतृत्व नवीनीकृत, बदला या फिर से निर्वाचित हो।
- पार्टी का संविधान:
  - अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिये आवेदन करने वाले दलों हेतु चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश में कहा गया है कि आवेदक को पार्टी संविधान की एक प्रति जमा करनी चाहिये।
    - चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों में कहा गया है, "विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक चुनावों और ऐसे चुनावों की अवधि तथा पार्टी के पदाधिकारियों के पद की शर्तों के संबंध में पार्टी के संविधान/नियमों एवं विनियमों/ज्ञापन में एक विशिष्ट प्रावधान होना चाहिये।"
- राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति:
  - चुनाव आयोग ने पूर्व में कानून मंत्रालय से राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति की मांग थी, लेकिन अभी तक इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया है।
- किसी पार्टी के लिये कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं:
  - भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने भी हाल ही में एक पार्टी के लिये 'स्थायी अध्यक्ष' के विचार को खारिज कर दिया है।
    - चुनाव आयोग का मानना है कि ऐसा कदम स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र विरोधी है।

आगे की राह

- मौजूदा कानूनों की फिर से व्याख्या करने और कुछ साहसिक कदम उठाने की आवश्यकता है,जैसे-
  - राजनीतिक दलों को नियमित रूप से संगठनात्मक चुनाव कराने चाहिये।
  - राजनीतिक दलों को अपने पदाधिकारियों और उनके पते में किसी भी प्रकार के बदलाव के बारे में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को सूचित करना आवश्यक हो।
  - इन्हें चुनाव के दौरान और उसके अलावा किये गए खर्च का एक दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक होना चाहिये।
- यह राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि सभी स्तरों पर चुनाव का आयोजन सुनिश्चित करने हेतु उचित कदम उठाए जाएँ। राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा नामित पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के आंतरिक चुनाव संपन्न कराने चाहिये।
- निर्वाचन आयोग को आंतरिक चुनाव की आवश्यकता संबंधी किसी भी प्रावधान के गैर-अनुपालन के आरोपों की जाँच की शक्ति होने के साथ यदि राजनीतिक दल स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोजित नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग के पास दल का पंजीकरण रद्द करने की दंडात्मक शक्ति होनी चाहिये।

नोट :

भारतीय विरासत और संस्कृति

भारत में आयुर्वेद

चर्चा में क्यों ?

आयुर्वेद भारत की पारंपरिक चिकित्सा लगभग 3,000 वर्षों से प्रचलन में है और लाखों भारतीयों की स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरतों को पूरा कर रही है।

- आयुर्वेद, लंबे समय से कुछ क्षेत्रों को संबोधित करने के लिये चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिन पर ध्यानाकर्षण करने की आवश्यकता है।

आयुर्वेद

- परिचय:
  - आयुर्वेद शब्द की उत्पत्ति आयु और वेद से हुई है। आयु का अर्थ है जीवन, वेद का अर्थ है विज्ञान या ज्ञान अर्थात् आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान।
    - आयुर्वेद सभी जीवित चीजों, मानव और गैर-मानवहेतु लाभकारी है।
    - यह तीन मुख्य शाखाओं में विभाजित है:
    - नर आयुर्वेद: मानव जीवन से संबंधित।
    - सत्व आयुर्वेद: पशु जीवन और उसके रोगों से निपटना।
    - वृक्ष आयुर्वेद: पौधे के जीवन, उसके विकास और रोगों से निपटना।
    - आयुर्वेद न केवल चिकित्सा की एक प्रणाली है बल्कि पूर्ण सकारात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिये जीवन का एक तरीका भी है।
- आयुर्वेद का अभ्यास:
  - वर्ष 1971 में स्थापित भारतीय चिकित्सा परिषद भारतीय चिकित्सा में उपयुक्त योग्यता स्थापित करती है और आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध सहित पारंपरिक अभ्यास के विभिन्न रूपों को मान्यता देती है।
  - आयुर्वेद में निवारक और उपचारात्मक दोनों पहलू हैं।
    - निवारक घटक व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता के सख्त संहिता की आवश्यकता पर ज़ोर देता है, जिसका विवरण व्यक्तिगत, जलवायु और पर्यावरणीय आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।
    - आयुर्वेद के उपचारात्मक पहलुओं में हर्बल औषधियों, बाह्य तैयारी, फिजियोथेरेपी और आहार का उपयोग शामिल है।
    - यह आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि प्रत्येक रोगी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिये निवारक और चिकित्सीय उपायों को अनुकूलित किया जाना चाहिये।
- महत्त्व:
  - आयुर्वेद में यह माना जाता है कि जीवित मनुष्य तीन हास्य (वात, पित्त और कफ), सात मूल ऊतकों (रस, रक्त, मनसा, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र) और शरीर के अपशिष्ट उत्पादों अर्थात् मल, मूत्र और स्वेद का समूह है।
  - इस शरीर मैट्रिक्स तथा उसके घटकों की वृद्धि एवं क्षय इन तत्त्वों के मनोवैज्ञानिक तंत्र पर केंद्रित होते हैं और इसका संतुलन ही किसी के स्वास्थ्य की स्थिति का मुख्य कारण होता है।
  - आयुर्वेद प्रणाली में उपचार का दृष्टिकोण समग्र और व्यक्तिगत है, जिसमें निवारक, उपचारात्मक, शमन, उपचारात्मक तथा पुनर्वास संबंधी पहलू हैं।.
  - आयुर्वेद के प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य को बनाए रखना और बीमारी की रोकथाम और बीमारी का इलाज करना है।

आधुनिक विश्व में आयुर्वेद के सामने प्रमुख चुनौतियाँ :

- परंपरागत विचार:
  - शारीरिक व्यायाम के लाभों पर आयुर्वेद कहता है, "आराम की भावना, बेहतर फिटनेस, आसान पाचन, आदर्श शरीर-वज़न और शारीरिक सुंदरता नियमित व्यायाम से प्राप्त होने वाले लाभ हैं।"
    - हालाँकि एक ही अभ्यास में शामिल शारीरिक और रोग संबंधी अनुमानों के लिये इस तरह की निरंतर वैधता का दावा नहीं किया जा सकता है।
  - मूत्र के विषय में आयुर्वेद कहता है कि आँतों से छोटी नलिकाएँ, मूत्र को मूत्राशय में ले जाती हैं। मूत्र निर्माण की इस सरलीकृत योजना की गुर्दे की कोई भूमिका नहीं होती है।
    - इस पुराने विचार का वर्तमान चिकित्सा शिक्षा में इतिहास के एक उपाख्यान के अलावा कोई स्थान नहीं हो सकता है।
- आपातकालीन मामलों में अप्रभावी उपचार:
  - तीव्र संक्रमण और शल्य चिकित्सा सहित अन्य आपात स्थितियों के उपचार में आयुर्वेद की अपर्याप्तता तथा चिकित्सीय में सार्थक शोध की कमी ने आयुर्वेद की सार्वभौमिक स्वीकृति को सीमित कर दिया है।

नोट :

- आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान जटिल है और इसमें क्या करें और क्या न करें बहुत अधिक हैं।
- आयुर्वेदिक औषधियाँ काम करने और ठीक करने में धीमी होती हैं। प्रतिक्रिया या पूर्वानुमान की भविष्यवाणी करना असंभव नहीं तो मुश्किल है।

- एकरूपता का अभाव:
  - आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धतियाँ एक समान नहीं हैं। ऐसा इसलिये है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले औषधीय पौधे भूगोल और जलवायु एवं स्थानीय कृषि पद्धतियों के साथ भिन्न होते हैं।
  - आयुर्वेद के विपरीत आधुनिक चिकित्सा में रोगों को पूर्व निर्धारित समान मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत और इलाज किया जाता है।
- आयुर्वेदिक फार्मा द्वारा भ्रामक प्रचार:
  - आयुर्वेदिक फार्माकोपिया उद्योग ने दावा किया कि इसकी निर्माण पद्धतियाँ क्लासिक आयुर्वेद ग्रंथों के अनुरूप थीं।
  - आयुर्वेदिक औषधियों की बेहतर बाज़ार अपील के लिये, औषधि कंपनियों ने पर्याप्त वैज्ञानिक आधार के बिना अपने आयुर्वेदिक उत्पादों के बारे में कई औषधीय दावों का प्रचार किया।
  - इससे समुदाय में औषधियों के प्रति प्रयोग और बढ़ गया और जीवनशैली में सुधार की आवश्यकता वाली बीमारियों का इलाज पॉली-फार्मेसी के साथ किया गया।

आयुर्वेद के विकास के लिये सरकार की पहलें:

- राष्ट्रीय आयुष मिशन
- आहार क्रांति मिशन
- आयुष क्षेत्र में नए पोर्टल
- NCCR पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप

आगे की राह:

- रिवर्स फार्माकोलॉजी:
  - इसे औषधियों में विकसित करने के लिये, ट्रांसडिसिप्लिनरी खोजपूर्ण अध्ययनों के माध्यम से प्रलेखित नैदानिक अनुभवों और अनुभवात्मक टिप्पणियों को लीड में एकीकृत करने के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है।
- न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव (NMITLI):
  - यह सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, अकादमिक और निजी उद्योग की सर्वोत्तम दक्षताओं का तालमेल करके भारत की मज़बूत स्थिति बनाए रखने का प्रयास करता है।
- केरल मॉडल का अनुकरण:
  - केरल आम जनसंख्या में प्रतिरक्षा में सुधार के तरीके के रूप में आयुर्वेद को बढ़ावा देता रहा है। यह आयुर्वेदिक योगों को बढ़ावा देता है और अपनी आबादी के सभी जनसांख्यिकी के लिये आयुर्वेद प्रथाओं की सिफारिश करता है।

ECI ने नकद चंदे पर सीमा की मांग की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने उम्मीदवारों की ओर से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में कई संशोधनों का सुझाव दिया है।

चिंताएँ:

- हाल ही में यहाँ देखा गया कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा सूचित किये गए चंदे शून्य थे, लेकिन उनके लेखा परीक्षा खातों के विवरण में बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होने का पता चलता है, जो नकद में बड़े पैमाने पर लेन-देन को 20,000 रुपए की सीमा से संकुचित करने का आह्वान करता है।
- चिंता का एक अन्य क्षेत्र जिसे EC द्वारा पहचाना गया है, वह विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन है।

ECI की प्रमुख सिफारिशें:

- 2000 रुपए से ऊपर के चंदे की रिपोर्ट करना:
  - 2,000 रुपए से अधिक के सभी चंदे की सूचना दी जानी चाहिये, जिससे फंडिंग में पारदर्शिता बढ़े।
  - नियमों के अनुसार, राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से अधिक के सभी चंदे का खुलासा अपनी योगदान रिपोर्ट के माध्यम से करना होता है जो चुनाव आयोग को प्रस्तुत की जाती है।
- डिजिटल या चेक से लेन-देन:
  - एक इकाई/व्यक्ति को 2,000 रुपए से अधिक के सभी खर्चों के लिये डिजिटल लेन-देन या खाता प्राप्तकर्त्ता चेक हस्तांतरण अनिवार्य करना चाहिये।
- नकद चंदा सीमित करना:
  - किसी पार्टी द्वारा प्राप्त कुल धनराशि में से 20% या अधिकतम 20 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, पर नकद चंदे को प्रतिबंधित किया जाए।
- अलग बैंक खाता:
  - प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव उद्देश्यों के लिये एक अलग बैंक खाता खोलना चाहिये और सभी खर्चों एवं प्राप्तियों को इस खाते के माध्यम से रूट करना चाहिये, एवं इन विवरणों को अपने चुनावी खर्च के खाते में प्रस्तुत करना चाहिये।

नोट :

- विदेशी चंदे को अलग करना:
  - चुनाव आयोग ने "चुनावी सुधारों" की भी मांग की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA), 2010 के तहत पार्टियों के फंड में कोई विदेशी चंदा न मिले।
    - वर्तमान में चंदे की प्राप्ति के प्रारंभिक चरणों में विशेष रूप से विदेशी चंदे को अलग करने के लिये कोई तंत्र नहीं है।

भारत निर्वाचन आयोग:

- परिचय:
  - भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है।
  - यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है।
  - निर्वाचन आयोग में मूलत: केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के ज़रिये 16 अक्तूबर, 1989 को इसे तीन सदस्यीय बना दिया गया।
  - इसके बाद कुछ समय के लिये इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्तूबर, 1993 को इसका तीन सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।
- संवैधानिक प्रावधान:
  - भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है जिसमें चुनावों के संचालन के लिये एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है।
  - चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी।
  - संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित हैं।

संविधान में चुनावों से संबंधित अनुच्छेद

324 चुनाव आयोग में चुनावों के लिये निहित दायित्व: अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।

325 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची हेतु अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता और इनके आधार पर मतदान के लिये अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान।

326 लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।

327 विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति।

328 किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिये कानून बनाने की शक्ति।

329 चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिये बार (BAR)

The Vision

नोट :

भूगोल

भारतीय मानसून पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अनुसंधान से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग, मानसून में विचलन/अस्थिरता को बढ़ाती है, जिसके परिणामस्वरूप लंबी शुष्क अवधि और भारी बारिश की अल्प अवधि दोनों होती है।

- वर्ष 2022 में वर्ष 1902 के बाद से दूसरी सबसे बड़ी चरम घटनाएँ देखी गई हैं। बाढ़ और सूखे जैसी खतरनाक घटनाएँ बढ़ गई है।

भारतीय मानसून पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:

- विपरीत वर्षा प्रतिरूप:
  - मानसून प्रणालियों के मार्ग में बदलाव देखा गया है जैसे कि कम दबाव और गर्त अपनी स्थिति के दक्षिण की तरफ स्थांतरित होने तथा फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएँ हो रही हैं।
    - मानसून गर्त मूल रूप से एक कम दबाव प्रणाली को संदर्भित करता है जो गर्मियों में उत्तरी हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को प्रभावित करता है। इसमें अपेक्षाकृत बड़ा क्षेत्र शामिल है एवं बंद आइसोबार का व्यास 1000 किमी जितना चौड़ा हो सकता है।
  - मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में वर्ष 2022 में अधिक बारिश दर्ज की गई, इसके विपरीत पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में वर्षा नहीं हुई।
  - अगस्त 2022 में भी बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक दो मानसून गर्त बने और पूरे मध्य भारत को प्रभावित किया।
  - जबकि प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा अद्वितीय होती है, वर्ष 2022 में वर्षा में एक बड़ी क्षेत्रीय और अस्थायी परिवर्तनशीलता रही है।
- कारण:
  - तीव्र ला नीना स्थितियों का बना रहना, पूर्वी हिंद महासागर का असामान्य रूप से गर्म होना, नकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD), अधिकांश मानसून गर्तों की दक्षिण की ओर गति और हिमालयी क्षेत्र में प्री-मॉनसून हीटिंग तथा ग्लेशियरों का पिघलना।
    - IOD को दो क्षेत्रों के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर से परिभाषित किया जाता है - पहला, अरब सागर (पश्चिमी हिंद महासागर) में पश्चिमी ध्रुव और दूसरा इंडोनेशिया के दक्षिण में तथा पूर्वी हिंद महासागर में पूर्वी ध्रुव।
    - IOD ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर बेसिन के आसपास के अन्य देशों की जलवायु को प्रभावित करता है, और इस क्षेत्र में वर्षा परिवर्तनशीलता में महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता है।
- प्रभाव:
  - खरीफ फसलें:
    - मानसून प्रणाली के मार्ग में बदलाव के प्रमुख प्रभावों में से एक खरीफ फसलों, विशेष रूप से चावल उत्पादन पर देखा जा सकता है। वे इस अवधि के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन का 50% से अधिक का महत्त्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं।
    - खरीफ उत्पादन में गिरावट से चावल की कीमतें उच्च स्तर पर पहुँच सकती हैं।
    - बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, जो देश के कुल चावल उत्पादन का एक- तिहाई हिस्सा उत्पादित करते हैं, में जुलाई और अगस्त में सक्रिय मानसून के बावजूद अत्यधिक कमी रही है।
  - अनाज की गुणवत्ता:
    - यह असमान वर्षा वितरण अनाज की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है तथा साथ ही पोषण मूल्य भी बदल सकता है।
    - 'भारत में जलवायु परिवर्तन, मानसून और चावल की पैदावार' नामक एक अध्ययन के अनुसार, बहुत अधिक तापमान (> 35 डिग्री सेल्सियस) ऊष्मा को प्रेरित करता है जो पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है जिससे बौनापन, उर्वरता में कमी, गैर-व्यवहार्य पराग और अनाज की गुणवत्ता कम हो जाती है।
  - खाद्य सुरक्षा:
    - 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के दौरान भारत में मानसून की वर्षा कम बार लेकिन अधिक तीव्र हो गई।
    - वैज्ञानिकों और खाद्य विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर वर्षा से फसल बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
    - हालाँकि भारत के करोड़ों चावल उत्पादक और उपभोक्ता इन अभूतपूर्व परिवर्तनों से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं जो खाद्य सुरक्षा पर भी चिंताएँ बढ़ा रहे हैं।

आगे की राह

- विश्वसनीयता और स्थिरता प्राप्त करने के लिये भारत को मानसून पूर्वानुमान की बेहतर भविष्यवाणी में अधिक संसाधनों का निवेश करने की आवश्यकता है।

नोट :

- गर्म होती जलवायु के साथ वायुमंडल में अधिक नमी होगी, जिससे भारी वर्षा होगी, परिणामस्वरूप, भविष्य में मानसून की अंतर-वार्षिक परिवर्तनशीलता में वृद्धि होगी। देश को इस बदलाव के लिये तैयार रहने की ज़रूरत है।
- इस प्रकार भारत के जलवायु पैटर्न को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिये हमें न केवल घरेलू मोर्चे (जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना) बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन) पर भी प्रभावी तथा समय पर कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक साझा भविष्य के साथ एक साझा विश्व में रहते हैं।

दृष्टि The Vision

नोट :

शासन व्यवस्था

इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट ने इस संदर्भ पर प्रकाश डाला कि महिलाओं और हाशिये के समुदायों को नौकरी में भेदभाव का सामना करना पड़ा।

प्रमुख बिंदु

- यह डेटासेट रोज़गार-बेरोज़गारी पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (2004-05), वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey-PLFS) एवं केंद्र द्वारा अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण के 61वें दौर से लिया गया था।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति: शिक्षा और सहायक सरकारी नीतियों के कारण शहरी क्षेत्रों में भेदभाव में कमी आई है।
  - आय में अंतर: गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिये वर्ष 2019-20 में स्व-नियोजित श्रमिकों की औसत आय 15,878 रुपए, जबकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि के लोगों की औसत आय 10,533 रुपए थी।
    - स्व-नियोजित गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि के अपने समकक्षों की तुलना में एक-तिहाई अधिक कमाते हैं।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव में वृद्धि: ग्रामीण भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को आकस्मिक रोज़गार में भेदभाव में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है।
- महिलाएँ: महिलाओं के खिलाफ भेदभाव इतना अधिक है कि धर्म या जाति-आधारित उप-समूहों या ग्रामीण-शहरी विभाजन में शायद ही कोई अंतर है।
  - इस अवधि में महिलाओं के प्रति होने वाला भेदभाव वर्ष 2004-05 के 67.2% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 75.7% हो गया है।
- पुरुषों और महिलाओं के मध्य आय का अंतर: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आकस्मिक श्रमिकों के लिये 50% से 70% के मध्य आय का अंतर भी ज़्यादा है। नियमित श्रमिकों के लिये यह सीमा कम है, पुरुषों की आय महिलाओं की आय से 20-60% अधिक है।
  - स्वरोज़गार के मामले में असमानता बहुत अधिक है, पुरुषों की आय महिलाओं की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक है।
  - भारत में लैंगिक भेदभाव संरचनात्मक है जिसके परिणामस्वरूप 'सामान्य परिस्थितियों' में पुरुषों और महिलाओं की आय के मध्य भारी असमानताएँ व्याप्त होती हैं।

भेदभाव के विरुद्ध संवैधानिक प्रावधान:

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14, 15, 16):
  - विधि के समक्ष समानता: अनुच्छेद 14 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।
    - यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वह नागरिक या विदेशी, वैधानिक निगम, कंपनियाँ, पंजीकृत संस्थाएँ या किसी अन्य प्रकार के कानूनी व्यक्ति हो।
  - भेदभाव का निषेध: अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।
  - सार्वजनिक रोज़गार में अवसर की समानता: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में रोज़गार या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता प्रदान करता है।

महिला सशक्तीकरण से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाएँ:

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
- उज्ज्वला योजना
- स्वाधार गृह
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना
- वन स्टॉप सेंटर

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey-PLFS):

- अधिक नियत समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की शुरुआत की।
- PLFS के मुख्य उद्देश्य हैं:
  - 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS) में केवल शहरी क्षेत्रों के लिये तीन माह के अल्पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोज़गार और

नोट :

बेरोज़गारी संकेतकों (अर्थात् श्रमिक-जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोज़गारी दर) का अनुमान लगाना।
- प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति एवं CWS में रोज़गार एवं बेरोज़गारी संकेतकों का अनुमान लगाना।

रामकृष्ण मिशन के 'जागृति' कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्कूली छात्रों के लिये रामकृष्ण मिशन के 'जागृति' कार्यक्रम की शुरुआत की।

'जागृति' कार्यक्रम:

- परिचय:
  - यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy-NEP), 2020 के अनुरूप एक बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक पहल है।
  - यह पहली से पाँचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिये है।
- पृष्ठभूमि:
  - रामकृष्ण मिशन, दिल्ली शाखा, वर्ष 2014 से माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को "आत्मश्रद्धा" (आत्म-सम्मान) निर्माण और विकल्पों के चयन में सक्षम बनाने के लिये जागृत नागरिक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। यह उन्हें जीवन की सभी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है।
  - शिक्षाविदों की ओर से प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिये इसी तरह के कार्यक्रम की मांग की गई है।
    - इसके जवाब में 'जागृति' को 126 स्कूलों के लिये डिज़ाइन और संचालित किया गया है।
- केंद्र बिंदु:
  - सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है।
  - मूल्य और ज्ञान भौतिक सुखों से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।
  - भविष्य के लिये तैयार और सामाजिक रूप से जागरूक पीढ़ी के निर्माण के लिये मूल्य आधारित शिक्षा आवश्यक है।

रामकृष्ण मिशन:

- परिचय:
  - रामकृष्ण मिशन व्यापक शैक्षिक और परोपकारी कार्य करता है तथा भारतीय दर्शन के एक स्कूल अद्वैत वेदांत के आधुनिक संस्करण की व्याख्या करता है।
  - मिशन की स्थापना वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा कोलकाता के पास संत रामकृष्ण (वर्ष 1836-86) के जीवन में सन्निहित वेदांत की शिक्षाओं का प्रसार करना और भारतीय लोगों की सामाजिक स्थितियों में सुधार करने के दोहरे उद्देश्य के साथ की गई थी।
  - संगठनों को 19वीं सदी के बंगाल के महान संत श्री रामकृष्ण (1836-1886) जिन्हें आधुनिक युग का पैगंबर माना जाता है तथा उनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद (1863-1902) द्वारा अस्तित्व में लाया गया था।
- आदर्श वाक्य: "आत्मानो मोक्षार्थं जगद हिताय चा" ("अपने स्वयं के उद्धार और दुनिया के कल्याण के लिये")।

स्वामी विवेकानंद:

- जन्म:
  - स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, 1863 को हुआ तथा उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था।
  - प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती (12 जनवरी) को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है।
  - वर्ष 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने 'विवेकानंद' नाम अपनाया।
- योगदान:
  - उन्होंने विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया।
    - उन्होंने 'नव-वेदांत' का प्रचार किया, एक पश्चिमी धारा के माध्यम से हिंदू धर्म की व्याख्या और भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिकता के संयोजन में विश्वास किया।
  - विवेकानंद ने मातृभूमि के उत्थान के लिये शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया। मानव हेतु चरित्र-निर्माण की शिक्षा की वकालत की।
  - उन्हें वर्ष 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिये गए उनके भाषण के लिये जाना जाता है।
  - सांसारिक सुख और मोह से मोक्ष प्राप्त करने के चार मार्गों का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तकों (राजयोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग) में किया है।
  - नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को "आधुनिक भारत का निर्माता" कहा था।
- संबंधित संगठन:
  - वह 19वीं सदी के रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे और उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।

नोट :

- रामकृष्ण मिशन एक ऐसा संगठन है जो मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, युवा एवं आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है।

- वर्ष 1899 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, जो उनका स्थायी निवास बन गया।

- राष्ट्रवाद:
  - हालाँकि राष्ट्रवाद के विकास का श्रेय पश्चिमी प्रभाव को जाता है लेकिन स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद भारतीय आध्यात्मिकता और नैतिकता में गहराई से निहित है।
  - उनका राष्ट्रवाद मानवतावाद और सार्वभौमिकता पर आधारित है, जो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं।
  - पश्चिमी राष्ट्रवाद के विपरीत जो प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष है, स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद धर्म पर आधारित है जो भारतीय लोगों का जीवन रक्त है।
  - उनके राष्ट्रवाद के आधार हैं:
    - जनता, स्वतंत्रता और समानता के लिये गहरी चिंता व्यक्त की और सार्वभौमिक भाईचारे के आधार पर दुनिया के आध्यात्मिक एकीकरण पर बल दिया।
    - "कर्मयोग" नि:स्वार्थ सेवा के माध्यम से राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये नैतिकता की एक प्रणाली है।
  - उनके लेखन और भाषणों ने मातृभूमि को देशवासियों द्वारा मन और दिल से पूजे जाने वाले एकमात्र देवता के रूप में स्थापित किया।

- मृत्यु:
  - वर्ष 1902 में बेलूर मठ में उनकी मृत्यु हो गई। पश्चिम बंगाल में स्थित बेलूर मठ, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)', जो कि एक प्रमुख ग्रामीण आवास योजना है, को पूरा करने में किसी भी देरी के लिये दंड का प्रावधान किया है।

दंड प्रावधान की आवश्यकता:

- परिचय:
  - जुर्माना राज्य सरकार पर लगाया जाएगा। यदि आवास जारी होने की तिथि से एक माह से अधिक समय तक आवास की स्वीकृति में विलंब होता है तो राज्य सरकार पर विलंब के पहले माह के लिये 10 रुपए प्रति आवास तथा बाद के प्रत्येक माह के विलंब हेतु प्रति आवास 20 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
  - इसी प्रकार यदि लाभार्थी को देय प्रथम किश्त स्वीकृति की तिथि से सात दिन से अधिक विलंबित होती है, तो राज्य सरकारों को प्रति आवास प्रति सप्ताह 10 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
  - यदि राज्य के पास केंद्रीय निधि उपलब्ध नहीं है तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
- आवश्यकता:
  - अधिक फोकस करना: कोविड-19 के कारण योजना के कार्यान्वयन में सुस्ती देखी गई थी, इसलिये केंद्र सरकार दंड लगाकर यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य कार्यक्रम पर अधिक ध्यान दें।
  - राज्य सरकारों के मुद्दे: असम के साथ पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा प्रमुख चार पिछड़े राज्य हैं जो अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हैं।
    - इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना को "बांग्ला आवास योजना" के रूप में पुन: लॉन्च किया, इस कारण केंद्र सरकार ने योजना के लिये धन रोक दिया।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण:

- संबंधित मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- उद्देश्य: मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवार जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं, को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना।
  - गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को आवासीय इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन हेतु पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना।
- लाभार्थी: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-एससी/एसटी वर्ग, विधवा महिलाएँ, रक्षाकर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति एवं अल्पसंख्यक।
- लाभार्थियों का चयन: तीन चरणों- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा, और भू-टैगिंग के सत्यापन के माध्यम से।
- लागत साझा करना: यूनिट सहायता की लागत मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तर-पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है।

नोट :

- विशेषताएँ:
  - मैदानी राज्यों में यूनिट सहायता को 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी राज्यों में 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपए कर दिया गया है।
  - स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G), मनरेगा या वित्तपोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिये सहायता का लाभ उठाया जाएगा।
- प्रदर्शन:
  - योजना के तहत सरकार ने 2.95 करोड़ आवासों का लक्ष्य रखा है तथा अगस्त 2022 तक 2.02 करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है।

पुनर्गठित राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्द्धन परिषद (NMDPC) की पहली बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पुनर्गठित राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्द्धन परिषद (NMDPC) की पहली बैठक में चिकित्सा प्रौद्योगिकी (Medical Technology-MedTech) उद्योग के महत्त्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है।

प्रमुख बिंदु

- एजेंडा:
  - केंद्रीय औषधि मानक और नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standards and Control Organisation-CDSCO) और राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (State Licensing Authorities-SLAs) ने वर्ग A और B चिकित्सा उपकरणों के लाइसेंस के लिये 1 अक्तूबर, 2022 से सुचारू परिवर्तन हेतु अद्यतन प्रदान किये।
  - चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के तहत चिकित्सा उपकरणों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:
    - वर्ग A (निम्न जोखिम): जैसे, कॉटन बॉल्स, अल्कोहल स्वैब।
    - वर्ग B (निम्न मध्यम जोखिम): जैसे, थर्मामीटर, बीपी निगरानी उपकरण।
    - वर्ग C (मध्यम उच्च जोखिम): जैसे, प्रत्यारोपण।
    - वर्ग D (उच्च जोखिम): जैसे, हृदय वाल्व।
  - फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने स्वचालित मार्ग पर चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), चिकित्सा उपकरणों के लिये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI), चार राज्यों (हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) में चिकित्सा उपकरण पार्क आदि जैसी विभिन्न पहलों की नवीनतम स्थिति प्रदान की।
  - बैठक के दौरान विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों के निर्माताओं के लिये राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई।
- चुनौतियाँ:
  - चिकित्सा उपकरणों की लेबलिंग आवश्यकताओं का एक नियामक भार है।
  - केवल 18 प्रमाणित चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं जिन्हें CDSCO द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह देश के विस्तार को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से अपर्याप्त है।
  - भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग में वर्तमान में उच्च तकनीक, उन्नत चिकित्सा उपकरणों (वर्ग C और D) के निर्माण के लिये अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र तथा बुनियादी ढाँचे का अभाव है।

NMDPC की प्रमुख सिफारिशें:

- लेबलिंग प्रावधानों को सुसंगत बनाना:
  - लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा उपकरणों के लिये कानूनी माप विज्ञान (पैकेज की गई वस्तु) नियम, 2011 के तहत चिकित्सा उपकरणों की लेबलिंग के प्रावधानों को चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के सुसंगत बनाने की आवश्यकता है।
- चिकित्सा उपकरण पार्क में निवेश:
  - चिकित्सा उपकरण उद्योग संघों के प्रतिनिधियों को राज्यों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिये प्रोत्साहित किया गया था, जिन्हें सामान्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण हेतु विभाग द्वारा चिकित्सा उपकरण पार्क स्वीकृत किये गए थे, साथ ही घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये प्रस्तावित पार्कों में निवेश किया गया।
- नेशनल चिकित्सा प्रौद्योगिकी एक्सपो, 2022 में सक्रिय भागीदारी:
  - भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग की ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिये प्रस्तावित नेशनल चिकित्सा प्रौद्योगिकी/मेडटेक एक्सपो, 2022 हेतु उद्योग का समर्थन भी मांगा गया था।
- अधिक प्रमाणित चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाओं की आवश्यकता:
  - मानक परीक्षण के लिये देश के विभिन्न क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं सहित पर्याप्त सामान्य बुनियादी ढांचा होना चाहिये।

नोट :

- पोस्ट-मार्केट निगरानी प्रणाली और चिकित्सा उपकरण रजिस्ट्री:
  - प्रत्यारोपण के प्रदर्शन का आकलन करने के लिये विशेष रूप से प्रत्यारोपण कराने वाले रोगी का पता लगाने हेतु एक मज़बूत आईटी सक्षम फीडबैक संचालित पोस्ट-मार्केट निगरानी प्रणाली तथा चिकित्सा उपकरण रजिस्ट्री होनी चाहिये।
- नए नियामक के लिये नया कानून:
  - समिति ने सिफारिश की है कि नए कानून में चिकित्सा उपकरण उद्योग को विनियमित करने के लिये विभिन्न स्तरों पर नियामक का एक नया सेट स्थापित करना चाहिये।
    - रसायन और उर्वरक मंत्रालय को नए नियामक में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जैसे संस्थानों के नेटवर्क को सुरक्षा एवं प्रभावकारिता के लिये चिकित्सा उपकरणों का परीक्षण करने की अनुमति देनी चाहिये।
  - देश में चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिये योग्य और चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में अच्छी तरह से प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा चिकित्सा उपकरण नियमों को समाप्त किया जाना चाहिये।
- अनुसंधान संबद्ध प्रोत्साहन (RLI) योजना:
  - समिति ने विभाग के लिये पीएलआई स्कीम के अनुरूप आरएलआई स्कीम शुरू करने की सिफारिश की।
- चिकित्सा उपकरण अधिकारियों की दक्षता बढ़ाना:
  - मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ समन्वय में काम करना चाहिये और स्थानीय चिकित्सा उपकरण अधिकारियों को आवश्यक कौशल प्रदान करना चाहिये।
- एकल खिड़की समाशोधन मंच (Single window clearing platform):
  - विनिर्माण, निर्यात, आयात तथा लाइसेंस के आवेदन हेतु एक 'एकल खिड़की समाशोधन मंच' स्थापित किया जाना चाहिये जो चिकित्सा उपकरणों के नियमन में शामिल इन सभी निकायों को भी एकीकृत करेगा।
    - मंत्रालय को चिकित्सा उपकरणों के नियमन के लिये प्रस्तावित नए पृथक अधिनियम में इस तरह की एक व्यापक "एकल खिड़की समाशोधन/अनुमोदन प्रणाली" को शामिल करना चाहिये।

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्द्धन परिषद (NMDPC):

- परिचय:
  - राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्द्धन परिषद (NMDPC) की अध्यक्षता रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल विभाग के सचिव द्वारा की जाती है।
    - इसमें हितधारक विभागों सदस्य होते हैं जिनका इस क्षेत्र के विकास पर प्रभाव पड़ता है।
    - इसके अलावा इसमें भारत में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कई चिकित्सा उपकरण उद्योग संघों का प्रतिनिधित्व है।
- महत्त्व:
  - एनएमडीपीसी के आगे चलकर चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र से संबंधित सभी मुद्दों के लिये एक जीवंत मंच बनने की उम्मीद है, जो सामाजिक दायित्वों और भारत की आर्थिक आकांक्षाओं के लिये विशाल संभावनाओं वाला एक उभरता हुआ क्षेत्र है।

विद्युत का बाज़ार आधारित आर्थिक प्रेषण

चर्चा में क्यों?

बाज़ार आधारित आर्थिक प्रेषण (MBED) तंत्र में लगभग 1,400 बिलियन यूनिट की संपूर्ण वार्षिक विद्युत खपत को प्रेषित करने के लिये केंद्रीकृत शेड्यूलिंग की परिकल्पना की गई है।

MBED का केंद्रीकृत मॉडल:

- MBED तंत्र अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर दोनों में विद्युत प्रेषण की केंद्रीकृत शेड्यूलिंग का प्रस्ताव करता है।
- यह विकेंद्रीकृत मॉडल में एक स्पष्ट परिवर्तन को चिह्नित करेगा जो विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा समर्थित है।
- MBED केंद्र के 'एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक आवृत्ति, एक मूल्य' फॉर्मूले के अनुरूप विद्युत बाज़ारों को मज़बूत करने का एक तरीका है।
  - MBED यह सुनिश्चित करेगा कि देश भर में सबसे सस्ते उत्पादन के संसाधनों को समग्र प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिये उपयोग किया जाए। इस प्रकार यह व्यवस्था वितरण कंपनियों और विद्युत उत्पादकों दोनों के लिये ही एक सफल प्रयास होगी और अंततः इससे विद्युत उपभोक्ताओं को महत्त्वपूर्ण वार्षिक बचत भी होगी।
- MBED के पहले चरण का कार्यान्वयन पहले 1 अप्रैल, 2022 से शुरू करने की योजना थी।

नोट :

- हालाँकि इसे बाद में वर्ष 2022 में स्थगित कर दिया गया था, जिसके लिये तारीख की घोषणा की जानी है।

विद्युत अधिनियम, 2003:

- विद्युत अधिनियम, 2003 विद्युत क्षेत्र को विनियमित करने वाला केंद्रीय कानून है।
- अधिनियम केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर विद्युत नियामक आयोगों का प्रावधान करता है, अर्थात् केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) तथा राज्य विद्युत नियामक आयोग (SERC)।
- इन आयोगों के कार्यों में शामिल हैं:
  - टैरिफ का विनियमन और निर्धारण
  - प्रेषण के लिये लाइसेंस जारी करना
  - वितरण और विद्युत का व्यापार
  - अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर विवादों का समाधान।

विद्युत संशोधन विधेयक, 2022:

- परिचय:
  - विद्युत संशोधन विधेयक, 2022 का उद्देश्य कई अभिकर्त्ताओं को विद्युत आपूर्तिकर्त्ताओं के वितरण नेटवर्क तक खुली पहुँच प्रदान करना और उपभोक्ताओं को किसी भी सेवा प्रदाता को चुनने की अनुमति देना है।
- निहितार्थ:
  - विधेयक में विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है:
    - प्रतिस्पर्द्धा को सक्षम बनाने, उपभोक्ताओं हेतु सेवाओं में सुधार करने और विद्युत क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये वितरण लाइसेंसधारियों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से गैर-भेदभावपूर्ण "खुली पहुँच" के प्रावधानों के तहत सभी लाइसेंसधारियों द्वारा वितरण नेटवर्क के उपयोग को सुविधाजनक बनाना।
    - वितरण लाइसेंसधारी को वितरण नेटवर्क तक गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
    - आयोग द्वारा अधिकतम सीमा और न्यूनतम प्रशुल्क के अनिवार्य निर्धारण के अलावा वर्ष में प्रशुल्क में श्रेणीबद्ध संशोधन का प्रावधान किया जाना।
    - दंड को कारावास या जुर्माने से अर्थदंड में परिवर्तित करना।
    - नियामकों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कार्यों को मज़बूती प्रदान करना।

बाज़ार आधारित आर्थिक प्रेषण (MBED) के केंद्रीकृत मॉडल से जुड़ी चिंताएँ:

- MBED का अपने विद्युत क्षेत्र के प्रबंधन में राज्यों की सापेक्ष स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ेगा, जिसमें उनके स्वयं के उत्पादन स्टेशन भी शामिल हैं और विद्युत वितरण कंपनियों- (डिस्कॉम) (ज़्यादातर राज्य के स्वामित्व वाली) को पूरी तरह से केंद्रीकृत तंत्र पर निर्भर बना देंगी।
- MBED संवैधानिक प्रावधानों, मौजूदा विधायी ढाँचे और बाज़ार संरचना के साथ असंगत है तथा यह राज्यों की स्वायत्तता का उल्लंघन का हल करने की तुलना में अधिक चुनौतियाँ पैदा कर सकता है।
- DISCOMs की व्यवहार्यता से संबंधित चिंताओं से वास्तव में निपटने की आवश्यकता है।
  - वर्तमान में विद्युत संविधान की समवर्ती सूची में है, बिजली ग्रिड को राज्य लोड डिस्पैच केंद्रों (SLDC) द्वारा प्रबंधित राज्यवार स्वायत्त नियंत्रण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसका फिर क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों (RLDC) और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (NLDC) द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है।
    - प्रत्येक नियंत्रण क्षेत्र अपने क्षेत्र की तत्कालीन आपूर्ति को उत्पादन संसाधनों के साथ संतुलित करने के लिये ज़िम्मेदार होता है।
  - नया मॉडल स्वैच्छिक बाज़ार डिज़ाइन के तहत वर्तमान में उपलब्ध कई विकल्पों को सीमित कर देगा और दिन-प्रतिदिन अनुबंध निरर्थक होते जाएँगे।
  - उदाहरण के लिये DISCOMs और SLDC तत्कालीन (रियल-टाइम) मार्केट में विद्युत खरीदने या बेचने में अक्षम होंगे।
- यह संभावित रूप से उभरते बाज़ार के प्रचलनों से टकरा सकता है,अर्थात् समग्र उत्पादन मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि और ग्रिड में प्लग किये गए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बढ़त।
  - इन सभी को वास्तव में कुशल ग्रिड प्रबंधन और संचालन के लिये बाज़ारों एवं स्वैच्छिक पूलों के अधिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है।
- भारत के पास लंबी अवधि के बिजली खरीद समझौते (पीपीए), अंतर्सीमा पीपीए, लघु और मध्यम अवधि के द्विपक्षीय, दिन-ब-दिन बिजली विनिमय और तात्कालिक ऑनलाइन बाज़ार के रूप में विविध बिजली बाज़ार हैं।
  - स्थापित बिजली का लगभग 87% दीर्घकालिक पीपीए के तहत जुड़ा हुआ है और शेष का लेन-देन बिजली बाज़ारों में किया जाता है।

नोट :

- वर्तमान में प्रत्येक नियंत्रण क्षेत्र अंतर्राज्यीय संसाधनों के बास्केट से योग्यता-क्रम प्रेषण (सबसे सस्ती बिजली सबसे पहले प्रेषण) का पालन करता है तथा दिन-ब-दिन बिजली, एक्सचेंज पर खरीदता या बेचता है। लंबी अवधि के पीपीए के तहत इन अनुसूचियों को संशोधित किया जा सकता है।
- हालाँकि पावर एक्सचेंज पर दैनिक आधार पर उपलब्ध व्यापार योग्य बिजली की अखिल भारतीय दृश्यता की यह सुविधा MBED मॉडल के अनुसार उपलब्ध नहीं होगी।

- कुछ विद्युत् संयंत्र, जैसे मुंबई में ट्रॉम्बे TPS और NCR क्षेत्र में दादरी TPS को बंद करने के लिये मज़बूर किया जाएगा।
  - ये पावर स्टेशन मुंबई या दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों में आपूर्ति की सुरक्षा के लिये और ग्रिड विफलता की स्थिति में द्वीपीय संचालन में हैं।
- मुख्य रूप से पीपीए की कीमतों को अछूता रखने के लिये पीपीए के तहत बाज़ार समाशोधन मूल्य और अनुबंध मूल्य के बीच अंतर के मूल्य को वापस करने के लिये योजना के तहत प्रस्तावित द्विपक्षीय अनुबंध निपटान (BCS) तंत्र एक अन्य चुनौती है।
  - यह संपूर्ण लेखाविधि और निपटान प्रक्रिया को जटिल बनाते हुए "बाज़ार संचालित कीमतों" के उद्देश्य को कमज़ोर कर देगा।
  - इसके अतिरिक्त यह परीक्षण किये गए PPA की सहजता को ख़त्म कर देगा और एक अस्थिर थोक बाज़ार का निर्माण करेगा।

आगे की राह

- भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण विधेयक के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्यों की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
- सुरक्षा बाधित आर्थिक प्रेषण (Security Constrained Economic Dispatch-SCED), NLDC द्वारा विकसित एल्गोरिदम संभावित समाधान हो सकता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रव्यापी आधार पर समयबद्ध निर्णयों के संदर्भ में नियामकों की सहायता करना है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) आकलन प्रणाली

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) की रेटिंग से संबंधित विवाद उत्पन्न हो गया क्योंकि संस्थान का स्कोर सभी मापदंडों में सुधार के आधार पर A से A+ में रूपांतरित कर दिया गया था।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC):

- परिचय:
  - यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जो मान्यता के हिस्से के रूप में ग्रेडिंग के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) का मूल्यांकन और प्रमाणन करता है।
  - एक बहुस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से कोई उच्च शिक्षा संस्थान यह जान सकता है कि क्या वह पाठ्यक्रम, संकाय, बुनियादी ढाँचे, अनुसंधान और अन्य मापदंडों के संदर्भ में मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानकों को पूरा करता है।
  - संस्थानों की रेटिंग A++ से लेकर C तक होती है। यदि किसी संस्थान को D ग्रेड दिया गया है, तो इसका मतलब है कि वह मान्यता प्राप्त नहीं है।
- मिशन:
  - उच्च शिक्षा संस्थानों या उनकी इकाइयों या विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रमों या परियोजनाओं के आवधिक मूल्यांकन और मान्यता की व्यवस्था करना।
  - उच्च शिक्षा संस्थानों में पठन-पाठन और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु शैक्षणिक वातावरण को प्रोत्साहित करना।
  - उच्च शिक्षा में स्व-मूल्यांकन, जवाबदेही, स्वायत्तता और नवाचारों को प्रोत्साहित करना।
  - गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान अध्ययन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।
  - गुणवत्ता मूल्यांकन, प्रोत्साहन और जीविका के लिये उच्च शिक्षा के अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करना।
- प्रत्यायन के लिये प्रक्रिया:
  - इनपुट आधारित: NAAC आवेदक संस्थानों की स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
    - आवेदक संस्था के लिये पहला कदम मात्रात्मक और गुणात्मक मेट्रिक्स से संबंधित जानकारी की एक स्व-अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।
    - फिर डेटा को NAAC विशेषज्ञ टीमों द्वारा मान्य किया जाता है, इसके बाद पीयर टीम संस्थानों का दौरा करती है।
- भविष्योन्मुखी परिप्रेक्ष्य:
  - परिणाम आधारित दृष्टिकोण: NAAC परिणाम आधारित दृष्टिकोण अपनाने की योजना बना रहा है, इसके अनुसार यह पता लगाने पर ज़ोर दिया जाएगा कि क्या छात्र प्रासंगिक कौशल और शैक्षणिक क्षमताओं से लैस हैं।

नोट :

भारत में मान्यता प्राप्त संस्थानों की स्थिति:

- उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के पोर्टल पर 1,043 विश्वविद्यालय और 42,343 कॉलेज सूचीबद्ध हैं।
- लगभग 406 विश्वविद्यालय और 8,686 कॉलेज NAAC से मान्यता प्राप्त हैं।
- राज्यों में महाराष्ट्र में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त कॉलेजों की संख्या 1,869 है, जिसके बाद कर्नाटक 914 की संख्या के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
- तमिलनाडु में सबसे अधिक (43) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं।

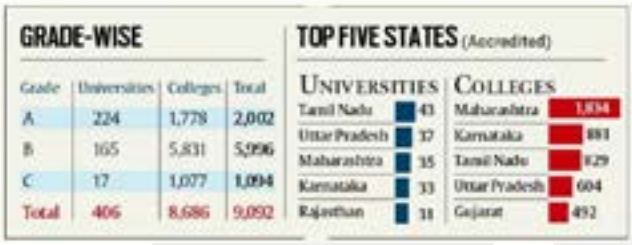

प्रमाणन के लिये कौन से शैक्षणिक संस्थान आवेदन कर सकते हैं?

- केवल वे उच्च शिक्षा संस्थान जो कम-से-कम छह वर्ष पुराने हैं, या जहाँ से छात्रों के कम -से-कम दो बैचों ने स्नातक किया है, आवेदन कर सकते हैं।
- यह मान्यता पाँच साल के लिये वैध है।
- इसके अतिरिक्त, इच्छुक संस्थानों को यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त होने की आवश्यकता है और नियमित छात्रों को उनके पूर्णकालिक शिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों में नामांकित किया जाना चाहिये।
- भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति:
  - भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद छात्रों के संदर्भ में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है।
  - भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों और कॉलेजों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है।
  - प्रतिष्ठित क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में केवल तीन भारतीय विश्वविद्यालय- IIT-बॉम्बे, IIT-दिल्ली और IISc (बंगलूरू) को शीर्ष 200 संस्थानों में शामिल किया गया है।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में भारत की चुनौतियाँ:

- नामांकन: उच्च शिक्षा में भारत का सकल नामांकन अनुपात (GER) केवल 25.2% है जो कि विकसित और अन्य प्रमुख विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है।
- निष्पक्षता: समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सकल नामांकन अनुपात (GER) में कोई समानता नहीं है। GER इस प्रकार हैं: पुरुषों में 26.3%, महिलाओं में 25.4%, एससी में 21.8% और एसटी में 15.9%।
  - यहाँ क्षेत्रीय भिन्नताएँ भी हैं। कुछ राज्यों में उच्च GER है और कुछ राष्ट्रीय आँकड़ो से बहुत पीछे हैं।
  - कॉलेज घनत्व (प्रति लाख पात्र जनसंख्या पर कॉलेजों की संख्या) बिहार में 7 से लेकर तेलंगाना में 59 तक है, जबकि अखिल भारतीय औसत 28 है।
  - अधिकांश प्रमुख विश्वविद्यालय और कॉलेज महानगरीय एवं शहरों में केंद्रित हैं, जिससे उच्च शिक्षा तक पहुँच में क्षेत्रीय असमानता है।
- गुणवत्ता: शिक्षा की निम्न गुणवत्ता के कारण भारत में रटकर सीखने की प्रथा है, साथ ही यह रोज़गार और कौशल विकास की समस्या से ग्रस्त है।
- बुनियादी ढाँचा: भारत में उच्च शिक्षा का निम्न स्तरीय बुनियादी ढाँचा एक और चुनौती है। निहित स्वार्थ समूह (शिक्षा माफिया), बजट की कमी, भ्रष्टाचार और पैरवी के कारण भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में आवश्यक बुनियादी ढाँचे की कमी है। यहाँ तक कि निजी क्षेत्र भी वैश्विक मानक के अनुरूप नहीं है।
- संकाय: संकाय की कमी और राज्य की शिक्षा प्रणाली में योग्य शिक्षकों को आकर्षित करने और बनाए रखने में असमर्थता कई वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये चुनौतियाँ खड़ी कर रही है। संकाय की कमी के कारण प्रमुख संस्थानों में भी अनौपचारिक रूप से तदर्थ (Ad-hoc) शिक्षकों की नियुक्ति होती है।
  - हालाँकि देश में छात्र-शिक्षक अनुपात (30:1) स्थिर रहा है, फिर भी इसे USA (12.5:1), चीन (19.5:1) और ब्राज़ील (19:1) के बराबर लाने के लिये इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा हाल में की गई पहल:

- शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम (EQUIP): यह अगले पाँच वर्षों (2019-2024) में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार के लिये एक पंचवर्षीय योजना है।
- यूजीसी का लर्निंग आउटकम-बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क (LOCF): यूजीसी द्वारा 2018 में जारी किये गए LOCF दिशा-निर्देशों का उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना है कि अध्ययन के अपने कार्यक्रम के अंत में स्नातकों से क्या जानने, समझने और करने में सक्षम होने की उम्मीद की जाती है। यह छात्र को सक्रिय शिक्षार्थी और शिक्षक को एक अच्छा सूत्रधार बनाने के लिये है।

नोट :

- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिये वर्गीकृत स्वायत्तता: प्रत्यायन स्कोर के आधार पर वर्गीकरण के साथ त्रि-स्तरीय श्रेणीबद्ध स्वायत्तता नियामक प्रणाली शुरू की गई है। श्रेणी I और श्रेणी II विश्वविद्यालयों को परीक्षा आयोजित करने, मूल्यांकन प्रणाली निर्धारित करने और यहाँ तक कि परिणाम घोषित करने की स्वायत्तता होगी।
- अकादमिक नेटवर्क के लिये वैश्विक पहल (GIAN): यह कार्यक्रम भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिये दुनिया भर के प्रमुख संस्थानों के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों को आमंत्रित करता है।
- उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE): इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों की पहचान करना और अधिकृत करना है तथा उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से डेटा एकत्र करना है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

AIBD की 47वीं वार्षिक सभा

चर्चा में क्यों ?

प्रतिष्ठित एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (AIBD) की भारत की अध्यक्षता को एक और वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है।

- नई दिल्ली में आयोजित संस्थान की दो दिवसीय वार्षिक सभा में AIBD के सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया।

एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (AIBD):

- परिचय:
  - एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (AIBD) की स्थापना वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को/UNESCO) के तत्त्वावधान में हुई थी।
  - यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के क्षेत्र में एशिया और प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (UN-ESCAP) के देशों की सेवा करने वाला अद्वितीय क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
  - इसका सचिवालय कुआलालंपुर में स्थित है और इसकी मेज़बानी मलेशिया सरकार करती है।
- उद्देश्य:
  - AIBD नीति और संसाधन विकास के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत और संगठित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वातावरण प्रदान करने के लिये अनिवार्य है।
- संस्थापक सदस्य:
  - अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) तथा एशिया-प्रशांत प्रसारण संघ (ABU) संस्थान के संस्थापक संगठन हैं और वे आम सम्मेलन के गैर-मतदाता सदस्य है।
- सदस्य:
  - भारत सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र के 26 देशों के प्रसारणकर्त्ता संगठन के पूर्ण सदस्य हैं।
- 47वीं AIBD वार्षिक सभा:
  - 47वीं AIBD वार्षिक सभा/20वाँ AIBD आम सम्मेलन और संबद्ध बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गईं।
  - इसमें विशेष रूप से "महामारी के बाद की अवधि में प्रसारण के क्षेत्र में एक मज़बूत भविष्य का निर्माण" विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई चर्चाओं, प्रस्तुतियों और विचारों का आदान-प्रदान किया गया।
  - सहकारी गतिविधियों और विनिमय कार्यक्रमों के लिये एक पंचवर्षीय योजना को भी अंतिम रूप दिया गया।
  - सभी भाग लेने वाले देशों और सदस्य प्रसारकों ने एक स्थायी प्रसारण वातावरण, नवीनतम प्रौद्योगिकी जानकारी, बेहतरीन सूचना सामग्री के लिये मिलकर काम करने का संकल्प लिया।

कोविड-19 महामारी युग में AIBD का महत्त्व:

- AIBD के नेतृत्व ने सदस्य देशों को कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन जोड़े रखा और इस बात पर भी निरंतर संवाद बनाए रखा कि मीडिया किस प्रकार महामारी के प्रभाव को कम कर सकता है।
- सदस्य देशों को चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम विकास, कोरोना योद्धाओं के सकारात्मक परिणामों और महामारी से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही फर्ज़ी खबरों का मुकाबला करने के बारे में जानकारी साझा किये जाने से अत्यधिक लाभ हुआ।
- AIBD ने लॉकडाउन के दौरान भी अपना प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम जारी रखा। अकेले वर्ष 2021 में 34 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए थे और पारंपरिक मुद्दों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन, हरित प्रौद्योगिकियों, सतत् विकास, तेज़ रिपोर्टिंग, बच्चों के लिये प्रोग्रामिंग आदि जैसे उभरते मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- प्रसारण क्षेत्र में इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि के साथ साइबर सुरक्षा पत्रकारिता में पत्रकारों का प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया है।
  - AIBD अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में इसे शामिल करने वाला पहला समूह है।

नोट :

- यह मीडिया ही है जिसने कठिन दौर में दुनिया को एक मंच प्रदान किया और एक वैश्विक परिवार की भावना को मज़बूत किया।

गन वायलेंस

चर्चा में क्यों ?

गन वायलेंस एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विभिन्न देशों में अक्सर गरमा-गरम बहस होती रहती है।

- बंदूक (Gun) विरोधी कार्यकर्त्ताओं ने अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक गोलीबारी में निर्दोष लोगों की हत्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है तथा अमेरिका में नागरिकों द्वारा बंदूक की खरीद पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है, साथ ही भारत में बढ़ती बंदूक की संस्कृति पर भी चिंता जताई है।

बंदूक तक पहुँच के पक्ष में तर्क:

- कुछ लोगों का मानना है कि बंदूक वास्तव में अपराध करने की लागत बढ़ाकर अपराध की संभावना को कम कर सकती हैं। उनका मानना है कि बंदूक रखने वाले नागरिकों द्वारा संभावित रूप से बचाए गए जीवन की संख्या का आकलन करना मुश्किल है (केवल उन अपराधों को छोड़कर जो कभी नहीं हुए क्योंकि संभावित पीड़ितों के पास बंदूक थी)।
- कुछ शोधकर्त्ताओं ने पाया है कि अमेरिका में अश्वेतों के बीच आग्नेयास्त्रों की पहुँच और लिंचिंग की घटनाओं के बीच एक मज़बूत नकारात्मक संबंध है। इसका तात्पर्य है कि आग्नेयास्त्रों तक पहुँच ने अश्वेतों को लिंचिंग की घटनाओं से बेहतर ढंग से बचाने में मदद की।

भारत में बंदूक रखने वालों की स्थिति:

- वर्ष 2018 के स्मॉल आर्म्स सर्वे ने दावा किया कि भारत में असैन्य बंदूक का स्वामित्व आश्चर्यजनक रूप से 70 मिलियन है, जो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है।
  - यह आँकड़ा अजीब लगता है, यह देखते हुए कि भारत में बंदूक लाइसेंसों की संख्या सिर्फ 3.4 मिलियन है, उनमें से एक-तिहाई से अधिक उत्तर प्रदेश में हैं।
- वर्ष 2016 में भारत बंदूक से की गई हत्याओं के मामले में तीसरे स्थान पर था, जिसमें 90% से अधिक मामलों में बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रयोग शामिल था जो इंगित करता है कि अवैध बंदूकों की ज़ब्ती, एक बड़ी समस्या के लिये कम प्रभावशाली कदम है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, उस वर्ष लगभग 75,000 आग्नेयास्त्रों को ज़ब्त किया गया था, जिनमें से लगभग आधे उत्तर प्रदेश से थे, जो व्यापक रूप से अवैध हथियारों के निर्माण के केंद्र के रूप में जाना जाता है।

भारत में शस्त्र नियंत्रण कानून:

- शस्त्र अधिनियम, 1959:
  - परिचय: इसका उद्देश्य भारत में हथियारों और गोला-बारूद के अधिग्रहण, कब्ज़े, निर्माण, बिक्री, आयात, निर्यात एवं परिवहन से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल करना है।
  - भारत में बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिये अर्हताएँ:
    - भारत में बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है।
    - आवेदन करने से पाँच वर्ष पूर्व आवेदक को हिंसा या नैतिकता से जुड़े किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया हो, वह 'विकृत दिमाग' का न हो, न ही सार्वजनिक सुरक्षा और शांति के लिये खतरा हो।
    - संपत्ति योग्यता बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये एक मानदंड नहीं है।
    - कोई आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकरण (अर्थात, गृह मंत्रालय), निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्धारित समय के भीतर पूरी तरह से जाँच के बाद आवेदक के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहता है।
  - अधिनियम की अन्य विशेषताएँ:
    - यह 'निषिद्ध हथियार' को उन हथियारों के रूप में परिभाषित करता है जो या तो कोई भी हानिकारक तरल या गैस छोड़ते हैं, या ऐसे हथियार जिन्हें चलाने के लिये ट्रिगर दबाने की आवश्यकता होती है।
    - यह फसल सुरक्षा या खेल के लिये कम-से-कम 20 इंच के बैरल के साथ चिकनी बोर बंदूक के उपयोग की अनुमति देता है।
    - किसी भी संस्था को ऐसी किसी भी प्रकार की बंदूक को बेचने या स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है, जिस पर निर्माता का नाम, निर्माता का नंबर या कोई मुहर लगी पहचान चिह्न नहीं है।
- आयुध संशोधन अधिनियम, 2019:
  - 2019 में संशोधित आयुध अधिनियम में एक व्यक्ति द्वारा खरीदी जा सकने वाले आग्नेयास्त्रों की संख्या को 3 से घटाकर 2 किया गया।
  - लाइसेंस की वैधता को वर्तमान के 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।
  - यह सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिये लाइसेंस प्राप्त हथियारों के उपयोग को कम करने के लिये विशिष्ट प्रावधानों को भी सूचीबद्ध करता है।

नोट :

- बिना लाइसेंस के प्रतिबंधित गोला-बारूद के अधिग्रहण, हथियाने या ले जाने के अपराध के लिये जुर्माने के साथ-साथ कारावास की सज़ा को 7 से 14 साल के बीच कर दिया गया है।
  - यह बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्रों की एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी में बदलने पर रोक लगाता है।
  - गैरकानूनी निर्माण, बिक्री और हस्तांतरण के लिये कम-से-कम सात साल के कैद की सज़ा दी जा सकती है, जिसे जुर्माने के साथ-साथ आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

आगे की राह

- एक तरीका यह है कि सख्त बंदूक नियंत्रण लागू किया जाए और गंभीरता के साथ प्रतिबंधित किया जाए कि कौन हथियार खरीद सकता है। इस संबंध में अमेरिकी कानून बहुत लचीले और उदार हैं।
- भारत को भी आग्नेयास्त्रों के अधिग्रहण और कब्ज़े से संबंधित कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें कड़ा करने की आवश्यकता है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कन्वर्जेंस मॉड्यूल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने कृषि अवसंरचना कोष (AIF) योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के बीच अभिसरण/कन्वर्जेंस मॉड्यूल लॉन्च किया है।/

- AIF, PMFME और PMKSY के तहत लाभार्थियों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी की गई थी।

कन्वर्जेंस मॉड्यूल:

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने संयुक्त रूप से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लाभों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिये एक अभिसरण पोर्टल लॉन्च किया।
- यह इस विचार पर शुरू किया गया है कि सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को देश के लोगों को उनकी सर्वोत्तम क्षमता की सेवा करने के लिये मिलकर काम करना चाहिये।
- यह पोर्टल देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण साबित होगा, जिससे प्रसंस्करण उद्योग के किसान और छोटे पैमाने के उद्यमियों सहित देश के विभिन्न वर्गों को लाभ होगा।
- यह प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए एक कदम है और 'वोकल फॉर लोकल' की अवधारणा को भी बढ़ावा देगा।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना:

- परिचय:
  - इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जून, 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिये लॉन्च किया गया था।
  - यह देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिये वित्तीय, तकनीकी और वाणिज्यिक सहायता प्रदान करता है।
  - यह योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाने के लिये एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) दृष्टिकोण अपनाती है।
  - इसे 2020-21 से 2024-25 तक पाँच वर्ष की अवधि में लागू किया जाएगा।
- वित्तपोषण:
  - यह 10,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है।
  - इस योजना के तहत व्यय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में, उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों के साथ 90:10 के अनुपात में, विधायिका वाले केंद्रशासित प्रदेशों के साथ 60:40 के अनुपात में साथ अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के लिये केंद्र द्वारा 100% साझा किया जाएगा।
- आवश्यकता:
  - लगभग 25 लाख इकाइयों वाले असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 74% रोज़गार उपलब्ध कराता है।
  - इनमें से लगभग 66% इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और उनमें से लगभग 80% परिवार आधारित उद्यम हैं जो ग्रामीण परिवारों की आजीविका में मदद करते हैं और शहरी क्षेत्रों में उनके प्रवास को कम करते हैं।
    - ये इकाइयाँ मुख्यत: सूक्ष्म उद्यमों की श्रेणी में आती हैं।
  - असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना करता है यथा आधुनिक तकनीक और उपकरणों तक पहुँच की कमी, प्रशिक्षण, संस्थागत ऋण की सुविधा, ब्रांडिंग और विपणन कौशल की कमी आदि जो उनके प्रदर्शन और उनके विकास को सीमित करते हैं।
- उपलब्धियाँ:
  - अभी तक खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में लगे लगभग 62,000 लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। नये सूक्ष्म खाद्य उद्यम स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिये इस योजना के तहत लगभग 7,300 स्वीकृत किये गए हैं।

नोट :

- 2022-23 की तीसरी तिमाही में ऋण स्वीकृतियों की गति 50% बढ़ने की उम्मीद है।

AIF क्या है ?

- कृषि इंफ्रा फंड (AIF) वित्तपोषण सुविधा है, जिसे जुलाई 2020 में, फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना व सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिये शुरू किया गया, जिसमें लाभ में 3% ब्याज छूट व क्रेडिट गारंटी सहायता शामिल हैं।
- इसके तहत वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त का प्रावधान किया गया है एवं वर्ष 2032-33 तक ब्याज छूट व क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाएगी।
- AIF योजना में राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना के साथ कन्वर्जेंस की सुविधा है, इसलिये किसी विशेष परियोजना हेतु कई सरकारी योजनाओं के लाभों को इष्टतम करने के उद्देश्य से, योजनाओं के कन्वर्जेंस हेतु बड़े पैमाने पर कई बाह्य प्रणालियों/पोर्टल के साथ इनका एकीकरण किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना:

- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसकी परिकल्पना व्यापक पैकेज रूप में की गई है, जिसके परिणामस्वरूप फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण होगा।
- PMKSY के तहत सात घटक योजनाएँ:
  - मेगा फूड पार्क
  - एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्द्धन अवसंरचना
  - कृषि प्रसंस्करण समूहों (APCs) के लिये बुनियादी ढाँचा
  - बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन
  - खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमता सृजन/ विस्तार
  - खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना
  - मानव संसाधन एवं संस्थान

अन्य संबंधित पहल

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
- कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)।
- कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन
- मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियमन।

गैर-संक्रामक रोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी रिपोर्ट "अदृश्य संख्याएँ-गैर-संक्रामक रोगों की वास्तविक स्थिति और उनके लिये आवश्यक कदम" जारी की, जिसमें कहा गया है कि हर दो सेकंड में 70 वर्ष से कम आयु के एक व्यक्ति की मृत्यु गैर-संक्रामक रोग (NCD) के कारण होती है जिनमें 86% मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- विश्व स्तर पर तीन मौतों में से एक यानी प्रतिवर्ष 17.9 मिलियन मौतें हृदय रोगों (CVD) के कारण होती हैं।
- उच्च रक्तचाप वाले दो-तिहाई लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, लेकिन उच्च रक्तचाप वाले लगभग आधे लोगों को पता भी नहीं है कि उन्हें यह रोग है। वर्तमान में यह 30-79 वर्ष की आयु वाले लगभग 1.3 बिलियन वयस्कों को प्रभावित करता है।
- प्रमुख रोग:
  - मधुमेह: प्रत्येक वर्ष 2 मिलियन के आँकड़े के साथ 28 में से एक मौत मधुमेह के कारण होती है।
    - विश्व स्तर पर मधुमेह के 95% से अधिक मामलों का कारण टाइप 2 मधुमेह है।
  - कैंसर: यह प्रति छह मौतों में से एक यानी प्रतिवर्ष 9.3 मिलियन मौतों का कारण बनता है, स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करके कैंसर से होने वाली 44% मौतों को रोका जा सकता था।
  - श्वसन रोग: रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करके साँस संबंधी पुरानी बीमारियों के कारण होने वाली 70% मौतों को रोका जा सकता था।
- इसके अलावा कोविड-19 ने NCD देखभाल पर गंभीर प्रभावों के साथ गैर-संक्रामक और संक्रामक रोग के बीच संबंधों को स्पष्ट किया। महामारी के शुरुआती महीनों में 75% देशों ने आवश्यक NCD की सेवाओं में विघटन की सूचना दी।
- WHO पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2030 तक गैर-संक्रामक रोगों के कारण असमय होने वाली मौतों को एक- तिहाई तक कम करने के सतत् विकास लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में गिने-चुने देश ही अग्रसर थे।

गैर- संक्रामक रोग:

- विषय:
  - गैर-संक्रामक रोगों को दीर्घकालिक बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये लंबे समय तक बने रहते हैं तथा आमतौर पर ये रोग आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरण और जीवन-शैली जैसे कारकों के संयोजन का परिणाम होते हैं।

नोट :

- मुख्य गैर-संक्रामक रोग हैं- हृदय रोग (जैसे दिल का दौरा और स्ट्रोक), कैंसर, साँस की पुरानी बीमारियाँ (जैसे क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज एवं अस्थमा) और मधुमेह।

- कारण:
  - तंबाकू का सेवन, अस्वास्थ्यकर आहार, शराब का अत्यधिक सेवन, शारीरिक निष्क्रियता और वायु प्रदूषण इस प्रकार की स्थितियों में योगदान देने वाले मुख्य कारक हैं।
- भारत में गैर-संक्रामक रोगों की स्थिति:
  - WHO के अनुसार, वर्ष 2019 में इस प्रकार की बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या 60.46 लाख थी।
  - साल 2019 में हृदय रोग से मरने वालो की संख्या 25.66 लाख से अधिक और लंबे समय से साँस की बीमारी की समस्या से मरने वालो की संख्या46 लाख थी।
  - देश में कैंसर के कारण 9.20 लाख मौतें हुईं, जबकि 3.49 लाख मौतें मधुमेह के कारण हुईं।
- भारत द्वारा की गई पहल:
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक (NPCDCS) की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।
  - केंद्र सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य कैंसर संस्थानों (SCI) और तृतीयक देखभाल केंद्रों (TCC) की स्थापना का समर्थन करने के लिये तृतीयक देखभाल कैंसर सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण योजना को लागू कर रही है।
  - ऑन्कोलॉजी अपने विभिन्न पहलुओं में नए एम्स और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के तहत कई उन्नत संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - रोगियों को रियायती कीमतों पर कैंसर और हृदय रोग की दवाएँ तथा प्रत्यारोपण सुविधाउपलब्ध कराने के उद्देश्य से 159 संस्थानों/अस्पतालों में सस्ती दवाएँ एवं उपचार के लिये विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) दीनदयाल आउटलेट खोले गए हैं।
  - जन औषधि स्टोर की स्थापना फार्मास्युटिकल विभाग द्वारा सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराने के लिये की जाती है।
- वैश्विक पहल:
  - सतत् विकास हेतु एजेंडा: सतत् विकास एजेंडा 2030 के हिस्से के रूप में राज्य सरकारों ने रोकथाम एवं उपचार (SDG लक्ष्य 3.4) के माध्यम से NCD से समयपूर्व होने वाली एक-तिहाई मृत्यु दर को कम करने के लिये वर्ष 2030 तक महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ विकसित करने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
    - WHO, NCD के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के समन्वय और प्रचार में महत्त्वपूर्ण नेतृत्वकर्त्ता की भूमिका निभाता है।
  - वैश्विक कार्ययोजना: वर्ष 2019 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने NCD की रोकथाम और नियंत्रण के लिये WHO की वैश्विक कार्ययोजना को वर्ष 2013-2020 की अवधि से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दिया है और NCD की रोकथाम एवं नियंत्रित करने की प्रगति में तेज़ी लाने के लिये कार्यान्वयन रोडमैप वर्ष 2023 से 2030 के विकास का आह्वान किया।
  - यह NCD की रोकथाम और प्रबंधन की दिशा में सबसे अधिक प्रभाव वाले नौ वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कार्यों का समर्थन करता है।

आगे की राह

- मज़बूत स्वास्थ्य प्रणाली के लिय ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है जिससे स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर जोखिम कारकों का जल्दी और प्रभावी ढंग से पता लगाकर उन्हें नियंत्रित किया जा सके तथा साथ ही बीमारी का लागत प्रभावी ढंग से इलाज कर मौतों को रोका जाना चाहिये।
- इसके अलावा प्राथमिक देखभाल पर ज़ोर देने के साथ वित्तीय आवंटन और स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करने की पहल में NCD को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

आदिवासी वन अधिकार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के करिपानी और बुदरा गाँवों के निवासियों ने 100 एकड़ में बड़े पैमाने पर वनीकरण अभियान चलाया, क्योंकि यह ग्रामीणों का अपनी वन भूमि पर अधिकार सुरक्षित करने का अंतिम प्रयास था।

- राज्य के संरक्षित क्षेत्रों के 10 गाँवों को 9 अगस्त, 2022 को मनाए गए आदिवासी दिवस पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) प्रदान किया गया, लेकिन करिपानी और बुदरा को ये अधिकार नही प्राप्त हुए हैं।

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार:

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम या FRA के रूप में संदर्भित), 2006 की धारा 3 (1) (i) के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सामुदायिक वन संसाधनों को "संरक्षण, पुन: उत्पन्न या संरक्षित या प्रबंधित" करने के अधिकार की मान्यता प्रदान करते हैं।

नोट :

- ये अधिकार समुदाय को वनों के उपयोग के लिये स्वयं और दूसरों के लिये नियम बनाने की अनुमति देते हैं तथा इस तरह FRA की धारा 5 के तहत वे अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।
- CFR अधिकार, धारा 3(1)(b) और 3(1)(c) के तहत सामुदायिक अधिकारों (CR) के साथ, जिसमें निस्तार अधिकार (रियासतों या ज़मींदारी आदि में पूर्व उपयोग किये जाने वाले) और गैर-लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार शामिल हैं, समुदाय की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करते हैं।
- एक बार जब CFRR को किसी समुदाय के लिये मान्यता दी जाती है, तो वन का स्वामित्त्व वन विभाग के बजाय ग्राम सभा के नियंत्रण में आ जाता है।
- प्रभावी रूप से ग्राम सभा वनों के प्रबंधन के लिये नोडल निकाय बन जाती है।
- ये अधिकार ग्राम सभा को सामुदायिक वन संसाधन सीमा के भीतर वन संरक्षण और प्रबंधन की स्थानीय पारंपरिक प्रथाओं को अपनाने का अधिकार देते हैं।
- छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जिसने राष्ट्रीय उद्यान यानी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर CFRR अधिकारों को मान्यता दी है।
- वर्ष 2016 में ओडिशा सरकार ने सर्वप्रथम, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधनों (CFR) को मान्यता प्रदान की थी।

वन अधिकार अधिनियम, 2006:

- यह वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों (FDST) और अन्य पारंपरिक वनवासी (OTFD) जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में निवास कर रहे हैं, को वन भूमि पर उनके वन अधिकारों को मान्यता देता है।
- किसी भी ऐसे सदस्य या समुदाय द्वारा वन अधिकारों का दावा किया जा सकता है, जो दिसंबर 2005 के 13वें दिन से पहले कम-से-कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) के लिये मुख्य रूप से वन भूमि में वास्तविक आजीविका की ज़रूरतों हेतु निवास करता है।
- यह FDST और OTFD की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों के संरक्षण की व्यवस्था को मज़बूती प्रदान करता है।
- ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) या सामुदायिक वन अधिकार (CFR) या दोनों जो कि FDST और OTFD को दिये जा सकते हैं, की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है।
- इस अधिनियम के तहत चार प्रकार के अधिकार हैं:
- स्वामित्त्व अधिकार: यह FDST और OTFD को अधिकतम 4 हेक्टेयर भू-क्षेत्र पर आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है। यह स्वामित्व केवल उस भूमि के लिये है जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है, इसके अलावा कोई और नई भूमि प्रदान नहीं की जाएगी।
  - उपयोग करने का अधिकार: वन निवासियों के अधिकारों का विस्तार लघु वनोत्पाद, चराई क्षेत्रों आदि तक है।
  - राहत और विकास से संबंधित अधिकार: वन संरक्षण के लिये प्रतिबंधों के अधीन अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं के मामले में पुनर्वास का अधिकार शामिल है।
  - वन प्रबंधन अधिकार: इसमें किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुन: उत्थान या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है, जिसे वन निवासियों द्वारा स्थायी उपयोग के लिये पारंपरिक रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाता है।

पोषण अभियान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आयुष मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD) के विभिन्न हस्तक्षेपों के तहत लगभग 4.37 लाख आँगनवाड़ी केंद्रों ने पोषण वाटिका की स्थापना की गई है।

- वर्तमान में जारी पोषण माह 2022 के तहत देश भर में बैकयार्ड पोल्ट्री/मत्स्य पालन इकाइयों के साथ पोषण वाटिका की स्थापना के लिये बड़े पैमाने पर कई कार्यकलाप किये जा रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, अब तक 6 राज्यों के कुछ चयनित ज़िलों में 1.10 लाख औषधीय पौधे भी लगाए जा चुके हैं।

पोषण माह:

- पोषण अभियान के अंतर्गत हर साल सितंबर के महीने में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है।
- इसमें प्रसवपूर्व देखभाल, इष्टतम स्तनपान, एनीमिया, विकास निगरानी, लड़कियों की शिक्षा, आहार, शादी की सही उम्र, स्वच्छता और स्वस्थ भोजन (खाद्य पोषण) पर केंद्रित एक महीने की गतिविधियाँ शामिल है।
- ये गतिविधियाँ सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (Social and Behavioural Change Communication-SBCC) पर ध्यान केंद्रित करती हैं तथा जन आंदोलन दिशा-निर्देशों पर आधारित होती हैं।
  - SBCC ज्ञान, दृष्टिकोण, मानदंड, विश्वास और व्यवहार में परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिये संचार दृष्टिकोण का एक रणनीतिक उपयोग है।

नोट :

पोषण वाटिका:

- विषय:
  - पोषण वाटिका का अर्थ है भूमि का वह छोटा टुकड़ा जहाँ घर के लोग सब्जियाँ उगाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार में सभी विशेष रूप से बच्चे और महिलाएँ कुपोषण का शिकार न हों।
- उद्देश्य:
  - इसका मुख्य उद्देश्य जैविक रूप से घरेलू सब्जियों और फलों के माध्यम से पोषण की आपूर्ति करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे।
- कार्यान्वयन:
  - आँगनवाड़ियों, स्कूल परिसरों और ग्राम पंचायतों में उपलब्ध स्थान में सभी हितधारकों द्वारा पोषण वाटिका के लिये वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा।

पोषण अभियान:

- विषय:
  - 8 मार्च, 2018 को सरकार द्वारा पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) शुरू किया गया था।
- लक्ष्य:
  - इसका उद्देश्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच) तथा जन्म के समय वजन में कमी को क्रमश: 2%, 2%, 3% और 2% प्रतिवर्ष कम करना है।
  - इस मिशन का लक्ष्य 2022 तक 0-6 आयु वर्ग के बच्चों में स्टंटिंग को 38.4% से घटाकर 25% करना है।
  - पोषण अभियान का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सेवा वितरण और हस्तक्षेप, अभिसरण के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन तथा विभिन्न निगरानी मापदंडों मं, प्राप्त किये जाने वाले विशिष्ट लक्ष्यों को सुनिश्चित करना है।
  - इस अभियान के तहत ज़िले के अधिकारियों के साथ समन्वय करने और देश भर में अभियान के तेज़ और कुशल निष्पादन के लिये प्रत्येक ज़िले में स्वस्थ भारत प्रेरक तैनात किये जाएँगे। स्वस्थ भारत प्रेरक अभियान के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे।
- पोषण 2.0:
  - परिचय:
    - संचालन में तालमेल बनाने और पोषण सेवा तंत्र में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिये सरकार ने पोषण 2.0 मिशन के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम एवं पोषण अभियान जैसे समान उद्देश्यों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों को समायोजित किया है।
  - घटक:
    - अभिसरण: यह अभियान, MWCD की सभी पोषण संबंधी योजनाओं की लक्षित आबादी पर अभिसरण सुनिश्चित करना है। अभियान विभिन्न कार्यक्रमों के अभिसरण को भी सुनिश्चित करेगा।
    - एकीकृत बाल विकास सेवाएँ-सामान्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर (ICDS-CAS): पोषण की स्थिति की सॉफ्टवेयर आधारित निगरानी की जाएगी।
    - व्यवहार परिवर्तन: अभियान को जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा जहाँ लोगों की सामूहिक भागीदारी वांछित है। जागरूकता को बढ़ावा देने और मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रत्येक माह समुदाय आधारित कार्यक्रम का आयोजन होगा।
    - प्रोत्साहन: अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ताओ को उनके प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा।
    - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: 21 विषयगत मॉड्यूल प्रशिक्षण के लिये वृद्धिशील शिक्षण दृष्टिकोण अपनाया जाएगा तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ताओं को प्रमुख प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।
    - शिकायत निवारण: किसी भी समस्या के समाधान तक आसान पहुँच के लिये एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा।

पोषण अभियान की आवश्यकता:

- बच्चों में कुपोषण और एनीमिया:
  - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey-NFHS)-5 के अनुसार, भारत में पिछले कुछ वर्षों में मामूली सुधार के बावजूद, अस्वीकार्य रूप स्टंटिंग (बौनापन) के मामले बड़ी संख्या में देखे गए हैं।
  - वर्ष 2019-21 में पाँच वर्ष से कम उम्र के 35.5% बच्चे स्टंटिंग से पीड़ित थे और 32.1% कम वजन के थे।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2021:
  - वैश्विक पोषण रिपोर्ट (Global Nutrition Report-GNR), 2021 के अनुसार, भारत ने एनीमिया और चाइल्डहुड वेस्टिंग (Childhood Wasting) पर कोई प्रगति नहीं की है।
    - भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 17% से अधिक बच्चे चाइल्डहुड वेस्टिंग के कारण प्रभावित होते हैं।

नोट :

- NFHS 2019-21 के आँकड़ों से पता चलता है कि एनीमिया में सबसे अधिक वृद्धि 6-59 माह की उम्र के बच्चों में हुई जो NFHS-4 (2015-16) के 58.6% से बढ़कर, NFHS-5 में 67.1% हो गई है।
- मानव पूंजी सूचकांक (2020):
  - मानव पूंजी सूचकांक में भारत 180 देशों में 116वें स्थान पर है।
  - मानव पूंजी में मानव द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है, जिससे उन्हें समाज के उत्पादक ईकाई के रूप में अपनी क्षमता का एहसास होता है।

संबंधित सरकारी पहलें:

- प्रधानमंत्री- पोषण योजना (PMY)
- एनीमिया मुक्त भारत अभियान
- मध्याह्न भोजन (MDM) योजना
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

आगे की राह

- देश में कुपोषण और खाद्य असुरक्षा के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के समाधान के लिये सक्रिय उपाय किये जाने की आवश्यकता है।
- सामाजिक-आर्थिक कारकों के प्रभावों के साथ ही महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संरचित, समयबद्ध एवं स्थान-विशिष्ट रणनीतियाँ तैयार करना।
- एक व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम होगा, जो पोषण के विभिन्न क्षेत्रों और आयामों को संबोधित करेगा।

ऑपरेशन मेघ चक्र

चर्चा में क्यों ?

एक ऑपरेशन जिसका कोड-नाम "मेघ चक्र" है, न्यूज़ीलैंड के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर इंटरपोल की सिंगापुर विशेष इकाई से प्राप्त जानकारी के बाद चलाया जा रहा है।

- यह बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के प्रसार और उसे साझा करने के खिलाफ केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) द्वारा संचालित एक अखिल भारतीय अभियान है।

ऑपरेशन मेघ चक्र के प्रमुख बिंदु:

- 20 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में 59 स्थानों पर तलाशी ली गई।
- यह आरोप लगाया गया है कि बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक क्लाउड-आधारित भंडारण का उपयोग करके बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के ऑनलाइन संचलन , डाउनलोडिंग और प्रसारण में शामिल थे।
- इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जानकारी एकत्र करना, वैश्विक स्तर पर संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जुड़ना और इस मुद्दे पर इंटरपोल चैनलों के माध्यम से निकटता से समन्वय करना है।
- जाँच में 500 से अधिक समूहों की पहचान की गई थी, जिनमें 5000 से अधिक अपराधी और लगभग 100 देशों के नागरिक भी शामिल थे।
- नवंबर 2021 में CBI द्वारा "ऑपरेशन कार्बन" नामक ऐसे ही एक अभ्यास कोड का संचालन किया गया था।

बाल यौन शोषण से जुड़े मुद्दे:

- बहुस्तरीय समस्या: बाल यौन शोषण एक बहुस्तरीय समस्या है जो बच्चों की शारीरिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और व्यवहार संबंधी पहलुओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
- डिजिटल प्रौद्योगिकियों के कारण प्रवर्धन: मोबाइल और डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने बाल शोषण एवं दुर्व्यवहार को और बढ़ा दिया है। ऑनलाइन शरारत, उत्पीड़न तथा चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे बाल शोषण के नए रूप भी सामने आए हैं।
- अप्रभावी कानून: हालाँकि भारत सरकार ने यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO अधिनियम) बनाया है, लेकिन यह बच्चों को यौन शोषण से बचाने में विफल रही है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:
  - कम सज़ा दर: विगत 5 वर्षों के औसत को देखें तो लंबित मामलों की संख्या 90% है, इस प्रकार POCSO अधिनियम के तहत दोषसिद्धि की दर केवल 32% है।
  - न्यायिक विलंब: कठुआ बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी को दोषी ठहराने में 16 महीने लग गए, जबकि पॉक्सो अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पूरी सुनवाई और दोषसिद्धि की प्रक्रिया एक साल में पूरी की जानी है।
  - बच्चे के लिये प्रतिकूल: बच्चे की आयु-निर्धारण से संबंधित चुनौतियाँ। विशेष रूप से ऐसे कानून जो जैविक उम्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि मानसिक उम्र पर।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012:

- यह बच्चों के हितों की रक्षा और भलाई के लिये बच्चों को यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार एवं अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिये अधिनियमित किया गया था।

नोट :

- यह अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है और बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये हर स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हित तथा कल्याण को सर्वोपरि मानता है।
- यह यौन शोषण के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है, जिसमें भेदक और गैर-मर्मज्ञ हमले, साथ ही यौन उत्पीड़न एवं अश्लील साहित्य शामिल हैं।
- ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियों में यौन आक्रमण बढ़ गए हैं, जैसे कि जब दुर्व्यवहार का सामना करने वाला बच्चा मानसिक रूप से बीमार होता है अथवा जब दुर्व्यवहार परिवार के किसी सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक या डॉक्टर जैसे विश्वसनीय लोगों द्वारा किया जाता है।
- यह जाँच प्रक्रिया के दौरान पुलिस को बाल संरक्षक की भूमिका भी प्रदान करता है।
- अधिनियम में कहा गया है कि बाल यौन शोषण के मामले का निपटारा अपराध की रिपोर्ट की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिये।
- अगस्त 2019 में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिये मृत्यु दंड सहित कठोर सज़ा देने के लिये इसमें संशोधन किया गया था।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान प्रत्येक बच्चे को सम्मान के साथ जीने का अधिकार (अनुच्छेद 21), व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21), निजता का अधिकार (अनुच्छेद 21), समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), भेदभाव (अनुच्छेद 15) और शोषण के विरुद्ध (अनुच्छेद 23 व 24) अधिकार की गारंटी प्रदान करता है।
  - 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 A)।
- राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और विशेष रूप से अनुच्छेद 39 (F) यह सुनिश्चित करने के लिये राज्य पर एक दायित्व आरोपित करता है कि बच्चों को समग्र तरीके से स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण स्थिति में विकसित होने के अवसर एवं सुविधाएँ प्रदान की जाएँ तथा बचपन व युवावस्था में शोषण तथा नैतिक एवं भौतिक परित्याग के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाए।

संबंधित पहलें:

- बाल शोषण रोकथाम एवं जाँच इकाई
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- किशोर न्याय अधिनियम/देखभाल और संरक्षण अधिनियम, 2000
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (2006)
- बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम, 2016

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) को दिसंबर 2022 तक (और तीन महीने के लिये) विस्तारित करने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):

- परिचय:
  - 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिये 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज' (PMGKP) के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।
  - इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से पहले से ही प्रदान किये जा रहे 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज (गेहूँ या चावल) मुफ्त में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  - प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत तीन माह (अप्रैल, मई और जून 2020) की अवधि के लिये की गई थी, जिसमें कुल 80 करोड़ राशन कार्डधारक शामिल थे। बाद में इसे सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
  - वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।
  - देश भर में लगभग 5 लाख राशन की दुकानों से वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना के तहत कोई भी प्रवासी श्रमिक या लाभार्थी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से मुफ्त राशन का लाभ उठा सकता है।
- लागत: सभी चरणों के लिये PMGKAY का कुल खर्च लगभग91 लाख करोड़ रुपए होगा।
- चुनौतियाँ: एक प्रमुख मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी अंतिम जनगणना (2011) पर आधारित हैं, हालाँकि तब से खाद्य-असुरक्षा से जुड़े लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कि अब इस योजना के तहत शामिल नहीं हैं।
- मुद्दे:
  - महँगा: सस्ते अनाज की प्रचुर आपूर्ति की आवश्यकता को बनाए रखना और बढ़ाना सरकार के लिये बहुत महँगा है। वर्ष 2022 में भारत को गेहूँ और चावल के निर्यात को प्रतिबंधित करना पड़ा, क्योंकि अनिश्चित मौसम के कारण फसल को नुकसान हुआ, खाद्य कीमतों पर दबाव बढ़ गया, वैश्विक कृषि बाज़ारों में संकट की स्थिति देखी गई।

नोट :

- राजकोषीय घाटे में वृद्धि: यह राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के4% तक सीमित करने के सरकार के लक्ष्य के लिये जोखिम उत्पन्न कर सकता है।
- मुद्रास्फीति
- कार्यक्रम में लिये गए निर्णय मुद्रास्फीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। चावल और गेहूँ की कीमतें जो कि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति का लगभग 10% हिस्सा हैं, लू के प्रकोप और अनियमित मानसून के कारण इनके उत्पादन में कमी आई है तथा इसी वजह से उनकी कीमतों में तेज़ी देखी जा रही है।

सरकार की संबद्ध पहलें:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
- Integrated Schemes on Oilseeds, Pulses, Palm oil and Maize (ISOPOM)
- तिलहन, दलहन, पाम ऑयल और मोटे अनाज पर एकीकृत योजनाएँ (ISOPOM)
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

दृष्टि The Vision

नोट :

सामाजिक न्याय

अलीवा: बाल विवाह के उन्मूलन हेतु डेटा संचालित दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ओडिशा के एक ज़िले नयागढ़ ने बाल विवाह को मिटाने के लिये एक अनूठी पहल- अलीवा को अपनाया है।

- ओडिशा की बाल विवाह रोकथाम रणनीति के अनुसार, राज्य का लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करना है।

पहल के प्रमुख बिंदु:

- विषय:
  - यह कार्यक्रम जनवरी 2022 में शुरू किया गया था।
  - आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं से कहा गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली हर किशोरी की पहचान करें और उन पर नज़र रखें।
  - ज़िले के आँगनबाडी केंद्रों में उपलब्ध अलीवा नाम के रजिस्टरों में किशोरियों की जन्म पंजीकरण तिथि, आधार, परिवार का विवरण, कौशल प्रशिक्षण आदि का विवरण दर्ज होता है।
  - लड़की की उम्र को स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक, पिता, पर्यवेक्षक और बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
  - अब तक ज़िले में 48,642 किशोरियों की जानकारी अलीवा रजिस्टर में दर्ज है।
  - बाल विवाह के बारे में सूचना मिलने पर ज़िला प्रशासन और पुलिस लड़कियों की उम्र के प्रमाण का पता लगाने के लिये रजिस्टर का सहारा लेते हैं।
  - ज़िले ने 10 वर्ष यानी 2020 से 2030 तक की अवधि के लिये रिकॉर्ड बनाए रखने का निर्णय लिया है।
- महत्त्व:
  - अलीवा रजिस्टर अब तक सबसे विस्तारपूर्ण है जो 10 साल तक लड़कियों के जीवन की जानकारी रखता है।
    - कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिये यह रजिस्टर उपयोगी रहा है, क्योंकि माता-पिता सज़ा से बचने के लिये अपनी लड़कियों की उम्र के बारे में झूठ बोलने का प्रयास करते हैं।
  - पिछले आठ महीनों में ज़िला प्रशासन ने 61 बाल विवाह रोकने में कामयाबी हासिल की है।
  - यद्यपि रजिस्टर की संकल्पना बाल विवाह को रोकने के लिये की गई थी, लेकिन यह लड़कियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिये बहुत उपयोगी रही है, खासकर यदि वे एनीमिक(रक्त की कमी से पीड़ित) हों।

भारत में बाल विवाह की वर्तमान स्थिति:

- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund- UNICEF) के आकलन से पता चलता है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 18 वर्ष से कम उम्र की कम-से-कम 15 लाख लड़कियों की शादी हो जाती है, जो वैश्विक संख्या का एक-तिहाई है और इस प्रकार अन्य देशों की तुलना में भारत में बाल वधुओं की सर्वाधिक संख्या मौजूद है।
  - NFHS-5 के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले हो गई, जो NFHS-4 में रिपोर्ट किये गए 26.8% से कम है। पुरुषों में कम उम्र में विवाह का आँकड़ा 17.7% (NFHS-5) और 20.3% (NFHS-4) है।
    - पश्चिम बंगाल और बिहार में लगभग 41% ऐसी महिलाओं के साथ बालिका विवाह का प्रचलन सबसे अधिक था।
  - NHFS-5 के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नगालैंड, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में कम उम्र में शादियाँ सबसे कम हुई हैं।
    - 20-24 वर्ष की आयु की महिलाओं की हिस्सेदारी जिन्होंने 18 वर्ष की आयु से पहले शादी की थी, पिछले पाँच वर्षों में 27% से घटकर 23% हो गई है।
    - राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में कम उम्र के विवाहों के अनुपात में सबसे अधिक कमी देखी गई।

बाल विवाह को रोकने हेतु सरकारी कानून और पहल:

- शादी के लिये न्यूनतम आयु:
  - हिंदुओं के लिये हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, महिला के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुष के लिये न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करता है।
    - इस्लाम में युवावस्था प्राप्त कर चुके नाबालिग की शादी को वैध माना जाता है।
    - विशेष विवाह अधिनियम, 1954 भी महिलाओं और पुरुषों के लिये विवाह हेतु सहमति की न्यूनतम आयु के रूप में क्रमश: 18 और 21 वर्ष निर्धारित करता है।

नोट :

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 का स्थान लिया, जो ब्रिटिश काल के दौरान अधिनियमित किया गया था।
  - यह एक बच्चे को 21 साल से कम उम्र के पुरुष और 18 साल से कम उम्र की महिला के रूप में परिभाषित करता है।
    - "नाबालिग" को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने अधिनियम के अनुसार, वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है।
  - किसी एक पक्ष द्वारा वांछित होने पर बाल विवाह की कानूनी स्थिति शून्य हो जाती है।
    - हालाँकि यदि सहमति धोखाधड़ी या छल से प्राप्त की जाती है या फिर बच्चे को उसके वैध अभिभावकों द्वारा बहकाया जाता है और यदि एकमात्र उद्देश्य बच्चे को तस्करी या अन्य अनैतिक उद्देश्यों के लिये उपयोग करना है, तो विवाह अमान्य होगा।
  - बालिकाओं के भरण-पोषण का भी प्रावधान है। यदि पति बालिग है तो गुजारा भत्ता देने के लिये उत्तरदायी है।
    - यदि पति भी अवयस्क है तो उसके माता-पिता को भरण-पोषण का भुगतान करना होगा।
  - बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष या बाल विवाह को संपन्न कराने वालों को इस अधिनियम के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख रूपए का जुर्माना या दोनों सज़ा से दंडित किया जा सकता है।
  - अधिनियम में CPMO की नियुक्ति का भी प्रावधान है जिसका कर्तव्य बाल विवाह को रोकना और इसके बारे में जागरूकता फैलाना है।
- लिंग अंतराल को कम करने हेतु भारत के प्रयास:
  - भारत ने वर्ष 1993 में 'महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय (CEDAW) की पुष्टि की थी।
    - इस अभिसमय का अनुच्छेद-16 बाल विवाह का कठोरता से निषेध करता है और सरकारों से महिलाओं के लिये न्यूनतम विवाह योग्य आयु का निर्धारण करने एवं उन्हें लागू करने की अपेक्षा करता है।
    - वर्ष 1998 से भारत ने विशेष रूप से मानव अधिकारों की सुरक्षा पर राष्ट्रीय कानून का प्रवर्तन किया है, जिसे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 जैसे अंतर्राष्ट्रीय साधनों के अनुरूप तैयार किया गया है।

The Vision

नोट :

प्रिलिम्स फैक्ट्स

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council-FSDC) की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की।

प्रमुख बिंदु

- परिषद ने अर्थव्यवस्था के लिये प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों और उनसे निपटने की तैयारी, मौजूदा वित्तीय एवं क्रेडिट सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार तथा व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में शासन और प्रबंधन के मुद्दों पर ज़ोर दिया।
- यह नोट किया गया कि सरकार और नियामकों द्वारा वित्तीय क्षेत्र के जोखिमों, वित्तीय स्थितियों तथा बाज़ार के विकास की निरंतर आधार पर निगरानी करने की आवश्यकता है ताकि किसी भी भेद्यता को कम करने एवं वित्तीय स्थिरता को मज़बूत करने के लिये उचित और समय पर कार्रवाई की जा सके।
- परिषद ने वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान उठाए जाने वाले वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों के संबंध में तैयारी पर ध्यान दिया।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC):

- स्थापना:
  - यह वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर-सांविधिक शीर्ष परिषद है तथा इसकी स्थापना वर्ष 2010 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी।
  - FSDC की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर गठित रघुराम राजन समिति (2008) द्वारा किया गया था।.
- संरचना:
  - इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है तथा इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों (RBI, SEBI, PFRDA और IRDA) के प्रमुख, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हैं।
    - वर्ष 2018 में सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के ज़िम्मेदार राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (IBBI) के अध्यक्ष तथा राजस्व सचिव को शामिल करने के उद्देश्य से FSDC का पुनर्गठन किया।
  - FSDC उप-समिति की अध्यक्षता RBI के गवर्नर द्वारा की जाती है।
  - आवश्यकता पड़ने पर यह परिषद विशेषज्ञों को भी अपनी बैठक में आमंत्रित कर सकती है।
- कार्य:
  - वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-नियामक समन्वय बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रक्रिया को मज़बूत एवं संस्थागत बनाना।
  - अर्थव्यवस्था के वृहद-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करना। यह बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज का आकलन करती है।

एशियाई कराकल

एशियाई चीता की तरह खेल में भारत के कुलीन वर्ग द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कराकल जीवित रहने के लिये संघर्ष कर रहा है, हालाँकि दोनों प्रजातियों का अतीत में समान वितरण था।

काराकल (Caracal):

- वैज्ञानिक नाम: काराकल काराकल श्मिट्ज़ी
  - परिचय:
  - एशियाई काराकल मध्यम आकार की और स्थानीय रूप से संकटग्रस्त बिल्ली की प्रजाति है, जिसके व्यापक रूप से भारत में विलुप्त होने के कगार पर होने की सूचना है।
  - इसे इसके फारसी नाम सियाहगोश या 'काले कान' से भी जाना जाता है।
- विस्तार:
  - वे ज़्यादातर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और कच्छ, मालवा पठार, अरावली पहाड़ी श्रृंखला में स्थित हैं।

नोट :

- भारत के अलावा कैरेकल अफ्रीका, मध्य-पूर्व, मध्य और दक्षिण एशिया के कई दर्जन देशों में पाया जाता है।

- आवास:
  - इनका आवास अर्द्ध -रेगिस्तान, सीढ़ियाँ, सवाना, झाड़ीदार भूमि, शुष्क जंगल और नम वुडलैंड या सदाबहार जंगल में होता है।
  - यह खुले क्षेत्र और शुष्क, स्क्रबी, शुष्क आवास में रहता है।
- खतरे:
  - बड़े पैमाने पर शिकार, अवैध व्यापार और प्राकृतिक आवासों के नुकसान को प्रजातियों के लिये गंभीर खतरा माना जाता है।
- सुरक्षा स्थिति:
  - IUCN लाल सूची: कम चिंतनीय
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची 1
  - CITES: परिशिष्ट I
- संरक्षण पहल:
  - 2021 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कराकल को गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की रिकवरी कार्यक्रम के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में शामिल किया।

प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम:

- यह वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास(IDWH) योजना के तीन घटकों में से एक है।
- IDWH को 2008-2009 में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। यह संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, संरक्षण रिज़र्व और बाघ अभयारण्यों को छोड़कर सामुदायिक रिज़र्व), संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों की सुरक्षा और गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों तथा आवासों को सुरक्षित करने के लिये रिकवरी कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने हेतु है।
- गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में 22 प्रजातियाँ हैं।
  - स्नो लेपर्ड, बस्टर्ड (फ्लोरिकन सहित), डॉल्फिन, हंगुल, नीलगिरि तहर, समुद्री कछुए, डुगोंग, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट, एशियाई जंगली भैंस, निकोबार मेगापोड, मणिपुर ब्रो-एंटलर्ड हिरण, गिद्ध, मालाबार सिवेट, भारतीय गैंडा, एशियाई शेर, दलदल हिरण, जेर्डन कौरसर, उत्तरी नदी टेरापिन, क्लाउडेड लेपर्ड, अरब सागर हंपबैक व्हेल, रेड पांडा और काराकल।

स्वच्छता पखवाड़ा

हाल ही में रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे में "स्वच्छता पखवाड़ा" लॉन्च किया है।

- इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने पर्यावरण स्थिरता पर वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की।

प्रमुख बिंदु

- रेल मंत्रालय 16 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है।
- स्टेशनों पर पटरियों की सफाई, प्रमुख स्टेशनों तक पहुँच और रेलवे परिसर में प्लास्टिक कचरे के उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- पखवाड़ा के दौरान प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए स्टेशनों, ट्रेनों, पटरियों, कॉलोनियों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों की सघन सफाई और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.
- लोगों को बायो-टॉयलेट के उपयोग, सिंगल-यूज प्लास्टिक से बचने और स्वच्छता की आदतों का पालन करने के बारे में शिक्षित करने के लिये पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से डिजिटल मीडिया/सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की योजना है।

स्वच्छता पखवाड़ा

- इसका उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को उनके अधिकार क्षेत्र में शामिल करके स्वच्छता के मुद्दों तथा प्रथाओं पर एक पखवाड़े का गहन ध्यान देना है।
- स्वच्छता पखवाड़ा का पालन करने वाले मंत्रालयों की स्वच्छता समीक्षा की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का उपयोग करके बारीकी से निगरानी की जाती है जहाँ स्वच्छता गतिविधियों से संबंधित कार्य योजनाएँ, इमेज, वीडियो अपलोड और साझा किये जाते हैं।

स्वच्छता से संबंधित पहल

- विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून)
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- भारत प्लास्टिक समझौता
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

वार्षिक पर्यावरण स्थिरता रिपोर्ट

- परिचय:
  - यह हरित पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये भारतीय रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों को उजागर करने वाला एक व्यापक दस्तावेज है।
  - यह रिपोर्ट ऊर्जा संरक्षण उपायों, वैकल्पिक ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन, जल संरक्षण, वनीकरण, स्टेशनों और प्रतिष्ठानों के हरित प्रमाणीकरण, जैव शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसे शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में रेलवे के प्रयासों को सामने लाती है।

नोट :

- विज़न:
  - भारतीय रेलवे को टिकाऊ जन परिवहन समाधान में विश्व स्तर पर अग्रणी बनते हुए हरित पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना

इंस्पायर पुरस्कार

हाल ही में इंस्पायर पुरस्कार- मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज के तहत 9वीं 'राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता' (NLEPC) शुरू हुई है।

इंस्पायर (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research-INSPIRE) पुरस्कार:

- विषय:
  - इसे 'स्टार्टअप इंडिया' पहल के साथ जोड़ा गया है और इसे DST (विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग) द्वारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन- इंडिया (NIF), DST के एक स्वायत्त निकाय के साथ निष्पादित किया जा रहा है।
  - इस योजना के तहत देश भर के सभी सरकारी या निजी स्कूलों से छात्रों को आमंत्रित किया जाता है, भले ही उनका शैक्षिक बोर्ड (राष्ट्रीय और राज्य) कोई भी हों।
  - प्रत्येक को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे योजना के लिये प्रस्तुत किये गए विचारों के अनुरूप प्रोटोटाइप विकसित कर सकें।
  - अगले चरण के रूप में उन्होंने संबंधित ज़िला स्तरीय प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता (DLEPC) और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता (SLEPC) में प्रतिस्पर्द्धा की और अब राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता (NLEPC) में अपनी जगह बनाई है।
- लक्ष्य:
  - छात्रों को भविष्य के नवप्रवर्तक और महत्त्वपूर्ण विचारक बनने के लिये प्रेरित करना।
- उद्देश्य:
  - विद्यालयी छात्रों में रचनात्मकता और नवोन्मेषी सोच की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये विज्ञान एवं सामाजिक अनुप्रयोगों में निहित दस लाख मूल विचारों/नवाचारों को लक्षित करना।
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करना तथा छात्रों को संवेदनशील एवं ज़िम्मेदार नागरिक, भविष्य के नवाचारी बनने के लिये पोषित करना।
- इंस्पायर पुरस्कार, 2022:
  - 60 स्टार्टअप्स को इंस्पायर पुरस्कार प्रदान किया गया, साथ ही 53,021 छात्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई।
  - इस योजना ने देश के 702 ज़िलों (96%) के विचारों और नवाचारों का प्रतिनिधित्व करके समावेशिता के एक अद्वितीय स्तर को छुआ, जिसमें 124 आकांक्षी ज़िलों में से 123, लड़कियों का 51% प्रतिनिधित्व, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों से 84% भागीदारी शामिल है। देश के 71% स्कूल राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

इंस्पायर (INSPIRE) योजना:

- इंस्पायर (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research-INSPIRE) योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।
- इसका उद्देश्य देश की युवा आबादी को विज्ञान की रचनात्मक खोज के बारे में बताना, प्रारंभिक चरण में विज्ञान के अध्ययन के लिये प्रतिभा को आकर्षित करना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रणाली अनुसंधान और विकास को मज़बूत व विस्तारित करने के लिये आवश्यक महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन पूल के आधार का निर्माण करना है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2010 से इंस्पायर (INSPIRE) योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। इस योजना में 10-32 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को शामिल किया गया है और इसके पाँच घटक हैं।
  - इंस्पायर पुरस्कार- मानक (MANAK), इसके घटकों में से एक है।

- संबंधित पहलें:
  - राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, 2020 का मसौदा:
    - इसका उद्देश्य देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने और भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (STI) पारिस्थितिकी तंत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये STI पारिस्थितिकी तंत्र की ताकत तथा कमज़ोरियों की पहचान करना तथा उन्हें दूर करना है।

नोट :

- SERB-POWER योजना:
  - यह भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रयोगशालाओं में विभिन्न विज्ञान व प्रौद्योगिकी (S&T) कार्यक्रमों में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में लैंगिक असमानता को कम करने के लिये विशेष रूप से महिला वैज्ञानिकों हेतु तैयार की गई एक योजना है।
- स्वर्ण जयंती फैलोशिप:
  - इसके तहत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले चयनित युवा वैज्ञानिकों को विशेष सहायता और अनुदान प्रदान किया जाता है ताकि वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान को आगे बढ़ा सकें।

हिमाचल प्रदेश को एशियाई विकास बैंक (ADB) से ऋण

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने तथा जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिये 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।

इस परियोजना के मुख्य बिंदु:

- विषय:
  - यह परियोजना भारत सरकार के जल जीवन मिशन के उद्देश्य के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी उपलब्ध कराना है।
  - यह सुरक्षित, सतत् और समावेशी ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिये जलापूर्ति के बुनियादी ढाँचे को उन्नत करेगा और संस्थागत क्षमता को मज़बूत करेगा।
- विशेषताएँ:
  - जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे में सुधार:
    - यद्यपि राज्य की 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, कुशल और बेहतर सेवा गुणवत्ता के लिये जल आपूर्ति के बुनियादी ढाँचे में सुधार की आवश्यकता है।
  - मल गाद प्रबंधन कार्यक्रम:
    - सिरमौर ज़िले में मल गाद के प्रबंधन और स्वच्छता से जुड़ा एक पायलट कार्यक्रम भी लागू किया जाएगा, जिससे 250,000 निवासियों को लाभ मिलेगा।
  - जल शक्ति विभाग का सुदृढ़ीकरण:
    - यह परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग और ग्राम पंचायत (स्थानीय सरकार) में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों की क्षमता को मज़बूत करेगी।
    - यह राज्य सरकार के जल शुल्क नीति सुधारों का समर्थन करेगी और राज्य स्तर एवं ज़िला परिसंपत्ति प्रबंधन योजनाओं में परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगी।
    - मुख्य परियोजना हितधारकों और समुदाय आधारित संगठनों को जल प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिये आजीविका कौशल प्रशिक्षण भी शामिल है।

एशियाई विकास बैंक (ADB):

- एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को हुई थी।
- ADB में कुल 68 सदस्य हैंI भारत ADB का संस्थापक सदस्य है।
  - कुल सदस्यों में से 49 सदस्य देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से हैं।
  - इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- 31 दिसंबर, 2019 तक ADB के पाँच सबसे बड़े शेयरधारकों में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (प्रत्येक कुल शेयरों के 15.6% के साथ), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (6.4%), भारत (6.3%) और ऑस्ट्रेलिया (5.8%) शामिल हैं।
- ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है।

इबोला वायरस रोग

हाल ही में रेयर सूडान स्ट्रेन मामले की पुष्टि के बाद युगांडा में इबोला वायरस रोग (EVD) का प्रकोप घोषित किया गया है।

इबोला वायरस रोग (EVD):

- परिचय:
  - इबोला वायरस रोग (EVD), जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, मनुष्यों में होने वाली एक गंभीर, घातक बीमारी है। यह वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव-से-मानव में संचरण करता है।
  - इबोला वायरस की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1976 में इबोला नदी के पास स्थित गाँव में हुई थी जो कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है।
  - यह आमतौर पर लोगों और गैर-मानव आदिम (जैसे बंदर, गोरिल्ला और चिंपैंजी) को प्रभावित करता है।
  - यह जीनस इबोलावायरस के अंदर वायरस के एक समूह के संक्रमण के कारण होता है:
    - इबोला वायरस (जायर इबोलावायरस प्रजाति)
    - सूडान वायरस (सूडान इबोलावायरस प्रजाति)

नोट :

- Taï फॉरेस्ट वायरस (Taï फॉरेस्ट इबोलावायरस, पूर्व में कोटे डी आइवर इबोलावायरस प्रजाति)
- बुंडीबुग्यो वायरस (बुंडीबुग्यो इबोलावायरस प्रजाति)
- रेस्टन वायरस (रेस्टन इबोलावायरस प्रजाति)
- बॉम्बेली वायरस (बॉम्बेली इबोलावायरस प्रजाति)

- होस्ट: फ्रूट बैट' टेरोपोडीडेई परिवार (Pteropodidae family) से संबंधित है जो वायरस के प्राकृतिक वाहक (Natural Hosts) है।
- संचरण:
  - पशु से मानव संचरण: इबोला का संक्रमण उन जानवरों के रक्त, स्राव, अंगों या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों जैसे कि फ्रूट बैट, चिम्पैंजी, गोरिल्ला, बंदर, वन मृग या पोर्कपीस के साथ निकट संपर्क के माध्यम से मानव आबादी में फैलता है। यह वायरस निष्क्रिय या मृतपाय अवस्था में पाए जाते हैं या वर्षावनों में पाए जाते हैं।
  - मानव से मानव संचरण: इबोला सीधे संपर्क (टूटी हुई त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के माध्यम से) के साथ फैलता है:
  - जो व्यक्ति इबोला से बीमार है या उसकी मृत्यु हो गई है उसके रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से फैलता है।
  - ऐसे शरीर के तरल पदार्थ (जैसे रक्त, मल, उल्टी) से दूषित वस्तुएँ।
- लक्षण:
  - लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 2 से 21 दिनों के भीतर कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, औसतन 8 से 10 दिनों के साथ जिसमें बुखार, थकान, माँसपेशियों में दर्द, शरीर में कमज़ोरी, सिरदर्द, गले में खराश, उल्टी, दस्त, और यकृत के लक्षण कुछ मामलों में, आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव दोनों शामिल हैं।
- निदान:
  - इबोला को अन्य संक्रामक रोगों जैसे मलेरिया, टाइफाइड बुखार और मेनिन्जाइटिस में चिकित्सकीय रूप से अंतर करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन पुष्टि की जाती है कि इबोला वायरस के संक्रमण के कारणों का लक्षण निम्नलिखित निदानकारी विधियों का उपयोग करके किया जाता है:
    - एलिसा (ELISA) (antibody-capture enzyme-linked immunosorbent assay)
    - रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (RTPCR) तकनीक।
- टीकाकरण:
  - एर्वेबो वैक्सीन (rVSV-ZEBOV) को इबोला वायरस से लोगों की रक्षा करने में प्रभावी बताया गया है।
    - हालाँकि, इस वैक्सीन को जायरे वायरस के निष्पीड़ण से बचाने के लिये ही मंज़ूरी दी गई है।

अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2022

प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है।

- वर्ष 2022 के लिये थीम: नस्लवाद का अंत, शांति की स्थापना (End racism, Build peace)।

अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस

- परिचय:
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने इसे अहिंसा और संघर्ष विराम के माध्यम से शांति के आदर्शों को मज़बूत करने के लिये समर्पित दिन के रूप में घोषित किया है।
- पृष्ठभूमि: संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की घोषणा की गई थी।
  - वर्ष 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से इस दिवस को अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में नामित करने के लिये मतदान किया।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का प्रतीक:
  - जापान के संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1954 में शांति घंटी दान की। यह वर्ष में दो बार: वसंत के पहले दिन वसंत विषुव पर और 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर घंटी बजाने की प्रथा बन गई है।

अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस

- अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्तूबर, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है।
- यह UNGA द्वारा वर्ष 2007 में "शिक्षा और जन जागरूकता सहित अहिंसा के संदेश का प्रसार" करने के लिये स्थापित किया गया था।

वैश्विक शांति हेतु विभिन्न चुनौतियाँ:

- नस्लवाद में वृद्धि: अश्वेत अमेरिकी अपने श्वेत समकक्षों की तुलना में 25% कम कमाते हैं।
  - श्वेत अमेरिकियों की तुलना में अश्वेत अमेरिकियों के बेरोज़गार होने की संभावना दोगुनी है।
  - आय और शिक्षा के समान स्तरों पर श्वेत महिलाओं की तुलना में अश्वेत महिलाओं में गर्भावस्था से संबंधित मौतों की संभावना तीन से चार गुना अधिक होती है।
- वैश्विक अशांति: विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, तुर्की, सोमालिया, इराक, मैक्सिको

और लीबिया सहित 8 देशों में वर्ष 2019 में सैन्य हमलों और लड़ाइयों के माध्यम से प्रत्येक (मुख्य रूप से नागरिक) में से कम से कम 1,000 मौतें हुईं।

- रूस-यूक्रेन युद्ध: यूक्रेन में युद्ध के कारण जीवन-यापन का संकट पैदा हो गया है। अनुमानित 1.6 बिलियन लोग भोजन, ऊर्जा और वित्त के संकट का सामना कर रहें हैं।
- शरणार्थी संकट: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार, सशस्त्र संघर्षों, उत्पीड़न और अन्य कारणों से वर्ष 2019 के अंत तक 79.5 मिलियन लोग विस्थापित हुए थे।
- वैश्विक शक्तियों की भूमिका: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के नाते संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन को शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता है। हालाँकि, इसके विपरीत, भू-राजनीतिक आधिपत्य प्राप्त करने के लिये उन्हें अस्थिरता को बढ़ावा देने वाला पाया गया है। उदाहरण:
  - यमन में त्रासदी, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने विश्व की सबसे खराब मानवीय आपदा घोषित किया है, जो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के यू.एस. समर्थित गठबंधन के हमलों का परिणाम है, जिसका भू-राजनीतिक लक्ष्य ईरान का मुकाबला करना है।
  - लीबिया का अराजकता की ओर अग्रसर होना रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध खाड़ी अरब राजतंत्र द्वारा आपूर्तित किराये के सैनिकों और हथियारों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है ताकि तुर्की के प्रभुत्त्व को कम किया जा सके।
  - अपने पड़ोसियों के खिलाफ चीन के वर्चस्ववादी विस्तारवाद और अमेरिका के साथ उसके 'नये शीत युद्ध' ने एशिया में सैन्य संघर्ष के ज़ोखिम को काफी बढ़ा दिया है।
- नई शक्तियों क द्वंद्व: अमेरिका-चीन के बीच नया शीत युद्ध के रूप में इन शक्तिशाली देशों के बीच संघर्ष और प्रतिस्पर्द्धा भी चल रही है, जो वैश्विक शांति को खतरे में डाल रही है।
- महामारी और जलवायु संकट: विश्व भर में चरम जलवायु घटनाओं के बढ़ने और कोविड -19 जैसी महामारियों के प्रसार ने एक नई चिंता पैदा कर दी है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संसाधनों, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, विस्थापन आदि तक पहुँच की कमी के माध्यम से वैश्विक शांति को प्रभावित कर सकती है।

आगे की राह:

- अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर, किसी भी प्रकार की अन्यायपूर्ण संरचना जो महान शक्तियों को विशेषाधिकार देती है और उनके भयानक दाव-पेंचो की अनुमति देती है, के निदान के साथ-साथ उन्हें चुनौती दी जानी चाहिये। बुद्धिजीवियों, सामाजिक आंदोलनों और ज़िम्मेदार राज्यों को समान रूप से विश्व व्यवस्था के लिये संघर्ष को प्राथमिकता देनी चाहिये।

ब्रह्मोस मिसाइल

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिये अतिरिक्त दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने हेतु ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं।

- दोहरी भूमिका क्षमता का तात्पर्य भूमि के साथ-साथ जहाज़-रोधी हमलों के लिये ब्रह्मोस मिसाइलों के उपयोग से है। उन्हें स्थल, वायु एवं समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है और तीनों वेरिएंट भारतीय सशस्त्र बलों के तहत सेवा में हैं।

समझौते का महत्त्व:

- इन दोहरी भूमिका वाली आधुनिक मिसाइलों के भारतीय नौसेना में शामिल होने से बेड़े की मारक क्षमता और परिचालन गतिविधियों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि होगी।
- इस प्रकार की महत्त्वपूर्ण संचार हथियार प्रणाली से स्वदेशी उत्पादन को एक बढ़ावा मिलेगा।
- ब्रह्मोस मिसाइलों से स्वदेशी उद्योग की सक्रिय भागीदारी के साथ गोला-बारूद में भी वृद्धि की उम्मीद है।

ब्रह्मोस मिसाइल:

- भारत-रूस संयुक्त उद्यम, ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किमी. है और यह मैक 2.8 (ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना) की उच्च गति के साथ विश्व की सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइल है।
  - इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है।
- यह दो चरणों वाली (पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट) मिसाइल है।
- यह एक मल्टीप्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे स्थल, वायु एवं समुद्र में बहुक्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है जो खराब मौसम के बावजूद दिन और रात में काम कर सकती है।
- यह "फायर एंड फॉरगेट/दागो और भूल जाओ" सिद्धांत पर काम करती है यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती।

नोट :

हालिया विकासक्रम:

- अप्रैल 2022 में भारतीय नौसेना तथा अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के एक एंटी-शिप संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
- जनवरी 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के एक विस्तारित रेंज के समुद्र-से-समुद्र संस्करण का परीक्षण स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापत्तनम से किया गया था।

निज़ाम की तलवार की वापसी

14वीं सदी की औपचारिक तलवार जो 20वीं सदी की शुरुआत में हैदराबाद में एक ब्रिटिश जनरल को बेची गई थी, को भारत में वापस लाने की तैयारी की जा रही है।

- यह तलवार उन सात वस्तुओं में शामिल है जिन्हें ग्लासगो लाइफ (जो ग्लासगो के संग्रहालयों का प्रबंधन करती है) द्वारा स्वदेश भेजा जा रहा है।

तलवार:

- तलवार का इतिहास:
  - तलवार का प्रदर्शन हैदराबाद के निज़ाम महबूब अली खान, आसफ जाह VI (वर्ष 1896-1911) द्वारा दिल्ली या इंपीरियल दरबार में वर्ष 1903 में किया गया था, जो भारत के सम्राट और महारानी के रूप में राजा एडवर्ड सप्तम और रानी एलेक्जेंड्रा के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में आयोजित एक औपचारिक स्वागत समारोह था।
  - तलवार को वर्ष 1905 में बॉम्बे कमांड के कमांडर-इन-चीफ, जनरल सर आर्चीबाल्ड हंटर द्वारा (1903-1907) महाराजा किशन प्रसाद जो हैदराबाद के बहादुर यामीन उस-सुल्तान के प्रधानमंत्री थे, से खरीदा गया था।
  - किशन प्रसाद महाराजा चंदू लाल के परिवार से थे, जो दो बार निजाम सिकंदर जाह के प्रधानमंत्री रहे।
  - किशन प्रसाद को उनकी उदारता के लिये जाना जाता था, वहीं उन्हें अपनी मोटरकार का पीछा करने वाले लोगों के लिये सिक्के लुटाने हेतु भी जाना जाता था।
  - तलवार को सर हंटर के भतीजे, मिस्टर आर्चीबाल्ड हंटर सर्विस ने वर्ष 1978 में ग्लासगो लाइफ- संग्रहालय के लिये दान कर दिया था।
- विशेषताएँ:
  - साँप के आकार की तलवार में दाँतेदार किनारे और दमिश्क पैटर्न है, जिसमें हाथी-बाघ की सोने की नक्काशी हुई है।
- ग्लासगो में अन्य भारतीय वस्तुएँ:
  - छह वस्तुओं में 14वीं शताब्दी की कई नक्काशी और 11वीं शताब्दी के पत्थर के दरवाजे शामिल हैं। उन्हें 19वीं सदी में पूजास्थलों और मंदिरों से चुरा लिया गया था।

शनि के रहस्यमय वलय और चरम झुकाव

हाल के एक अध्ययन के अनुसार, शनि के चमकीले वलय और चरम झुकाव की संभावना पहले से मौजूद चंद्रमा क्रिसलिस के कारण है।

प्रमुख बिंदु

- पर्याप्त झुकाव: शनि का झुकाव 26.73 डिग्री है और इसके निर्माण के चरणों के दौरान झुकाव होने की संभावना नहीं थी।
  - वर्तमान में गैस जायंट नेपच्यून, यूरेनस और शनि में पर्याप्त रूप से झुकाव हुआ है, जो यह दर्शाते है कि यह विशेषता निर्माण चरणों के दौरान उत्पन्न नहीं हुई थी।
- झुकाव का कारण: विभिन्न सिद्धांतों का सुझाव है कि शनि अपने पड़ोसी नेपच्यून के साथ गुरुत्वाकर्षण अंत:क्रिया के कारण झुका हुआ है।
  - लेकिन नए अध्ययन का तर्क है कि शनि अब नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में नहीं है।
  - वर्ष 2004 से 2017 तक शनि की परिक्रमा करने वाले नासा के कैसिनी अंतरिक्षयान के अवलोकन के आधार पर शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन के प्रभाव में हैं।

नोट :

- टाइटन का पलायन: टाइटन शनि से प्रतिवर्ष लगभग 11 सेंटीमीटर की गति से पलायन कर रहा है, जो पिछले अनुमानों की तुलना में 100 गुना तेज़ है।
  - टाइटन के तेज़ी से पलायन ने ग्रह को और अधिक झुका दिया, जिससे शनि पर नेपच्यून का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कम हो गया।
- पूर्व चंद्रमा (क्रिसलिस) की भूमिका: वैज्ञानिकों ने ग्रह के घूमने की धुरी का अनुकरण किया कि यह समय के साथ कैसे बदल गया है, इसमें पूर्व चंद्रमा के प्रभाव का पता चला है, क्योंकि मॉडल के अनुसार, चंद्रमा/उपग्रह के हटने से शनि का झुकाव होता है।
  - क्रिसलिस ने कई अरब वर्षों तक शनि की परिक्रमा की, लगभग 160 मिलियन वर्ष पहले, क्रिसलिस अस्थिर हो गया और अपने ग्रह के बहुत करीब आ गया जिसने संभवत: चंद्रमा/उपग्रह को दूर धकेल दिया या नष्ट कर दिया।

शनि ग्रह:

- शनि सूर्य से छठा ग्रह है और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
- हज़ारों सुंदर वलयों से सुशोभित शनि ग्रहों में अद्वितीय है।
- यह एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जिसके छल्ले हैं जो बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने हैं लेकिन अन्य कोई भी ग्रह उतना शानदार या उतना जटिल नहीं है जितना कि शनि।
- 82 उपग्रहों के साथ सौरमंडल में शनि के सबसे अधिक उपग्रह अथवा चंद्रमा हैं।
- साथी ग्रह गैस से बने विशाल बृहस्पति की तरह शनि एक विशाल गेंद की भाँति है जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है।
- कुछ मिशन में शनि का दौरा किया गया है: पायनियर 11 और वॉयजर 1 एवं 2 ने उड़ान भरी, लेकिन कैसिनी ने 2004 से 2017 तक 294 बार शनि की परिक्रमा की।

एशियाई पाम ऑयल गठबंधन

एशिया के पाँच प्रमुख पाम ऑयल आयातक देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघों ने एशियाई पाम ऑयल गठबंधन (Asian Palm Oil Alliance-APOA) के निर्माण के लिये सहमति व्यक्त की हैं।

- APOA ने अपनी पहली आम सभा की बैठक, भारत (अगरा) में हो रहे ग्लोबोइल शिखर सम्मेलन (Globoil Summit) के इतर आयोजित की और इसकी अगली बैठक वर्ष 2023 की शुरुआत में इंडोनेशिया में आयोजित होने की संभावना है।
- ग्लोबोइल शिखर सम्मेलन विश्व के अग्रणी खाद्य तेल और कृषि व्यापार सम्मेलन, प्रदर्शनियों एवं पुरस्कारों में से एक है।
  - वर्ष 2022 ग्लोबोइल इंडिया के 25वें वर्ष का उत्सव भी है।

एशियाई पाम ऑयल गठबंधन (APOA):

- APOA का उद्देश्य पाम ऑयल का उपभोग करने वाले देशों के आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करना और सदस्य देशों में पाम ऑयल की खपत को बढ़ावा देना है।
- गठबंधन यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगा कि पाम ऑयल को उच्च गुणवत्ता वाले वहनीय और स्वस्थ वनस्पति खाद्य तेल के रूप में मान्यता दी जाए तथा पाम ऑयल के बारे में व्याप्त नकारात्मक धारणा को बदला जाए।
- APOA की सदस्यता का और विस्तार किया जाएगा ताकि पूरे महाद्वीप में पाम ऑयल के उत्पादन या शोधन से जुड़ी कंपनियों या औधोगिक निकायों को शामिल किया जा सके।

पाम ऑयल:

- पाम ऑयल वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल है।
- इसका उपयोग डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन और जैव ईंधन के उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जाता है।
- इंडोनेशिया और मलेशिया मिलकर वैश्विक पाम ऑयल उत्पादन में लगभग 90% का योगदान देते हैं, जिसमें इंडोनेशिया ने वर्ष 2021 में 45 मिलियन टन से अधिक की सबसे बड़ी मात्रा का उत्पादन किया।
- इसके शीर्ष उपभोक्ता भारत, चीन और यूरोपीय संघ (EU) हैं।
- भारत का खाद्य तेल का वार्षिक आयात लगभग 13-14 मिलियन टन (MT) है।
- लगभग 8 मीट्रिक टन पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात किया जाता है, जबकि अन्य तेल, जैसे- सोया और सूरजमुखी का आयात अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूक्रेन तथा रूस से किया जाता है।
  - पाम ऑयल की वैश्विक खपत का लगभग 40% हिस्सा एशिया में होता है जबकि यूरोप में पाम ऑयल के व्यापार का 12% हिस्सा है। इंडोनेशिया और मलेशिया दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल निर्यातक हैं
- भारत, एशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है, जो वैश्विक आयात का 15% हिस्सा है, इसके बाद चीन (9%), पाकिस्तान (4%) और बांग्लादेश (2%) का स्थान है।

REC को महारत्न का दर्जा

हाल ही में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) को 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE) का दर्जा दिया गया है।

नोट :

REC और महारत्न:

- REC का परिचय:
  - REC एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है, जिसे वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था, जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
  - इसे निम्नलिखित के रूप में भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के लिये एक नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है:
    - प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)
    - दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)
    - राष्ट्रीय विद्युत कोष (NEF)
  - उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की निगरानी में REC विद्युत मंत्रालय की भी सहायता करती है।
  - REC को महारत्न का दर्जा मिलने के लाभ:
    - 'महारत्न' CPSE का बोर्ड वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्त्व वाली सहायक कंपनियों को शुरू करने के लिये इक्विटी निवेश कर सकता है एवं भारत और विदेशों में विलय और अधिग्रहण कर सकता है, जो संबंधित CPSE के कुल मूल्य के 15% की सीमा तक सीमित है। यह राशि एक प्रोजेक्ट के लिये ₹5,000 करोड़ रुपए है।
    - बोर्ड कर्मियों और मानव संसाधन प्रबंधन तथा प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं का संरचना कार्य तथा कार्यान्वयन भी कर सकता है।
    - REC अब प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम या अन्य रणनीतिक गठबंधनों में भी प्रवेश कर सकता है।
- महारत्न' का दर्जा:
  - 'महारत्न' व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यमों को वैश्विक दिग्गज बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
    - 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों' (CPSEs) का आशय उन कंपनियों से है, जिनमें केंद्र सरकार या अन्य CPSE की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है।
  - 'महारत्न' का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है अथवा बीते तीन वर्षों के लिये उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए था या फिर बीते तीन वर्षों के लिये उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए है।
  - 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों' के लिये भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने हेतु 'नवरत्न' का दर्जा प्राप्त करना अनिवार्य है।
  - सरकार ने CPSEs को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा देने के लिये मानदंड निर्धारित किये हैं।

CPSEs का वर्गीकरण

श्रेणी	शुरुआत	मानदंड	उदाहरण
• महारत्न	• CPSEs के लिये महारत्न योजना मई 2010 में शुरू की गई थी, ताकि मेगा CPSEs को अपने संचालन का विस्तार करने और वैश्विक दिग्गजों के रूप में उभरने के लिये सशक्त बनाया जा सके।	• कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिये। • कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Security Exchange Board of India-SEBI) के नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी (Minimum Prescribed Public Shareholding) के साथ भारतीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध होना चाहिये। • विगत तीन वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय (Average Annual Turnover) 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिये।	• भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, आदि।

नोट :

		• पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य (Average Annual Net Worth) 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिये। • पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ (Average Annual Net Profit) 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिये। • कंपनियों की व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में महत्त्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिये।	
• नवरत्न	• नवरत्न योजना वर्ष 1997 में शुरू की गई थी ताकि उन CPSEs की पहचान की जा सके जो अपने संबंधित क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करते हैं और वैश्विक		

	अभिकर्त्ता बनने के उनके अभियान में उनका समर्थन करते हैं।	• मिनीरत्न श्रेणी - I और अनुसूची 'A' के तहत आने वाली CPSEs, जिन्होंने पिछले पाँच वर्षों में से तीन में समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छी' रेटिंग प्राप्त की है और छह प्रदर्शन मापदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर प्राप्त किया हो। ये छह मापदंड हैं: • शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ • उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष मैनपॉवर पर आने वाली कुल लागत • मूल्यह्रासके पहले कंपनी का लाभ, वर्किंग कैपिटल पर लगा टैक्स और ब्याज • ब्याज भुगतान से पहले लाभ और कुल बिक्री पर लगा कर • प्रति शेयर कमाई • अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन	• भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, आदि।

नोट :

• मिनीरत्न	• मिनीरत्न योजना की शुरुआत वर्ष 1997 में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक कुशल एवं प्रतिस्पर्द्धी बनाने और लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रदान करने के नीतिगत उद्देश्य के अनुसरण में की गई थी।	• मिनीरत्न श्रेणी- 1: मिनीरत्न कंपनी श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कंपनी ने पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो तथा तीन साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो।	• मिनीरत्न श्रेणी- 2 : CPSE द्वारा पिछले तीन साल से लगातार लाभ अर्जित किया हो और उसकी निवल संपत्ति सकारात्मक हो, वे मिनीरत्न- II का दर्जा पाने के लिये पात्र हैं। • श्रेणी-1: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आदि। • श्रेणी-2: भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO), भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (BPCL), आदि।

भारतीय पोषण रेटिंग

हाल ही में देश के शीर्ष खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग के लिये एक मसौदा अधिसूचना जारी की, जिसे भारतीय पोषण रेटिंग (INR) के रूप में जाना जाएगा।

भारतीय पोषण रेटिंग (INR):

- परिचय:
  - यह प्री-पैकेज्ड चीनी, नमक और वसा जैसे खाद्य पदार्थों की उच्च खपत को हतोत्साहित करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर ऊर्जा-दक्षता रेटिंग के समान स्टार रेटिंग देने के लिये अनिवार्य करता है।
- प्रकार:
  - दैनिक सेवन गाइड: पोषक तत्त्वों की दैनिक सिफारिशों का अनुपात पहले से पैक किये गए खाद्य पदार्थों की एक सर्विंग में मौजूद होता है।
  - पोषण संबंधी सूचना पैनल: यह खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रत्येक मुख्य पोषक तत्त्व की गुणवत्ता प्रदान करता है।
  - ट्रैफिक लाइट लेबलिंग: यह खाद्य पदार्थों में मौजूद वसा, नमक, चीनी आदि की मात्रा को दर्शाता है और इसे लाल, नारंगी या हरे जैसे रंगों के साथ वर्गीकृत करता है कि यह कितना स्वस्थ है।
  - चेतावनी लेबल: यह दर्शाता है कि नमक, चीनी और वसा जैसे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संदर्भित नहीं की गई हैं।
  - स्टार रेटिंग: उत्पाद कितना स्वस्थ है, इसके आधार पर यह 1 से 5 स्टार प्रदान करता है, जिसमें 5 स्वास्थ्यप्रद और 1 सबसे कम स्वस्थ है।
- रेटिंग की प्रक्रिया: इसके अलावा 100 ग्राम ठोस या 100 मिली. तरल खाद्य पदार्थों/वस्तुओं को ऊर्जा के योगदान और संतृप्त वसा, चीनी, सोडियम, फल एवं सब्जियाँ (FV), नट, फलियाँ तथा कदन्न (NLM), आहार फाइबर और प्रोटीन की सामग्री के आधार पर स्कोर दिया जाएगा।
  - 25 से अधिक स्कोर वाले सॉलिड फूड को 0.5 स्टार दिये जाएंगें और - (माइनस)11 से कम स्कोर वाले लोगों को 5 स्टार दिये जाएंगें।
- लोगो: लोगो को पैक के सामने उत्पाद के नाम या ब्रांड नाम के निकट ही प्रदर्शित किया जाएगा।
- कार्यान्वयन: खाद्य व्यवसाय ऊर्जा, चीनी, संतृप्त वसा और नमक सामग्री का विवरण देते हुए स्टार-रेटिंग लोगो के आगे व्याख्यात्मक जानकारी जोड़ सकते हैं।
  - उत्पाद के लिये स्टार-रेटिंग लोगो बनाने के लिये खाद्य व्यवसायों को FSSAI के FoSCoS (खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली) पोर्टल पर संबंधित उत्पादों की पोषण संबंधी प्रोफाइल प्रस्तुत करनी होगी।
- छूट प्राप्त उत्पाद:
  - दूध और दूध उत्पाद, मट्ठा, मक्खन तेल, घी, वनस्पति तेल एवं वसा, ताज़े फल- सब्जियाँ, ताज़े माँस, अंडा, मछली, आटा, और स्वीटनर जैसे खाद्य पदार्थों को स्टार रेटिंग प्रदर्शित नहीं करनी होगी।
    - कैलोरी रहित या चीनी के कार्बोनेटेड पेय भी रेटिंग घोषित करने के पात्र नहीं होंगे।

नोट :

- महत्त्व:
  - एक अध्ययन के अनुसार कई लैटिन अमेरिकी देशों में खपत पैटर्न में बदलाव आया है, जिन्होंने इस तरह के चेतावनी लेबल लागू किये हैं और चिली ने शर्करा पेय की खपत में 24% की गिरावट दर्ज की है।
  - एक रिपोर्ट में प्रकाशित मेटा-विश्लेषण ने संकेत दिया कि पोषक तत्त्व चेतावनी लेबल ट्रैफिक लाइट और न्यूट्री-स्कोर लेबल की तुलना में अधिक प्रभावी हैं।

रोहिणी साउंडिंग रॉकेट

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) रोहिणी आरएच-200 साउंडिंग रॉकेट के लगातार 200वें सफल प्रक्षेपण की योजना बना रहा है।

- रोहिणी साउंडिंग रॉकेट परिवार के आरएच-200 ने लगातार 198 सफल उड़ानें पूरी की हैं।
- 199वाँ प्रक्षेपण अक्तूबर 2022 में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह (4-10 अक्तूबर) समारोह के दौरान होगा। 200वाँ प्रक्षेपण अक्टूबर के अंत या नवंबर 2022 की शुरुआत में होगा।

साउंडिंग रॉकेट:

- परिचय:
  - साउंडिंग रॉकेट एक या दो चरण के ठोस प्रणोदक रॉकेट हैं जिनका उपयोग ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जाँच और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिये किया जाता है।
  - वे लॉन्च व्हीकल और उपग्रहों में उपयोग के लिये नए घटकों या उप-प्रणालियों के प्रोटोटाइप का परीक्षण या साबित करने हेतु आसानी से वहनीय प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करते हैं।
- इतिहास:
  - थुंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन (TERLS) की स्थापना 21 नवंबर, 1963 को हुई थी। इसका दक्षिणी सिरा पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के करीब है।
  - वर्ष 1963 में थुंबा से पहले साउंडिंग रॉकेट (अमेरिकन नाइके-अपाचे) के प्रक्षेपण ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत को चिह्नित किया और निर्मित सभी वाहनों का आधार बना।
  - इसरो ने वर्ष 1965 से स्वदेश निर्मित साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ शुरुआत की थी तथा वर्ष 1967 में अपना संस्करण रोहिणी आरएच-75 प्रक्षेपित किया था।
  - वर्ष 1975 में, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट (RSR) कार्यक्रम के तहत सभी साउंडिंग रॉकेट गतिविधियों को अव्यवस्थित कर दिया गया था।
  - साउंडिंग रॉकेट की श्रृंखला को रोहिणी श्रृंखला कहा जाता है, जिसमें आरएच-200, आरएच-300 और आरएच-560 सबसे महत्त्वपूर्ण हैं।
- RH-200:
  - आरएच -200 एक दो-चरणीय रॉकेट है जो वैज्ञानिक पेलोड के साथ 70 किमी की ऊँचाई तक जाने में सक्षम है।
  - आरएच-200 के पहले और दूसरे चरण ठोस मोटर्स द्वारा संचालित होते हैं।
  - वर्षों से आरएच-200 रॉकेट ने पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) आधारित प्रणोदक का उपयोग किया था।
  - हाइड्रॉक्सिल-टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन (HTPB) पर आधारित एक नए प्रणोदक का उपयोग करने वाला पहला RH-200 सितंबर 2020 में TERLS से सफलतापूर्वक उड़ाया गया था।
    - PVC आधारित प्रणोदक की तुलना में HTPB आधारित प्रणोदक अधिक ऊर्जावान, उच्च यांत्रिक और इंटरफेस के साथ हैं तथा कम प्रसंस्करण तापमान के कारण इसमें कम दोष हैं।
  - RH-200 नाम '200' मिमी रॉकेट के व्यास को दर्शाता है। अन्य परिचालन रोहिणी वेरिएंट RH-300 Mk-II और RH-560 Mk-III हैं।

साउंडिंग रॉकेट के कुछ विवरण:

वाहन	आरएच-200	आरएच-300 एमके-II	आरएच -560 एमके-II
पेलोड (किलोग्राम)	10	60	100
ऊँचाई (किमी.)	80	160	470
लक्ष्य	मौसम विज्ञान	एयरोनॉमी	एयरोनॉमी
लॉन्च पैड	थुंबा बालासोर	एसडीएससी-शार	एसडीएससी-शार

नेपाल के नागरिकता कानून को लेकर विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2006 के संसोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिये नेपाल संसद के निचले सदन में वापस भेज दिया।

नोट :

नागरिकता कानून से संबंधित विवाद का कारण:

- परिचय:
  - वर्ष 2006 में नेपाल में राजशाही के पतन और उसकी शासन प्रणाली में लोकतांत्रिक रूप से परिवर्तन के बाद वर्ष 2015 में एक संविधान को अपनाने के बाद बहुदलीय प्रणाली का उदय हुआ।
    - इसके कारण संविधान लागू होने से पूर्व जन्म लेने वाले सभी नेपाली नागरिकों को प्राकृतिक नागरिकता मिल गई।
    - लेकिन इनके बच्चे नागरिकता से विहीन हो गए हैं क्योंकि इस मुद्दे को एक संघीय कानून द्वारा निर्देशित किया जाना था, जिसे अभी तक तैयार नहीं किया गया है।
    - हाल के संशोधन से नागरिकता से विहीन युवाओं और उनके माता-पिता के लिये नागरिकता का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।
- अधिनियम में निहित मुद्दे:
  - लैंगिक भेद-भाव:
    - यह लैंगिक न्याय के स्थापित मापदंडों के विरुद्ध है, एक नए संशोधन के अनुसार नेपाली नागरिकता वाले पिता या माता से पैदा हुए व्यक्ति को वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है।
    - साथ ही, एक व्यक्ति जो एक नेपाली माँ (जो देश में रह चुकी है) एक अज्ञात पिता से पैदा हुआ है, उसे भी वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी।
    - लेकिन यह प्रावधान उस महिला के लिये अपमानजनक है, क्योंकि बच्चे को नागरिकता के लिये आवेदन करने हेतु उसके पति को अज्ञात घोषित करना पड़ता है।
    - इसके अलावा नेपाली पिता के मामले में ऐसी किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं है।
  - प्रकृति में विरोधाभासी:
    - यदि कोई बच्चा नेपाली माँ और विदेशी नागरिकता रखने वाले पिता से उत्पन्न हुआ है, तो उसे प्राकृतिक नागरिकता मिल सकती है।
    - यह माँ (और बच्चे) पर स्थायी निवास की शर्त रखता है जो बच्चे के लिये नागरिकता प्रदान करने का निर्धारण करेगा।
  - कानून की त्रुटिपूर्ण प्रकृति:
    - यदि कोई व्यक्ति जो नेपाली माँ और अज्ञात पिता से संतान के रूप में जन्म लेता है, को वंश के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, हालाँकि अज्ञात पिता विदेशी नागरिक है, तो वंश द्वारा नागरिकता को प्राकृतिक नागरिकता में बदल दिया जाएगा।

इस संशोधन की आवश्यकता:

- नेपाली पुरुष विशेष रूप से तराई क्षेत्र वाले, उत्तरी भारत की महिलाओं से शादी करना जारी रखते हैं तो इससे उनकी नेपाली पहचान प्रभावित हो सकती है।
- "बेटी-रोटी" मुद्दा (भारतीय महिलाओं से शादी करने वाले नेपाली पुरुष), कई महिलाएँ नेपाल की नागरिक नहीं बन सकीं क्योंकि नेपाल में नागरिकता के लिये आवेदन करने से पहले उन्हें सात वर्ष की पुनर्विचार अवधि के अधीन किया गया था।
- चूँकि ऐसी महिलाएँ नागरिकता विहीन थीं, ऐसे परिवारों के बच्चे भी अक्सर नेपाली नागरिकता विहीन पाए जाते थे।
- इसलिये नए संशोधनों ने इन नागरिकता विहीन महिलाओं के लिये पुनर्विचार-अवधि को समाप्त कर दिया है।
- इससे ऐसे परिवारों के बच्चों को फायदा होगा जहाँ माँ और बच्चे सालों तक नागरिकता विहीन रहे हों।

विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस

विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को पर्यावरण के स्वास्थ्य के संदर्भ में विश्व स्तर पर जागरूकता का प्रसार करने के लिये मनाया जाता है।

- इस दिन को मनाने के पीछे केंद्रीय विचार यह है कि मानव स्वास्थ्य का पर्यावरण के स्वास्थ्य के साथ अपरिवर्तनीय संबंध है।

विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस:

- पृष्ठिभूमि:
  - यह दिन पहली बार वर्ष 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एन्वायरनमेंटल हेल्थ (IFEH) द्वारा मनाया गया था। जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लोगों का कल्याण करना है।
    - IFEH पर्यावरण के स्वास्थ्य के संरक्षण और उसमें सुधार हेतु ज्ञान के विकास एवं प्रसार के लिये पूरी तरह से समर्पित है।
- थीम:
  - इस वर्ष का विषय 'सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिये पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना' है।
- महत्त्व:
  - यह आवश्यक है दुनिया समझे कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के बीच अभिन्न संबंध है। इसलिये सभी समुदायों के स्वस्थ जीवन हेतु हरित पुनर्प्राप्ति में निवेश करना आवश्यक है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्तमान में सामना की जा रही परिस्थितियों का लाभ उठाने के उद्देश्य से "कोविड-19 की स्वस्थ पुनर्प्राप्ति के लिये घोषणापत्र" जारी किया।

नोट :

- इसके लिये मानव जाति के लिये पर्यावरण पर ध्यान देना तथा संतुलन बनाने की कोशिश करना और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने "COVID-19 की स्वस्थ पुनर्प्राप्ति के लिये घोषणापत्र" जारी किया।
- इसका उद्देश्य उस गति-शक्ति का लाभ उठाना है जिसका हम दुनिया भर में सामना कर रहे हैं।
- पर्यावरणीय स्वास्थ्य SDGs के कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दिलचस्प है कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य 7 SDG, 19 योजनाओं और SDG के 30 संकेतकों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

भारत का पर्यावरणीय स्वास्थ्य:

- वर्तमान स्थिति:
  - पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 18.9 के मामूली स्कोर के साथ 180 देशों की सूची में सबसे अंतिम स्थान पर है।
    - भारत सूची में म्याँमार (179वें), वियतनाम (78वें), बांग्लादेश (177वें) और पाकिस्तान (176वें) से पीछे है।
- संबंधित पहलें:
  - नगर वन उद्यान योजना: इस योजना का उद्देश्य स्वस्थ पर्यावरण को समायोजित करने के लिये नगर निगम या श्रेणी-1 के शहरों (200 से अधिक संख्या वाले प्रत्येक शहर) में कम-से-कम एक शहरी वन विकसित करना है।
  - राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (NWCP): इस पहल की शुरुआत देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण और उपयोग के लिये की गई थी।
  - हरित कौशल विकास कार्यक्रम: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने युवाओं के बीच पर्यावरण के संरक्षण के लिये आवश्यक कौशल विकसित करने हेतु जून 2017 में हरित कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया।
  - मृदा बचाओ आंदोलन: विश्व पर्यावरण दिवस 2022 पर प्रधानमंत्री ने 'मृदा बचाओ आंदोलन' की शुरुआत की। यह पहल मृदा को रसायन मुक्त बनाने, मृदा में रहने वाले जीवों को बचाने, मृदा की नमी बनाए रखने, जल की उपलब्धता बढ़ाने और जंगलों की कमी के कारण मृदा के निरंतर क्षरण को रोकने पर केंद्रित है।
  - भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।

सफेद मक्खी

हाल ही में पंजाब और राजस्थान जैसे विभिन्न राज्यों में कपास पर सफेद मक्खी के हमलों की संख्या में तेज़ी आई है।

सफेद मक्खी:

- विषय:
  - सफेद मक्खी कपास के लिये एक गंभीर कीट है जो पत्ती के निचले हिस्से को नुकसान पहुँचाकर और कपास लीफ कर्ल वायरस जैसी बीमारियों को फैलाकर उपज कम कर देता है।
  - वे पत्तियों के रस पर निर्भर होते हैं और पत्तियों पर तरल पदार्थ छोड़ते हैं जिस पर एक काला कवक उगता है, यह प्रकाश संश्लेषण, पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है जिससे पौधे की ताकत कम हो जाती है।
- सफेद मक्खियों का प्रसार:
  - सर्वप्रथम दर्ज की गई सर्पिल आकार की आक्रामक सफेद मक्खी (Aleurodicus dispersus) अब पूरे भारत में पाई जाती है।
  - इसी तरह, वर्ष 2016 में तमिलनाडु के पोलाची में दर्ज की गई झुर्रीदार सर्पिल सफेद मक्खी (Aleurodicus rugioperculatus) अब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीपों सहित पूरे देश में फैल गई है।
  - उपरोक्त दोनों प्रजातियों की उपस्थिति क्रमश: 320 और 40 से अधिक पादप प्रजातियों पर दर्ज की गई है।
  - सफेद मक्खी की अधिकांश प्रजातियाँ कैरिबियाई द्वीपों या मध्य अमेरिका की स्थानिक हैं।
- प्रसार का कारण:
  - सभी आक्रामक सफेद मक्खियों के लिये मेज़बान पौधों की संख्या में वृद्धि का कारण इनकी बहुभक्षी प्रकृति (विभिन्न प्रकार के खाद्य से भोजन प्राप्त करने की क्षमता) और विपुल प्रजनन (बड़ी संख्या में संतान पैदा करना) है।
  - पौधों के बढ़ते आयात और बढ़ते वैश्वीकरण एवं लोगों के आवागमन ने भी विभिन्न किस्मों के प्रसार तथा बाद में आक्रामक प्रजातियों के रूप में उनके विकास में सहायता की है।
- इससे जुड़ी चिंताएँ:
  - फसलों को नुकसान:
    - सफेद मक्खियाँ उपज को कम करने के साथ फसलों को भी नुकसान पहुँचाती हैं। भारत में लगभग 1.35 लाख

नोट :

हेक्टेयर नारियल और पाम ऑयल क्षेत्र झुर्रीदार सर्पिल सफेद मक्खी (Rugose Spiralling Whitefly) से प्रभावित हैं।

- अन्य आक्रामक सफेद मक्खियों को अपने होस्ट आधार को बड़ाने के क्रम में मूल्यवान पादप प्रजातियों, विशेष रूप से नारियल, केला, आम, सपोटा (चीकू), अमरूद, काजू पाम ऑयल और सजावटी पौधों जैसे- बॉटल पाम, फाल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज़, बटरफ्लाई पाम तथा महत्त्वपूर्ण औषधीय पौधों पर भी देखा गया है।

- कीटनाशकों की अप्रभाविता:
  - उपलब्ध सिंथेटिक कीटनाशकों का उपयोग करके सफेद मक्खियों को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है।

- सफेद मक्खियों को नियंत्रित करना:
  - वे वर्तमान में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कीट परभक्षी, परजीवी (कीटों के प्राकृतिक दुश्मन, ग्रीनहाउस और फसल वाले खेतों में कीटों का जैविक नियंत्रण प्रदान करते हैं) एवं एंटोमोपैथोजेनिक कवक (कवक जो कीड़ों को मार सकते हैं) द्वारा नियंत्रित किये जा रहे हैं।

फसलों पर आक्रमण करने वाले अन्य कीट:

- फॉल आर्मीवर्म (FAW) हमला:
  - यह एक खतरनाक सीमा-पारीय कीट है और प्राकृतिक वितरण क्षमता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा प्रस्तुत अवसरों के कारण इसमें तेज़ी से फैलने की उच्च क्षमता है।
  - वर्ष 2020 में कृषि निदेशालय ने असम के उत्तर-पूर्वी धेमाजी ज़िले में खड़ी फसलों पर आर्मीवर्म कीटों के हमले की सूचना दी तथा खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने आर्मीवर्म द्वारा उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय खतरे की प्रतिक्रिया के रूप में FAW नियंत्रण के लिये एक वैश्विक कार्रवाई शुरू की है।

- टिड्डियों का हमला:
  - टिड्डी (प्रवासी कीट) एक बड़ी, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय तृण-भोजी परिग (Grasshopper) है जिसकी उड़ान क्षमता बहुत मज़बूत होती है। ये व्यवहार परिवर्तन में साधारण तृण-भोजी कीटों से अलग होते हैं तथा झुंड बनाते हैं जो लंबी दूरी तक प्रवास कर सकते हैं।
  - वयस्क टिड्डियाँ एक दिन में अपने वज़न के बराबर (यानी प्रतिदिन लगभग दो ग्राम ताज़ा शाक/वनस्पति) भोजन कर सकती है। टिड्डियों का एक बहुत छोटा सा झुंड भी एक दिन में उतना भोजन करता है जितना कि लगभग 35,000 लोग, जो फसलों और खाद्य सुरक्षा के लिये विनाशकारी है।

- पिंक बॉलवर्म (PBW):
  - यह (Pectinophora gossypiella) एक कीट है जिसे कपास की खेती को नुकसान पहुँचाने के लिये जाना जाता है।
  - पिंक बॉलवर्म एशिया के लिये स्थानिक है लेकिन यह विश्व के अधिकांश कपास उत्पादक क्षेत्रों में एक आक्रामक प्रजाति बन गई है।

संयुक्त समुद्री बल (CMF)

हाल ही में INS सुनयना संयुक्त समुद्री बल (CMF) के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में भाग लेने के लिये पोर्ट विक्टोरिया, सेशेल्स पहुँचा।

- यह न केवल हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिये भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है, बल्कि CMF अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज़ की पहली भागीदारी को भी चिह्नित करता है।

संयुक्त समुद्री बल (CMF):

- विषय:
  - यह एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है, जिसका उद्देश्य उच्च समुद्रों पर अवैध और गैर-अधिकृत राष्ट्रों का विरोध करने तथा लगभग 3.2 मिलियन वर्ग मील अंतर्राष्ट्रीय जल में सुरक्षा, स्थिरता एवं समृद्धि को बढ़ावा देकर नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश (RBIO) के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। इसमें दुनिया के कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण नौवहन मार्ग शामिल हैं।
  - CMF की कमांड अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल के पास है।

नोट :

- सदस्य देश:
  - 34 देश CMF के सदस्य हैं: ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, डेनमार्क, मिस्र, फ्राँस, जर्मनी, ग्रीस, इराक, इटली, जापान, जॉर्डन, कोरिया गणराज्य, कुवैत, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, पाकिस्तान, फिलीपींस, पुर्तगाल, कतर, सऊदी अरब, सेशेल्स, सिंगापुर, स्पेन, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यमन।
    - भारत CMF का सदस्य नहीं है। अप्रैल (2022) में आयोजित भारत-अमेरिका 2+2 संवाद में भारत ने घोषणा की थी कि वह एक सहयोगी भागीदार के रूप में CMF में शामिल होगा।
- प्रमुख कार्य क्षेत्र:
  - CMF के मुख्य कार्य क्षेत्र हैं, नशीले पदार्थों, तस्करी एवं समुद्री डकैती को रोकना, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, समग्र सुरक्षा और स्थिरता में सुधार के लिये प्रासंगिक क्षमताओं को मज़बूत करने हेतु अन्य क्षेत्रीय भागीदारों के साथ जुड़ना।
  - अनुरोध किये जाने पर समुद्र में CMF संपत्ति, पर्यावरण और मानवीय घटनाओं की रोकथाम पर भी कार्य करेगा।

विश्व पर्यटन दिवस

विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है और इस वर्ष यह इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जा रहा है।

- वर्ष 2022 के लिये इसकी थीम है: पर्यटन पर पुनर्विचार।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - वर्ष 1980 से प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1970 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (United Nations World Tourism Organization-UNWTO) कानूनों को अपनाने की वर्षगाँठ के रूप में इस तिथि को विश्व पर्यटन में महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है।
    - UNWTO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो ज़िम्मेदार, टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये उत्तरदायी है।
- उद्देश्य:
  - इस दिन का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना एवं लोगों को पर्यटन के लिये प्रेरित करना है क्योंकि पर्यटन दुनिया भर के लोगों को और अधिक एकीकृत रूप से जोड़ने में मदद करता है।
- महत्त्व:
  - विश्व पर्यटन दिवस दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में पर्यटन क्षेत्र की अनूठी भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह आवास एवं लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा में सहायक के रूप में कार्य करता है।
  - यह ग्रामीण एवं बड़े शहरों में खासकर महिलाओं और युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर प्रदान करने में पर्यटन क्षेत्र के महत्त्व को रेखांकित करता है।

भारत में पर्यटन परिदृश्य:

- विषय:
  - भारत ने अतीत में अपने कल्पित धन के कारण बहुत से विदेशी यात्रियों को आकर्षित किया। चीनी बौद्ध धर्मनिष्ठ ह्वेनसांग की यात्रा इसका एक उदाहरण है।
  - तीर्थ यात्रा को बढ़ावा विशेषकर तब मिला जब अशोक और हर्ष जैसे सम्राटों ने तीर्थयात्रियों के लिये विश्रामगृह का निर्माण कार्य शुरू किया।
  - अर्थशास्त्र 'राज्य के लिये पर्यटन क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे के महत्त्व को इंगित करता है, जिसने अतीत में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - स्वतंत्रता पश्चात पर्यटन क्षेत्र लगातार पंचवर्षीय योजनाओं (FYP) का हिस्सा बना रहा है।
    - सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में पर्यटन के विभिन्न रूप जैसे- व्यापार पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन और वन्यजीव पर्यटन आदि प्रस्तुत किये गए।
- स्थिति:
  - वर्ष 2021 में विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद की रिपोर्ट में 178.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान के साथ भारत का पर्यटन क्षेत्र विश्व सकल घरेलू उत्पादन (GDP) में अपने योगदान में छठे स्थान पर है।

नोट :

- विदेशी मुद्रा के मामले में भारत के पर्यटन क्षेत्र ने वर्ष 2020 में 6.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। महामारी के बाद इसके और बढ़ने की उम्मीद है।
- वित्त वर्ष 2020 में भारत में पर्यटन क्षेत्र में 39 मिलियन लोगों को रोज़गार मिला जो कि देश में कुल रोज़गार का 8.0% था। 2029 तक यह आँकड़ा लगभग 53 मिलियन होने की उम्मीद है।
- भारत में 40 स्थल, विश्व विरासत सूची में (32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल) शामिल हैं और यह इस मामले में विश्व में छठे स्थान पर है।
  - धोलावीरा और रामप्पा मंदिर (तेलंगाना) इस सूची में शामिल होने वाले नवीनतम स्थल हैं।

पर्यटन से संबंधित पहलें:

- स्वदेश दर्शन योजना
- नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्प्रीचुअल, हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी 'तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक संवर्द्धन मुहिम
- प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल
- बौद्ध सम्मेलन
- देखो अपना देश पहल

विश्व रेबीज़ दिवस

विश्व की सबसे घातक संक्रामक बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम एवं नियंत्रण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये विश्व के सभी भागीदारों को एक साथ लाने हेतु हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज़ दिवस मनाया जाता है।

- 2022 में 16वाँ विश्व रेबीज़ दिवस मनाया गया।

विश्व रेबीज़ दिवस:

- इसके बारे में:
  - 28 सितंबर को पहला रेबीज़ टीका विकसित करने वाले फ्रांसीसी रसायनज्ञ और सूक्ष्म जीवविज्ञानी, लुई पाश्चर की पुण्यतिथि के रुप में मनाया जाता है ।
  - 2007 में दो संस्थापक भागीदारों द्वारा पहला विश्व रेबीज़ दिवस (WRD) मनाया गया था:
    - रेबीज़ नियंत्रण संगठन (ARC)
    - रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र, अटलांटा (CDC)

- थीम 2022:
  - विश्व रेबीज़ दिवस 2022 की थीम: "वन हेल्थ, ज़ीरो डेथ" है।
  - यह थीम लोगों और जानवरों दोनों के साथ पर्यावरण के संबंध पर प्रकाश डालेगी।

रेबीज़:

- इसके बारे में :
  - रेबीज़ एक जूनोटिक वायरल रोग है जिसकी रोकथाम टीके से होती है ।
  - यह राइबोन्यूक्लिक एसिड (RNA) वायरस के कारण होता है जो पागल जानवर (कुत्ता, बिल्ली, बंदर, आदि) की लार में मौजूद होता है।
  - यह हमेशा संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है और जानवर की लार के साथ वायरस घाव में प्रवेश कर जाते हैं ।
  - एक बार नैदानिक लक्षण प्रकट होने के बाद रेबीज़ लगभग 100% घातक होता है। हृदय-श्वसन की विफलता के कारण चार दिनों से दो सप्ताह के बीच मृत्यु हो जाती है।
    - 99% मामलों में घरेलू कुत्ते मनुष्यों में रेबीज़ वायरस के संचरण के लिये ज़िम्मेदार होते हैं।
  - ऊष्मायन अवधि 2-3 महीने होती है, जो परिवर्तित होती रहती है, लेकिन 1 सप्ताह से 1 वर्ष तक परिवर्तित हो सकती है, शायद ही कभी और भी अधिक हो सकती है।
- उपचार:
  - घाव को तुरंत जल और साबुन से धोकर घाव से वायरस को तत्काल निकालना आवश्यक है, इसके बाद एंटीसेप्टिक्स का उपयोग किया जाता है जो तंत्रिका संक्रमण की संभावना को कम / समाप्त करता है।
  - पालतू जानवरों का टीकाकरण, वन्यजीवों से दूर रहकर, और लक्षण शुरू होने से पहले संभावित जोखिम की चिकित्सा देखभाल से रेबीज़ को रोका जा सकता है।
- लक्षण:
  - रेबीज़ के पहले लक्षण फ्लू के समान हो सकते हैं और कुछ दिनों तक रह सकते हैं, जिसमें शामिल हैं:
    - बुखार, सिरदर्द, मतली, उल्टी, चिंता, भ्रम, अति सक्रियता, निगलने में कठिनाई, अत्यधिक लार, मतिभ्रम, अनिद्रा।
- रेबीज़ के खिलाफ इलाज हेतु भारत की पहल:
  - राष्ट्रीय कार्ययोजना-रेबीज़ उन्मूलन, 2030:
    - यह वन हेल्थ दृष्टिकोण (One Health Approach) पर आधारित बहुआयामी रणनीति है।

नोट :

- वन हेल्थ की अवधारणा यह मानती है कि लोगों का स्वास्थ्य जानवरों, पौधों और उनके साझा पर्यावरण के स्वास्थ्य से निकटता से संबंधित है।
- एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के अंतर्गत, कई क्षेत्र इष्टतम स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक साथ संवाद एवं काम करते हैं।
- मिशन: वर्ष 2030 तक कुत्तों की वजह से फैलने वाले रेबीज़ से होने वाले मानव मृत्यु दर को शून्य करना है।
- सिद्धांत:
- रोकथाम: सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच, वहनीयता, और एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस की उपलब्धता में सुधार के लिये किफायती सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप तकनीकों की शुरुआत करना।
- प्रचार: संवाद, जागरूकता, शिक्षा और परिचालन अनुसंधान के माध्यम से रेबीज़ संबंधी समझ को बेहतर बनाना।
- साझेदारी: समुदाय, शहरी और ग्रामीण नागरिक समाज, सरकार, निजी क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ एंटी-रेबीज़ अभियान के लिये समन्वित सहायता प्रदान करना।

बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज, चाँदीपुर में ज़मीन पर आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS) मिसाइल की दो सफल परीक्षण उड़ान भरी।

- दोनों उड़ान परीक्षण मिशन के उद्देश्यों को पूरा करते हैं।

VSHORADS:

- विषय:
  - बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS) एक मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत (RCI), हैदराबाद द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है।
- प्रारूप:
  - VSHORADS मिसाइल में लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली (RCS) और एकीकृत एवियोनिक्स सहित कई नवीन प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं, जो परीक्षणों के दौरान सफल सिद्ध हुई हैं।
  - कम दूरी के निम्न ऊँचाई वाले हवाई खतरों को निष्प्रभावी करने वाली यह मिसाइल, डुअल थ्रस्ट ठोस मोटर द्वारा संचालित है।
  - आसान सुवाह्यता सुनिश्चित करने के लिये मिसाइल के डिजाइन को अत्यधिक अनुकूल बनाया गया है।
- महत्त्व:
  - आधुनिक तकनीकों से लैस इस नई मिसाइल से सशस्त्र बलों को तकनीकी स्तर पर और भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली क्या है ?

- प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली (RCS) थ्रस्टर्स के उपयोग द्वारा दिशा नियंत्रण और संचालन के लिये ज़िम्मेदार है।
- RCS प्रणाली किसी भी वांछित दिशा या दिशाओं के संयोजन में उत्प्रेरित करने में सक्षम है।
- RCS , रोटेशन (पिच, घुमाव (yaw) और रोल) के नियंत्रण की अनुमति देने के लिये बल (Torque) प्रदान करने में भी सक्षम है।

MANPADS क्या है ?

- ये कम दूरी की हल्की एवं पोर्टेबल सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिन्हें व्यक्तियों या छोटे समूहों द्वारा विमान या हेलीकॉप्टर को नष्ट करने के लिये प्रयोग किया जा सकता है।
- ये हवाई हमलों से सैनिकों की सुरक्षा करने में सहायक होने के साथ कम ऊँचाई वाले विमानों को निशाना बनाने में सबसे प्रभावी होते हैं।
- 'मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक सिस्टम' (MANPAT) भी इसी प्रकार कार्य करते हैं लेकिन इसका उपयोग सैन्य टैंकों को नष्ट या अक्षम करने हेतु किया जाता है।
- 'MANPADS' की अधिकतम सीमा 8 किलोमीटर है और यह 4.5 किमी की ऊँचाई तक लक्ष्य को भेद सकता है।
- पहला 'MANPADS' 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया था।

ICAO अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) ने मॉन्ट्रियल, कनाडा में ICAO सम्मेलन के 42वें सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance-ISA) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।

- भारत में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्ष 2015 में दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया।

समझौता ज्ञापन (MoU):

- यह समझौता ज्ञापन ISA की विरासत को आगे बढ़ाएगा।
- यह आयोजन वैश्विक नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग के लिये नई शुरुआत का प्रतीक है।

नोट :

- यह ISA के सभी सदस्य राज्यों में विमानन क्षेत्र के सौरीकरण को सक्षम करेगा।
- इसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र में CO_2 उत्सर्जन की वृद्धि की जाँच करना है, ताकि भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त सके।
- यह सूचना एवं समर्थन प्रदान करने, क्षमता निर्माण और परियोजनाओं के प्रदर्शन की दिशा में काम करेगा।

भारत का शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य:

- भारत ने COP 26 में वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य का संकल्प लिया है।
- भारत ने 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना है और वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 33-35% की कमी होगी, ताकि सौर ऊर्जा की पहुँच को असंबद्ध गाँवों और समुदायों तक सुनिश्चित किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन :

- विषय:
  - वर्ष 2015 के दौरान भारत और फ्राँस द्वारा सह-स्थापित, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के वितरण में वृद्धि के लिये एक सक्रिय तथा सदस्य-संचालित एवं सहयोगी मंच है।
    - इसका मूल उद्देश्य ऊर्जा तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपने सदस्य देशों में ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना है।
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (One Sun One World One Grid - OSOWOG) को लागू करने हेतु एक नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिये स्थानांतरित करना है।
- मुख्यालय:
  - इसका मुख्यालय भारत में स्थित है और इसका अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है।
- सदस्य राष्ट्र:
  - कुल 109 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं और 90 देशों ने इसकी पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश ISA में शामिल होने की पात्रता रखते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा:
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र के बीच नियमित तथा बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने में मदद करेगा, जिससे वैश्विक ऊर्जा विकास में लाभ होगा।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन:

- यह संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी। जिसने शांतिपूर्ण नागरिक उड्डयन संबंधी मानकों और प्रक्रियाओं की नींव रखी।
  - अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी अभिसमय/कन्वेंशन पर 7 दिसंबर,1944 को शिकागो में हस्ताक्षर किये गए थे। इसलिये इसे शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं।
  - शिकागो कन्वेंशन ने वायु मार्ग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना की और ICAO के निर्माण का भी नेतृत्व किया।
- भारत इसके 193 सदस्यों में शामिल है।
- इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।

बांधवगढ़ के जंगलों में मिली बौद्ध गुफाएँ

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI) ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व में बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज की है।

प्रमुख बिंदु

- बौद्ध गुफाएँ:
  - बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित 26 बौद्ध गुफाओं को खोजा गया है, जो दूसरी और 5वीं शताब्दी की हैं।
  - गुफाओं और उनके कुछ अवशेषों में 'चैत्य' (गुंबद) दरवाज़ और पत्थर के बिस्तर थे जो महायान बौद्ध स्थलों में विशिष्ट थे।
- ब्राह्मी लिपि में शिलालेख:
  - ब्राह्मी लिपि में 24 शिलालेख हैं, जो सभी दूसरी-पाँचवीं शताब्दी के हैं।
  - शिलालेखों में मथुरा और कौशांबी, पावता, वेजबरदा एवं सपतनैरिका जैसे स्थलों का उल्लेख है।
  - वे जिन राजाओं का उल्लेख करते हैं उनमें भीमसेना, पोथासिरी और भट्टदेव शामिल हैं।
- मंदिरों के अवशेष:
  - 9वीं-11वीं शताब्दी के बीच कलचुरी काल के 26 मंदिरों के अवशेष और संभवत: दुनिया की सबसे बड़ी वराह मूर्तिकला भी इसी अवधि की है।

नोट :

- कलचुरी राजवंश जो गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला है, सबसे पुराने एलोरा और एलीफेंटा गुफा स्मारकों से भी जुड़ा है।
- वराह मूर्ति भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कई अखंड मूर्तियों में से एक है।

- दो शैव मठ भी मिले हैं।

- गुप्त काल के अवशेष:
  - गुप्त काल के कुछ अवशेष, जैसे कि दरवाज़े के जाम और गुफाओं में नक्काशी पाई गई है।

बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व के प्रमुख बिंदु:

- विषय:
  - वर्ष 1968 में, इसे एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था और वर्ष 1993 में निकटवर्ती पनपथा अभयारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क के तहत एक बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था।
- ऐतिहासिक महत्त्व : इसका उल्लेख 'नारद पंचात्र' और 'शिव पुराण' की प्राचीन पुस्तकों में पाया जा सकता है कि इस स्थान को रामायण से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
  - बांधवगढ़ किला "त्रेता युग" (हिंदू धर्म में मानव जाति के युगों में से एक) की एक महान कृति है।
  - यह सेंगर, कलचुरी और बघेल (माना जाता है कि इन्होने लंबे समय तक क्षेत्रों पर शासन किया) सहित प्रमुख राजवंशों द्वारा शासित था।
- भौगोलिक पहलू: यह मध्य प्रदेश की बिल्कुल उत्तर-पूर्वी सीमा और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तरी किनारों पर स्थित है।
  - जलवायु: उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु क्षेत्र।
  - जलधाराएँ: इससे होकर 20 से अधिक जलधाराएँ बहती हैं जिनमें से कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण धाराएँ हैं जैसे- जोहिला, जनाध, चरणगंगा, दमनर, बनबेई, अंबानाला और अंधियारी झिरिया। ये धाराएँ फिर सोन नदी (गंगा नदी की एक महत्त्वपूर्ण दक्षिणी सहायक नदी) में मिल जाती हैं।
- जैवविविधता: कोर ज़ोन में बाघों की काफी अधिक संख्या है। यहाँ स्तनधारियों की 22 से अधिक प्रजातियाँ और पक्षियों की 250 प्रजातियाँ हैं।
- अन्य प्रजातियाँ : एशियाई सियार, बंगाली लोमड़ी, स्लॉथ बियर, धारीदार लकड़बग्घा, तेंदुआ और बाघ, जंगली सुअर, नीलगाय, चिंकारा एवं गौर।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण:

- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्त्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिये एक प्रमुख संगठन है।
- यह 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्त्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्त्व के स्थानों का प्रबंधन करता है।
- इसकी गतिविधियों में पुरातात्त्विक अवशेषों का सर्वेक्षण करना, पुरातात्त्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण एवं रखरखाव आदि शामिल हैं।
- इसकी स्थापना 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को "भारतीय पुरातत्त्व के जनक" के रूप में भी जाना जाता है।

विश्व हृदय दिवस

हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- विषय:
  - यह सर्वप्रथम वर्ष 2000 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से मनाया गया था।
  - यह एक वैश्विक अभियान है जिसके माध्यम से महासंघ हृदय रोग (CVD) से होने वाली परेशानियों के खिलाफ लड़ाई में लोगों को एकजुट करता है और साथ ही स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई को प्रेरित और संचालित करता है।इस दिवस हृदय यह रोग से बचाव और नियंत्रण के लिये किसी व्यक्ति द्वारा उठाए जाने वाले कदम के महत्त्व को रेखांकित करता है।
- उद्देश्य:
  - इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हृदय रोग, इसकी रोकथाम और दुनिया भर के लोगों पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- थीम:
  - विश्व हृदय दिवस की थीम है-''यूज़ हार्ट फॉर एव्ररी हार्ट''(Use Heart For Every Heart)

हृदय रोग:

- विषय:
  - CVD दिल और रक्त वाहिकाओं के विकारों का एक समूह है, सामान्य CVD में कोरोनरी हृदय रोग (दिल का दौरा),सेरेब्रोवास्कुलर बीमारी (स्ट्रोक) इत्यादि शामिल हैं।
- वैश्विक परिदृश्य:
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, विश्व स्तर पर वर्ष 2019 में अनुमानित 9 मिलियन लोगों की मृत्यु का मुख्य कारण हृदय रोग (CVD) है।

नोट :

- प्रति पाँच में से चार से अधिक मौतें दिल के दौरे और स्ट्रोक के कारण होती हैं, और इनमें से एक तिहाई मौतें 70 वर्ष से कम उम्र के लोगों में समय से पहले होती हैं।

- भारतीय परिदृश्य:
  - WHO के अनुसार, वर्ष 2016 में NCDs के कारण होने वाली कुल मौतों में भारत की हिस्सेदारी 63% है जिनमें से 27% हिस्सेदारी CVDs की थी ।
  - 40-69 वर्ष आयु वर्ग में होने वाली मौतों में 45% हिस्सेदारी CVDs की है।

- जोखिम:
  - हृदय रोग और स्ट्रोक के सबसे महत्त्वपूर्ण जोखिम कारकों में अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता के साथ तंबाकू का उपयोग और शराब का सेवन करना है ।
  - व्यवहार संबंधी जोखिम कारकों के प्रभाव व्यक्तियों में मध्यवर्ती जोखिम कारकों जैसे- रक्तचाप, रक्त शर्करा, रक्त लिपिड में वृद्धि और मोटापा के रूप में दिखाई दे सकते हैं।

महाराष्ट्र की एसटी-एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन (STEMI) परियोजना:

- परिचय :
  - महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) द्वारा मान्यता प्राप्त एसटी-एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन (STEMI) कार्यक्रम शुरू किया।
    - एसटी-एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन (STEMI) एक ऐसी स्थिति है जिसके दौरान हृदय की प्रमुख धमनियों में से एक (हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्त्वों से भरपूर रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियाँ) पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है।

- उद्देश्य:
  - इस परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र में सभी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में हृदय रोग के तेज़ी से निदान के साथ-साथ तृतीयक देखभाल सुविधाओं में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम द्वारा समय पर उपचार, निदान के साथ उपचार में लगने वाले समय को कम कर जीवन को बचाना है।

- उपलब्धि:
  - इसके लागू होने के एक वर्ष के भीतर महाराष्ट्र सरकार के STEMI ने छह मिनट से भी कम समय में आश्चर्यजनक रूप से 2,000 से अधिक लोगों को दिल के दौरे के दौरान त्वरित निदान प्रदान कर मदद की।
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-असिस्टेड तकनीक का उपयोग करके लगभग 2.5 लाख लोगों की जाँच की गई है, जिससे रोगियों को तुरंत उपचार प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।

आगे की राह

- तंबाकू का सेवन बंद करना, आहार में नमक की कमी, अधिक फल और सब्जियाँ खाना, नियमित शारीरिक गतिविधि एवं शराब के सेवन से बचना आदि द्वारा हृदय रोग के जोखिम को कम किया जा सकता है।
- स्वास्थ्य नीतियाँ जो स्वस्थ विकल्पों को सस्ती और उपलब्ध बनाने के लिये अनुकूल वातावरण बनाती हैं, लोगों को स्वस्थ व्यवहार को अपनाने तथा बनाए रखने के लिये प्रेरित करने हेतु आवश्यक हैं।
- CVD के उच्चतम जोखिम वाले लोगों की पहचान करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें उचित उपचार मिले, ताकि समय से पहले होने वाली मौतों को रोका जा सकता है।
- सभी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में गैर-संचारी रोग की दवाओं और बुनियादी स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक पहुँच यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि ज़रूरतमंद लोगों को उपचार और परामर्श प्राप्त हो।

मंगल ग्रह पर बाढ़ के प्रमाण

वर्ष 2021 में मंगल ग्रह पर उतरे चीन के ज़ूरोंग रोवर को वहाँ भूमिगत परतों के अध्ययन में अरबों साल पहले आई बड़ी बाढ़ के सबूत मिले हैं।

- रोवर ने अपने लैंडिंग स्थल यूटोपिया प्लैनिटिया, मंगल के उत्तरी गोलार्द्ध में विशाल मैदानों का अध्ययन किया।
- ये रोवर के रडार इमेजर के पहले परिणाम हैं। रडार से रेडियो तरंगें छोटे आकार और विद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता को प्रकट करने के लिये भूमिगत सामग्री को उछाल देती हैं। प्रबल संकेत आमतौर पर बड़ी वस्तुओं को इंगित करते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- रडार को 80 मीटर तक तरल जल का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन इसने अद्वितीय प्रतिरूप के साथ दो क्षैतिज परतों का पता लगाया।
  - 10 से 30 मीटर गहरी परत में बढ़ती गहराई के साथ परावर्तन संकेत प्रबल होते पाए गए।
  - 30 से 80 मीटर नीचे पुरानी, मोटी परत ने एक-समान प्रतिरूप प्रदर्शित किया।
- पुरानी परतें (30 और 80 मीटर) शायद तेज़ी से बाढ़ का परिणाम हैं जो तीन अरब वर्ष पहले, मंगल ग्रह पर बहुत अधिक जल गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र में तलछटंकी मौजूदगी को दर्शाता है।
- ऊपरी परत (10 से 30 मीटर गहरी) लगभग 6 अरब वर्ष पहले एक और बाढ़ का परिणाम हो सकती है, जब बहुत अधिक हिमनद गतिविधियाँ रहीं।

नोट :

- रडार डेटा यह समझने के लिये पर्याप्त नहीं है कि भूमिगत सामग्री तलछट या ज्वालामुखी अवशेष हैं या नहीं।

ज़ूरोंग रोवर:

- चीनी पौराणिक देवता अग्नि के नाम पर ज़ूरोंग, वर्ष 2021 में चीन के तियानवेन-1 अंतरिक्षयान द्वारा ले जाया जाने वाला चीन का पहला मार्स रोवर है।
- मिशन के दौरान ज़ूरोंग मंगल के उत्तरी गोलार्द्ध पर यूटोपिया प्लैनिटिया के विशाल बेसिन का पता लगाएगा, जो संभवत: ग्रह के इतिहास के शुरुआती प्रभाव से बना था।
- लगभग 240 किलोग्राम वजनी, 'ज़ूरोंग' रोवर नासा के स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी रोवर्स से भारी है, लेकिन पर्सवेरेंस एंड क्यूरियोसिटी (NASA) के वजन का केवल एक-चौथाई है।
- यह पुन: उपयोग योग्य सौर पैनलों द्वारा संचालित है और सात प्राथमिक उपकरणों- कैमरा, ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार, चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टर एवं मौसम स्टेशन के साथ स्थापित किया गया है।
- रडार का उद्देश्य प्राचीन जीवन के संकेतों के साथ-साथ उपसतह पर जल की तलाश करना है।

मंगल ग्रह:

- आकार और दूरी:
  - यह सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित ग्रह है तथा सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है।
  - मंगल ग्रह आकार में पृथ्वी का लगभग आधा है।
- पृथ्वी से समानता (कक्षा और घूर्णन):
  - मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तथा अपने अक्ष पर 24.6 घंटे में घूर्णन करता है जो पृथ्वी के एक दिन (23.9 घंटे) की अवधि के अधिक नज़दीक है।
  - सूर्य की परिक्रमा करते समय मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री तक झुका रहता है। मंगल का यह अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान होता है, जो कि 23.4 डिग्री पर झुकी होती है।
  - पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी अलग-अलग मौसम विद्यमान होते हैं, परंतु मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तुलना में मौसम की अवधि लंबी होती है, क्योंकि मंगल की सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण इसका परिक्रमण काल अधिक होता है।
    - मंगल ग्रह पर दिनों को 'सोल्स' (सोलर डे- Solar Day) कहते हैं।
- अन्य विशेषताएँ:
  - मंगल के लाल दिखने का कारण चट्टानों में लोहे का ऑक्सीकरण या जंग लगना और मंगल की धूल है। इसलिये इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है।
  - इसमें सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है।
  - इसके दो छोटे चंद्रमा फोबोस और डीमोस हैं।

विभिन्न मंगल मिशन:

- एक्सोमार्स रोवर (2021) (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी)
- तियानवेन-1: चीन का मंगल मिशन (2021)
- संयुक्त अरब अमीरात का होप मार्स मिशन (संयुक्त अरब अमीरात का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन) (2021)
- भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM) या मंगलयान (2013)
- मंगल 2 और मंगल 3 (1971) (सोवियत संघ)

दादा साहेब फाल्के पुरस्कार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा।

- इससे पहले रजनीकांत (2019) और अमिताभ बच्चन (2018) को यह पुरस्कार मिल चुका है।

पुरस्कार के बारे में:

- परिचय:
  - दादा साहेब फाल्के पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों- फिल्म उद्योग में सम्मान का एक उच्च प्रतिष्ठित संग्रह, का हिस्सा है। इस पुरस्कार का नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने वर्ष 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रस्तुत की थी।
  - इस पुरस्कार को भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। यह "भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास में उत्कृष्ट योगदान" के लिये दिया जाता है।
- पृष्ठभूमि:
  - इस पुरस्कार की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष 1969 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत एक 'स्वर्ण कमल', 10 लाख रुपए का नकद, एक प्रमाण पत्र, रेशम की एक पट्टिका और एक शॉल दिया जाता है।
  - यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, जूरी के अध्यक्षों, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों तथा अखिल भारतीय सिने कर्मचारियों के परिसंघ (Confederation of All India Cine Employees) सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रदान किया जाता है।
  - वर्ष 1969 में देविका रानी रोरिक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

नोट :

धुंडीराज गोविंद 'दादासाहेब' फाल्के:

- उनका जन्म वर्ष 1870 में महाराष्ट्र के त्र्यंबक में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग और मूर्तिकला का अध्ययन किया तथा वर्ष 1906 में आई मूक फिल्म 'द लाइफ ऑफ क्राइस्ट' देखने के बाद मोशन पिक्चर्स/चलचित्र में उनकी रुचि बढ़ी।
- फिल्मों में आने से पहले फाल्के ने एक फोटोग्राफर के रूप में काम किया, एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक बने और यहाँ तक कि प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा के साथ भी काम किया।
- वर्ष 1913 में,फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म (मूक) राजा हरिश्चंद्र की पटकथा लिखी, उसे निर्मित और निर्देशित किया। अपनी व्यावसायिक सफलता के परिणामस्वरूप फाल्के ने अगले 19 वर्षों में 95 अन्य फीचर फिल्मों के निर्माण के साथ ही 26 लघु फिल्में बनाईं।
- उन्हें "भारतीय सिनेमा के जनक" (Father of Indian Cinema) के रूप में जाना जाता है।

उत्तर प्रदेश में नया टाइगर रिज़र्व

हाल ही में उत्तर प्रदेश (यूपी) ने चित्रकूट ज़िले के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य (RWS) में राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य की अधिसूचना को मंज़ूरी दी।

- यह भारत का 54वाँ टाइगर रिज़र्व होगा। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत का 53वाँ टाइगर रिज़र्व है।
- इसी क्षेत्र में बाघों के संरक्षण के लिये रानीपुर बाघ संरक्षण फाउंडेशन भी स्थापित किया जाएगा।

रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य आकर्षण (RWS):

- विषय:
  - 1977 में स्थापित RWS में एक भी बाघ नहीं है। हालाँकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा भारत में बाघों, सह-शिकारियों और शिकार की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, यह बाघों की आवागमन के लिये एक महत्त्वपूर्ण गलियारा है।
  - रानीपुर टाइगर रिज़र्व उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिज़र्व होगा।
  - यह बुंदेलखंड क्षेत्र में राज्य का पहला टाइगर रिज़र्व होगा।
- वनस्पति:
  - यहाँ बाँस, पलाश, खैर, महुआ, धौ, साल, तेंदू आदि के शुष्क पर्णपाती वन हैं।
- जीव:
  - यहाँ पर काली बत्तख, चिंकारा, सांभर, चीतल, भालू, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ता, नीलगाय आदि पे जाते हैं।
- उत्तर प्रदेश के अन्य टाइगर रिज़र्व:
  - दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
  - पीलीभीत टाइगर रिज़र्व
  - अमनगढ़ टाइगर रिज़र्व

लघु बचत योजनाओं पर ब्याज़ दरें

हाल ही में भारत सरकार ने अक्तूबर-दिसंबर 2022 के लिये कुछ छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज़ दरों में वृद्धि की है।

- 2 वर्ष और 3 वर्ष की सावधि जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और किसान विकास पत्र के लिये दरों में मामूली वृद्धि की गई, जबकि अन्य योजनाओं की दरें अपरिवर्तित रहीं।

लघु बचत योजनाएँ:

- परिचय:
  - लघु बचत योजनाएँ केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित बचत साधनों का एक समूह है जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी ज़्यादा उम्र के बावजूद नियमित रूप से बचत करने के लिये प्रोत्साहित करना है।
    - वे लोकप्रिय हैं क्योंकि वे न केवल बैंक सावधि जमा से अधिक रिटर्न प्रदान करते हैं बल्कि सॉवरेन गारंटी और कर लाभ भी प्रदान करते हैं।
  - विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत प्राप्त सभी जमाराशियों को राष्ट्रीय लघु बचत कोष में जमा किया जाता है। फंड में जमा पैसा केंद्र सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिये उपयोग किया जाता है।
- वर्गीकरण:
  - डाक जमा:
    - बचत जमा, आवर्ती जमा तथा 1, 2, 3 और 5 साल की परिपक्वता के साथ टाइम डिपॉजिट एवं मासिक आय खाता।
  - बचत प्रमाण पत्र:
    - राष्ट्रीय लघु बचत प्रमाणपत्र (NSC):
    - अर्जित ब्याज को हर साल स्वचालित रूप से योजना में पुन: निवेश किया जाता है।
    - किसान विकास पत्र (KVP):
    - यह योजना सभी के लिये है जिसमे एक बार किये गए निवेश को 124 महीनों में दोगुना किया जाता है जो वार्षिक 6.9% दर के रिटर्न को दर्शाता है।

नोट :

- सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:
  - लोक भविष्य निधि (PPF):
  - पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत सरकार द्वारा पेश की जाने वाली एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जिसका उद्देश्य सभी को सेवानिवृत्ति पश्चात एक सुरक्षित जीवन प्रदान करना है।
  - सुकन्या समृद्धि खाता:
  - यह योजना वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के तहत विशेष रूप से बालिकाओं के लिये लॉन्च की गई थी।
  - इसके तहत 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम से खाता खोला जा सकता है।
  - यह योजना प्रतिवर्ष 7.6% की वापसी की गारंटी देती है और आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ के लिये पात्र है।
  - वरिष्ठ नागरिक बचत योजना:
  - 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी वरिष्ठ नागरिक इसका लाभ ले सकता है।
- दरों का निर्धारण:
  - छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों का निर्धारण समान परिपक्वता वाले बेंचमार्क सरकारी बॉण्डों के अनुरूप तिमाही आधार पर किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दरों की समीक्षा की जाती है।
  - लघु बचत योजना पर गठित श्यामला गोपीनाथ पैनल (वर्ष 2010) ने छोटी बचत योजनाओं के लिये बाज़ार-संबद्ध ब्याज दर प्रणाली का सुझाव दिया था।

दृष्टि The Vision

नोट :

रैपिड फायर

विश्व ओज़ोन दिवस

प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओज़ोन दिवस (World Ozone Day) के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ओज़ोन परत में हो रहे क्षरण के बारे में आम लोगों को जागरूक करना और इसे संरक्षित करने के संभावित समाधानों की खोज करना है। ओज़ोन (Ozone-O3) ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बेहद कम मात्रा में पाई जाती है। ओज़ोन गैस समतापमंडल (Stratosphere) में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है। यह वायुमंडल में मौजूद समस्त ओज़ोन का कुल 90 प्रतिशत है। इसे ही ओज़ोन परत के नाम से जाना जाता है और यह परत पृथ्वी को सूर्य की सबसे हानिकारक पराबैंगनी विकिरण (UV) से बचाती है। गौरतलब है कि 19 दिसंबर, 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1987 में 16 सितंबर के दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol) पर हस्ताक्षर किये जाने के उपलक्ष्य में विश्व ओज़ोन दिवस मनाने की घोषणा की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओज़ोन परत के क्षरण के लिये उत्तरदायी पदार्थों के उत्पादन को कम करके ओज़ोन परत का संरक्षण सुनिश्चित करना है। विश्व ओज़ोन दिवस 2022 की थीम "पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग" (Global Cooperation Protecting life on Earth) रखी गई है।

"ई-बाल निदान पोर्टल "

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission For Protection of Child Rights-NCPCR) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (State Commission For Protection of Child Rights-SCPCR) के समन्वित कामकाज एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Commission for Protection of Child Rights-CPCR) अधिनियम, 2005 की धारा 13(2) के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए NCPCR "ई-बाल निदान" पोर्टल पर सभी SCPCR तक पहुँच प्रदान करेगा। NCPCR राज्य आयोगों को यूज़र आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराएगा ताकि वे पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को देख सकें तथा आवश्यक कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा पोर्टल के पास NCPCR से पंजीकृत शिकायतों को संबंधित राज्य आयोग को स्थानांतरित करने का विकल्प होगा। यदि वे शिकायत समाधान में NCPCR की भागीदारी चाहते हैं तो राज्य आयोगों को संयुक्त जाँच का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा। आयोग ने वर्ष 2022 में नई सुविधाओं को शामिल करने के लिये इस पोर्टल को नया रूप दिया है, जो शिकायतों से निपटने के दौरान शिकायतकर्त्ताओं के साथ-साथ आयोग के लिये भी लाभदायक होगा। कुछ नई विशेषताओं में यंत्रीकृत और समयबद्ध तरीके से शिकायत की प्रकृति के आधार पर बाल अपराध न्याय, पॉक्सो, श्रम, शिक्षा आदि जैसे विषयों में शिकायतों का विभाजन, आयोग में आंतरिक निगरानी एवं शिकायतों का हस्तांतरण, प्रत्येक स्तर पर शिकायतों की अधिक से अधिक ट्रैकिंग शामिल है।

विनेश फोगाट

विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में दो मैडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। विनेश ने 14 सितंबर, 2022 को सर्बिया के बेलग्राद में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की स्वर्ण पदक विजेता विनेश ने मौजूदा यूरोपियन चैंपियन स्वीडन की ईम्मा मामग्रेन को पराजित किया। तीन बार राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता रही विनेश ने क्वालीफायर दौर में अपनी पराजय के बाद शानदार वापसी की। 12 सितंबर को पहले मैच में मंगोलिया की खुलान बतखुयाग से पराजित होने के बाद विनेश को रेपचेज दौर के माध्यम से कांस्य पदक मुकाबले में भाग लेने का मौका मिला। चैंपियनशिप में यह उनका दूसरा कांस्यपदक है। इससे पहले वर्ष 2019 में कज़ाखस्तान के नूर सुल्तान में उन्होंने पदक जीता था। दो बार की ओलंपियन विनेश फोगाट के पास राष्ट्रमंडल खेलों के दो स्वर्ण पदक, एशियाई खेलों का एक स्वर्ण पदक है। विनेश अपनी चचेरी बहन गीता फोगाट और बबीता कुमारी के नक्शेकदम पर चल रही हैं। वह भारत के प्रसिद्ध कुश्ती परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट ने बहुत ही कम उम्र में उनका इस खेल से परिचय करवा दिया था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप संयुक्त विश्व कुश्ती संघ द्वारा आयोजित शौकिया (Amateur) कुश्ती विश्व चैंपियनशिप हैं। पुरुषों का ग्रीको-रोमन कुश्ती टूर्नामेंट वर्ष 1904 में और पुरुषों का फ्रीस्टाइल कुश्ती टूर्नामेंट वर्ष 1951 में शुरू हुआ। महिला फ्रीस्टाइल कुश्ती टूर्नामेंट पहली बार वर्ष 1987 में आयोजित किया गया था।

हैदराबाद मुक्ति दिवस

तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार द्वारा हैदराबाद की मुक्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 17 सितंबर, 2022 को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो निज़ाम शासन के तहत भारतीय संघ के साथ तत्कालीन हैदराबाद राज्य के विलय को दर्शाता है। हैदराबाद भारत के सबसे बड़े मूल निवासी/रियासतों में से एक था। यह निजाम द्वारा शासित था जिसने ब्रिटिश संप्रभु की सर्वोच्चता को स्वीकार किया था। जूनागढ़ के नवाब और कश्मीर के शासक की तरह हैदराबाद का निज़ाम भारत की आज़ादी यानी 15 अगस्त, 1947 से पूर्व भारत में शामिल नहीं हुआ था। उसे पाकिस्तान और मुस्लिम मूल के नेताओं द्वारा एक स्वतंत्र

नोट :

शक्ति के रूप में अपना अस्तित्त्व बनाए रखने तथा एकीकरण का विरोध करने के लिये अपने सशस्त्र बलों में सुधार करने हेतु प्रोत्साहित किया गया था। इस सैन्य सुधार के दौरान, हैदराबाद राज्य में आंतरिक अराजकता का उदय हुआ, जिसके कारण 13 सितंबर, 1948 को भारतीय सेना को 'ऑपरेशन पोलो' (हैदराबाद को भारत संघ में मिलाने के लिये सैन्य अभियान) के तहत हैदराबाद भेजा गया था, क्योंकि हैदराबाद में कानून-व्यवस्था की स्थिति ने दक्षिण भारत की शांति के लिये खतरा पैदा कर दिया। सैनिकों को रज़ाकारों (एकीकरण का विरोध करने वाले निजी मिलिशिया) के हल्के-फुल्के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और 13-18 सितंबर के मध्य सेना ने राज्य पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। अंततः हैदराबाद का भारत में विलय हो गया।

स्वच्छता पखवाड़ा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 सितंबर, 2022 को स्वच्छता पखवाड़े की शुरूआत की और पर्यावरण की स्थिरता पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रेल मंत्रालय 16 सितंबर से 02 अक्तूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। स्वच्छता आम लोगों के लिये एक मिशन बन गया है। स्वच्छता पखवाडा अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों के कार्यक्षेत्र में स्वच्छता के मुद्दों और प्रथाओं पर गहनता से बल देने के लिये पखवाड़े का आयोजन करना है। पखवाड़ा गतिविधियों के लिये मंत्रालयों की पहल में सहायता हेतु वार्षिक कलेंडर पहले से ही मंत्रालयों के मध्य परिचालित किया गया है। स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे मंत्रालयों की स्वच्छता समीक्षा की ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली का उपयोग करके नज़दीकी से मॉनीटरिंग की जाती है, जिस पर वे स्वच्छता गतिविधियों से संबंधित कार्य योजनाएँ, चित्र, वीडियो अपलोड और साझा करते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा मनाने के बाद मंत्रालय/विभाग प्रेस कॉन्फ्रेंस तथा अन्य संवाद के तरीकों के माध्यम से अपनी उपलब्धियों की घोषणा करते हैं। पखवाड़ा के दौरान पखवाड़ा मना रहे मंत्रालयों को स्वच्छता मंत्रालय के रूप में समझा जाता है और उनके कार्यक्षेत्र में गुणात्मक स्वच्छता सुधारों की अपेक्षा की जाती है। पखवाड़े में स्वच्छता के साथ टीबी रोगियों की सेवा पर ध्यान दिया जाएगा तथा महा-रक्तदान शिविर आयोजित किये जाएंगे। पर्यावरण की स्थिरता पर वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 रेलवे द्वारा हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढावा देने के प्रमुख बिंदुओं पर आधारित एक समग्र दस्तावेज़ है। यह रिपोर्ट रेलवे के शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रयासों को दर्शाती है।

एनएमडीसी को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूरत में 14 सितंबर, 2022 को आयोजित हिंदी दिवस समारोह के दौरान वर्ष 2021-22 के लिये राजभाषा कीर्ति पुरस्कार वितरित किये गए। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (NMDC) को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी में राजभाषा कीर्ति-तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एनएमडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुमित देब ने यह पुरस्कार राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह से ग्रहण किया। भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के रूप में वर्ष 1958 में निगमित एनएमडीसी भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक नवरत्न कंपनी है। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में निगम अपनी स्थापना के बाद से ही देश के कुछ सबसे दूरदराज़ के स्थानों में ताँबा, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, हीरा, टंगस्टन और समुद्री तट रेत सहित खनिजों की एक विस्तृत श्रृंखला का अन्वेषण कार्य कर रहा है। वर्ष 2021 में राजभाषा को बढ़ावा देने के क्रम में एनएमडीसी को इस्पात मंत्रालय के इस्पात राजभाषा सम्मान से सम्मानित किया गया। एनएमडीसी की रचनात्मक और तकनीकी लेखन को प्रोत्साहित करने वाली गृह पत्रिका 'खनिज भारती' को वर्ष 2021 में प्रकाशित पत्रिका की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

उप्र के मानसून सत्र में महिला विधायकों के लिये एक दिन आरक्षित

उत्तर प्रदेश विधानमण्डल का मानसून सत्र 19 सितंबर, 2022 से लखनऊ में शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान पहली बार विधानसभा में इस महीने की 22 तारीख को महिला विधायकों के लिये एक दिन आरक्षित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि 22 सितंबर, 2022 को प्रश्नकाल के बाद महिला प्रतिनिधि, महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगी। प्रत्येक महिला सदस्य को कम-से-कम तीन मिनट और अधिकतम आठ मिनट बोलने का अवसर मिलेगा। देश में यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में 47 तथा विधानपरिषद में 06 महिलाएँ सदस्य हैं।

विश्व बाँस दिवस

प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को विश्व बाँस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बाँस के लाभों के बारे में जागरूकता के प्रसार और रोज़मर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिये मनाया जाता है। विश्व बाँस दिवस, 2022 की थीम '#PlantBamboo' यानी बाँस के पौधे लगाएँ है। वर्ष 2009 में बैंकाक (थाईलैंड) में आयोजित 8वीं विश्व बाँस कॉन्ग्रेस (World Bamboo Congress) में विश्व बाँस संगठन (World Bamboo Organization) ने आधिकारिक रूप से 18 सितंबर को विश्व बाँस दिवस (WBD) मनाए जाने की घोषणा की। विश्व बाँस संगठन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण की रक्षा के लिये इसके स्थायी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु दुनिया भर के क्षेत्रों में नए उद्योगों के लिये बाँस की खेती को बढ़ावा देना, साथ ही सामुदायिक आर्थिक विकास हेतु स्थानीय रूप से पारंपरिक उपयोगों को बढ़ावा देना है। विश्व बाँस संगठन (World Bamboo Organization) की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय एंटवर्प (बेल्जियम) में है।

नोट :

वाराणसी पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी

भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) द्वारा SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। यह ऐलान SCO के सदस्य देशों ने 16 सितंबर, 2022 को उज़्बेकिस्तान के समरकंद में किया। इसमें वर्ष 2022-23 के लिये वाराणसी को SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके तहत वर्ष 2022-23 में वाराणसी में कई कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे, जिसमें SCO के सदस्य राज्यों से मेहमानों को भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जाएगा। इन आयोजनों में विद्वानों, लेखकों, संगीतकारों, कलाकारों, फोटो जर्नलिस्ट, ब्लॉगर्स आदि को आमंत्रित किया जाएगा। इससे SCO देशों और भारत के बीच संबंधों को मज़बूती प्रदान करने में मदद मिलेगी। SCO एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था। SCO चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किये गए थे और यह वर्ष 2003 में लागू हुआ। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखना है। इसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है, यह नौ सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है तथा सबसे बड़े अंतर-क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है।

देवेन्द्र झाझरिया

भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेन्द्र झाझरिया ने मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। पैरा ओलंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता देवेन्द्र ने 60.97 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर रजत पदक जीता। वे तीन बार के पैरा ओलंपिक पदक विजेता हैं। देवेन्द्र झाझड़िय भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। ये पैरालंपिक में दो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालिंपियन है। वर्ष 2004 में एथेंस में आयोजित पैरालंपिक में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 2016 में रियो डी जनेरियो में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में उन्होंने अपने पहले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक ही आयोजन में दूसरा स्वर्ण पदक जीता। भारत ने दोनों खेलों में अभूतपूर्व नतीजे हासिल करते हुए अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने ओलंपिक में सात पदक जीते, जबकि पैरालंपिक में पाँच स्वर्ण सहित 19 पदक हासिल किये। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक के साथ ओलंपिक के सबसे बड़े स्टार रहे। उन्होंने खेलों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत को पहला पदक और 13 वर्ष में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है, खेल रत्न पुरस्कार विजेता को 25 लाख रुपए की राशि, जबकि अर्जुन पुरस्कार विजेता को 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

रेलवे पुलिस बल (RPF) का स्थापना दिवस

भारत में प्रत्येक वर्ष 20 सितंबर को 'रेलवे पुलिस बल (RPF) का स्थापना दिवस' के रूप में मनाया जाता है। आरपीएफ एक केंद्रीय सशस्त्र बल है, जो रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। आरपीएफ का इतिहास वर्ष 1882 का है जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिये अपने स्वयं के गार्ड नियुक्त किये थे। बल को वर्ष 1957 में संसद के अधिनियम द्वारा एक वैधानिक बल घोषित किया गया, जिसे 20 सितंबर, 1985 को भारत संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में घोषित किया गया था। रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आरपीएफ को सौंपी गई है।

रक्तदान अमृत महोत्सव

रक्तदान अमृत महोत्सव के तीसरे दिन 19 सितंबर, 2022 को 1.30 लाख से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने 15 दिन के देशव्यापी स्वैच्छिक रक्तदान अभियान की शुरुआत की थी। ई-रक्त कोष पोर्टल पर अब तक पंजीकृत 2.57 लाख से अधिक रक्तदाताओं के साथ इस अभियान के लिये 6000 से अधिक शिविरों का पंजीकरण किया जा चुका है। इस पोर्टल के माध्यम से रक्तदाता 17 सितंबर से रक्तदान के लिये पंजीकरण कराया जा रहा है। रक्तदाता आरोग्य सेतु एप पर पंजीकरण कराने का विकल्प भी चुन सकते हैं। एक दिन में 87,137 लोगों ने रक्तदान कर पहले ही दिन नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। अभियान का उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। देश में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्तूबर को मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि, इस वर्ष 15 अगस्त, 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के 75 हफ्ते पहले 12 मार्च, 2021 को केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का आगाज़ किया था जो कि 15 अगस्त, 2023 तक चलेगा।

कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन

लद्दाख के कारगिल में 19 सितंबर, 2022 को 2000 से ज़्यादा धावकों ने कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में हिस्सा लिया। कारगिल पर्वतीय परिषद और लद्दाख पुलिस ने सरहद, पुणे के साथ मिलकर इसका आयोजन किया था। लद्दाख में उपजाई जाने वाली खुबानी की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पहुँच की खुशी में इस मैराथन का आयोजन 'रन फॉर खुबानी' के नारे के साथ किया गया। जिग्में नामगियाल पुरुष वर्ग में और डिस्केट डोलमा महिला वर्ग में 42 किलोमीटर की फुल मैराथन के विजेता रहे। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कारगिल के खी सुल्तान चो स्पोर्टस स्टेडियम से धावकों के लिये विशेष संदेश के साथ मैराथन का वचुर्अल उद्घाटन किया। लद्दाख स्वायत पर्वतीय विकास परिषद द्वारा इस क्षेत्र को एक आकर्षक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस

विश्व शांति दिवस अथवा 'अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस' प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर' को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिये प्रयास करना एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों तथा विवादों पर विराम लगाना है। विश्व शांति दिवस, 2022 की थीम 'End racism, Build peace' है जिसका अर्थ है 'नस्लवाद खत्म करें, शांति स्थापित करें। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व शांति का अर्थ केवल हिंसा न होना ही नहीं है, बल्कि ऐसे समाजों का निर्माण करना है जहाँ सभी को यह अहसास हो कि वे आगे बढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1981 में विश्व शांति दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद पहली बार वर्ष 1982 में विश्व शांति दिवस मनाया गया था। वर्ष 1982 से लेकर वर्ष 2001 तक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन वर्ष 2002 से इसके लिये 21 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी गई।

विश्व अल्ज़ाइमर दिवस

प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को "विश्व अल्ज़ाइमर दिवस (World Alzheimer's Day)" के रूप में मनाया जाता है। अल्ज़ाइमर बीमारी से लोगों को बचाने और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये विश्व अल्ज़ाइमर दिवस मनाया जाता है। विश्व अल्ज़ाइमर दिवस, 2022 की थीम है 'डिमेंशिया को जानें, अल्ज़ाइमर को जानें' (Know Dementia, Know Alzheimer's)। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ इंटरनेशनल (Alzheimer's Disease International-ADI) की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। वर्ष 1994 में अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ इंटरनेशनल की दसवीं वर्षगाँठ पर विश्व अल्ज़ाइमर दिवस की घोषणा की गई थी, तभी से यह दिवस 21 सितंबर को मनाया जा रहा है। विश्व अल्ज़ाइमर माह (सितंबर) की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी। अल्ज़ाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर (Neurological Disorder) है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है। इसके कारण रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति क्षीण हो जाती है उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है, स्वभाव में लगातार परिवर्तन होता रहता है आदि। प्रारंभ में ये लक्षण कम मात्रा में दिखाई देते हैं लेकिन समय रहते इसका उपचार न कराया जाए तो यह गंभीर और असाध्य हो जाता है।

गुजराती फिल्म छेल्लो शो

गुजराती फिल्म छेल्लो शो को ऑस्कर, 2023 के लिये भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 95वें अकादमी पुरस्कारों के लिये इसकी घोषणा की। छेल्लो शो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में चुना गया है। यह फिल्म 14 अक्तूबर को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। छेल्लो शो का शीर्षक अंग्रेज़ी में लास्ट फिल्म शो है। इस फिल्म का रॉबर्ट डे नीरो के ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में उद्घाटन फिल्म के रूप में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था और इसने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में कई पुरस्कार जीते हैं। छेल्लो शो के निर्देशक नलिन पैन हैं। छेल्लो शो एक किशोर बालक की कहानी है। वह भारत के एक दूरदराज़ के गाँव में रहता है और सिनेमा के साथ उसका गहरा संबंध जुड़ जाता है। यह फिल्म दर्शाती है कि कैसे एक छोटा लड़का प्रोजेक्शन बूथ पर फिल्में देखने में पूरी गर्मियों का समय बिताता है। अमेरिका की अकेडेमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज़ द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक अकेडमी पुरस्कार को ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। इसमें फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखक और संगीतकारों को सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार के पहले ऑस्कर समारोह का आयोजन 16 मई, 1929 को किया गया था। यह मीडिया के सबसे पुराने पुरस्कार समारोहों में से एक है।

वर्ल्ड राइनो डे

22 सितंबर को राइनो की देखरेख, सुरक्षा और संरक्षण में जागरूकता फैलाने के लिये वर्ल्ड राइनो डे (World Rhino Day) मनाया जाता है। राइनो स्तनपायी और शाकाहारी प्राणी है। विश्व में राइनो की पाँच प्रजातियाँ (ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, एक-सींग वाले राइनो, सुमात्रा राइनो और जावा राइनो) पाई जाती हैं, जिनमें से दो अफ्रीका में तथा तीन दक्षिण एशिया के देशों में मिलती हैं। एशियाई राइनो में इंडियन राइनो आकार में सबसे बड़ा होता है। भारतीय राइनो पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लेकर नेपाल, भूटान, भारत और म्याँमार तक पाया जाता था लेकिन वर्तमान में यह भारत के असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में भी कुछ राइनो पाए जाते हैं। भारत में राइनो वर्ष 1850 तक बंगाल और उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में भी में पाए जाते थे। विदित हो कि सर्वप्रथम वर्ष 2010 में विश्व वन्यजीव कोष-अफ्रीका ने 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाने की शुरुआत की थी। भारत में राइनो के संरक्षण तथा प्रजनन को बढ़ावा देने के लिये बिहार की राजधानी पटना में केंद्र सरकार के सहयोग से भारत का पहला राष्ट्रीय राइनो प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाया गया है।

हेमकोश

असमिया मीडिया समूह 'सदिन प्रतिदिन' के अध्यक्ष, जयंत बरुआ ने असमिया शब्दकोश 'हेमकोश' के ब्रेल संस्करण की प्रति 21 सितंबर, 2022 को प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की। हेमकोश 19वीं शताब्दी के शुरुआती असमिया शब्दकोशों में से एक है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने हाल ही में हेमकोश के ब्रेल संस्करण का विमोचन किया था। शब्दकोश (Dictionary) का प्रकाशन 'सदिन-प्रतिदिन' समूह ने किया है। उल्लेखनीय है कि हेमकोश का प्रकाशन सर्वप्रथम वर्ष 1919 में हेमचंद्र बरुआ ने किया था। उसके बाद बरुआ के परिवार की अगली पीढ़ियों ने समय-समय पर शब्दकोश के नये संस्करण जारी किये हैं। ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में स्पर्श करके व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार वर्ष 1821 में एक नेत्रहीन फ्राँसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था।

नोट :

इंटरनेशनल डॉटर्स डे

इंटरनेशनल डॉटर्स डे पूरी दुनिया में व्यापक रूप से मनाया जाता है, इसके अतिरिक्त अलग-अलग देशों में इसे अलग-अलग तारीखों में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डॉटर्स डे सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। यह दिन हमें अपनी बेटियों को संजोने और सशक्त बनाने की याद दिलाता है जो हमारे जीवन में ढेर सारा प्यार, हँसी और खुशी लाती है। बेटियों का उत्सव इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि विकासशील देशों में बेटियों को अक्सर एक बोझ के रूप में देखा जाता रहा है और इस दिन को मनाना बेटियों के महत्त्व एवं हर संभव तरीके से उनकी सराहना करने की आवश्यकता की निरंतर याद दिलाता है। डॉटर्स डे बेटियों की गर्मजोशी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाता है। यह दिन भारत के कुछ हिस्सों में लड़कियों के संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये मनाया जाता है जहाँ उन्हें बेटों से कमतर माना जाता है और उन्हें बोझ के रूप में भी देखा जाता है। बेटियों को कुछ अतिरिक्त पॉकेट मनी प्राप्त करने में मदद करने के लिये 6 अक्तूबर को नेशनल ट्रांसफर मनी टू योर डॉटर डे भी मनाया जाता है।

हाइफा दिवस

प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाइफा दिवस का मुख्य उद्देश्य हाइफा के युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करना है। हाइफा का युद्ध 23 सितंबर, 1918 को हुआ था, जिसमें जोधपुर, मैसूर तथा हैदराबाद के सैनिकों, जो कि 15 इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड का हिस्सा थे, ने मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्वयुद्ध में भाग लेकर जर्मनी व तुर्की के आधिपत्य वाले इज़रायल के 'हाइफा शहर' को मुक्त करवाया था। इस युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने दिल्ली स्थित विख्यात तीन मूर्ति मेमोरियल को तीन मूर्ति हाइफा मेमोरियल के रूप में पुन: नामित किया था।

अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस

बधिर लोगों के मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में सांकेतिक भाषा के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष 23 सितंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस' का आयोजन किया जाता है। 'अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस' का प्रस्ताव बधिर लोगों के 135 राष्ट्रीय संघों के संघ- 'वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ' (WFD) ने रखा। इस प्रस्ताव को 19 दिसंबर, 2017 को सर्वसम्मति से अपनाया गया। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर पहला 'अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस' का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था। वर्ष 1951 की 23 सितंबर की तारीख 'वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ' की स्थापना का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 2022 की थीम "सांकेतिक भाषाएँ हमें एकजुट करती हैं"('Sign Languages Unite Us') है। 'वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ' के आँकड़ों की मानें तो दुनिया भर में 70 मिलियन से अधिक बधिर व्यक्ति हैं। ज्ञात हो कि सांकेतिक भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है, जहाँ हाथ के इशारों और शरीर तथा चेहरे के हाव-भावों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार सांकेतिक भाषाएँ बोली जाने वाली भाषाओं से संरचनात्मक रूप से अलग होती हैं और इनका प्रयोग अधिकांशत: श्रवण बाधित लोगों द्वारा किया जाता है।

राज्य पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर, 2022 को गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। सहकारी संघवाद की अवधारणा मज़बूत करते हुए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से पर्यावरण अनुकूल जीवन-शैली पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन से प्रभावशाली तरीके से निपटने और प्लासटिक कचरे के उन्मूलन के लिये नीतियों को उचित तरीके से लागू करने में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने पर विचार किया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण, भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने और वन क्षेत्र बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दो दिन के इस सम्मेलन में पर्यावरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर छह सत्र आयोजित होंगे। इनमें पर्यावरण अनुकूल जीवन-शैली, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, विकास परियोजनाओं की एक ही स्थान पर मंज़ूरी, वानिकी प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम, वन्यजीव प्रबंधन तथा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन आदि विषय शामिल हैं।

लेखिका हिलेरी मेंटल

दो बार बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला और लोकप्रिय उपन्यास 'वुल्फ हॉल' की लेखिका हिलेरी मेंटल का 70 वर्ष की आयु में 22 सितंबर, 2022 को लंदन में निधन हो गया। इनका जन्म डर्बीशर, इंग्लैंड के ग्लोस्सोप में 6 जुलाई, 1952 को हुआ था। इनको वर्ष 2009 में थॉमस क्रोमवेल शृंखला के पहले उपन्यास 'वुल्फ हॉल' के लिये तथा वर्ष 2012 में अनुवर्ती उपन्यास 'ब्रिंग अप द बॉडीज' के लिये 'बुकर पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। शृंखला के तीसरे उपन्यास के तौर पर वर्ष 2020 में प्रकाशित 'द मिरर एंड द लाइट' को भी पाठकों ने काफी पसंद किया और वह बुकर पुरस्कार,2020 के लिये लंबे समय तक सूचीबद्ध रही। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वार्षिक रूप से किसी एक पुस्तक को प्रदान किया जाता है जिसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया हो तथा यूके या आयरलैंड में प्रकाशित हो। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में हुई।

मूनलाइटिंग

आईटी कंपनी विप्रो ने मूनलाइटिंग (Moonlighting) के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। हाल ही में Swiggy ने इंडस्ट्री में सबसे पहले मूनलाइटिंग पॉलिसी की घोषणा की है। हालाँकि यह पहली बार है जब किसी आईटी कंपनी ने मूनलाइटिंग की वजह से अधिक संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला है। जब कोई

नोट :

कर्मचारी अपनी स्थायी नौकरी के साथ ही दूसरी जगह भी चोरी-छिपे काम करता है तो उसे तकनीकी तौर पर 'मूनलाइटिंग' कहा जाता है। सरल शब्दों में इसे साइड जॉब भी कहा जाता है। आईटी उद्योग में मूनलाइटिंग काफी लोकप्रिय हो गई है क्योंकि COVID-19 महामारी के दौरान घर से काम करना एक आदर्श व्यवस्था बन गई है। ज़्यादातर कंपनियाँ इसे अनैतिक मानती हैं, बावजूद इसके लोग मूनलाइटिंग करते हैं। रिमोट जॉब में मूनलाइटिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। साइड जॉब को मूनलाइटिंग इसलिये कहा जाता है क्योंकि यह काम ज़्यादातर रात में या वीकेंड पर किया जाता है।

एल्विस अली हजारिका

असम के एल्विस अली हजारिका नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले तैराक बन गए हैं। नॉर्थ चैनल उत्तरी आयरलैंड और दक्षिण-पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच का जल क्षेत्र है। एल्विस और उनकी टीम ने इस जल क्षेत्र को पार करने में 14 घंटे 38 मिनट का समय लिया। इस प्रकार एल्विस नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक भी बन गए। उत्तरी चैनल आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन (IHO) द्वारा आधिकारिक तौर पर "स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट से इनर सीज़" के रूप में वर्गीकृत समुद्री क्षेत्र का हिस्सा है। मोयल के जलडमरूमध्य या सी ऑफ मोयल, उत्तर-पूर्वी उत्तरी आयरलैंड (काउंटी एंट्रीम) और स्कॉटलैंड के दक्षिण-पश्चिमी हाइलैंड्स के बीच उत्तरी चैनल में समुद्र के सबसे संकीर्ण विस्तार को दिया गया नाम है।

अंत्योदय दिवस

भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिह्नित करने के लिये प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस (Antyodaya Diwas) के रूप में मनाया जाता है। अंत्योदय का अर्थ "गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान" या "अंतिम व्यक्ति का उत्थान" (uplifting the poorest of the poor" or "rise of the last person)" है। यह दिन भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर, 2014 को घोषित किया गया था और आधिकारिक तौर पर वर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर, 1916 को मथुरा ज़िले के नगला चन्द्रभान ग्राम में हुआ था। इनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन को 'एकात्म मानववाद' कहा जाता है जिसका उद्देश्य एक ऐसा 'स्वदेशी सामाजिक-आर्थिक मॉडल' प्रस्तुत करना था जिसमें विकास के केंद्र में मानव हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पश्चिमी 'पूंजीवादी व्यक्तिवाद' एवं 'मार्क्सवादी समाजवाद' दोनों का विरोध किया, लेकिन आधुनिक तकनीक तथा पश्चिमी विज्ञान का स्वागत किया।

दिलीप तिर्की

हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। वे वर्ष 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी रहे। हॉकी इंडिया के इतिहास में पहली बार कोई पूर्व ओलम्पियन इसकी अध्यक्षता करेगा। 44 वर्षीय दिलीप तिर्की ने 15 वर्ष के अपने कॅरियर में 412 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। वे टीम के मज़बूत डिफेंडर माने जाते थे। उन्होंने वर्ष 1996 में अटलाँटा, वर्ष 2000 में सिडनी तथा वर्ष 2004 में एथेंस ओलिम्पिक्स में देश का प्रतिनिधित्त्व किया। पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और प्रशासकों की समिति ने 9 अक्तूबर तक हॉकी इंडिया के चुनाव पूरे कराने को कहा था। दिलीप तिर्की के अध्यक्ष चुने जाने से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रशासकों की समिति हॉकी इंडिया का कामकाज देख रही थी। राष्ट्रीय खेल अधिनियम के कथित उल्लंघन के आरोपों पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था।

'चक्रवात नोरू'

शक्तिशाली चक्रवात 'नोरू' के कारण फिलीपींस में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। चक्रवात से देश के पूर्वी द्वीप तबाह हो गए हैं। नागरिकों से उच्च खतरे वाले क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा गया है। चक्रवात के कारण 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। इससे राजधानी मनीला में भूस्खलन, बाढ़ और चक्रवात के खतरे की आशंका है। 24 घंटे में चक्रवात की तीव्रता में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हुई है। फिलीपींस के मौसम विभाग ने लूज़ोन द्वीप के लिये भी चेतावनी जारी की है। चक्रवात के कारण क्वेज़ोन प्रांत में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। दिसंबर 2021 में चक्रवात 'राय' से फिलीपींस में व्यापक विनाश हुआ था और लगभग 400 लोगों की मौत हो गई थी। चक्रवात 'नोरू' को इस वर्ष दक्षिण-पूर्व एशियाई देश में आने वाला सबसे शक्तिशाली चक्रवात माना जा रहा है। फिलीपींस दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों के समूह से बने इस देश का आधिकारिक नाम 'फिलीपींस गणतंत्र' है और इसकी राजधानी मनीला है। फिलीपीन द्वीप-समूह पूर्व में फिलीपींस महासागर से पश्चिम में दक्षिण चीन सागर से और दक्षिण में सेलेबस सागर से घिरा हुआ है।

विश्व पर्यटन दिवस

प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस (World Tourism Day) मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1980 में की गई थी। विश्व पर्यटन दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को पर्यटन के प्रति जागरूक करना है। 27 सितंबर की तिथि को इस दिवस को मनाने के पीछे का कारण यह है कि इसी दिन वर्ष 1970 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) की विधियों को अपनाया गया था। उसके पाँच वर्ष बाद UNWTO की स्थापना वर्ष 1975 में हुई और इसके पाँच साल बाद विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत हुई. वर्ष 1997 में UNWTO ने इस्तांबुल, तुर्की में अपने पाँचवे सत्र में इस बात का निर्णय लिया की प्रत्येक वर्ष कोई एक देश विश्व पर्यटन दिवस की मेज़बानी करेगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन

नोट :

संगठन ने विश्व पर्यटन दिवस, 2022 की मेज़बानी इंडोनेशिया को सौंपी है। पर्यटन दिवस 2022 की थीम "पर्यटन पर पुनर्विचार" (Rethinking Tourism) है। यह इस पर पुनर्विचार करने का अवसर है कि कैसे पर्यटन क्षेत्र अधिक टिकाऊ, समावेशी और लचीला हो सकता है।

जलदूत एप्लीकेशन

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जलदूत एप्लीकेशन विकसित किया है जिससे देश भर के गाँवों के चयनित कुओं के जलस्तर का पता लगाया जाएगा। 27 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में इस एप्लीकेशन की शुरुआत की जाएगी। ग्राम रोज़गार सहायक जलदूत एप के माध्यम से वर्ष में दो बार- मॉनसून से पहले और बाद में चयनित कुआँ के जलस्तर का मापन करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि इस एप के आँकड़ों से बेहतर कार्ययोजना बनाने में मदद मिलेगी। भू-जलस्तर के आँकड़े ग्राम पंचायत विकास योजना और मनरेगा कार्यक्रम में सहायक होंगे। मंत्रालय के अनुसार, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन में सुधार के लिये कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें वाटरशेड विकास, वनीकरण, जल निकाय विकास एवं नवीनीकरण तथा वर्षा जल संचयन शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार निशस्त्रीकरण दिवस

परमाणु हथियारों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिये संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार निशस्त्रीकरण दिवस के रूप में मनाता है। इसका उद्देश्य विश्व के लोगों को परमाणु हथियारों को मानवता के लिये सबसे घातक होने और उनको पूर्णतया समाप्त करने के प्रति जागरूक करना तथा इस दिवस के माध्यम से लोगों एवं सभी देशों के नेताओं को इस प्रकार के घातक हथियारों को समाप्त करने से होने वाले वास्तविक लाभ के प्रति शिक्षित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1946 में प्रस्ताव पारित कर यह सिद्ध किया कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पास न केवल परमाणु ऊर्जा के नियंत्रण और परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिये विशिष्ट प्रस्ताव बनाने का जनादेश है, बल्कि सामूहिक विनाश के सभी हथियारों का नियंत्रण भी है। महासभा ने वर्ष 1959 में सामान्य एवं पूर्ण निशस्त्रीकरण के उद्देश्य का समर्थन किया। वर्ष 1978 में महासभा के पहले विशेष सत्र में कहा गया कि निशस्त्रीकरण की दिशा में पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिये।

विश्व रेबीज़ दिवस

रेबीज़ और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज़ दिवस (World Rabies Day) मनाया जाता है। यह दिवस फ्राँस के प्रसिद्ध जीवविज्ञानी लुई पाश्चर (Louis Pasteur) की पुण्यतिथि के अवसर पर 28 सितंबर को मनाया जाता है, जिन्होंने पहला रेबीज़ टीका विकसित किया था और रेबीज़ की रोकथाम की नींव रखी थी। वर्ष 2022 के लिये इस दिवस की थीम- 'रेबीज़: वन हेल्थ, ज़ीरो डेथ्स' ('Rabies: One Health, Zero Deaths') रखी गई है। विश्व रेबीज़ दिवस पहली बार 28 सितंबर, 2007 को मनाया गया था। रेबीज़ एक विषाणु जनित रोग है। यह वायरस अधिकांशत: रेबीज़ से पीड़ित जानवर जैसे- कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि की लार में मौजूद होता है। आँकड़ों के अनुसार, मनुष्यों में लगभग 99 प्रतिशत मामलों का कारण कुत्ते का काटना है। रेबीज़ से संक्रमित जानवर के काटने और रेबीज़ के लक्षण दिखाई देने की समयावधि चार दिनों से लेकर दो वर्ष तक या कभी-कभी उससे भी अधिक हो सकती है। इसलिये वायरस से बचाव के लिये जल्द-से-जल्द उपचार करना ज़रूरी होता है।

सर्जिकल स्ट्राइक की छठी वर्षगाँठ

राष्ट्र 28 सितंबर, 2022 को सर्जिकल स्ट्राइक की छठी वर्षगाँठ मना रहा है। वर्ष 2016 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में स्थित आतंकवादी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उरी हमले में 18 जवानों के शहीद होने के 11 दिनों के बाद भारतीय सेना ने 28 और 29 सितंबर, 2016 की रात सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। जम्मू-कश्मीर में तैनात अर्द्धसैनिक बलों की विभिन्न इकाइयों के कमांडों सहित भारतीय सेना ने सीमा पार कई आतंकी ठिकानों पर हमले किये थे। ये सभी ठिकाने आतंकवादियों के लाँच-पैड थे जिसके माध्यम से जम्मू-कश्मीर में सेना और नागरिकों पर हमले करने के लिये आतंकवादी घुसपैठ करते थे। इस कार्रवाई के साथ भारत ने यह माकूल संदेश दिया कि वह ज़रूरत पड़ने पर सीमा पार भी आतंकियों के लाँच-पैड पर हमले कर सकता है।

द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर युवाओं को संगठन में भर्ती कर कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार करने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency-NIA) ने रिमांड नोट जारी किया है। इस संगठन ने अपनी हिंसक गतिविधियों के लिये मज़बूत एवं जीवंत कैडर बल बनाए रखने हेतु एक बहु-स्तरीय प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है। द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) की एक शाखा है। सरकार ने SIMI को वर्ष 2001 में प्रतिबंधित कर दिया था। PFI को दक्षिण भारत के तीन संगठनों को मिलाकर बनाया गया था। फरवरी 2009 में कोझिकोड में एक बैठक के दौरान तीन घटक राष्ट्रीय विकास मोर्चा (NDF) केरल, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी (KFD), कर्नाटक और मनीथा नीथी पासराय (MNP) तमिलनाडु का विलय कर PFI का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में PFI संगठन सक्रिय है। 12 फरवरी, 2019 को झारखंड सरकार ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1908 की धारा 16 के तहत PFI को एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया था।

नोट :

खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022

19 दिसंबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट के प्रति जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया। UNGA ने रेखांकित किया कि इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पालन भोजन के नुकसान और कचरे को कम करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा। यह दिवस वर्ष 2020 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, वर्ष 2022 में इसके तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) इस दिवस का पालन सुनिश्चित किये जाने की दिशा में प्रयासरत हैं। यह दिवस सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं से भोजन के नुकसान व बर्बादी को कम करने के लिये मिलकर काम करने का आह्वान करता है। खाद्य हानि तथा अपशिष्ट कुल वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) का 8-10 प्रतिशत है। दुनिया भर की सरकारों को भोजन के नुकसान और अपशिष्ट को कम करने के लिये सहयोग करने व समाधान खोजने की ज़रूरत है। यह ध्यान देने योग्य है कि यदि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएँ सामान्य हो जाएंगी।

वालेरी पॉलाकोव

19 सितंबर, 2022 को रुसी अंतरिक्ष यात्री वालेरी पॉलाकोव का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अंतरिक्ष में अकेले 437 दिन बिताने वालेरी पॉलाकोव का रिकॉर्ड 8 जनवरी, 1994 को शुरू हुआ था। सोवियत अंतरिक्ष स्टेशन मीर पर सवार रहते हुए उन्होंने 22 मार्च, 1995 को पृथ्वी पर वापस लौटने से पूर्व 7,000 से अधिक बार पृथ्वी की परिक्रमा की। इससे पहले पॉलाकोव ने वर्ष 1988-89 में एक मिशन के दौरान 288 दिन अंतरिक्ष में बिताये थे, यह अंतरिक्ष में उनका पहला मिशन था। वह 8 महीने बाद वर्ष 1989 में पृथ्वी पर लौटे। उन्होंने मॉस्को में इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल प्रॉब्लम्स के उप निदेशक के रूप में भी कार्य किया। वे वर्ष 1999 में एक प्रयोग SFINCSS-99 (Simulation of Flight of International Crew on Space Station) का हिस्सा रहे। उनकी 437 दिनों की उड़ान ने यह समझने में मदद की कि मंगल पर लंबी अवधि के मिशन के दौरान मानव शरीर ने सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण के प्रति कैसे प्रतिक्रिया दी। इस मिशन से प्राप्त जानकारी का उपयोग यह निर्धारित करने के लिये किया गया है कि क्या मनुष्य लंबी अवधि की अंतरिक्ष उड़ानों के दौरान स्वस्थ मानसिक स्थिति बनाए रखने में सक्षम हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस

प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस' के रूप में मनाया जाता है। आधिकारिक तौर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस वर्ष 2017 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस,2022 की थीम 'ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर' है। 24 सितंबर, 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित कर 30 सितंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस' घोषित किया। 30 सितंबर को सेंट जेरोम (St. Jerome) की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि स्वरुप चुना गया है। सेंट जेरोम बाइबल अनुवादक (Translator) हैं, जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस को मनाने के लिये जारी संकल्प की वकालत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स (FTI) सहित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉन्फ्रेंस इंटरप्रेटर्स, क्रिटिकल लिंक इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स, रेड टी, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स तथा अन्य कई संगठनों ने की। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाने की शुरुआत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स- एफआईटी ने की थी। एफआईटी की स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी और वर्ष 1991 में इस फेडरेशन ने दुनिया भर के अनुवादक समुदायों को एकजुत करने के लिये आधिकारिक तौर पर इस दिवस को मान्यता प्रदान करने के विचार की शुरुआत की।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 30 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किये। वर्ष 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया गया। श्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार तमिल फिल्म सोरारई पोट्टरू को मिला। हिंदी फिल्म तान्हाजी: द अन्संग वॉरियर को संपूर्ण मनोरंजन के लिये श्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। अजय देवगन और सूर्या को फिल्म तान्हाजी: द अन्संग वॉरियर एवं सोरारई पोट्टरू (Soorarai Pottru) के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। अर्पणा बालमुरली को सोरारई पोट्टरू के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। सचिदानंद के. आर. को मलयालम फिल्म ए के अय्यपनम कोश्यूम के लिये सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार दिया गया। मराठी फिल्म सूमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तथा मनोज मुंतसिर को हिंदी फिल्म साइना के लिये सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार प्रदान किया गया। राहुल देशपांडे को मराठी फिल्म मी बसंतराव के लिये सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार एवं ननचंबा को मलयालम फिल्म ए के अय्यपनम कोश्यूम के लिये सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा कन्नड़ फिल्म तालेदंडा को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, बांग्ला फिल्म अभियांत्रिक के लिये सुप्रतिमभोल को सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया।

नोट :